छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **त्रयोदश सत्र**

गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2022

(फाल्गुन 19, शक सम्वत् 1943)

[अंक 04]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2022

(फाल्गुन-19, शक संवत् 1943)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा है । माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन की छुट्टी लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी में हैं, वे छत्तीसगढ़ मॉडल को विसर्जित करने गये हैं । उनकी ओर से कुछ खाना-पीना भी होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बृजमोहन जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मणिपुर गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न पर आ जाईये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारी चर्चा है । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल का बजट देखकर इन लोगों को सांप सूंघ गया है और अभी ये इधर-उधर की बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक यू.पी. में जो कांग्रेस के आंकड़े आये हैं उनकी संख्या अभी भी पुन्नूलाल मोहले जी के बच्चों से कम है । पुन्नूलाल मोहले जी के जितने बच्चे हैं उससे कम का आंकड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बृजमोहन अग्रवाल जी प्रश्न करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दो महीने से गगनबिहारी हो गये थे । वे छत्तीसगढ़ में कम आते थे और यू.पी. में ज्यादा जाते थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि छत्तीसगढ़ का पैसा लगा तो भी काम नहीं आया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- तो क्या प्रश्नकाल स्थगित करें ?

श्री अजय चंद्राकर :- पूरा पैसा चला गया, मंत्री कंगाल हो गये ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये-चलिये प्लीज । आप प्रश्न पर आ जायें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया था । पूरे देश में चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी बार उत्तरप्रदेश क्यों आ रहे हैं ? (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश में गंगा जी है । छत्तीसगढ़ में जो पाप किये हो उसको वहां धोने के लिये जाते हैं । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- छत्तीसगढ़ में आप लोग अपनी स्थिति देख लीजिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वहां गये थे तो वहां के लोग हमसे पूछते थे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप शून्यकाल में बात कर लीजियेगा । अभी प्रश्न पर आ जाईये ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से इनको ईर्ष्या हो रही है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जितने लोग गये थे वे सभी अकेले पुन्नूलाल जी को भी टक्कर नहीं दे पाये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये ।

<u>पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामग्री वितरण</u>

[श्रम]

1. (*क्र. 813) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 1 जनवरी, 2019 से 10 फरवरी, 2022 तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ है व मशीन, सायकल, औजार कीट एवं सुरक्षा उपकरण के लिए कितने कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के प्राप्त आवेदन में से कितने हितग्राहियों को सामग्री प्रदाय किया गया है? सामग्रीवार व वर्षवार जानकारी देवे? कुल कितनी राशि के सामग्री का वितरण किया गया है? **(ग)** कंडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप सामग्री वितरित नहीं की गई है तोक्यों?व इसके लिए जवाबदार कौन कौन है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 1 जनवरी] 2019 से 10 फरवरी] 2022 तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[1] अनुसार है।मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना] मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना] मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री निर्माण

---

[1] परिशिष्ट “एक”

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन की जानकारी वर्षवार **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** कंडिका 'क' के प्राप्त आवेदन में से पात्र हितग्राहियों को सामग्री प्रदाय की जानकारी] सामग्रीवार व वर्षवार **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। कुल **6,27,19,873** राशि के सामग्री का वितरण किया गया है। **(ग)** छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सामाग्री वितरण योजनाओं में आवेदन प्राप्त है। कोविड-19 संक्रमण काल में वित्त विभाग का वित्त निर्देश क्रमांक 11/2020 क्रमांक/20/सम./वित्त/ब-4/2020 नवा रायपुर, अटल नगर 12 मई 2020 अनुसार ''कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश में लागू लॉक डाउन स्थिति से विभिन्न विभागों में संचालित Discretionary योजनाओं की स्वीकृति जारी करने हेतु वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया (प्रशासकीय विभागों/निकायों द्वारा निर्णय) को आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुए केवल अति आवश्यक कार्यों की स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश वर्तमान में लागू हैं। जिसके कारण सामाग्री वितरण योजनाओं में लाभ प्रदान नही किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बी.ओ.सी. में कुल कितने मजदूर रजिस्टर्ड हैं ? और कितना पैसा वर्तमान में जमा है कृपया इसकी जानकारी दे दें ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत सरल प्रश्न पूछ रहे हैं । आपसे इतने सरल प्रश्न की उम्मीद नहीं थी । कौन उत्तर देंगे ? क्या आप उत्तर देंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर है । मैं अभी इनको बता रहा हूं । अभी हमारे कुल 20 लाख 41 हजार 557 श्रमिक पंजीकृत हैं और लगभग इस साल की टेंटेटिव जानकारी चूंकि इसमें नहीं है तो यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं उसकी जानकारी अलग से बता दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कहेंगे नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में भाषण देते हैं कि यह श्रम के आधार पर काम करने वाली सरकार है । श्रमिकों का 600 करोड़ रूपया जमा है । पूरे कोरोना काल में एक पैसा नहीं बांटा । वाह रे श्रम की सरकार, श्रम का सम्मान करने वाली सरकार । 600 करोड़ रूपए जमा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 600 करोड़ रूपये नहीं जमा है । आपको किसने बता दिया कि 600 करोड़ रूपये जमा है ? क्या आप बैंक का स्टेटमेंट लेकर आये हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- यह क्या बात हुई ? आप ही बता दीजिये ।

श्री सौरभ सिंह :- आप ही बता दीजिये कि कितना जमा है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानकारी बता देंगे । उन्होंने पूछा नहीं था । हम आपको पता करके बता देंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बाकी लोगों के प्रश्नों में तो बहुत खड़े होते हैं, अभी आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिये न । कितना पैसा जमा था और अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं जवाब तो दे रहा हूं न । आप जो प्रश्न पूछेंगे, मैं जवाब तो उसी का दूंगा । आप जो प्रश्न पूछेंगे, मैं उसी का जवाब दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए । मैं आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूं । यदि मंत्री प्रश्नकाल में इस भाषा में बात करेंगे तो यह ठीक नहीं है । हम इनके प्रश्नों का बहिष्कार करने का निर्णय कर लेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में एक व्यक्ति किन्हीं बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनने वाला है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों भी घटना-दुर्घटना हो रही थी, मैंने उसको रोका । आज मेरे ही प्रश्न के जवाब में मंत्री जी को प्रश्न का जवाब देना है उनको सरलता से, सादगी से प्रश्न का जवाब देना चाहिए । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब तो दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जवाब देना ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, मेरी बात सुनिए ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो जवाब दे रहे हैं । उनको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है । माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- उत्तर तो देंगे ही, इतनी उत्तेजना क्यों ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी, आप भी इतना उत्तेजित होकर प्रश्न मत करिए ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय मंत्री जी के जवाब को सुने बिना ही इतनी उत्तेजना ।

श्री अरूण वोरा :- जैसा अजय चंद्राकर जी बोलते हैं वैसे ही माननीय मंत्री जी के बोलने का स्टाईल ही वही है ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी के बोलने का स्टाइल ही वही है, जैसा अजय चन्द्राकर जी बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए। दोनों तरफ से उत्तेजना में थोड़ा सा..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अच्छा, माननीय मंत्री जी, यह जवाब दे दें कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तब बी.ओ.सी. में कितने पैसे जमा थे और आपने बताया कि 20 लाख 157 हजार मजदूर रजिस्टर्ड हैं तो कितने मजदूरों को पिछले 3 सालों में 20 लाख में से फायदा दिया गया और कितना पैसा खर्च किया गया? वर्तमान में अभी कितना पैसा जमा है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप भी शालीनतापूर्वक उत्तर दे दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अइसे पूछे न। मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष, हमारे माननीय विद्वान सदस्य भाई बृजमोहन अग्रवाल जी ने पूछा है। इन्होंने वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 इन वर्षों की जानकारी मांगी है, उसमें वर्ष 2019 में जो आवेदन प्राप्त हुए थे 31 हजार 94, उसमें लाभान्वित 2997 लोगों को किया गया है। व्यय राशि 1 करोड़ 98 लाख 52 हजार 70 रूपये थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आम पूछ रहा हूं। ये इमली का जवाब दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जवाब तो सुन लीजिए। फिर मैं आपको पूरा दे देता हूं न ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आने दीजिए। अभी काफी लंबा समय है।

श्री अमरजीत भगत :- जवाब पूरे विस्तार से दे रहे हैं। ये बेहोश न हो जाये तब आप जवाब दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये तीनों, चारों सालों का बता देता हूं, जितना आपने पूछा है, उसे पूरा बता देता हूं। मैंने परिशिष्ट अ, ब और स तीनों में दिया है। ये उसी को दोबारा पूछ रहे हैं। मैंने इसका जवाब दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, कोई नया प्रश्न करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप सुनिए न। मैं बता रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं सुन रहा हूं तो आप बता नहीं रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप सुनिए न।

अध्यक्ष महोदय :- आप हंसकर सवाल करिए तो हंसकर ही जवाब देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट प्रश्न है। मैं हंसते हुए ही बता कर रहा हूं। जब मंत्री जी कुछ ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, तब नाराजगी होती है। अन्यथा हम लोग तो नाराज होते ही नहीं।

श्री अमरजीत भगत :- आज बृजमोहन भैया घर में लड़ाई करके आये हैं, ऐसा लगता है। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस दिन इस बी.ओ.सी. में कितने पैसे जमा थे?
पिछले 3 सालों में कितने पैसे आये? वर्तमान में कितने पैसे जमा हैं और 20 लाख मजदूरों में से 3 साल में कितने मजदूरों को फायदा दिया गया। मैं शुरू से यही प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब दे रहे हैं। चलिए, दे दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नया राज्य बना तब तो बी.ओ.सी. का गठन ही नहीं हुआ था तो उस समय एक भी रूपया जमा नहीं था।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, वैरी गुड।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 में बी.ओ.सी. का गठन हुआ था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं पिछले 3 वर्षों का पूछ रहा हूं। मैं सरकार बनने की बाद की बात कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- 3 वर्षों का।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, मैं आपको 3 वर्षों का बता देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, बताइए न।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं 3 वर्षों का आपको बता देता हूं। अभी वर्तमान में 3 वर्षों में 561 करोड़ रूपये जमा है। आप यह पूछिए न, मैं आपको बताता हूं। ये दिनांक 05/09/2008 में इनकी सरकार थी, उसका मैं पूरा बता देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- 3 वर्षों का पूछे हैं। जितना पूछे हैं, उसका जवाब दे दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरा सुनूंगा, पर मेरे सब प्रश्नों का जवाब आ जाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, अभी मैं 3 वर्षों का ही बता देता हूं, फिर उसका भी बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इनको 3 वर्ष बता दीजिए। इन्हें 3 वर्ष से मतलब है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं 3 वर्षों का भी बता देता हूं। इनके समय का वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2018 तक का इनका बता देता हूं, उसके बाद फिर मेरा सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले अपना बता दो। बाद में उनका बता बताओ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं अपना बता देता हूं। फिर इनका बता दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम अपना तो जानते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब ते कहां जानथस, जानतेस तो बात ही नहीं रहिसे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक से बात कर मोर करा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तेहा ठीक से बात कर। अध्यक्ष महोदय, ये बीच में अड़ंगा क्यों डालते हैं? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- ये क्या ते-ते तेरा बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये मेरे प्रश्न के बीच में क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये बीच में कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, आपको मैं तुम बोलूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? (व्यवधान) मंत्री जी मैं आपको तुम बोलूंगा तो अच्छा लगेगा। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या ? आप किस लहजे में बात कर रहे हैं ?(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको तुम बोलूंगा तो अच्छा लगेगा क्या ?

श्री अरूण वोरा :- आप उत्तेजित मत होइए। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- वे हमारे मंत्री जी हैं, उनसे सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप किस लहजे में बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शांति से बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह लहजा बहुत खराब है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- किसी को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सामान्यत: हम लोग सदन में तू-तड़ाक की भाषा का प्रयोग नहीं करते, ज़रा इसको देख लें ।

श्री अरूण वोरा :- अगर उन्होंने गुस्सा होने का ठान ही लिया है तो उसका कोई इलाज नहीं है । आप हर बात में गुस्सा दिखा रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या इस भाषा को संसदीय मान लिया जाए (व्यवधान)?

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- हर बात में उत्तेजना, हर बात पर गुस्सा, हर बात में उंगली दिखाकर बात करना, यह कौन सा नियम है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इन्होंने जो भाष बोली है, वह संसदीय है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय, वे हमारे मंत्री हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- अगर बृजमोहन अग्रवाल जी प्रश्न पूछ रहे हैं तो पीछे इनको उत्तेजित होने की क्या जरूरत है, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आपको उत्तेजित होने की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष माहोदय :- मोहन मरकाम जी, बैठिये आप । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- मोहन मरकाम जी, भाषा शालीन होनी चाहिए ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- संसदीय नियमों के अनुसार आचरण करिये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, समय का सदुपयोग करिये । उत्तेजित मत होइए, चाहे इधर से हों या उधर से हों ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने सीधा-सीधा प्रश्न है, जवाब आप ही दिलवा दीजिए । माननीय मंत्री जी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता । लेकिन बाकी सभी मंत्रियों के प्रश्न में वे जवाब देते हैं और जब उनकी बारी आती है तो अटक जाती हैं । इसलिए मेरा यह कहना है कि हमारे वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने आसंदी से निर्देशित भी किया है कि जवाब दें लेकिन जवाब देने के बजाय दांये-बांये और कुछ न कुछ क्रियेट करने का प्रयास चलता है, वह ठीक नहीं है । इसके कारण प्रश्न का जवाब न आए और बाकी सब चीजें यहां आएं । प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, सभी लोगों का प्रश्न लगा है, मेरा भी लगा हुआ है, इसलिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों के बीच में आप लोग डिस्टर्ब न करें, आराम से सवाल-जवाब होने दीजिए । चलिए, माननीय मंत्री जी बताइए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने तीन साल का पूछा है, मैं तीन साल का बता देता हूं । तीन साल में 2019 से 10 फरवरी 2022 तक भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल में 19 लाख 52 हजार 247 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है और 361 करोड़, 51 लाख, 36 हजार 634 रूपए की राशि व्यय हुई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया है उसमें कुल मिलाकर 6 करोड़ रूपए खर्च करने की बात कही गई है । उन्होंने बताया 561 करोड़ रूपए जमा हैं और अभी जो जानकारी दे रहे हैं वह गलत जानकारी दे रहे हैं कि 361 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं । 3 करोड़ 61 लाख है । 361 नहीं है । ज़रा आप देखकर बता दें । मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 3 करोड़ 61 लाख है । मंत्री जी 361 करोड़ बोल रहे हैं । कुल मिलाकर 29 हजार मजदूरों को पिछले तीन सालों में 6 करोड़ रूपए की सहायता पहुंचाई गई है । पिछले सत्र में भी मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि 591 करोड़ रूपए हमारे पास जमा हैं । हमने कोरोनाकाल में 36 करोड़ रूपए खर्च किया है । यह मेरे पास लिखित उत्तर है, आप देख सकते हैं । लिखित उत्तर में बताया गया है कि 6 करोड़ रूपए खर्च किया है और अभी बोल रहे हैं कि 361 करोड़ खर्च किया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन्होंने 3 साल की सारी योजनाओं का पूछा है और प्रश्न में सिर्फ 4 योजनाओं का पूछा है तो मैंनें इन्हें 4 योजनाओं का बताया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे पास आपकी सारी योजनाओं की जानकारी है । अभी यह जानकारी दे दें कि आपके यहां कितने प्रकार की योजनाएं चल रही हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल में 24 योजनाएं चल रही हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे मंत्री जी ने 32 योजनाओं की लिस्ट उपलब्ध करवाई है, अब वे 24 योजना बोल रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे मंत्री जी ने 32 योजनाओं की लिस्ट उपलबध करवाई है, अब वे 24 योजना कह रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 32 योजनाओं के लिस्ट में आगे लिखा है कि 6 योजनाएं बंद हो गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लिस्ट में लिखा है, लेकिन आपने मुझे 32 योजनाओं की जिस्ट उपलबध करवाई है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी जब आप प्रश्न पूछे थे, उस समय वर्ष 2019 में सभी योजनाएं चालू थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 24 योजनाओं में से कितनी योजनओं में मजदूरों को फायदा मिला है, आप यह बता दीजिए?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वही तो मैं बता रहा हूं। आपने सारे सालों का प्रश्न पूछा तो उस समय पूरे 32 योजनाएं चली रही थीं। अब जिन योजनाओं में डुप्लीकेसी थी, उन योजनाओं को हमने बंद कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब 24 योजनाएं हो गये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, अब वह योजनाएं 24 हो गये हैं। इन्होंने जो 04 योजनाओं के बारे में पूछा है, उसको मैं बता देता हूं जो कि अभी चल रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने चार योजनाओं के बारे में नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने बड़ी आपत्ति इस बात की है कि आप जो 231 करोड़ बोल रहे हैं, वह 231 करोड़ है कि 2 करोड़ है, वे इसको पूछ रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 231 करोड़ कहां पर बोला हूं?

अध्यक्ष महोदय :- आप 331 करोड़ बोल हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 361 करोड़ 51 लाख 36 हजार 634 रूपया हमने दो वर्ष 2019 से 10 फरवरी, 2022 तक जो 32 योजनाएं चल ही थीं, वह बाद में 24 योजना हो गई। हमने तीन सालों में उन सारी योजनाओं में 361 करोड़ 51 लाख 36 हजार 634 रूपया खर्च किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किस-किस योजना में कितना-कितना खर्च किया, आप यह बता दीजिए?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं आपको बता दूता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन यहायता योजना एवं औजार कीट के तहत लाभान्वितों की संख्या 32 हजार 722 है। इस योजना में हमने 72 करोड़ 24 लाख 26 हजार 577 रूपये खर्च किया। मिनीमाता कन्या विवाह योजना में 24 हजार 753 लोगों को लाभान्वित किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मिनीमाता कन्या विवाह योजना इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने बंद कर दी। इस योजना को लड़कियों के लिए शादी की जो योजना है उसमें शामिल कर दिया गया। मिनीमाता जी का अपमान करने वाले आप हो। आप उस समाज से हो। मिनीमाता कन्या विवाह योजना जो कि हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप गलत कह रहे हैं। अभी जो योजना चल रही है वह मिनीमाता के नाम से ही चल रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मिनीमाता कन्या विवाह योजना इन्होंने बंद कर दिया कि हम जो है नई योजना करेंगे और सबके लिए एक ही योजना शुरू करेंगे। इन्होंने मिनीमाता कन्या विवाह योजना बंद कर दिया। अब वे बोल रहे हैं कि उसमें हमने खर्च किया है। मेरी यही तो आपत्ति है कि मंत्री जी पूरी जानकारी गलत दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी नहीं दी जा रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जिस योजना को इन्होंने बंद कर दिया और कुल मिला करके मुझे अब ये साईकिल योजना का जानकारी बता रहे हैं। मुझे आपने साईकिल की तीन सालों की जानकारी दिया। तो आप जरा बता दे कि कितनी साईकिल दिये हो? आपने मुझे जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना ...।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आप अवसर देंगे तब न जवाब देंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब देने का अवसर तो दिया जाये। आप सीज़ी योजनाओं की जवाब देने के लिए अवसर तो दे दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर गंभीर आपत्ति है कि इस सरकार में मजदूरों के पैसे को रोकना कोरोनाकाल में मेरे पास में दो मजदूरों के पत्र हैं। जिन्होंने कहा है कि कोरोना काल में मजदूरों के खाते में पैसा डालेंगे। मजदूरों के लिए पैसा सरकार का नहीं है। यह पैसा मजदूरों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, यह आपके खजाने का पैसा नहीं है। उनके बदले में उप कर लेते हैं। उस पैसे को भी मजदूरों पर खर्च नहीं किया, इस बात पर मुझे आपत्ति है। यह हम तीन साल से बोल रहे हैं कि मजदूरों के खाते में हर महीने एक-एक हजार, दो-दो हजार, पांच-पांच हजार जा सकता था। पूरे देश में गया है। मुख्यमंत्री जी कल-परसों भाषण दे रहे थे कि हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, श्रम का सम्मान करते हैं और श्रमिकों का 561 करोड़ रूपये खजाने में जमा है। योजनाओं का सहायता मिलना बंद हो गया है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण हो रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, हां भाषण हो रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- कोविड पीरियड में हम लोगों ने भी देखा है कि जहां-जहां मजदूर फंसे थे उनकी खोतों में कितनी पैसा गया है। चाहे जम्मू-कश्मीर की बात हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को क्या अमरजीत भगत जी संचालित करेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- चालिए। बृजमाहन जी आपका समाप्त हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सदन को अमरजीत जी, मोहन करकाम जी संचालित करेंगे या आप संचालित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए, बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात की चिंता है कि मजदूरों के पैसे में भी यह सरकार गफलत कर रही है।

श्री शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गफलत नहीं हो रहा है। सदस्य गलत बोल रहे हैं। कहीं कोई गफलत नहीं हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब इन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि वित्त विभाग ने रोक लगाई। चलिए आप मुझे यह बताईये कि वित्त विभाग ने किस तारीख को रोक लगाई? और क्या वित्त विभाग को इन पैसों पर मजदूरों से लिये गये उप कर का जो सरकारी खजाने का हिस्सा नहीं है, उस पर रोग लगाने का अधिकार है क्या?

श्री शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड काल में अन्य मदों में पैसों की जरूरत थी। हमने उसी पैसे से शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना है, उसमें मजदूरों के ईलाज के लिए राशि दी। जो 7 लाख मजदूर आए हैं उनके खाते में हमने 11 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 7 लाख मजदूरों का 11 करोड़ कितना हुआ है, यह आप जरा बता दो?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऐसा नहीं है अन्य मदों में उनके लिए भी खर्चा हुआ है। जिनको जरूरत थी, उनको दिया जा रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने प्रश्न पूछा है। मेरे प्रश्न के जवाब में आपने लिखित में कहा है कि वित्त विभाग की रोक के कारण हमने इस पैसे को खर्च नहीं किया तो वित्त विभाग ने रोक किस तारीख को लगाई ? उसकी ऑर्डर की कॉपी और क्या वित्त विभाग को रोक लगाने का अधिकार है ? इस पैसे में रोक लगाने का अधिकार नहीं है। यह मजदूरों के लिए उनके ऊपर खर्च करने का और अगर इस प्रकार की रोक लगाई तो वित्त विभाग ने रोक क्यों लगाई ? जरा यह बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अंतिम प्रश्न पूछिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग ने 12 मई, 2020 को जो Discretionary योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं में रोक लगाई थी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है उसमें जाता है और उसके बाद स्वीकृति मिलती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। इन मजदूरों को वितरण करने पर कोई रोक नहीं लगी है। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है और इस पैसे पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए केंद्रीय कानून बना है। केंद्रीय कानून के अंतर्गत यह सन्निर्माण मण्डल का गठन हुआ है। चलिये, आप यह बता दीजिए। सन्निर्माण मण्डल के गठन में जो उसका एजेण्डा है क्या उसमें शहरी स्वास्थ्य योजना श्रम के लिए आप पैसा दे सकते हैं ? आप यह बता दें और अगर आप दे सकते हैं तो...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- श्रमिकों के लाख के लिए दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक मिनट, आप सुन लें। अगर आप दे सकते हैं तो 20 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों में कितने का ईलाज हुआ है ? आप यह बता दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हीं के लिए योजनाओं में लाख मिलता है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न। आप बहुत प्रश्न कर लिये। 20-21 मिनट हो गये। अब पूरक प्रश्न हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया-हो गया। अब इनको प्रश्न करने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने 5-6 प्रश्न कर लिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मजदूरों का 561 करोड़ रूपये, क्या आपको केंद्रीय मंत्री जी ने और वहां के सचिव ने पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना के काल में मजदूरों के खाते में आपको पैसा डालना चाहिए। इन कठिन परिस्थितियों में क्या लेटर लिखा था ? लेटर लिखा था तो आपने कितने मजदूरों के खाते में पैसा डाला ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने मजदूरों के खाते में पैसा डाला है। हमने 11 करोड़ रूपये मजदूरों के खाते में डाला है। जिन मजदूरों को जरूरत थी, उन मजदूरों के खाते में यह राशि जमा की गई।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप पूछिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि यह पैसा मजदूरों का है जितनी योजनाएं, अब मुख्यमंत्री जी ने कल एक योजना की घोषणा कर दी...।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ सलाह दे दीजिए न। आपको प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की घोषण कर दी कि श्रमिकों को, मजदूरों को 20 हजारा रूपये शादी की सहायता दी जाएगी। हमारे समय वह सहायता मिनीमाता योजना के नाम से दी जा रही थी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शादी के लिए नो हे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसी योजना को नया ढांचा पहना कर और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 20 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं उन रजिस्टर्ड मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मिलती थी। उनके ईलाज के लिए पैसा मिलता था, उनको औजार मिलता था, उनका साइकिल मिलती थी, उनकी बच्चियों की शादी के लिए पैसा मिलता था, मतलब यह 36 योजनाएं थीं, उन योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि मजदूरों के पैसे पर यह सरकार कुण्डली माकर बैठ जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं आपसे इस बात का आग्रह करूंगा कि एक तो इस पैसे की, मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि जो सन्निर्माण मण्डल है उस मण्डल का जो एजेंडा है केंद्र का जो कानून बना है उसके विपरीत जाकर पैसों को खर्च किया गया है और मजदूरों के पैसे में बंदरबांट और भ्रष्टाचार किया गया है। क्या आप उसकी जांच करवाएंगे ? 561 करोड़ रूपये जमा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब योजनाओं का पैसा जमा है, वह खर्च नहीं हुआ है तो कहां से भ्रष्टाचार हो जाएगा ? यह कुछ भी अनावश्यक बोलते हैं। जब पैसा खर्चा ही नहीं हुआ, योजनाओं में लोगों को लाभान्वित किया गया है तो भ्रष्टाचार का कहां से उल्लेख करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है। एक मिनट, भाई साहब।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 7 लाख मजदूरों की सहायता की गई है और 11 करोड़ रूपये खर्च हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 7 लाख मजदूरों को सहायता की तो मैक्सिमम सहायता का किस मजदूर को कितनी बड़ी राशि की थी और मिनिमम कितनी थी ? आप यह बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- यह विस्तृत प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम। नहीं, पता तो चले कि 7 लाख मजदूरों को 11 करोड़ रूपये की सहायता। तो आपने मिनिमम कितनी सहायता दी और मैक्सिमम कितनी सहायता दी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अभी यह उत्तर देने लायक नहीं है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अपना व्यक्तिगत प्रश्न जाकर लो न।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी का प्रश्न है 7 लाख मजदूरों का सदन में नाम पढ़ा जाएगा। क्या 7 लाख मजदूरों का नाम सदन में पढ़ा जाएगा ? क्या 7 लाख मजदूरों का नाम मंत्री जी सदन में पढ़कर बताएंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाशा हो रहा है। फण्ड है और मजदूर की आप 11 करोड़ रूपये की सहायता कर रहे हैं। मेरा साफ जवाब दे रहे हो तो मैक्सिमम और मिनिमम बता दो न। कितने...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आप लोग कुछ भी पूछे जा रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह बताएंगे-बताएंगे। आप पूछिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किन-किन मजदूरों को हमने लाभान्वित किया है कितनी राशि दी है वह जानकारी हम आपको दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- इतनी राशि दी है, मंत्री जी मेरा बहुत प्वाइंटेड प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लंबा प्रश्न है, आपको लिखित में उत्तर दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वास्तव में यह लंबा प्रश्न नहीं है लेकिन...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का प्रश्न है। मैक्सिमम कितना किये और मिनिमम कितना किये, यह बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप नहीं करेंगे। करिये न तो प्लीज । आप बैठाते खुद हैं और उक्साते खुद हैं। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों का भी प्रश्न है, उनके साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की चिन्ता करने वाली है ।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में ही 25 मिनट हो गए हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का पीछा सातवीं बार से कर रहा हूं । यह प्रश्न सातवीं बार में चर्चा में आया है, सात बार यह प्रश्न चर्चा में नहीं आया, प्रिंटेड हो गया और आज चर्चा में आया है तो छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ यह सरकार पिछले तीन सालों में क्या व्यवहार कर रही है, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में सरकार को या आपको निर्देश करना चाहिए कि इसकी जांच करवायें या सदन की कमेटी से जांच करवाएं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- जांच कमेटी बन जाए, जांच करवाएं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- पिछले 15 सालों को भी पूछ लेना चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच हो जाये तो अच्छा है ।

(श्री अमरजीत के खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप रूक जाईए, यह प्रश्न खतम हो रहा है ।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि प्रश्न संख्या-1 में बृजमोहन भैया का प्रश्न नहीं लगाकर बाकी सदस्यों के प्रश्नों को लेकर उनको मौका दिया जाये । बृजमोहन जी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं । उनको इतनी जल्दी सुबह उठनी पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब तो आप गड़बड़ कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह तो विधान सभा की अवमानना है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप प्रश्न पूछिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 561 करोड़ रूपए जमा है, उसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है या ऐसी कौन सी योजना बनाई है और उसको कब तक पूरा खर्च करेंगे और किस तरह खर्च करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप 561 करोड़ रूपए में से 361 करोड़ रूपए तो आप खर्च कर चुके हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह अलग है, इसके बाद का है ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उतना अभी बचा है, जो राशि आयी थी, वह खर्च हुई है । हमारे पास अभी इतनी राशि जमा है और भवन सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की 24 योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं पर इस राशि को खर्च करने की व्यवस्था है । जैसे ही वित्त विभाग की कमेटी से अनुमति मिलेगी, हम उसको खर्च करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर वित्त विभाग का बैन लगा हुआ था तो माननीय मंत्री जी ने कैसे खर्च कर दिया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 करोड़ रूपए कैसे खर्च कर दिए ?

अध्यक्ष महोदय :- बताएं ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले का है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के तारीख जानने का मतलब ही यही है कि बिना अनुमति के कैसे खर्च कर दिए ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वित्त विभाग ने बैन लगाया था तो आपने यह राशि कैसे खर्च कर दी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग ने कब बैन लगाया, तारीख बताएं । वह राशि बैन लगाने के बाद खर्च हुई है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कमीशन खाने का तरीका है ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के बैन लगाने के पहले का खर्च है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वित्त विभाग के बेन लगाने के बाद भी खर्च हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- वह पहले का खर्च बता रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात जांच में सामने आएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- उसकी जांच करेंगे, जांच करके बताएंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनकी तो मिलीभगत है, वे क्या जांच कराएंगे ?

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच कराएं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच होनी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि यह छत्तीसगढ़ के 20 लाख मजदूरों के 600 करोड़ रूपए का मामला है और आप इसकी सदन की कमेटी से जांच करा दें ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न को आधे घंटे से कर रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच कराएं, आसंदी से आदेश हो जाये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जांच की घोषणा कर दें, उसमें जांच करा दी जाये या आसंदी से निर्देश आ जाये कि उसमें जांच की घोषणा कर दें । (व्यवधान)

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी, चार लोग पूछोगे तो कैसे जवाब देंगे, एक-एक करके प्रश्न पूछिए न ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी का जवाब आ जाये कि हम उसमें जांच की घोषणा करेंगे ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, किस चीज का जांच करोगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसानों का धान खरीदा जाता है, छत्तीसगढ़ में 20 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं । अगर हम 22 लाख किसानों की चर्चा करते हैं तो क्या 20 लाख मजदूरों की चर्चा यहां पर नहीं करेंगे ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, ये लोग कोई भी नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं सुनते हैं । कोई भी नेता प्रतिपक्ष की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं । नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में 27 मिनट चर्चा हो गई । प्रकाश शक्राजीत नायक अपना प्रश्न करें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर नहीं आया (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आसंदी से जांच का निर्देश दें । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- हम सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग करते हैं ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग अपने नेता की बात नहीं सुन रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन की कमेटी से जांच कराएं । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

डा. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग तो किसान विरोधी हो ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रकाश, अपना प्रश्न पूछिए । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:29 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया गया)

डा. शिवकुमार डहरिया :- गांधी जी के पास मत जाना, गांधी जी आप लोगों से बहुत परेशान हो गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रकाश आपका नाम पुकार लिया गया है, आप प्रश्न पूछिए।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

<u>रायगढ़ नगर पालिक निगम में प्राइवेट कॉलोनाइजर का सीमांकन</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (*क्र. 159) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ नगर पालिक निगम में वर्ष 2019 से प्रश्नावधि तक प्राइवेट कॉलोनाइजर का सीमांकन कब-कब किया गया है ? सीमांकन उपरांत कितने कॉलोनाइजर द्वारा शासकीय भूमि पर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अवैध निर्माण कर कॉलोनी निर्माण होना पाया गया ? संबंधित के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? (ख) उक्त कॉलोनियों द्वारा क्या EWS के लिए प्रावधानिक जमीन छोड़ी गयी है ? यदि हां तो कितनी ? नहीं तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :(क)नगर पालिक निगम रायगढ़ में वर्ष 2019 से प्रश्नावधि तक 02 प्राईवेट कॉलोनाईजर का सीमांकन दिनांक 22.02.2020 तथा दिनांक 04.03.2022 को किया गया है। कालोनाईजर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण नहीं किया गया है। (ख) कॉलोनियों में कॉलोनाईजर द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधानित जमीन निम्नानुसार हैः-

1.ग्राम कौहाकुण्डा में स्थित कॉलोनी "बंशी इंक्लेव " में - 1.80 एकड

2.ग्राम बोईरदादर, विजयपुर गोवर्धनपुर "साकेत कुंज " में -0.213 हेक्टेयर

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि प्राईवेट कालोनाईजर का सीमांकन कब-कब किया गया है और क्या EWS के लिए जमीन छोड़ी गई है ? इस प्रश्न का जवाब आ गया है । मैंने इसमें पहले भी प्रश्न किया था, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है । रायगढ़ नगर पालिक निगम के एक कॉलोनी में टीपाखोल जलाशय के पूरे नहर को कब्जा कर लिया गया है, उसमें कॉलोनी बना ली है और ऐसी कई कॉलोनी है, जहां पर EWS की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय:- आप प्रश्न पूछिए न ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि रायगढ़ नगर पालिक निगम में एक कॉलोनी द्वारा टीपाखोल जलाशय के नहर को कब्जा करके वहां पर कॉलोनी बना ली गई है । क्या आप उसकी जांच कराएंगे और बाकी कॉलोनियों में EWS के लिए जमीन छोड़ने का प्रावधान है, उसमें आप सभी कॉलोनियों की जांच कराएंगे क्या ?

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की कोई बात है तो हम दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- धन्यवाद ।

<u>राजनांदगांव जिले में बायोडीजल के क्रय विक्रय की जारी अनुज्ञप्ति</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 729) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष २०२० से दिनांक 12/02/2022 तक क्या राजनांदगांव जिले में बायोडीजल/जैव इंधन/बी-१००

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बायोडीजल के भण्डारण कर थोक एवं चिल्हर विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गयी है? यदि हाँ, तो अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व किन किन विभागों/ संस्थानों से अपेक्षित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र कब लिया गया है, किन किन एजेंसियों, आवेदकों, या फर्म को अनुज्ञप्ति जारी किया गया है? अनुज्ञप्तिवार, विकासखंडवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जानकारी **संलग्न परिशिष्ट**[2] अनुसार है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राजनांदगांव जिले में बायोडीजल के क्रय-विक्रय हेतु जारी अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में है, जिसमें उत्तर आ गया है, मैं प्रश्न ही करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हैं ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी प्रश्न करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर जी, मैंने तो प्रश्न किया ही नहीं हूं। (मंत्री जी द्वारा उत्तर दिए जाने हेतु खड़े होने पर।) आप बैठो न, मेरा प्रश्न बचा हुआ है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- इससे बड़ी कामेडी सरकार में हो नहीं सकती। आज तक 20 साल में इतनी बड़ी कामेडी नहीं हुई है। प्रश्न नहीं हुआ है और मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हो गये।

श्री अमरजीत भगत :- मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये दलेश्वर जी, आप पूछिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बायोडीजल खुदरा विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के कौन-कौन से दिशा निर्देश वर्तमान में प्रचलन में है, सदन को बिन्दुवार बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण चंदेल :- क्या है कि मंत्री जी को घर में बोलने के लिए मिलता नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- नारायण भैय्या पड़ोसी हैं, इसलिए उनको पता है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के तहत डीजल में 20 प्रतिशत तक बायोडीजल का मिश्रण कर वितरण कम्जंक्शन करने के निर्देश हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश का भी पूछा है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश बिन्दुवार बतायें कि अनुज्ञा-पत्र जारी करने के पहले कौन-कौन से बिन्दु और कौन-कौन से परिपत्र में किस-किस से आर्डर लेना पड़ेगा, मैंने यह बिन्दुवार पूछा है।

[2] परिशिष्ट “दो”

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा 30 अप्रैल को जो गाईडलाईन एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, 16-17 बिन्दुओं का निर्देश है। यदि आप कहेंगे तो मैं पूरा पढ़कर सुना देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह पड़ोस हैं, उनको दिखा दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग आजू-बाजू में बैठे हैं, एक दूसरे से कागज ले लीजिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी बिन्दु का पालन नहीं हुआ है। मेरे पास उसका फार्मेट है। दूसरा प्रश्न है कि सदन में दिए गए उत्तर में एजेंसियों को अनुमति दी गई है, उन्हें किन-किन दिशा-निर्देशों के तहत अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं? सदन को बताने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि गाईडलाईन के निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। अनावश्यक रूप से कलेक्टर से, इनसे-उनसे प्रमाण-पत्र ले लिया गया है, वे सदन में उत्तर भी दिए हैं। आपने जिन एजेंसियों को अनुमति दी है, उसमें कौन से निर्देश का पालन करते हुए अनुमति दी है ? वह बताने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक सीट आगे नहीं बढ़ सकते ? मंत्री जी बाजू में बैठे हैं, एक सीट आगे बढ़कर बाजू में बैठ जाओ और कागज को देख लो।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, वह 17 बिन्दुओं पर है। उन 17 बिन्दुओं के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है। इसके अपील अथारिटी खाद्य सचिव हैं। उसके अंदर डायरेक्टर खाद्य हैं, फिर उनके द्वारा कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश है। उन्हें जिस-जिस विभाग से अनुमति लेना है, उसमें जिला मजिस्ट्रेट, जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए किया जा रहा है। 2. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन पी.एस.ओ. लायसेंस अपेक्षित है। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एन.ओ.सी. लेना है। 4. संबंधित राज्य केन्द्र शासित प्रदेश के मापतौल विभाग से लेना है। 5. संबंधित राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम विभाग से लेना है। 6. जिला प्रशासन के वाणिज्य एवं... यह बहुत लंबा, कई प्रकार का है। इनसे अनुमति लेकर करना है।

अध्यक्ष महोदय :- इनको बता दीजियेगा।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि प्रश्न का जवाब दिया गया है, उसको आप देख लीजियेगा। अनुज्ञा-पत्र जारी करने का लिखा गया है, उसमें पुलिस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधीक्षक भी लिखा है, तो यहां पुलिस अधीक्षक का कोई रोल नहीं है। आबकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी करने का लिखा है, उनका भी रोल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- दलेश्वर जी, आप एक सीट आगे आ जायें, वह सब समझा देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में यह गंभीर है। मैं अवैध पेट्रोल डीजल चलने नहीं दूंगा। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूं, अगर वहां गलत ढंग से बायोडीजल चलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवा दीजिये या तो बंद करा दीजिये। क्योंकि जो अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया है, उसमें बेबुनियाद कंडिका डालकर जारी कर दिए। दिशानिर्देश का पालन ही नहीं हुआ है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कलेक्टर के यहां इन्होंने एक शिकायत भी किया है, उसमें कार्यवाही भी किया गया है । इनके शिकायत में जो लिखा था, कापी बोलेंगे तो पढ़कर सुना देता हूँ । जांच इसमें किया गया है ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं जांच चाहता हूँ । मेरे इलाके में अगर अवैध तरीके से डीजल होगा तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा । मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- डीजल कहां से आता है ।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बाघ नदी बार्डर से शुरूवात होता है, डॉ.रमन सिंह जी के इलाके में भी चल रहा है साहब ।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुनो ना । बोलने दोगे तब ना । माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसका प्रवेश द्वार सरगुजा है । वहां यू.पी. में डीजल की कीमत कम है । झारखंड में कम है । मंत्री जी के संरक्षण में यहां अफरा-तफरी कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में संचालित बायोडीजल की यूनिट्स है, 7 फर्मों के लिए जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र किया गया है, जिसमें 4 बायोडीजल का विक्रय केन्द्र संचालित है । उसमें से राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ में और छुरिया में संचालित है । जब माननीय विधायक महोदय ने शिकायत किया, शिकायत के बाद तत्काल जांच कमेटी बनाई गई । जांच करके उसको बंद कर दिया गया ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, जांच करवा दी जाये । एक भी बिन्दु का पालन नहीं हुआ है । खुद ही अपने हिसाब से अधिसूचना जारी कर दिये । खुद ही अपने ढंग से चला रहे हैं, मैंने तो स्पष्ट बोला है, एक विधायक बोल रहा हूँ, दूसरी बार का विधायक बोल रहा हूँ । मेरे को भी ज्ञान है, मेरे को भी अधिसूचना पढ़ने का अधिकार है । जो अधिसूचना जारी किया है, गलत ढंग से किया गया है । अध्यक्ष महोदय, जांच करा दीजिए । अपने शासनकाल में इतना भी नहीं करा पाऊंगा तो मेरे लिये दुर्भाग्यजनक होगा ।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये भाई, जांच कराईये ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय जी, खाद्य सचिव के निर्देश पर कलेक्टर ने कमेटी बनाया और कमेटी बनाकर उसमें जांच कराया । अनियमितता पाये जाने पर उसको बंद करने का निर्देश दे दिया गया ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी...।

श्री अमरजीत भगत :- बार-बार नहीं ।

श्री दलेश्वर साहू :- सीधा-सीधा आप जांच करा दीजिएगा । आपने दिया है, वह भी गलत है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मंत्री जी से बार-बार आग्रह कर रहे हैं...।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है । एक नहीं, दसों चल रहे हैं । आप तत्काल जांच करवा लीजिएगा । अध्यक्ष महोदय जी, मैं गलत बोलूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, इसमें एक छोटा सा प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- बोलो यार । जांच कर लेना क्या दिक्कत है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आसंदी से निर्देश दे दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, कम्पलेंट आया था, उसमें जांच का निर्देश दिया गया । टीम बनाकर जांच किया गया । अनियमितता पाने पर उसको बंद कर दिया गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, अनियमितता हो गई तो फिर उसमें एक जांच करा दें। इसमें आपसे आग्रह है, मंत्री जी नहीं कर रहे हैं तो आसंदी से निर्देश आ जाये ।

श्री दलेश्वर साहू :- एक छोटा सा मामला है ।

श्री अमरजीत भगत :- एक घड़ी का सुई अटक गया है । जब कार्यवाही करके बंद कर दिये हैं तो फिर उसमें जांच की क्या बात है ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूँ, बंद ही नहीं हुआ है । मैं जिस क्षेत्र का आदमी हूँ, मेरे इलाके में चल रहा है, मेरे को पता नहीं रहेगा । मैं यह नहीं मानता । आप फील्ड में किसी अधिकारी को भेज दीजिएगा । जो भी हो, मेरे क्षेत्र में अवैध चलने नहीं दूंगा । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी ।अब बहुत हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, एक बहुत ही सीनियर एम.एल.ए. ...।

अध्यक्ष महोदय:- आप अपने क्वेश्चर पर ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं सर, मैं दूसरा ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको छोड़िये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं सर, उनको बोल दीजिए ना, जांच करा दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह करते रहेंगे, आप अपना क्वेश्चर करिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जांच करवा दो ।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भईया, उसमें जांच कराया हूँ, अनियमितता पाया गया है । उसको बंद करने का निर्देश दे दिया गया है ।

श्री दलेश्वर साहू :- उनको संतुष्ट करो ना, समझा दो ना ।

श्री अमरजीत भगत :- इधर से जवाब देने के लिए मुझको ऐसे बोलना पड़ेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- या तो आप उनको समझा दो या आप उनसे समझ लो ।

श्री अमरजीत भगत :- आपके सुझाव पर कार्यवाही किया जायेगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- बस । बस हो गया, मैं यह चाह रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ कि आप सामने आ जाओ, आना नहीं है, पीछे से ही लगे हो । धर्मजीत जी ।

तहसील लोरमी में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़क

[लोक निर्माण]

4. (*क्र. 81) श्री धर्मजीत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- तहसील लोरमी, जिला मुंगेली अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत किन-किन गाँव/शहर में कितनी-कितनी लागत की एवं कितनी-कितनी लंबाई की सड़कें स्वीकृत की गई हैं? कितनी सड़कें प्रारंभ हैं, कितनी पूर्ण हैं, कितनी अप्रारंभ हैं तथा कितनी अपूर्ण हैं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी **संलग्न परिशिष्ट**[3] अनुसार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के बारे में पूछा है। दो साल से हो गया है, आपने जो परिशिष्ट में जानकारी दी है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में सड़कें बनी हैं, बाकी सड़कें भी अधूरी हैं। इसका कारण क्या है और इसको कब तक करायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने परिशिष्ट में जानकारी दी गई है उसके विषय में प्रश्न पूछा है कि बहुत सी सड़कें अपूर्ण हैं, वह कब पूरी होंगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत माननीय धर्मजीत सिंह जी के क्षेत्र में 12 काम स्वीकृत हुए थे जिसमें 07 कार्य पूर्ण हो गये थे और 05 कार्य बचे हुए थे, उसका रूकने का कारण यह था कि उसका जो ठेकेदार था, उसने एग्रीमेंट ही नहीं किया और बाद में उसने काम

[3] परिशिष्ट- "तीन"

नहीं किया। ठेकेदार को 02 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। उसकी जमा राशि राजसात की गई है। हम लोगों ने नया टेंडर कर लिया है। नया टेंडर दिनांक 25-10-2021 को हुआ है और दिनांक 04-02-2022 को एग्रीमेंट भी गया है। अब वह चालू करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जून तक ये पांचों काम पूरा कर लें। वर्ष 2021-22 में जो 04 कार्य थे जिसमें हम लोगों ने जानकारी दी है कि 02 कार्य पूरे हो गये हैं और 02 कार्य प्रगति पर हैं। उसमें से पहली वाला भी अब पूरा हो गया है। सिर्फ एक काम बचा है जिसको हम लोग जून तक पूरा करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपकी योजना बहुत अच्छी है। आपने काम मंजूर किया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि अभी कल के बजट में फिर ये प्रावधान हुआ है तो थोड़ा सहृदयतापूर्वक इधर के लोगों को भी आप जरा दे दीजियेगा। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी जो काम होगा, वह प्रदेश के विकास के लिए ही होगा। यह जो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया है, उसको कुछ ऐसा करिये कि जरा काम जल्दी हो। लोग ठेका लेते हैं और काम नहीं करते हैं। इससे विभाग की बदनामी होती है और हम लोग बोलकर रखे हैं, हमारी बदनामी होती है। आप इसका ख्याल रखियेगा। मंजूरी कर दीजियेगा। बस हो गया, जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सुन रहे हैं, यह पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठे रहिये। आपसे अच्छे संबंध हैं, उसका लाभ लीजिए। श्री किस्मतलाल नंद जी।

<u>नगरीय निकायों में गौरव पथ का निर्माण</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 751) श्री किस्मत लाल नन्द : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला महासमुंद में वर्ष 2019 से लेकर दिसंबर, 2021 तक किन-किन नगरीय निकायों में गौरव पथ सड़क निर्माण का कार्य किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जिला महासमुंद में वर्ष 2019 से लेकर दिसम्बर, 2021 तक किसी भी नगरीय निकाय में गौरव पथ सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया गया है।

श्री किस्मत लाल नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से यह पूछा है कि महासमुंद जिले के किन-किन नगरीय निकाय क्षेत्रों में गौरवपथ सड़क निर्माण का कार्य किया गया है ? इसका उत्तर मुझको मिल गया है। लेकिन उत्तर में बताया गया है कि महासमुन्द जिले के किसी भी नगरीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय चूंकि महासमुन्द जिले से एन.एच.-53 गुजरता है और सभी नगरीय निकाय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हैं। मेरा

माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि क्या 2022 तक हमारे सराईपाली और बसना में गौरवपथ का निर्माण हो पायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विनम्रता से स्वीकार करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी महासमुन्द जिले में गौरव पथ सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है लेकिन सराईपाली में बनाये जाने का प्रस्ताव है और जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, शीघ्र करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विनम्रता से स्वीकार करिये। श्री धरमलाल कौशिक जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपके क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

<u>जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत पर कार्यवाही</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (*क्र. 725) श्री धरम लाल कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत की गई है, शहर बंद कराया गया है व माननीय राज्यपाल महोदय को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या शिकायत/ज्ञापन दिया गया है ? किसके द्वारा कितने लोगों से राशि लेने की शिकायतें समाचार पत्रों के माध्यम से या आवेदन/ज्ञापन के माध्यम से कब, किस किस से प्राप्त हुई है ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' पर क्या कार्रवाई की गई है क्या दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी ? क्या इस संबंध में कोई जांच समिति बनाई गई है ? यदि हां ,तो कौन-कौन उसके सदस्य हैं और जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त होनी थी, कब प्राप्त हुई है और किसे दोषी पाया गया है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :(क) जी हाँ, जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत की गई है, शहर बंद कराया गया है व माननीयराज्यपाल महोदया को दिनांक 09 फरवरी 2022 को संजय गांधी वार्ड क्र. 34 के वार्डवासियों के द्वारा शिकायती ज्ञापन दिया गया है। जिसमें संजय गांधी वार्ड क्र. 34 के पार्षद श्रीमती कोमल सेना के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर राशि 25-25 हजार रूपये किस्त के रूप में मांग करने पर 41 से अधिक लोगों के द्वारा 10.00 लाख रूपये से अधिक राशि देने की शिकायत की गई है।**(ख)** जी हाँ, शिकायतकर्ताओं के द्वारा थाना-बोधघाट, जिला-बस्तर में शिकायत अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है। माननीय राज्यपाल महोदया से प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर जिला बस्तर में प्रकरण दर्ज कर

शिकायतकर्ताओं का व्यक्तिगत कथन अंकित किया गया है, तथा जिला दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक 16.02.2022 को मामले की जांच हेतु अपर कलेक्टर, जिला - बस्तर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है। जानकारी **संलग्न परिशिष्ट**[4] अनुसार है। समिति की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर में संजय गांधी वार्ड में कांग्रेस की एक महिला पार्षद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से 25-25 हजार रुपये लिये गये और लगभग 10 लाख रुपये एकत्रित किये गये कि मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उपलब्ध कराऊंगी। उसके बाद में वह बहुत दिनों तक पैसा रखी रही, हितग्राहियों को पैसा वापिस भी नहीं की, आवास भी नहीं दिलाई। उसके बाद जब हितग्राहियों के द्वारा शिकायत की गई और शिकायत किये जाने के बाद में जो उनके ऊपर कार्यवाही होनी थी, वह नहीं हुई। फिर वह लोग धरना-प्रदर्शन किये, ज्ञापन दिये, माननीय राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन दिये, उसके बाद में फिर एफ.आई.आर. हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इनकी पहली बार शिकायत कब हुई है और इनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज कब की गई ? हितग्राही लोग धरने-प्रदर्शन में कितने समय तक बैठे रहे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एफ.आई.आर. हुई है। एक मिनट मैं बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर टी.व्ही. नहीं चल रही है। कांग्रेस हार गई है, सदमा तो बाहर दिखना चाहिए, अंदर नहीं दिखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- कोई सदमा नहीं दिख रहा है, वह उत्तर को खोज रहे हैं। कोई सदमा नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं उधर देखता ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- कोई सदमा नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- हम उन्हें जवाब खोजने के लिये पूरा समय दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का जिस तरह से जवाब आ रहा है, सेम पंजाब में भी चन्नी के मंत्री लोग ऐसा ही कर रहे थे। अभी चन्नी इस्तीफा देने चल दिये हैं।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 09.02.2022 को शिकायत हुई है और दिनांक 26.02.2022 को एफ.आई.आर. हुई है, धारा 420 क्रमांक के तहत अपराध, प्रकरण दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है और कार्रवाई हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- वारंट जारी हुआ है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मंत्री जी को जानकारी नहीं है। उसमें उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सेशन कोर्ट से खारीज हो चुकी है। लेकिन उसको जानबूझकर अस्पताल में रखे हुये हैं।

---

[4] परिशिष्ट- "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं, उसको पूछिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं इसमें यह चाहता हूं कि एक तो बदले की भावना से भाजपा के पांच लोगों के ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- और ?

श्री धरम लाल कौशिक :- इनको अभी तक के अस्पताल में रखे हैं, और एक तो इनको जेल भेजे। दूसरा, इनका पैसा वापस हो और तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मंत्री जी यहां पर कमेंट करें कि जो गरीब लोग हैं, उसमें आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं और निचले स्तर के लोग हैं, जैसे कि बर्तन मांजने वाले तरह के लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बताईये।

श्री धरम लाल कौशिक :- ऐसे लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसमें पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। तो मंत्री जी यहां सदन के सामने में आश्वासन दें कि हम उन लोगों को "प्रधानमंत्री आवास योजना" का लाभ देंगे, उनके पैसे को दिलवायेंगे और दूसरा, जिसको अस्पताल में रखे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो और जिसको अस्पताल में रखे है, उसको जेल भेजे।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें एफ.आई.आर. हो गयी है, उसकी गिरफ्तारी हो गयी है। गिरफ्तारी होने के बाद वह कोविड पॉजिटिव हो गया तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण उसको अस्पताल में रखा गया है। उस पर तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो गलत करते हैं उनके खिलाफ तो यहां तत्काल कार्रवाई होती है और जो प्रधानमंत्री आवास देने की बात है, जो लोग पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, कोविड पॉजिटिव होने का समय तो समाप्त हो चुका है। माननीय मंत्री जी, मैं पूछ रहा हूं कि कोविड के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का समय तो समाप्त हो चुका है, आज की क्या स्थिति है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, वही तो, अभी तो एक भी मरीज नहीं है, पूरा शून्य है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो जेल भेजने का काम तो न्यायालय का है, मंत्री का काम तो नहीं है जेल भेजना। उसको न्यायालय और पुलिस जेल भेजेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसको सरकार बचा रही है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा काम एफ.आई.आर. कराने का है, एफ.आई.आर. हो गयी। उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गयी है, बाकी जेल भेजने का काम न्यायालय का और पुलिस का है। मैं कैसे जेल भेज सकता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- फर्जी ... (व्यवधान)।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह कहां के अस्पताल में है ?

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- जगदलपुर के अस्पताल में।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस धरने में शामिल होने के लिये गया था। वहां पार्षद दल के, मैं खाली आपकी जानकारी में ले आता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नही, प्रश्न करिये। जानकारी में तो 12 बज जायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पार्षद का सावर्जनिक बयान आया कि मैंने 25 हजार रूपये, प्रति प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये जो पैसा लिया है, मुझे ऊपर पैसा देना पड़ता है तब जाकर स्वीकृति मिलती है।(शेम-शेम की आवाज) उस पार्षद का यह सार्वजनिक रूप से बयान आया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि 22 दिन लगातार घटना चली, 22 दिन में कोई एफ.आई.आर नहीं हुई। जगदलपुर बंद का आयोजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद राज्यपाल महोदय के निर्देश पर मामला कायम हुआ, सरकार ने मामला कायम नहीं किया। अगर राज्यपाल महोदया का हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद वह मामला भी कायम नहीं होता। उस पार्षद को सरकार का संरक्षण था, उस पार्षद के साथ मंत्री का संरक्षण भी था, उसके कारण ही मामला कायम नहीं हो रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- हो तो गया। श्री मोहन मरकाम जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में भी प्रधानमंत्री आवास के 100 से ज्यादा लोगों से पैसा लिया गया है और जिन्होंने पैसा लिया उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुआ है, यह नगर निगम ने रिपोर्ट लिखाई है। एक तो पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, बिना पैसे के उनसे घूस लिया जा रहा है तो इस प्रकार की घटनाएं गंभीर घटनाएं हैं कि जब 13 लाख लोगों का मकान बनना है। यह सरकार अभी पैसा नहीं दे रही है और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घूस ली जा रही है और वह सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये बताईये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप पुलिस से अपेक्षा मत करिये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी, इसका विस्तृत रूप से सभी जगह से परीक्षण करवा लीजिये। गलत जानकारी देकर कौन पैस वसूल कर रहा है, उन सब को जेल की हवा खिलाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसमें मंत्री जी का ही नाम आ रहा है, तो मंत्री क्या करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- यह पैसा ऊपर कहां जाएगा ? ऊपर वाले लोगों की भी जांच करानी चाहिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है। आपको पहले एक बात बता देता हूं कि 14 दिन के कोविड से ठीक होने के बाद, अब उसको दूसरी बीमारी के चलते अस्पताल में

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

रखा गया है। अब जो 41 लोगों से 25-25 हजार रूपये लिये गये हैं, उसमें कितने लोग पात्र हैं और उनको कब तक प्रधानमंत्री आवास या शहरी योजना के चारों घटकों में से कब तक आवास दे दिया जायेगा? माननीय मंत्री जी उसकी घोषणा कर दें?

अध्यक्ष महोदय :- यह हो गया है। माननीय मोहन मरकाम जी। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के आवास का मामला है और यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- जब मैं बोल चुका हूँ कि जांच करायेंगे तो वह जांच करायेंगे। मैं जांच कराने के लिए कह दिया है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास पात्र लोगों को मिलना चाहिए और उनका पैसा वसूल हो गया और शासन अपराधी को तरह-तरह की बीमारी में जानबूझकर बचा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जो पात्र हैं उनको आवास दिया जायेगा और जो अपात्र हैं उनको कैसे आवास दिया जायेगा? वह पैसे वापस करायेंगे, मैंने माननीय मंत्री जी को निर्देश कर दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,कोई समयावधि घोषित हो जाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई समयावधि घोषित हो जाए कितने दिनों में करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पात्र लोगों को आवास दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप हर बात की समयावधि मत देखिए। अभी 11.50 हो चुके हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब गरीब लोग हैं, वह लोग पात्रता की श्रेणी में है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी करिये। आप यथाशीघ्र बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों का विषय है। यह यह तो पैसा खाने का धंधा बन गया है। यह कांग्रेसियों का रोजगार बन गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप यथाशीघ्र जांच कराईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,इसमें सरकार की ओर से आश्वासन आना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर कितने प्रधानमंत्री आवास निर्मित हैं, जिनको एलॉट नहीं किया गया है, ऐसे पात्र लोगों को जो बेचारे आकाश की नीचे रह रहे हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बेघर हैं, बरसात पानी सह रहे हैं और अब गर्मी आ गई है, क्या उन पात्र लोगों को कब तक आवास उपलब्ध करवा देंगे? आप जरा इसकी जानकारी बता दें?

श्री नारायण चंदेल :- उनको आवास दिया जाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कह दिया है कि पात्रतानुसार अगर वह पात्र हैं तो उनको आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप समय-सीमा बता दें?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अतिशीघ्र करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दो महीने- तीन महीने, ऐसी कोई समयावधि बता दें ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अतिशीघ्र करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई उत्तर नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महीना, दो महीना, आप अतिशीघ्र को परिभाषित कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- आपका समय हो चुका है। अभी 11.51 हो गया।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री नारायण चंदेल :- मोहन जी एक मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- मोहन भईया, राहना।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर सरकार पइसा खागे, ते रूकना।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी, पूरे प्रश्नकाल में आप ही 4-5 लोग पूछते रहेंगे, इन लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिल पाएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- कोई भी आवास हो, लेकिन एक समय-सीमा है। पहला प्रश्न आप लोगों का 28 मिनट तक चला। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है, यह भ्रष्टाचार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- फिर आप लोग चले जाईये..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिये। आप लोगों को कौन सा जवाब चाहिए, आप लोग बताईये? मैं आपको बता तो रहा हूँ (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मोहन जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो महीने- 3 महीने कुछ समयावधि बता दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास का पैसा खा गये। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फंसा दिया था। इस प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है इसलिए हम सदन से बहिगर्मन करते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
11.53 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में(भारतीय जनता पार्टी) के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। चलिये मरकाम जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोग पैसा लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने बिलासपुर में आत्महत्या की, जो पैसा ले लिया था।

अध्यक्ष महोदय :- आपने उसको क्यों पहले नहीं बताया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था, वह सुनने को तैयार नहीं थे। वह भाग गये।

<u>कार्यपालन अभिंयता (वि0/यां0) संभाग जगदलपुर कोअर्न्तगत वार्षिक संधारण एवं विशेष संधारण मद अन्तर्गत स्वीकृत कार्य</u>

[लोक निर्माण]

7. (*क्र. 64) श्री मोहन मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कार्यपालन अभिंयता (वि0/यां0) संभाग जगदलपुर के अन्तर्गत वार्षिक संधारण मद एवं विशेष संधारण मद अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत हुई ? स्वीकृत राशि से कितनी लागत के क्या-क्या कार्य, किस एजेन्सी से कराए गए ? **(ख)** प्रश्नांश अवधि में स्वीकृत किए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गए किन-किन कार्यों के Completion certificate/Utilization Certificate जारी किए गए हैं ? एजेन्सी को कितनी राशि कब भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी **"पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **"पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"** अनुसार है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विद्युत यांत्रिकी विभाग से प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। बस्तर संभाग का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप धन्यवाद् कर दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है। वहां 7 जिले शामिल हैं, वर्तमान में सभांगीय कार्यालय जगदलपुर में कार्य संपादन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ क्या बस्तर से 7 जिले विद्युत यांत्रिकी की कार्यों के संपादन के लिए व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। यदि हां तो कौन-कौन सी दिक्कते हैं?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ऐसी व्यावहारिक दिक्कत तो नहीं आती। क्योंकि हमारे विभाग का रूटिन काम है और नियमित प्रक्रिया है क्योंकि हम पहले से टेण्डर करके रखते हैं, गवर्नर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं या कोई शिविर होता है तो तत्काल मरम्मत कार्य करना होता है। इसलिए हम लोग पहले से करके रखते हैं इसलिए यह होता है। जैसा कि माननीय मरकाम जी ने कहा कि पूरा बस्तर संभाग काफी बड़ा है और उसके अंदर कई डिवीजन फिर संभाग, उपसंभाग और फिर नीचे होता है। यह काफी बड़ा होता है और जैसा आपकी मंशा है कि अलग और बनाया जाये तो हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह शासन स्तर पर लंबित है। हम कोशिश करेंगे कि अलग से संभाग हो।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग बहुत बड़ा है एक ही डिवीजन में पूरा संचालित होता है। इसलिए कम से कम हर जिले में पी.डब्ल्यू. डी. का डिवीजन है, मगर इसका सात जिलों का एक ही डिवीजन है। मैं चाह रहा था कि कांकेर डिवीजन अलग से बन जाए ताकि इसका लाभ बस्तर जिलों को भी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधा-सीधा मांगिए न कि और अलग से डिवीजन खोला जाए।

श्री मोहन मरकाम :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी हां बोल दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- मंत्री जी, घोषणा कर दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, भेज दिए हैं, शासन स्तर पर प्रक्रिया चालू है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिला- बलौदा बाजार में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[श्रम]

8. (*क्र. 132) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक श्रम विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना कब कब से संचालित है? (ख) प्रश्नांश 'क' स्वीकृत योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस योजना अन्तर्गत स्वीकृत की गयी? विकासखण्डवार, योजनावार हितग्राहियो की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'क' स्वीकृत योजना हेतु कितने आवेदन, कब से लंबित है? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक संचालित योजनाओं का नाम एवं प्रारंभ तिथि की मंडलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं में वर्ष 2019-20 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक मंडलवार, विकासखण्डवार, योजनावार, वर्षवार हितग्राहियों की संख्या एवं वितरित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं हेतु लंबित आवेदनों, लंबित अवधि का मंडलवार, विकासखण्डवार, योजनावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी की विस्तृत जानकारी आ गयी है। मैं इससे संतुष्ट हूं और कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठकर बात कर लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप धन्यवाद दे दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- धन्यवाद।

जिला बालोद में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान एवं कस्टम मिलिंग

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (*क्र. 688) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) कण्डिका 'क' के कितनी धान की कस्टमम मिलिंग करायी गयी? कस्टणम मिलिंग के लिए प्रदायित धान के विरूद्ध राईस मिलर्स के द्वारा कितना चॉवल वापस जमा कराया जाना था एवं कितना चॉवल जमा

कराया गया? (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टकम मिलिंग उपरांत किन-किन राईस मिलर्स से कितनी मात्रा में चॉवल जमा कराया जाना शेष है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 521715.76 मे.टन एवं वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक 510551.8 मे.टन धान की खरीदी की गई है। वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	विकासखण्ड	उपार्जित धान की मात्रा (मे.टन में)	
		खरीफ वर्ष 2020-21	खरीफ वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)
1	बालोद	64696.16	64013.92
2	डौण्डीलोहारा	143054.96	138523.92
3	डौण्डी	49197.76	44579.32
4	गुरूर	89458.2	89972.16
5	गुण्डरदेही	175308.68	173462.48

(ख) कंडिका 'क' के कस्टम मिलिंग के लिए प्रदायित धान की मात्रा, प्रदाय धान के विरूद्ध जमा करने योग्य चावल की मात्रा एवं मिलर द्वारा जमा चावल की जानकारी 31 जनवरी 2022 तक कि स्थिति में निम्नानुसार है-

खरीफ विपणन वर्ष	कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय धान की मात्रा	जमा करने योग्य अनुपातिक चावल की मात्रा	मिलर द्वारा जमा चावल की मात्रा
2020-21	421704	285400	285397
2021-22	208532	139716	75663

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रचलन में है। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग उपरांत दुष्यंत राईस मिल द्वारा 2.33 मे.टन चावल जमा किया जाना शेष है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर बताया है कि दुष्यंत राईस मिल द्वारा 2.33 मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना शेष है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग उपरांत चावल को कब तक जमा किया जाना था ?

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिए न, था बोल रहे हैं, उतने में ही खत्म हो गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूं कि कब तक चावल जमा किया जाना था ?

अध्यक्ष महोदय :- अब उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे तब तक 12 बज जाएगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 2.33 मीट्रिक टन शेष चावल को जमा कराने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय :- 12 बजने से पहले दोनों प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने 2020-21 में कितनी धान खरीदी की गयी थी, उसके बारे में पूछा है। अभी जो प्रश्न पूछ रही हैं कि दुष्यंत राईस मिल ने जो चावल जमा नहीं किया है। उसमें खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 4 लाख 21 हजार 704 टन मिलर्स द्वारा उठाव किया गया जिसका आनुपातिक चावल 2,85,400 होता है जिसके विरूद्ध 2,85,397 टन चावल मिलर्स द्वारा जमा किया जा चुका है। दुष्यंत राईस मिलर्स द्वारा 2.33 टन चावल जमा किया जाना शेष है। शेष मात्रा का समायोजन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए और कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन-3 परियोजना में स्वीजकृत सड़कों की कार्य पूर्णता

[लोक निर्माण]

10. (*क्र. 52) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि परिवर्तित अतारांकित प्रशनब संख्यार-3 (क्रं. 26) दिनांक 15/12/2021 के उत्तर में विभाग ने ए.डी.बी.लोन-3 परियोजना सहायित 19 कार्यो की कार्य पूर्ण होने की समयावधि समाप्त हो जाना बताया है? यदि हां तो दिनांक 31/1/2022 की स्थिति में इनमें से कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये है? (ख) प्रश्नां श " क " में उल्लेखित 19 कार्यो में से यदि कोई भी कार्य अब तक पूर्ण नहीं किये गये हैं तो क्या परियोजना लागत बढ़ने के कारण शासन पर आने वाले वित्ती य भार की वसूली परियोजना प्रोजेक्टल डायरेक्टर तथा अन्य् जिम्मेनदार अधिकारीगणों से की जायेगी? (ग) इस संपूर्ण परियोजना हेतु कितनी राशि लोन के रूप में प्राप्त हुई है? कितनी व्य य की जा चुकी है? कितनी शेष है? कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु क्या कार्य योजना है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां। कार्य पूर्ण - निरंक। (ख) जी नही। (ग) लोन -03 परियोजना हेतु ए.डी.बी. से रूपये 2275.38 करोड़ वर्तमान में प्राप्त हुए है। जिसके विरूद्ध दि.

31.01.2022 तक रू. 647.60 करोड़ व्यय की जा चुकी है एवं रू. 1627.78 करोड़ शेष है। शेष कार्यो को समय पर पूर्ण करने हेतु कार्य योजना 'पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ' अनुसार है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से....।

अध्यक्ष महोदय :- समय का ख्याल रखते हुए पूछिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, कल भी मेरा प्रश्न 10 वें नंबर पर था और 12 बजे तक पूरा समय खत्म हो गया था। (हंसी) मेरे को मौका ही नहीं मिला था। मेरा प्रश्न 12 बजे के समय ही क्यों आ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आगे बढ़िए। आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय मंत्री जी, ए.डी.बी. लोन कब से आरंभ हुआ है तथा इसकी परियोजना अवधि कब तक है, कृपया आप बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, सार्ट में बता रहे हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.डी.बी. लोन जब हम लोग...।

श्री अजय चंद्राकर :- हमारे माननीय बड़े भैया की पहले पुलिस विभाग में चलती है कि नहीं चलती है, इसमें श्वेत पत्र जारी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज। 12 बज रहे हैं। सरदार जी का उत्तर है, 12 बजे से पहले आना चाहिए। आप चलिए न, उनके बारे में मत बताईए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.डी.बी. का हमारा तीसरा फेस का 25 सड़क का काम था जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हम लोगों को मिली और प्रशासकीय स्वीकृति के बाद हमारा 24 काम चालू हुआ, एक काम रूका हुआ है। इसके विलंब होने का मुख्य कारण कोरोना था। कोरोना के कारण 14 नग का कार्योदेश हम लोगों ने सितंबर 2019 में दे दिया था, 6 नग का मार्च, 2020 में और 4 नग का सितंबर, 2020 में दिया है, उसके बाद काम चालू है, कोरोना के कारण रूका हुआ था और विलंब का मूल कारण यह होता है, जब हम लोग ए.डी.बी. की सड़क बनाते हैं तो मुआवजा प्रकरण, पेड़ कटाई, पोल शिफ्टिंग, पी.एच.ई. पाईप, बहुत सारी बातें आती है। इस कारण हमको विलंब हुआ लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दूसरा प्रश्न करिए ,जल्दी प्रश्न करिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यदि कार्य पूरा करने में परियोजना अवधि से ज्यादा समय लगेगा तो क्या इसकी अतिरिक्त राशि राज्य शासन को वहन करनी पड़ेगी, इसके बारे में बताएंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन को इसकी अतिरिक्त राशि वहन करने वाली बात नहीं है। जो विलंब होता है, उसके बाद किस कारण से हुआ, क्या हुआ, यह तो कार्य पूरा होते-होते उस पर तय किया जाता है। अभी से उस पर कुछ कहना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- तीसरा प्रश्न करिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, क्या कार्य मूल स्वीकृति अनुसार पूर्ण हो रहे हैं या सप्लीमेंट्री स्वीकृति की गयी है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो काम पूरा ही नहीं हुआ है तो सप्लीमेंट्री वाली बात ही नहीं है। जब काम पूरा होने के समय राशि कम पड़ेगी या कुछ होगा तब सप्लीमेंट्री की बात आएगी। अभी काम चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2018-19 तथा छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2019-20

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2018-19 तथा छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं ।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती अनिला भेंड़िया जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टी.एस. सिंहदेव जी के बदले में माननीय मोहम्मद अकबर जी ने पढ़ा है । माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने 16 तारीख तक की छुट्टी मांगी है तो क्या उन्होंने ढ़ाई-ढ़ाई साल के चक्कर में छुट्टी मांगी है या क्या आवश्यक कारण हो गया ?

अध्यक्ष महोदय :- छुट्टी मांगी है, मैं अभी उसको पढ़कर बताउंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसमें पढ़ लिया । आपने कार्यसूची में लिखा है । आखिर स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में उपस्थित क्यों नहीं रहना चाहते हैं, उसका क्या कारण है ? चूंकि श्री टी.एस. सिंहदेव जी के प्रस्ताव को श्री मोहम्मद अकबर जी ने पढ़ा है तो श्री टी.एस. सिंहदेव जी इस सदन में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, इसका कारण क्या है यह स्पष्ट होना चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- वे स्वास्थ्य मंत्री हैं या पर्यटन मंत्री हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 16 तारीख तक छुट्टी मांगी है आखिर इसका कारण क्या है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखती हूं ।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखता हूं ।

(5) परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 पटल पर रखता हूं ।

(6) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक) पटल पर रखता हूं ।

(7) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) पटल पर रखता हूं ।

(8) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन

(i) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का संतावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021)

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(iii) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021)

(iv) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 25 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021)

(v) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021) तथा

(vi) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020-21

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का संतावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021)

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(iii) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021)

(iv) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 25 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021)

(v) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021) तथा

(vi) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020-21

पटल पर रखता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड गये थे ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो पूर्णविराम नहीं लगा । चलिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड गये हुए हैं ।

(श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य के खड़े होने पर।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या छन्नी चंदू साहू जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने कैसे बोल दिया कि बोलिये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे हाथ उठा रहीं थीं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं निर्देशित करूंगा न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा न पूर्णविराम इसलिए मैं बैठ गया ।

अध्यक्ष महोदय :- छन्नी जी आपको शून्यकाल में कुछ कहना है ?

<u>पृच्छा</u>

श्रीमती छन्नी चंदू साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे साथ जो घटना घटी, उस पर मैं इस पवित्र सदन में अपनी कुछ बात रखना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या आप अपने इस सदन के सदस्य से यह नहीं जानना चाहेंगे कि उसने पिछले 1 माह से अपनी सुरक्षा क्यों लौटा रखी है? वह क्यों अपने सुरक्षागार्ड को वापस नहीं ले रही है और कैसे और किस तरह अपने विधान सभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिना कोई सुरक्षा के अकेले भ्रमण कर कार्यक्रम में शामिल हो रही हूं..।

अध्यक्ष महोदय :- जस्ट एक मिनट। प्लीज-प्लीज। प्लीज, प्लीज, प्लीज।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- सुनो, सुनो। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां नहीं हैं। माननीय गृहमंत्री नहीं हैं। अब आ गये हैं। अब आप पढ़िए। कोई न कोई सुनने वाला होना चाहिए न।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या आप अपने इस सदन के सदस्य से यह नहीं जानना चाहेंगे कि उसने पिछले 1 माह से अपनी सुरक्षा क्यों लौटा रखी है? वह क्यों अपने सुरक्षागार्ड को वापस नहीं ले रही है और कैसे एवं किस तरह अपने विधान सभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिना कोई सुरक्षा के अकेले भ्रमण कर कार्यक्रम में शामिल हो रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बड़े दुख के साथ यह कह रही हूं कि आज सदन की इस महिला विधायक के अधिकार व सम्मान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की रक्षा नहीं हो पा रही है तो प्रदेश के आम महिलाओं के साथ क्या होगा ? यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सदन में मैं गृहमंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि कैसे झूठी शिकायत पर दर्जनभर पुलिस व जवानों की उपस्थिति में फालो व पायलेटिंग तथा मेरे स्वयं घटनास्थल पर मौजूदगी के बाद भी मेरे पति के खिलाफ गाली-गलौच व जान से मारने का (शेम-शेम की आवाज) एवं एट्रोसिटी एक्ट का जुर्म पंजीबद्ध कर लिया जाता है। मैं अपने पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध से विचलित नहीं हूं। मुझे तो केवल इस बात का रंज एवं दुख है कि झूठी शिकायत पर बिना जांच एवं नोटिस के जुर्म पंजीबद्ध कर लिया जाता है, जबकि एट्रोसिटी एक्ट जैसे गंभीर मामले में बिना सूचना, जांच के विधायक के पति के खिलाफ 48 घंटे में अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाता है। (शेम-शेम की आवाज) जबकि मेरे द्वारा जब पूरे दस्तावेज, साक्ष्य तथा क्षेत्र के हजारों जनसमूहों के साथ एवं सबूतों के साथ पुलिस व प्रशासन के समक्ष शिकायत कर जांच की मांग की जा रही हूं तो पुलिस प्रशासन 3 महीने से जांच नौटंकी कर रही है और इस मामले में दोषियों को संरक्षण देते हुए उन्हें बचाने में जुड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस सदन के पवित्र मंदिर में यहां गृहमंत्री से पूछना चाहती हूं कि आज जब सदन की महिला विधायक का परिवार सुरक्षित नहीं है तो वह कैसे अपने क्षेत्र की जनता को न्याय दिला पायेगी ? उनके अधिकारों के रक्षा कर पायेगी ? इस घटनाक्रम में उनके क्षेत्र की जनता में यह चर्चा होने लगी है कि विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा ? (शेम-शेम की आवाज) मैं सत्ता पक्ष की विधायक हूं और अपने पद की गरिमा भली-भांति से समझती हूं। मैंने अपनी सुरक्षा लौटाने के पहले हर प्लेटफार्म में अपनी बात, पीड़ा एवं शिकायत पहुंचायी। यहां तक गृहमंत्री जी से न्याय की गुहार लगायी, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। जब झूठी शिकायत पर षड्यंत्रपूर्वक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई, तभी मैंने अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी। ऐसे सुरक्षाबलों के जवानों को साथ लेकर क्या चलना, जब उनकी मौजूदगी में विधायक के परिजनों को षड्यंत्रपूर्वक फंसा दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज अपनी पीड़ा इसलिए उठायी हूं कि मेरे साथ जो होना था, वह हो चुका है, लेकिन मेरे अलावा भी इस सदन में कई महिला बने हैं और छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को भी इस सदन के माध्यम से भरोसा मिलना चाहिए (शेम-शेम की आवाज) कि उनके साथ इस राज्य में मेरी घटनाक्रम में क्या होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे न्याय चाहिए। गृहमंत्री मंत्री एवं प्रशासन से यह जवाब चाहती हूं कि कैसे बिना जांच परखे बिना कार्रवाई कर दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, वन विभाग ने फर्जी रॉयल्टी की सत्यता को परखे बिना रेत का अवैध परिवहन, झूठी वाहन आरोपियों को छोड़ा। कैसे व किनके संरक्षण में बिना टैक्स, फिटनेस मालवाहक या यात्री वाहनें चला रही है। वाहन चालक बिना लाइसेंस के लोगों के जान-माल से खेल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खनिज विभाग के कूटरचित फर्जी रॉयल्टी का मामला सामने आने के बाद क्यों मूकदर्शक बना हुआ है? क्यों आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है ? पुलिस

प्रशासन की झूठी शिकायत पर कार्यवाही के लिए तो 48 घंटे में एक्शन में आ जाता है, लेकिन जब इन्हीं पुलिस अधिकारियों को शपथ-पथ एवं पूरे साक्ष्य के साथ आवेदन दिया जाता है तो कार्रवाई करने के लिए पुलिस के हाथ क्यों कांपते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, हो गया और कितना लंबा है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन के सदस्य हैं, उन्हें पूरा बोलने दीजिए।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- बहुत गंभीर विषय है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- मैं अपनी सरकार एवं अपने मुखिया छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप अपने क्षेत्र में सामाजिक बुराई से जुड़े अवैध धंधों को रोकना तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ रही हूं, लेकिन प्रशासन से जुड़े भ्रष्ट अफसर शासन की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। शायद यही कारण है कि रेत-माफिया, शराब माफिया, प्रशासनिक संरक्षण में हर तरह से वे गलत काम कर रहे हैं, जिनकी इजाजत समाज एवं शासन दोनों नहीं देते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में एक महिला विधायक हूं। आज महिला विधायक सुरक्षित नहीं है तो मैं मानती हूं कि छत्तीसगढ़ के कोई भी विधायक, कोई भी महिला आज सुरक्षित नहीं है। मैं पूरा साक्ष्य 3 महीने पहले एस.पी. साहब को दे चुकी हूं, लेकिन आज तक एस.पी. साहब ने न कोई जांच किया और गलत तरीके से एफ.आई.आर. की है । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यदि कोई मर्डर करके भी जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने मर्डर क्यों किया ? लेकिन आज एफ.आई.आर. करने के पहले किसी ने नहीं पूछा और टी.आई. ने एकपक्षीय कार्रवाई की । मैं कहना चाहती हूं कि कानून को तो अपने हिसाब से काम करना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, किसी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए । मैं कहना चाहती हूं कि क्या मुझे न्याय मिल पाएगा ? आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति पर एफ.आई.आर. करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बार-बार किसी-किसी कह रही हैं ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- मैं न्याय की गुहार लगा रही हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में एक महिला विधायक को न्याय मिलेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी ।

श्री नारायण चंदेल :- यह एक विधायक के अस्तित्व का सवाल है ।

(श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के बोलने हेतु खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, नेता जी को बोलने दीजिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- एक बार प्रमोद को बोल लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- पहले आप बोलिए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी दुखी हूं । मेरे खिलाफ भी धाराएं लगाई गई हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- दोनों की बात आ जाती तो फिर मैं बोल लेता ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उद्योगपति का विरोध करना क्या गलत है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं । अगर विधायक के साथ, विधायक के पति के साथ सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, सिर्फ गिने चुने विधायकों पर । इसमें गृहमंत्री जी का कोई दोष नहीं है । लेकिन कुछ गिने चुने लोग जो सरकार चला रहे हैं, द्वेषवश जो ठेकेदारी कर रहे हैं । हम लोग सुरक्षित नहीं हैं सर । अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारे विरूद्ध अजमानतीय धाराएं लगाई जाती हैं । आपके संरक्षण में कम से कम विधायकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए । छन्नी साहू जी के पति की सिर्फ इतनी गलती है कि वे एक विशेष दल के सहयोगी हैं, मात्र इसीलिए हम लोगों पर एफ.आई.आर. की जाती है । अजमानतीय धाराएं लगाई जाती हैं । अध्यक्ष महोदय, हम आपके संरक्षण में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, अभी सत्ता पक्ष की माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा, व्यथा को आपके सामने रखी हैं । मुझे ऐसा लगता है कि जब वे गृहमंत्री जी से मिलीं तो उसका निराकरण हो जाना चाहिए था । मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए । लेकिन जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है । केवल वे अकेली नहीं हैं, हमारे एक अन्य विधायक साथी के साथ भी ऐसा ही हुआ। केवल एक प्रेसवार्ता के मामले में शिवरतन शर्मा जी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया । एक विधायक यहां बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी एफ.आई.आर. की गई है । कुछ विधायकों को चिन्हांकित करके और सत्ता पक्ष के विधायकों को भी चिन्हांकित करके जिस प्रकार के प्रताड़ित करने का काम यहां किया जा रहा है । आज हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब यहां के सदस्यों के सम्मान की रक्षा गृहमंत्री जी और हम, नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर के नागरिकों की सुरक्षा यह सरकार क्या कर पाएगी ? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है । माननीय सदस्या का क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, कभी भी कोई भी घटना उनके साथ घट सकती है । अगर घटना घटी तो उसका जवाबदार कौन होगा ? यदि इतने बहुमत के बाद सरकार मदान्त हो जाए और मदान्त होने के बाद कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर, बदले की भावना से जनप्रतिनिधियों पर कार्यवाई की जाए तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती । इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण यहां के जनप्रतिनिधियों को चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, उन्हें मिलनी चाहिए और जिस प्रकार से यहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं । जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, एनके खिलाफ एफ.आई.आर. की जा रही है । अब सत्ता पक्ष के विधायक भी सुरक्षित नहीं है । विधान सभा का सत्र चल रहा है और

गेट के बाहर माननीय विधायक को यहां पर आने से रोका जाए, निश्चित रूप से उस कलेक्टर और उस एस.पी. के खिलाफ विशेषाधिकार का मामला बनता है और उनक खिलाफ विशेषाधिकार का मामला चलाया जाए और माननीय सदस्यों को आश्वस्त किया जाए कि उनकी समस्याओं का समाधान गृहमंत्री जी के द्वारा निकाला जाएगा । आसंदी से ऐसा निर्देश हो । जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो तो मुझे लगता है कि यह सदन चलाने का औचित्य है अन्यथा इस सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय गृहमंत्री जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों की बात भी सुन लें। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, हम लोगों को भी दो-दो मिनट बोल लेने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों की बात सुन लीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्रकार :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। आप हम लोगों की बात सुन लीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- यह विधायिका का अस्तित्व मामला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे गंभीर मामला और कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक महिला विधायक ने कानूनी तरीके से, बहुत संवेदनशील तरीके से उनके साथ में पिछले तीन महीनों से जो कुछ हो रहा है..।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को दो शब्द बोलने दीजिए। यह विधायकों का मामला है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी भावना व्यक्त कर लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बहुत शर्मनाक है। मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के इतिहास में, संसदीय इतिहास में ऐसी घटना आज तक घटित नहीं हुई है और आपके संरक्षण्ध में, आप आसंदी पर बैठे हैं। विधायकों और सांसदों के संरक्षक विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। मुझे याद है कि लोकसभा में भी मध्यप्रदेश की विधानसभा में एस.पी. और कलेक्टर को कटघरे में बुलाकर आपको यह भी अधिकार है कि आप किसी को भी सजा दे सकते हैं, आप एस.पी. को इसी सदन में सस्पेंड कर सकते हैं, आप वहां से कलेक्टर को हटा सकते हैं, यह आपको अधिकार है। अगर इस सदन के सदस्यों का सबसे बड़ी पंचायत में, अगर सदस्यों का सम्मान नहीं बचेगा तो इस सदन का सम्मान नहीं बचेगा। अगर सदस्यों की सुरक्षा नहीं होगी तो इस सदन की सुरक्षा नहीं होगी। अगर सदस्यों को जिस प्रकार में प्रताड़ित किया जायेगा तो फिर माननीय अध्यक्ष जी वे तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, हम लोग विपक्ष के सदस्य हैं। हम लोगों के साथ में क्या होगा। आप कभी उसके बारे में कल्पना करिए, कभी किसी पुलिस से घेरकर किसी सदस्य की हत्या भी की जा सकती है। कौन उसके लिए जवाबदार होगा?

श्री अजय चंद्राकर :- हत्या का बोल चुके हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कहना है कि सिर्फ छन्नी वर्मा के साथ में ही नहीं यह तो छन्नी वर्मा की हत्या की साजिश है कि नक्सली उनको मरवा दे।

अध्यक्ष महोदय :- छन्नी साहू है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, छन्नी साहू है। हां, छन्नी वर्मा होती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- गृहमंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह सोचता हूं कि इससे गंभीर मामला दूसरा और कोई मामला नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से, जिस मार्मिक तरीके से इस, जिस कानूनी तरीके से और कौन लोग रिपोर्ट लिखवा रहे हैं? कौन लोग? जो माफिया है, जो रेत की चोरी कर रहे हैं, (शेम-शेम की आवाज) जो छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं, जो शराब का ठेकेदार हैं। अगर उनको सरकार का संरक्षण मिलेगा, विधायकों को संरक्षण नहीं मिलेगा, अगर हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हमको क्या परिवार राजनीति करने देगा?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इन लोगों की भी सुन लेने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या अच्छे लोग राजनीति में आयेंगे? बहुत कम महिलाएं राजनीति में आती है। आज हमारे 90 सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य हैं? और अगर महिला सदस्य के साथ में यह घटना होती है। अभी दो दिन पहले सदन में बड़ी-बड़ी चर्चाएं हुईं, महिला दिवस है, महिलाओं को बधाई देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वह हमारी देवी-देवताएं हैं। उसके बाद में अगर महिला सदस्य के साथ में यह घटना होती है। मैं तो आपसे जानकारी चाहूंगा, आपके पास में रिफरेंस होते हैं। आप हम लोगों की कुछ बातों के ऊपर में पुराने रिफरेंस निकाल करके बता देतें कि ऐसा हुआ है। मैं तो आपसे चाहूंगा कि देश के इतिहास में, मध्यप्रदेश के इतिहास में छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी कानूनी छोटी-छोटी बातों पर अगर किसी विधायक को सदन में आना है और आने में obstraction किया जाता है तो वह अधिकारी एक मिनट पद पर नहीं रहता है। वह सस्पेंड हो जाता है। हमारी विधायिका के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है। यह माननीय सत्ता पार्टी के सदस्य हैं। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। यह सभी सदस्यों की गरीमा का सवाल है। आज आप सत्ता पार्टी के मंदिर में बैठे हैं। आज आप मंदिर में बैठे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे बोले हैं कि साहू के बदले वर्मा होता तो कार्रवाई नहीं होती, यह गलत बात है। इसको विलोपित किया जाये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य का जो पीड़ा है वह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बृजमोहन जी ने छन्नी साहू और वर्मा को करके जो बात बोला है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में आरोप लगाया है, यह घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- वाह, वाह। वेरी गुड। धर्मजीत जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- (व्यवधान) इस तरह से प्रताड़ित किया जाए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसको दूख लूंगा। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चाहे छत्तीसगढ़ का किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, व्यापारी हो उन सभी के हित के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप लोगों को तो बोलने अधिकार नहीं है पक्ष में। आपको तो उसमें मांग करना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल जी बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल जी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बृजमोहन जी ने आरोप लगाया है, वह जातिगत आरोप लगाया है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने निश्चित रूप से जातिगत आरोप लगाया है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह गलत बात है। माननीय सदस्य को प्रताड़ित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- जायसवाल जी, प्लीस आप बैठ जाईये, बैठ जाईये।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- कायस्थ लोग भी वर्मा लिखते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक गंभीर प्रश्न आया है उसपर मुझे निर्णय लेने दीजिए। मुझे लोगों को सुनने दीजिए। उसको विवादास्पद मत बनाइये। प्लीज। धर्मजीत जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, हम कहां बना रहे हैं ? यह जाति की बात कर रहे हैं। अगर यह जाति की बात करेंगे तो...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठ जाइये न। अब हो गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो यह जातिगत आरोप लगा रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- लेकिन इन्होंने छत्तीसगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है। आदिवासियों के लिए काम किया है। पिछड़ों के लिए जो काम किया है। किसानों के लिए जो काम किया है। आज इनके पास मुद्दा नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं भी मध्यप्रदेश विधानसभा का सदस्य रहा हूं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून सबके लिए बराबर है। इन्होंने अपने पिताजी के लिए भी प्रयत्न किया।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, सौरभ जी, जायसवाल जी, आप दोनों एक-दूसरे से बात मत कीजिए। जायसवाल जी, प्लीज आप बैठ जाइये। मैंने सिर्फ धर्मजीत जी को कहा है।

डॉ. विनय जायसवाल :- इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, मैंने इस सदन में...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह यहां पर जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यह जातिगत बातें कर रहे हैं। यह गलत है। इसको विलोपित किया जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक कई बार की महिला विधायक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल दीजिए, थोड़ा बैठिये न सर। एक महिला विधायक ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और पूरे सदन ने उसे ध्यान से सुना। एक विधायक ने भी अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त की, पूरे सदन ने उसको ध्यान से सुना। कल मुख्यमंत्री जी के भाषण को भी हम लोगों ने ध्यान से सुना था।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असहमति होती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, आप बोलना न। मुझे अनुमति...।

डॉ. विनय जायसवाल :- लेकिन जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने आरोप लगाया है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बात बोला है वह वह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- विनय जी, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप बैठिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये न।

श्री सौरभ सिंह :- आप खड़े होकर कुछ बोलते हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी बोल रहे हैं। आप बोलिये। कृपया आप लोग बैठ जाइये।

समय :
12:21 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह :- परसों इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने भाषण सुना। राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने कहा है कांग्रेस है तो यह संभव है। कांग्रेस है तो यह संभव है। कांग्रेस है तो यह हुआ। उसी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो असमति का भी सम्मान है। इनसे असहमति हो सकती है लेकिन इन्होंने जो बात कही थी वह किसी तस्कर, रेत की तस्कर और माफिका के खिलाफ बात कही थी। माफिया...।

डॉ. विनय जायसवाल :- धर्मजीत भैय्या, उनकी पीड़ा जांच का विषय हो सकता है।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाएं। इनको बोलने दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे आपको संरक्षण चाहिए। उन्होंने जो भी कहा, उससे आप सहमत हो सकते हैं और उनके संग जो घटना हुई है उसको वह यहां पर अपना दुखड़ा व्यक्त कर रहे हैं। उसे, आप चिंता मत करो, जायवाल जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं।

सभापति महोदय :- जायसवाल जी, बैठ जाइये। सदस्य बोल रहे हैं। सुन लीजिए फिर आपको अवसर मिलेगा। आप बैठ जाइये, उनको बोलने दीजिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बोला है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- जो बोला होगा। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, वह सत्य बोल रहे हैं इसलिए रोक रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, वह अपमानजनक बात है।

सभापति महोदय :- यह सब, यह गलत तरीका है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रहा है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया आप बैठ जाइये, धर्मजीत जी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। वह बैठ गये हैं। आप लोग बैठ जाइये।

श्री डमरूधर पुजारी :- ठीक है बैठ गये हैं। बोलिये-बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रमोद शर्मा का जुर्म इतना था कि एक उद्योगपति के जन सुनवाई में वह जनता की तरफ से विरोध करने गया। एक प्लास्टिक की कुर्सी किसी ने तोड़ दिया। एट्रोसिटी एक्ट लग गया। एक विधायक के पति के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा। एट्रोसिटी एक्ट का दुरूपयोग मैं जान रहा हूं। मैं उदाहरण सहित कई घटनाओं को आपो बताऊंगा, रायपुर से किसी फोन जाता है कि एट्रोसिटी एक्ट लिखवाओ और वह जाकर फर्जी रिपोर्ट लिखवाता है जबकि पूरी वीडिया रिकार्डिंग है। इस तरीके से मत करिये, चन्नी इस्तीफा देने चला गया है। समझ गये न। इसी टाइप की हरकत करोगे तो चन्नी टाइप इस्तीफा देने पड़ेगा। इसलिए थोड़ा समझकर रहिये और सत्ता के मद में अंधे मत होइये। थोड़ा समझो कि इस सदन में जो भी आये हैं चाहे इधर के हो, उधर के हो, जनता उनको चुन कर भेजी है। थोड़ा सम्मान करिये भाई। यह तो प्रजातंत्र की व्यवस्था है। आप सत्ता में बैठिये न। लेकिन आप यह पुलिस दारोगा, डी.जी.पी., आई.जी., एस.पी., हवलदार, डण्डा लगाओ, एट्रोसिटी लगाओ, यह कितना दिन चलेगा ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उनके भरोसे शासन चला रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह नहीं चलता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब भी कोई पुलिस का दुरूपयोग किया है उसका हश्र भी बहुत बुरा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस महिला विधायक का और हमारे विधायक को आपके हाथ में बागडोर है आप सत्ता में बैठे हैं। आपसे फरयाद कर रहे हैं कि इनके संग न्याय किया जाए और आप उसको विचार करे।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरे बारे में भी बोला गया कि इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा था। लेकिन इसी सदन में वेह एट्रोसिटी एक्ट डॉ. रमन सिंह के राज में मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया था। लेकिन इसी सदन में वह एट्रोसिटी एक्ट अफसरों ने खत्म कर दिया तो आप इसको खतम कर दीजिए, हम यही कह रहे हैं । हम यह थोड़ी कह रहे हैं कि आपने लगवा दिया या आप फांसी लटका रहे हैं । यह घटना ठीक नहीं है, परम्परा ठीक नहीं है । आज आप सत्ता में हैं, कल आप इधर आएंगे, ऐसी व्यवस्था आज आप कर रहे हैं, कल ऐसी व्यवस्था ये (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) करेंगे । यह प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है । मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि असहमति का सम्मान है तो आप सम्मान करिए और इस प्रकार से एक महिला विधायक को मेंटली टार्चर नहीं होना चाहिए । गृहमंत्री जी, एक विधायक को यहां डर में नहीं बैठना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है । अगर वह जन सूचनाई कराने नहीं जाएगा तो जनता उसको नहीं रहने देगी और जनसुनवाई करने जाएगा तो पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही करती है कि मैं तुझे जिन्दा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, इस प्रकार की स्थिति में कोई विधायक काम नहीं कर सकेगा तो आप उसकी मदद करिए और विचार करके इस मामले को खतम करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, सम्मानीत सदस्या छन्नी साहू ने अपनी पीड़ा सदन के सामने रखी । सम्मानीत सदस्य प्रमोद शर्मा जी के खिलाफ भी मामला कायम हुआ । सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्य शैलेश पांडे जी का शासकीय कार्यक्रम में एक भाषण हुआ था, उस भाषण में कार्यवाही नहीं कर पाये तो कोरोना काल में सामग्री बांटने के नाम पर उनके खिलाफ मामला कायम हो गया। सबसे पहला मामला 2019 में कांग्रेस के एक नेता की रिपोर्ट पर मेरे खिलाफ मामला कायम हुआ । सरकार का या मुख्यमंत्री का जो विरोध करेगा, उसके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही होगी, सरकार यह संदेश देना चाहती है । माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण में बोलते हैं कि कांग्रेस है तो असहमति का भी सम्मान है तो क्या असहमति का सम्मान यह है ? माननीय गृहमंत्री जी बैठे हैं और सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है । मैं आपसे सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के टेलीफोन पर कार्यवाही करती है, मैं जिस बात को बोल रहा हूं, उस बात को डी.जी.पी. यहां सुन रहे हैं । पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करती । सदन की कोई सदन समिति बनाकर विधायकों से जुड़े हुए मामलों की आप जांच करा सकते हैं क्या? दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा । सदन की कमेटी बनाकर जांच करा लें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, अत्यंत ही गंभीर विषय पर यह सदन चर्चा कर रहा है । सिर्फ छन्नी साहू, प्रमोद शर्मा, शिवरतन शर्मा या शैलेश पांडे की बात नहीं है, सवाल यह है कि विधायिका पर यह प्रश्न-चिह्न है, विधायिका पर हमला है तो यह सदन कैसे चलेगा । जब विधायक सुरक्षित नहीं रहेगा, विधायक भय में रहेगा और यह सरकार लगातार इस प्रकार का कृत्य पिछले तीन साल से कर रही है इसलिए सरकार से भी आग्रह है और आसंदी से विशेष आग्रह है कि

छन्नी साहू जी ने एक महिला होकर जिस प्रकार की पीड़ा व्यक्त की । हमको याद है, जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो सक्ति की विधायक ने एक बार पीड़ा व्यक्त की थी तो मुख्यमंत्री की आसंदी ने डॉ. रमन सिंह जी ने तत्काल आदेश किया था और उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की गई थी । क्या यह सरकार इतनी पंगू हो गई है ? कवर्धा में राजनीतिक द्वेष से विजय शर्मा के ऊपर में कार्यवाही हुई, पत्रकारों के ऊपर में लगातार कार्यवाही हो रही है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, सांसद संतोष पांडे, जो संसद के सत्र में रोज हिस्सा ले रहे हैं, उनको फरार घोषित कर दिया गया, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी को फरार घोषित कर दिया गया । यह सरकार चल रही है या तमाशा हो रहा है । माननीय गृहमंत्री जी, आप यहां पर बैठे हैं, पुलिस के आला आफिसर यहां पर मौजूद हैं और आसंदी से सरकार को निर्देशित होना चाहिए, सरकार को आदेशित होना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो विधायिका सुरक्षित नहीं रहेगी । यह लोकतंत्र के ऊपर में खतरा है और इसलिए सदन का सम्मान बचना चाहिए, यह हमारा आसंदी से आग्रह है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, जिस आसंदी पर आप विराजमान हैं और हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिसमें बृजमोहन जी ने एक संक्षिप्त सी बात कही कि यह विधान सभा एक अर्द्धन्यायिक संस्था है । विधान सभा में हम लोग आते हैं । आज धमतरी जिले में एक जनप्रतिनिधि जो वास्तव में आदिवासी था, उसको माफिया ने मारा तो एस्ट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा क्योंकि वह किसी दलीय सम्बद्धता से है तो निष्ठा दूसरी थी । 20-25 साल या संसदीय इतिहास में सत्तारूढ़ दल की महिला ने सदन की आसंदी के सामने पीड़ा व्यक्त की, आंसू निकलते हुए ऐसा दृश्य मैं अपने 20 साल के जीवन में नहीं देखा है, किसी और ने देखा होगा तो मैं नहीं जानता हूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने ही जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए ही सदस्य सुविधा समिति को सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति बनाया था। यह अर्द्ध न्यायिक संस्था है, मैंने इस शब्द का उपयोग किया तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, जो लाठी चार्ज की घटना घटी थी, उस पर उन्हें इस सदन में बुलाने के लिए एस.पी. और कलेक्टर के कटघरे बन चुके थे। यहां एस.पी. और कलेक्टर के लिए तुरन्त कटघरे बनवाने जाने चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि प्रमोद जी के मामले में, छन्नी जी के मामले में, शैलेश पांडे जी के मामले में, शिवरतन जी के मामले में जो आज इस सदन के वर्तमान सदस्य हैं, उनके मामले में आपने कहां-कहां, क्यों-क्यों कार्रवाहीकी ? यदि नहीं तो कुछ भी करते हैं, यदि एक बयान दे देते, खैर यह सरकार तो बयान भी नहीं देती, हमने एकाध बार बयान सुना होगा तो बहुत है। साढ़े तीन साल में सदन में महत्वपूर्ण घटनाओं में बयान देने की परम्परा खत्म कर दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जहां तक पुलिस का सवाल है, मुख्यमंत्री जी केन्द्रीय एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं, दो-तीन लोगों के चेहरे बदलते देखकर गिरगिट शरमा

जायेगा या गिरगिट शरमा गया, ऐसी निष्ठा रमन सिंह की परिक्रमा में 24 घंटे जो रहते थे, उसका नमस्ते तो कर लेते, उसका फोन तो उठा लेते ? रंग बदलने वालों से तो गिरगिट फेल है, छत्तीसगढ़ से शरमा गया है, गिरगिट गायब है। मैं यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस वही काम कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए, बाकी वह सब काम कर रही है जुआ, सट्टा शराब।

समय :
12.32 बजे **(अध्यक्ष महोदय(डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

जिसको सरंक्षण दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे कामों को एक मंत्री का भी सरंक्षण प्राप्त है। इस विषय में बयान देने के बजाय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री का बयान पर्याप्त नहीं है, कटघरा बनना चाहिए, चारो वर्तमान विधायकों ..(व्यवधान) पूछताछ या अभियोग होनी चाहिए। यदि कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह विधायिका के सम्मान का सवाल है। यदि विधायिका का सम्मान बहाल नहीं है, यदि इसको सर्वोच्च नहीं माना जाता है तो कार्यवाही रोक देनी चाहिए और पुलिस को सारे विभाग का चार्ज दे देना चाहिए कि विधायकों को मारो, जो असहमत है उसको मारो।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, गिरगिट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनको आज भी लगता है कि वह मंत्री हैं, आज भी मंत्री हैं। जब ये मंत्री थे तो अधिकारी अटेण्ड करते थे। अध्यक्ष महोदय, आज ये मंत्री नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया।

श्री केशव चन्द्रा :- प्लीज।

अध्यक्ष महोदय :- आपके साथ भी कुछ हो गया ? आपके साथ भी कोई घटना घटित हो गई ?

श्री केशव चन्द्रा :- अध्यक्ष महोदय, यहां और भी सदस्यों ने बोला है, सबके साथ कुछ नहीं हुआ है। चलिये खैर ठीक है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहना चाहती हूं क्योंकि महिला के साथ घटना हुई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप चन्द्रा जी को बोलने दीजिये। यह सदन के सदस्यों के सम्मान का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- रमन सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, चन्द्रा जी बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, और कितने लोग बोलेंगे, इसी विषय में और कितने लोग बोलेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष तो बोल चुके हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सबके सब बोलेंगे, सब बोलेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष जी के बोलने के बाद मेरे ख्याल से बाकी लोगों के बोलने का कोई औचित्य नहीं रहता। नेता प्रतिपक्ष जी बोल लेते हैं तो मान लिया जाता है कि विपक्ष की बात आ गई है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं। यदि आप लोग भी भाग लेना चाहते हैं तो इस पर पूरी चर्चा करा दूंगा। यदि आप लोग भाग लेना चाहते हैं, तो पूरी चर्चा करा दूंगा, बोल रहा हूं।

श्री अरूण कुमार वोरा :- विधायक तो पूरी तरह से सुरक्षित है फिर असुरक्षा की भावना कहां से आ रही है ? सारे विधायक सुरक्षित हैं।

श्री संतराम नेताम :- सब कुछ ठीक है। जब ये कह रहे हैं तो हम भी अपनी बात रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इनको मौका मिल रहा है तो मैं भी पीड़ित व्यक्ति हूं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहिये न, आपको किसने रोका है। अभी नहीं, अभी डॉ. रमन सिंह जी बोलेंगे।

श्री संतराम नेताम :- ठीक है, मुझे भी मौका मिलना चाहिए।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के सभी विधायकों के संरक्षक हैं। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा दृश्य कम से कम मैंने तो नहीं देखा है कि एक विधायिका हाऊस में खड़े होकर आपके सामने, गृहमंत्री जी बैठे हैं, उनके सामने आंसू बहाते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, कितना अपमानित किया जाता है, पूर प्रदेश में क्या मैसेज जा रहा है कि जो शराब माफिया, रेत माफिया के आगे जो संघर्ष करेगा, उसका वही हाल होगा जो छन्नी का होगा, यह गलत संदेश जा रहा है।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- डॉ. साहब आप लोगों ने विमल चोपड़ा जी को पिटवाया था । (व्यवधान)

डॉ.विनय जायसवाल :- कांग्रेस अध्यक्ष को जेल में डालने का काम आप लोगों ने किया था । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, नहीं । यह ठीक नहीं है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- संसदीय सचिव होकर बोल रहे हैं । आप संसदीय सचिव हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब प्लीज । आप बैठ जाओ ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- आप लोग विमल चोपड़ा को कितने बार डण्डे मरवाये । आपकी सरकार थी । जिम्मेदार कौन था ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज आप संसदीय सचिव हैं । बैठ जाईये । प्लीज । इस मामले में माननीय मंत्रीगण और संसदीय सचिवगण कृपया ध्यान से सुनें । अपनी बात मुझसे कक्ष में कर लीजिएगा । यहां बात मत करिये । डॉ.साहब ।

डॉ.रमन सिंह :- क्या इस पवित्र सदन में जहां विधायक अपनी समस्या को लेकर आते हैं, जब उनको भी इस प्रजातंत्र के दौर में आजादी के साथ काम नहीं करने दिया जाता । गुण्डे तत्व, असामाजिक तत्व उनके खिलाफ एट्रोसिटी लगाते हैं, आज तो छत्तीसगढ़ में यह स्थिति हो गई है, कोई जिन्दाबाद, मुर्दाबाद करने निकल जाये तो उनके खिलाफ एट्रोसिटी लग जाता है । कवर्धा की घटना इसकी गवाह है कि किस प्रकार इसका दुरूपयोग किया जा रहा है । यह तकलीफ और जो पीड़ा व्यक्त की है, मुझे लगता है कि इसका तत्काल निराकरण करना चाहिये । सदस्यों को संरक्षण देना आपका भी दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है । इतनी सारी बातें आने के बाद मुझे लगता है कि इस सदन में उन अधिकारियों को बुलाया जाना आवश्यक है, एस.पी. हो या कलेक्टर हो, उनको यहीं बुलाकर कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिये और उनसे पूछताछ करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम जी ।

श्री संतराम जी :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य छन्नी साहू जी के...।

अध्यक्ष महोदय:- जबरन के मत बोलवाओ । क्यों टाईम वेस्ट कर रहे हो । क्या मतलब है । मैं दूंगा आपको, उनकी तो सुन लीजिए ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात, जो अपनी पीड़ा रखे हैं, मैं उस पर दु:ख व्यक्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि जो इधर बैठते थे, बड़ी-बड़ी बात किये, वर्ष 2014 में, फरवरी महीने की बात है, मुझसे भी भारतीय जनता पार्टी ने मारपीट की थी । बड़ी मुश्किल से मैंने एफ.आई.आर. कराया । अध्यक्ष महोदय, तीन साल तक...।

अध्यक्ष महोदय:- आपके साथ वर्तमान में कोई घटित घटना है, उसके बारे में बोलिये ।

श्री संतराम नेताम :- विधायक के साथ हमदर्दी बता रहे हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- यह कोई चर्चा का विषय थोड़ी है ।

श्री संतराम नेताम :- मैंने इसी सदन में बात को रखा था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय :- आज छन्नी साहू ने अपनी बात की है । उस पर बात हो रही है, काहे को परेशान हो रहे हो ।

श्री संतराम नेताम :- वह अलग बात है, जिस प्रकार से इन लोग बात कर रहे हैं, विधायकों के साथ ऐसा होना चाहिये.... ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका कहना यह है कि आपके साथ जो हुआ था तो अभी सब हो रहा है तो ठीक हो रहा है । यह कहना चाहते हैं । यही कह रहे हैं क्या आप ।

श्री संतराम नेताम :- मैं तो कह रहा हूँ । दु:ख व्यक्त कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहते हैं कि इस प्रकरण में मैं कुछ डिसीजन दूं । मुझे वह काम करने दीजिए ना ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शून्यकाल है, मैं इस विषय में इसलिए भी बोलना चाह रही हूँ कि एक महिला विधायक के साथ जो घटना हुई है..।

अध्यक्ष महोदय :- उतना ही बोलो ना । ज्यादा मत बोलो ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि अपने क्षेत्र का नेतृत्व महिला कर रही है, हम घर से बाहर निकलती है, घर का चौखट लांघती हैं, उस समय कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा होती है, शायद इस सदन में केवल महिलायें ही इस बात को महसूस कर सकती है । वह महिला है, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्या उसका अधिकार नहीं है कि पति के साथ क्षेत्र के दौरे पर जा सके । यदि वह क्षेत्र के दौरे पर जाती है, उसके बाद कहीं गलत होता है, आवाज उठाती है, उसके पति पर कार्यवाही हो जाती है, यह कहां का न्याय है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह महिला पहले है, महिला होने के साथ-साथ उन्होंने पत्नी धर्म भी निभाया है, अपना पत्नी धर्म निभाते हुये उनके पति पर जो कार्यवाही हुई, सुरक्षा को छोड़कर वह अपने पति के साथ थाने में गई है । यह बहुत बड़ी बात है । अपनी सुरक्षा छोड़कर अपनी स्कूटी में जा रही है, यह बहुत बड़ी बात है । एक महिला के साथ इस प्रदेश में ऐसा हो रहा है, पक्ष की महिला के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि महिला विधायक सुरक्षित नहीं है, प्रदेश की कोई महिलायें सुरक्षित नहीं है, आप जातिवाद की बात कहते हैं, क्या कह दिया कि उन्होंने जातिवाद की बात कह दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो विधायक हैं छन्नी साहू जी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का साथ नहीं दे रही हो, हो सकता है कि ताम्रध्वज साहू जी का साथ दे रही हो । इसलिए ऐसा हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य :- भाजपा सदस्य की आड़ में अपनी राजनीति करना चाहते हैं । इस तरह की बात करेंगे तो हम लोगों को बोलने का अवसर दीजिए । (व्यवधान)

डॉ.विनय जायसवाल :- माननीय सदस्य की पीड़ा में अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं । इनकी बातों को जवाब देने के लिए माननीय सदस्य को मौका दीजिए । आपके संरक्षण की पूरी जरूरत है । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दू बंजारे :- महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो रहा है तो यह बहुत दु:ख की बात है । (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- व्यवधान तभी बोला करिये ।

श्रीमती इंदु बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को हम सभी ने इस सदन में महिला दिवस का बहुत जोर-शोर से कार्यक्रम किया। लेकिन आज इसी सदन में दो दिन के बाद एक महिला विधायक को जब वह अपनी स्कूटी में विधानसभा आ रही थीं तो उन्हें आने के लिए रोक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो पीड़ा आज हमारी दीदी छन्नू साहू जी इस सदन के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि ऐसी ही घटना जब छत्तीसगढ़ में पहली बार कोरोना ने दस्तक दिया था तो मेरे पति के साथ भी ऐसी घटना घटी थी जिसके लिए मैं महीनों तक पुलिस प्रशासन के पास जाकर दर-दर भटक रही थी। आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ जिसके कारण मुझे इस दु:ख से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वही घटना फिर से सत्तापक्ष के एक विधायक के पति के साथ हो रही है, यह बहुत लज्जा की बात है। यह महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार की बात है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ऐसी घटना दोबारा हमारी बहनों के साथ न हो, केवल हमारे सदन की महिला सदस्यों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कि किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना न हो, ऐसा मैं इस सदन से मांग करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिणद्व :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जनप्रतिनिधियों को भी आजकल एक शासकीय कर्मचारी, अधिकारी के समान मान लिया गया है। शासकीय अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ जब कोई जुर्म दर्ज करने के लिए शासन की अनुमति आवश्यक है तो विधानसभा के किसी सदस्य के खिलाफ में जुर्म दर्ज करने के पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक कर दी जाये। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनायें रूक सकती हैं। आप संविधान में देखेंगे, उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपका विचार सुन लिया। अब मैं उसमें व्यवस्था दे रहा हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक्ट्रोसिटी एक्ट लाया क्यों गया था ? अगर इन वर्गों के साथ अन्याय होता है तो एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है। किसी विधायक को, मंत्री को या किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति, जनजाति के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है तभी एट्रोसिटी एक्ट लगता है और जांच के बाद एट्रोसिटी एक्ट लगता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि बिना जांच के एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाना चाहिए। जांच होने के बाद ही एट्रोसिटी एक्ट लगता है। इस तरह से कोई भी प्रताड़ित करे, चाहे एस.सी., एस.टी. का व्यक्ति हो, विधायक, मंत्री हो, किसी को अधिकार नहीं है कि वह एस.सी., एस.टी. के व्यक्ति को प्रताड़ित करे, अगर प्रताड़ित करना है तो उसके खिलाफ में कार्यवाई होनी चाहिए।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुन लीजिए। माननीय सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर इस सदन में आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि वह जनप्रतिनिधि हैं इसिलए उनका यह दायित्व भी है कि वे जनता के हितों को यहां पर रखें, उठायें। वह जनता के पक्ष को रखते हैं इस कारण यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाई की जाती है तो इसे मैं उचित नहीं समझता। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वह निर्भर होकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। माननीय गृह मंत्री जी सदन की महिला सदस्य श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी ने और प्रमोद कुमार शर्मा जी ने उनके विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के संबंध में उल्लेख किया है। मैं चाहूंगा कि आप इन सदस्यों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की पुन: जांच करा लें और जैसा माननीय कह रहे हैं कि उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाने से पहले जांच हुई कि नहीं, इसकी भी जांच कर लें। इसके बारे में मुझे आज बहुत जल्दी हो जायेगा, 12.00 बज चुके हैं, 1.00 बजने वाले हैं, कल सदन के उठने से पहले मुझे अवगत करायें। (मेजों की थपथपाहट) मैं इसके बाद जो कार्यवाई करना होगा, करूंगा। मगर सबसे पहले आज शाम तक इनकी जो सुरक्षा है, वह दोगुनी सुरक्षा वापिस की जाये। अगर उनको 02 पी.एस.ओ. मिले हैं तो 04 पी.एस.ओ. दिये जायें और यदि इन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है तो इन्हें भी सुरक्षा दी जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, शैलेश पांडे और शिवरतन शर्मा जी के दो नाम और थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी को सुरक्षा मिली हुई है, उन्होंने खुद वापिस कर दिया है। वह लेना नहीं चाह रही हैं। उनको सुरक्षा दी गई है। उन्होंने खुद सुरक्षा वापिस की है। उनको सरकार ने पूरी सुरक्षा दी हुई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं वह बोलेंगे, माननीय मंत्री जी क्यों खड़े हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने यह बोला कि विधायक जी ने खुद सुरक्षा छोड़ी है। मैं कहना चाहती हूं कि मेरे साथ पी.एस.ओ. है, फॉलो गार्ड है, उसके बाद भी विधायक के पति के ऊपर एस्ट्रोसिटी एक्ट लगाया जाता है, तो मैं किस मतलब से सुरक्षा रखूं, किस कारण से पुलिस प्रशासन को रखू। (शेम-शेम की आवाज) आज यहां पर आई.जी. बैठे हैं, उनसे पूछिये कि कितने बार फोन उठाते हैं, अटेंप्ट करते हैं। पुलिस प्रशासन, इतना लापरवाह प्रशासन है।... पी.एस.ओ. के रहते हुये भी आरोप लगाया जाता है। मैं इस पवित्र सदन में आपके सामने न्याय मांग रही हूं और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आपसे मुझे न्याय मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जो सुरक्षा दी गयी है, उससे दुगुनी सुरक्षा दी जाएगी, उसे रखिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- मैं (व्यवधान) शैलेश पाण्डे और शिवरतन शर्मा का। इनके विरूद्ध भी जुर्म दर्ज किया गया है, इसका उल्लेख हुआ है, यह दोनों नाम भी आप जोड़ ले। इन दोनों नामों के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप शून्यकाल में आईये, उसमें बात करते हैं। हमने प्रमोद का नाम जोड़ लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, यह शैलेश पाण्डे जी और शिवरतन शर्मा जी। इन दोनों के साथ भी हुआ है, इन दोनों का नाम भी जोड़ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे पता है, यह दोनों सक्षम है।(हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये शून्यकाल पर आ जाईये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल की सूचना है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- शून्यकाल तो खत्म हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल तो इसके साथ शुरू हुआ है, आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो स्थगन प्रस्ताव पर बात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान, पूरे देश में शांति के टापू के रूप में थी, पर पिछले 3 वर्षों से ...।

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ना

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने के संबंध में 15 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
तीसरी सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
चौथी सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य
पांचवीं सूचना	-	श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य
छठवीं सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सातवीं सूचना - श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य

आठवीं सूचना - श्री पुन्नुलाल मोहले, सदस्य

नौवीं सूचना - डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य

दसवीं सूचना - श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

ग्यारहवीं सूचना - श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य

बारहवीं सूचना - श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

तेरहवीं सूचना - श्री ननकी राम कंवर, सदस्य

चौदहवीं सूचना - श्री सौरभ सिंह, सदस्य

पन्द्रहवीं सूचना - श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

चूंकि श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्रापत हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

छत्तीसगढ़ राज्य जिसकी पहचान पूरे देश में शांति के टापू के रूप में होती थी, पिछले 3 वर्ष में अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। देश और दुनिया में घटित होने वाला कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जो छत्तीसगढ़ में घटित न होता हो। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रदेश में कानून का राज स्थापित करें व नागरिकों को अमन चैन से रहने की व्यवस्था करें, किन्तु दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्षों में सभी प्रकार के अपराधियों को शासन में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है। महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिनांक 08.02.2022 को जिला महासमुंद अंतर्गत ग्राम भुरका के नाबालिक छात्रा से अनाचार कर ब्लैकमेल किया गया। दिनांक 17.02.2022 को जिला बेमेतरा के एक सरकारी स्कूल शिक्षिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा अप्राकृतिक कृत्य किया गया। दिनांक 14.01.2022 को जिला रायगढ़ के भूकदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चारभाठा में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी, दिनांक 25.12.2021 को जिला कवर्धा के कुन्डा थाना क्षेत्रांतर्गत एक महिला को दो साल तक बंधक बना कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, दिनांक 30.10.2021 को रायपुर शहर के सीटी कोतवाली थाना अंतर्गत कालीबाड़ी इलाके में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म किया गया, दिनांक 24.10.2021 को बलौदा बाजार जिले के धरसीवां थाना क्षेत्रांतर्गत एक युवती से सामूहिक दुराचार किया गया। दिनांक 22.10.2021 को जिला रायपुर के खमतराई थाना अंतर्गत एक सोलह वर्षीय नाबालिक लड़की से कार सिखाने के बहाने से दुष्कर्म किया गया, दिनांक 19.10.2021 को जिला दुर्ग के जेवरा-सिरसा चौकी क्षेत्रांतर्गत ग्राम कचांदुर के भाठा मैदान में घासीदास नगर जामुल निवासी एक महिला से दुष्कर्म किया गया। दिनांक 18.10.2021 को जिला दुर्ग के मोहन नगर थाना अंतर्गत आदित्य नगर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा को बंधक बना कर उसके साथ

दुष्कर्म किया गया, दिनांक 15.10.2021 को जिला जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना अंतर्गत बंद पड़े सीसी आई में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर पीड़िता की हत्या कर दी गयी। दिनांक 26.09.2021 को जिला जशपुर के राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित समर्थ दिव्यांग केन्द्र में दिव्यांग बच्चियों के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और एक नाबालिक छात्रा के साथ अनाचार किया गया। दिनांक 23.09.2021 को जिला रायपुर के खम्हारडीह थाना अंतर्गत चौदह वर्षीय नाबालिक से दुष्कर्म किया गया। दिनांक 30.08.2021 को जिला बलौदा बाजार के सरसीवा थाना अंतर्गत अपने रिश्तेदार के यहां ठहरी एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दिनांक 05.01.2022 को रायपुर सुन्दर नगर मोड पर हत्या की वारदात हुई, 13.01.2022 को बिलासपुर में कांग्रेसी नेता के घर में लूट की घटना हुई। 03.01.2022 को नकाबपोशों ने कोरबा में लूट की घटना को अंजाम दिया। 10 जनवरी में टेमरी नांदघाट में बुजुर्ग की हत्या की गयी। कोण्डागांव में 09 जनवरी को हत्या की घटना घटी। ऐसी सैकड़ों हत्यायें प्रदेश में हुई हैं, सरकार अपराधियों पर कार्यवाही करने के बजाए इसका विरोध करने वाले राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को प्रताड़ित करने में लगी हुई है।

03 अक्टूबर 2021 को कवर्धा में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवा ध्वज को उतार कर फेंका गया तथा उसे लात से मार कर उस पर थूकने की घटना हुई, परन्तु अपराधियों पर कार्यवाही करने के बजाए भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के प्रदेश मंत्री, पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर गैर जमानती अपराध दर्ज कर कुछ को जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों को फरार बताकर उनकी सम्पत्ति कुर्क करने की सरकार ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, जबकि जिनको फरार बताया जा रहा है उनमें से बहुत से लोगों को शासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की गयी है तथा उनका नियमित कार्यक्रम पुलिस विभाग को भेजा जाता है, पर राजनैतिक द्वेष वश व एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। कवर्धा, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, राजनांदगांव आदि स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकत्ताओं पर सरकार झूठे प्रकरण दर्ज कर उनको प्रताड़ित करने में लगी हुई है।

अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की पहचान शांति के टापू के रूप में थी, है तथा हमेशा रहेगी। हमारी सरकार राज्य में शांति और अमन-चैन बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कहना सही नहीं है कि, राज्य में कानून व्यवस्था अनियंत्रित हो चुकी है।

वास्तविकता यह है कि पूर्व सरकार के पिछले 03 वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में प्रदेश में हत्या के प्रति लाख संख्या में दर्ज प्रकरणों की औसत संख्या 3.46 की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल (विगत 03 वर्ष 2019,2020 एवं 2021) के प्रति लाख जनसंख्या में हत्या के दर्ज प्रकरण का औसत

3.25 रहा है, जो पूर्ववर्ती सरकार के औसत से कम है। इसी प्रकार दुष्कर्म की घटनाओं में वर्ष 2017, 2018 में एक लाख की आबादी पर औसत 14.6 प्रतिशत प्रकरण दर्ज हुए थे जबकि वर्ष 2019, 2020 में एक लाख की आबादी पर औसत अपराध 7.7 प्रतिशत प्रकरण दर्ज हुए हैं, इस प्रकार दुष्कर्म के दर्ज प्रकरणों में कमी आई है।

(कुछ क्षणों के लिए माननीय गृहमंत्री जी के माईक में आवाज न आने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बत्ती गुल हो गई क्या? आप दूसरे माईक पर आ जाईये। आप माननीय चौबे जी का माईक पकड़ लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल आपके विभाग जैसी स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इधर आ जाईये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जिला महासमुंद के ग्राम भुरका की नाबालिग छात्रा से अनाचार कर ब्लैकमेल करने की घटना, जिला कबीरधाम के थाना कुण्डा क्षेत्रांतर्गत एक महिला को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना, रायपुर शहर के कालीबाड़ी इलाके में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, थाना खमतराई क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म तथा नवविवाहिता युवती से सामूहिक दुष्कर्म, थाना खम्हारडीह क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, जिला-बलौदाबाजार के थाना सरसींवा क्षेत्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म तथा अपने रिश्तेदार के यहां ठहरी महिला के साथ दुष्कर्म, जिला दुर्ग की पुलिस चौकी थाना जेवरा सिरसा क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म, थाना मोहन नगर के आदित्य नगर क्षेत्र में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म, जिला-जांजगीर के थाना अकलतरा क्षेत्र में सीसीआई माईंस में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म सहिता हत्या, जिला-जशपुर के राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित समर्थ दिव्यांग केन्द्र में दिव्यांग बच्चियों के साथ मारपीट छेड़छाड़ और एक नाबालिग छात्रा के साथ अनाचार आदि सभी घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है। जिला रायगढ़ के थाना भूपदेवपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम चारभाठा में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की घटना में आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया विवेचना जारी है। जबकि बेमेतरा में सरकारी स्कूल की शिक्षिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कथित घटना का संबंध जिला बेमेतरा से न होकर थाना क्षिप्रा, जिला इंदौर (म.प्र.) से संबंधित है, पीड़िता बेमेतरा जिले की रहने वाली थी जो शादी के बाद 02 साल से इंदौर में रह रही है।

प्राप्त जानकारी अनुसार सुंदर नगर में हुई हत्या के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, विवेचना जारी है। जिला कोरबा के थाना दीपिका क्षेत्र में 03 जनवरी, 2022 को की गई लूट के आरोपियों, जिला जगदलपुर के थाना बोधघाटा क्षेत्र अंतर्गत आरटीओ कार्यालय में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपियों, जिला बेमेतरा के टेमरी नांदघाट में हत्या के आरोपी, जिला-कोण्डागांव के थाना विश्रामपुरी के ग्राम बोहारगुहान में हत्या के आरोपी, थाना मस्तुरी में कांग्रेस

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

नेता के यहां लूट की घटना में शामिल 04 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना जारी है।

कवर्धा में घटित सभी घटनाओं में समुचित वैधानिक कार्यवाही की गई है। यह कहना सही नहीं है कि अपराधियों को शासन में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि हमारी सरकार द्वारा बिना भेद-भाव किये सभी घटनाओं में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करने से जन सामान्य में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

समय :
12:58 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराएं। हमारा इस बात का आग्रह है। माननीय अध्यक्ष जी ने इसको पढ़ा, माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया और उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का जवाब भी नहीं दिया और कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में इतनी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनका हम उल्लेख करेंगे। अगर इसको ग्राह्य करके चर्चा कराई जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। मैं आपसे चाहूंगा कि आसंदी निर्णय करे कि इसको ग्राह्य करके चर्चा करवाएं।

सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि आप कुछ कहना चाहें तो कह दें। माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप ग्राह्य करके चर्चा करायेंगे कि बाद में चर्चा करायेंगे यह तो आसंदी को निर्णय आना चाहिए।

सभापति महोदय :- ग्राह्यता पर चर्चा करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अभी इस स्थगन प्रस्ताव के पहले लगभग एक घंटे तक इस सदन की महिला सदस्य उनके जीवन की सुरक्षा, पुलिस के द्वारा उनके परिवार को प्रताड़ना करना, उनके पति को धमकी देना, रेत माफियाओं के संरक्षण करने के लिए जिस ट्रक चालक की रिपोर्ट पर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया। माननीय मोहम्मद अकबर जी, आपका विभाग परिवहन विभाग है। आपने चेक करवाया है कि उस ड्रायवर का लाइसेंस है कि नहीं है ? हमारी जानकारी में उस ड्राईवर का लाईसेंस नहीं है। अवैध काम करने वाले लोगों के द्वारा किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई जाए तो यह भी चेक नहीं किया जाएगा कि उस ड्राईवर का लाईसेंस है कि नहीं है।

सभापति महोदय :- आपके स्थगन में इसका उल्लेख नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमने लिखा है। आप इसका आखिरी पैरा पढ़ लीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। इसके ऊपर में चर्चा करवाई जाए।

सभापति महोदय :- आप जो अभी कह रहे हैं, इसका उल्लेख नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह जरूरी नहीं है कि जिसका उल्लेख है, उसमें चर्चा करें (व्यवधान) कानून व्यवस्था है। संक्षिप्त करके लिखना पड़ता है।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, स्थगन में जिस बात का उल्लेख किया जाए, उस पर चर्चा करना उचित होता है। आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, स्थगन में जो विषय वस्तु है, उस पर चर्चा करना रहता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन में अगर हम सदस्यों की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती ।

सभापति महोदय :- वह बात हो चुकी है, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है । उसके आगे बढ़िये । उसके आगे बोलिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं । माननीय गृहमंत्री जी तो जो करना है वह करेंगे परंतु माननीय मोहम्मद अकबर जी हम आपको मानते हैं कि आप सक्षमता से काम करते हैं । जितने अवैध काम करने वाले लोग हैं, अवैध दारू बेचने वाले, अवैध रेत परिवहन करने वाले, चाकूबाजी करने वाले, लोगों की हत्या करने वाले वे जिन वाहनों में आते हैं क्या गृहमंत्री जी कभी पुलिस ने इसको चेक किया है ? वे वाहन चोरी के तो नहीं हैं ? वे अवैध तो नहीं हैं ? उनके लाईसेंस लिये गये हैं कि नहीं लिये गये हैं ? यह कभी पुलिस चेक नहीं करती है । यहां पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं । कितने मामलों में आज तक जो रिपोर्ट आती है कि क्या हत्या करने वाला जो गाड़ी लेकर आया वह गाड़ी चोरी की तो नहीं थी ?

माननीय सभापति महोदय, आज यह स्थिति हो रही है कि अवैधानिक करने वाले लोग अवैध तरीकों से, अवैध वाहनों से, गाड़ी किसी के नाम भी होती है, लेकर कोई आता है लेकिन वह भाग जाता है और बाद में वह पकड़ा नहीं जाता है । माननीय विधायका जी की पीड़ा, जिस ड्राईवर का लाईसेंस नहीं है वह उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है, एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है । पहले तो वह अपराधी है कि बिना लाईसेंस के वह गाड़ी चला रहा है । क्या यही कानून व्यवस्था की स्थिति होगी ? माननीय सभापति महोदय, आप बहुत सीनियर हैं । हम सब आपको अपना गुरू मानते हैं और आज यह स्थिति है ।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सदन सहमत है ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आज पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी हालत है । अवैध शराब, अवैध गांजा, अवैध अफीम, अवैध नारकोटिक्स, अवैध ड्रग्स और उसके ऊपर में कोई कार्यवाही नहीं होती है । अभी जमीनों पर कब्जे हमें थोड़ा इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि यहां पर अवैध कामों के कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ का वातावरण बिगड़ रहा है, छत्तीसगढ़ की पीढियां बर्बाद हो रही है, छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इसके ऊपर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है । यहां पर वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, माननीय गृहमंत्री जी बैठे हैं । मैं कहता हूं कि जितने मॉल हैं, जितने बाजार, जितने साप्ताहिक बाजार हैं, जितने ड्रग पैडलर हैं । क्या आपने कभी चेक करवाया है कि वहां पर किस प्रकार से पुड़िया बिकती है ? अवैध काम छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया है । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे कि गांजा कहां-कहां से आता है । माननीय मोहम्मद अकबर जी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश के चारों कोनों में फिर से बैरियर लगा दिये । बैरियर से कैसे पार होकर यहां पर गांजा आता है ? वह बैरियर से कैसे पार होकर शराब आती है ? स्पष्ट है कि जो लोग पैसा दे देते हैं उनकी शराब नहीं पकड़ी जाती, उनका गांजा नहीं पकड़ा जाता और जो लोग पैसा नहीं देते उनका शराब और गांजा पकड़ा जाता है । माननीय मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है । छत्तीसगढ़ कॉरिडोर बन रहा है । इन अपराधों के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब एक नौजवान शराब पी लेता है, अफीम खा लेता है, गांजा पी लेता है, वह लोशन खा लेता है उसके बाद में उसको होश नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है ? मैं देखता हूं कि छोटे-छोटे बच्चे जब हमारी गाड़ी चौराहों पर रूकती है तो वे पैसा मांगने आते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि वे पैसे का क्या करेंगे तो नशे का लोशन खायेंगे। नाइट्रा, आखिर छत्तीसगढ़ क्यों ऐसा बन रहा है ? छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा नहीं होता था। हम छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रूपये दे रहे हैं, पर वह 2500 रूपये में किसानों के बच्चे नशेड़ी बन जायेंगे, गंजेड़ी बन जायेंगे, अगर ये ड्रग्स लेने लगेंगे तो इस 2500 रूपये का क्या फायदा है? हम पूरी पीढियों को बिगाड़ रहे हैं। आज अपराध क्यों हो रहे हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तो किसानों को 2500 रूपये नहीं देना चाहिए क्या? आप आपत्ति कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप किसानों को 4000 रूपये दीजिए, पर उसके बदले में आन दो, आन दो, तुमको जो अवैध काम करना है, करो। हमारा जेब भरना चाहिए, इसको बंद कर दो। अगर इसे बंद कर दोगे, अगर ठेके में पोस्टिंग बंद हो जायेगी तो अधिकारी भी ईमानदारी से काम करेगा। अधिकारी भी अपराधियों को पकड़ेगा। जब उसकी पोस्टिंग 01 करोड़, 02 करोड़, 05 करोड़ में होगी तो 01 करोड़ अपना पैसा वसूली के लिए अवैध कामों को वह नहीं रोक पायेगा। मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं। बड़ी शाबासी। जुए के अड्डे को पकड़ा। कॉल गर्ल्स के अड्डे को पकड़ा। हुक्का बार को बंद कराया। जरा बताओ तो भैया, कितने नक्सलियों को मारा? क्यों महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मरते हैं? क्यों मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर मरते हैं? क्यों आंध्रा के बार्डर पर मरते हैं? किसी बड़े नक्सली को हम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मार पाते? हमने पुलिस का moral गिरा दिया है। पुलिस की पोस्टिंग अगर बस्तर में होती है तो सजा के रूप में होती है। अगर योग्य अधिकारियों को महत्व मिलेगा तो यह नहीं होगा। कानून व्यवस्था के पीछे सबसे बड़ा कारण है। अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में देश में पहला राज्य अगर कोई है, यह मैं नहीं बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ विश्लेषण राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो 2020 का है। हमारे सुरक्षा कर्मचारी सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। पुलिस वाले अवैध रेत को रोकने जाते हैं तो उनके ऊपर में हमला हो जाता है। डिप्टी कलेक्टर रोकने जाता है तो उनके ऊपर हमला हो जाता है। माननीय सभापति जी, हम लोग मध्यप्रदेश में भी रहे हैं, जहां 300 से भी ज्यादा विधायक हैं। शासन प्रशासन की धमक होती है। धमक। पुलिस के जूतों की चमक होती है। आज तो मैं रायपुर में ही देखता हूं। कहीं पर 50 लोग, कहीं पर 100 लोग, कहीं पर 200 लोग कहीं पर भी ठेला लगाकर रास्ता रोक दिया जाता है। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है। चलो हटो यहां से क्यों खड़े हो? किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत कहां है जो बेचारे आम लोग मरीन ड्राइव में घूमने जाते हैं, पुलिस उन्हें भगाने के लिए जाती है। चलो बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसे स्थान तो आपके लिए सुरक्षित हैं। ऐसे स्थानों पर टिकट लगाकर आप तेलीबांधा तालाब को रात 2 बजे तक खुले रहने दीजिए। शहर के लोगों का मनोरंजन होगा। खाने के लिए मिलेगा। जो अपराधी हैं, वे गलत काम नहीं कर पायेंगे, पर जो शरीफ हैं, जो अच्छा आदमी है, उसके लिए पुलिस तो..।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- नहीं तो सुनिए तो। इसमें विस्तृत भाषण नहीं दिया जाता। संक्षिप्त भाषण दिया जाता है। ग्राह्य हो जाये, उसके बाद आप भाषण करें।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- तो आप ग्राह्य कर लें।

सभापति महोदय :- पहले ग्राह्य क्यों किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा की जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पुलिस सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में पहले नंबर पर माननीय डी.जी.पी. बैठे हैं। सुभाष स्टेडियम के पास में कैसे रास्ता बंद कर दिया गया? क्या कभी आपने जाकर देखा है? कभी आपके पुलिस वालों ने रोका है? 4-5 मोहल्ले हैं। जिन मोहल्लों में गाड़ियों से निकल नहीं सकते। मेरी constituency है। मैं उन एरियों में जाता हूं। क्या हो गया पुलिस को? क्या हो गया है प्रशासन को ? क्या हो गया है कानून व्यवस्था को? आज अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तो छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ शांति का टापू नहीं रहेगा। हम 2500 रूपये दे दें, 4000 रूपये दे दें। अगर लोग भयभीत रहेंगे तो तरक्की नहीं होगी। आज छत्तीसगढ़ में आपने 158 एम.ओ.यू. किये हैं। छत्तीसगढ़ में कोई बाहर का व्यक्ति आकर आज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता । जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना था उस दिन पूरा देश और पूरा विश्व छत्तीसगढ़ में आकर यहां प्लांट लगाने को तैयार था कि हम यहां प्लांट लगाएंगे, हम यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे । आज कोई आने को तैयार नहीं है 158 एम.ओ.यू. में से, प्रदेश के बाहर के 2 लोग हैं । कोई बाहर से यहां नहीं आना चाहता क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति, छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की स्थति, छत्तीसगढ़ में बलात्कार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है । महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, विधायक सुरक्षित नहीं हैं ।

सभापति महोदय :- ज़रा संक्षिप्त कीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी मैं यह बता रहा हूं कि इस स्थगन को क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए । किशोरों द्वारा किये जा रहे अपराध में पहला स्थान, पूरे भारतवर्ष में शर्मनाक और यह उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में यह दर 2 प्रतिशत से भी कम है और छत्तीसगढ़ में 21.4 है । नशे का बाजार है, हमारे किशोर अपराध कर रहे हैं । अनुसूचित जनजाति के नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार में दूसरा स्थान है, बुजुर्गों के विरूद्ध अपराध में दूसरा स्थान है, बच्चों के विरूद्ध अपराध में तीसरा स्थान है, हत्या के मामले में तीसरा स्थान है, बच्चों से बलात्कार (अनुसूचित जाति के नाबालिग बच्चों) में पांचवा स्थान है, बलात्कार के मामले में छठवां स्थान है, अपहरण के मामले में सातवां स्थान है, अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अत्याचार के मामले में सातवां स्थान है, अनुसूचित जनजाति वर्ग में हत्या के मामले में सातवां स्थान है, गुमशुदगी (सभी आयु वर्ग) के मामले में नवां स्थान है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां की सूची ले आते हो, इतना गड़बड़ समाचार मत पढ़ो ना ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- पिछले 15 सालों का नहीं निकलवाए थे क्या ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी समाप्त करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं । सभापति महोदय, यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं । क्राइम ब्यूरो इस बात को कह रहा है । हमारा छत्तीसगढ़

गुमशुदा की प्राप्ति (सभी आयु वर्ग) के लोगों में 23वें स्थान पर है । उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, मध्यप्रदेश हमसे बड़ा है, बिहार हमसे बड़ा है, आंध्रप्रदेश हमसे बड़ा है, तमिलनाडु हमसे बड़ा है, पंजाब हमसे बड़ा है, आज हम अपराध के मामले में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें स्थान पर आ रहे हैं । छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई अपराध नहीं बचा है, जो अब छत्तीसगढ़ में नहीं होता हो, हत्या, बलात्कार, अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ अन्याय, अत्याचार । अब यहां पर ड्रग्स मिलने लगी है, आज यहां पर चाकूबाजी होने लगी है, आज यहां पर आई.टी. के अपराध होने लगे हैं । मैं तो सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि रायपुर शहर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जहां पूरे मंत्री रहते हैं, जहां पूरे विधायक रहते हैं, जहां पूरे अधिकारी रहते हैं, माननीय सभापति जी आप भी यही रहते हैं । हमने देखा है पुलिस गश्त रात को होती थी । शाम को बाजार में थानेदार घूमते थे, लेकिन आज कहीं पर भी ऐसा नहीं होता । लोग मेरे बारे में जानते हैं मैं रात को दो-दो, तीन-तीन बजे तक शादियां अटैंड करता हूं, कार्यक्रमों में जाते हैं, मुझे कहीं भी पुलिस गश्त करती हुई नहीं दिखती है । कहीं चौक चौराहों पर अगर नवजवान लड़के खड़े हैं, उनको भगाती हुई नहीं दिखती है ।

श्री उमेश पटेल :- भईया, दो-तीन बजे तक लोगों को आप क्यों परेशान करते हो ?

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- दो-तीन बजे तक मत घूमा करो बृजमोहन जी, आप शादी वालों को बहुत परेशान करते हो ।

सभापति महोदय :- रात सोने के लिए बनी है बृजमोहन जी, रात में सोया करिये ।

श्री नारायण चंदेल :- पेट्रोलिंग करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, पुलिस ने पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है तो इनको निकलना पड़ता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मुझे ये सब जानकारियां ही रात को मिलती हैं । क्योंकि दिन में तो इनके सामने कोई जानकारी नहीं दे सकता, घबराता है कि हमारे खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी ।

सभापति महोदय :- तो मान लिया जाए कि आप रात के राजा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं चौबीस घंटे का राजा हूं । सभापति महोदय, मैं तो कहूंगा कि राजधानी को कम से कम सुरक्षित करिये ।

सभापति महोदय :- चलिए, आपकी सब बात आ गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दिल्ली में हमें सुरक्षा या पायलट नहीं मिलता । परंतु अन्य राज्यों में मिलता है, राजधानियों को सुरक्षित रखा जाता है । यह माना जाता है कि राजधानी पूरी तरह सुरक्षित है । परंतु अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी अपराधियों का गढ़ बन गया है। अवैध काम करने वालों का गढ़ बन गया है, अवैध धंधे करने वालों का गढ़ बन गया है, यह अपराध का गढ़ बन गया है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति यह है। मैं आपको बताऊं कि मैंने एस.पी. को कहा है, कलेक्टर को कहा है, हम जब गाड़ी से गुजरते हैं तो 200 की स्पीड से मोटर-साईकिल हमारी गाड़ियों के सामने से ऐसे लहराते हुए निकलती है। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। दिन के समय पर। आपके कैमरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आपके कैमरे? आजकल हम लालबत्ती पर रूकते हैं, हमारे सामने ही 10-20 गाड़ियों को पा करके हुए चली जाती हैं। यह हिम्मत क्यों हो रही है? आपके कैमरे कहां चले गये?

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोग तो 15 साल नहीं रूकते थे लालबत्ती में।

सभापति महोदय :- चलिए, बृजमोहन जी। आपकी काफी बात आ गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, सौ करोड़ से ज्यादा पैसे कैमरों को गलाने में खर्च किया गया है। माननीय गृहमंत्री जी ...।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चंद्राकर जी। बृजमोहन जी काफी बात हो गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, दो मिनट में हो जायेगा। ये जो बाइकर्स हैं, ये कौन है? यह अपराधी हैं। यह लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं। जो सामान्य लोग हैं, उनके घरों के सामने रात केा दो-तीन बजे शंकर नगर के बंगले के अंद आवाज आती है। 25-50 लड़के हल्ला करते हैं। कभी-कभी कोई बदमाश दारू पीया हुआ रहता है तो वे हमारे नाम से हमको ही गाली देते हुए निकल जाता है। मैं उसका उल्लेख नहीं कर सकता। यह रायपुर की स्थिति हो रही है। आखिर इतनी हिम्मत क्यों हो रही है? यह प्रशासन-प्रशासन की धमक, पुलिस के वजूद की कमजोरी और लेन-देन के आधार पर नियुक्तियों के कारण छत्तीसगढ़ जो कि शांति का गढ़ था, वह अपराध का गढ़ बन गया है और माननीय सभापति जी इसलिए इस स्थगन को स्वीकार करिए, स्वीकार करके इसमें चर्चा करवाईये तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारे सुझाव हम आपको देंगे। जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। माननीय अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत सारे हैं। इसको पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है। क्या है कि माननीय गृह मंत्री जी का मैं ह्रदय से बहुत इज्जत करता हूं। वे सीधे-सादे व बहुत सरल आदमी हैं। अपराध हर तरह के, आपने कहा कि यह उल्लेख है, वह उल्लेख है, हर तरह के स्थगन के...।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है और गृह मंत्री जी नदारत हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गृह मंत्री जी आरहे हैं। वे कुछ जरूरी काम से गये हैं। आपकी बातों केा नोट किया जा रहा है। आप चिंता मत करें।

सभापति महोदय :- सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री जी, बैठ जाईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- एक विधायिका ने अपनी बात रखी है तो आज ही जब माननीय सदस्या जब बोल रही थी तो वे बोले कि नहीं मंत्री जी आ जाए उसके बाद बोलेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, आज यह सदन नेताविहीन है। नेताविहीन है यह सदन।

सभापति महोदय :- नहीं, कोई जरूरी काम हो तो रोक नहीं सकते।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अकबर जी, अगर आपको एक दिन के लिए सदन का नेता घोषित करते हैं तो उसके आपके नेता स्वीकार करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अगर आप वरिष्ठता के आधार पर क्रम देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी नहीं है, उसके बाद में गृह मंत्री जी भी नहीं है, उसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं है, फिर स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है, फिर दारू मंत्री नहीं है, राजस्व मंत्री नहीं है। तो आखिर सदन ..।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए अकबर जी, कम से कम एक दिन के लिए।

सभापति महोदय :- देखिये कल एक अटेंशन भी है इसलिए सब लोग अपने कक्ष में तैयारी कर रहे हैं। चंद्राकर जी अपनी बात कहिए।

(माननीय मंत्री, डॉ. शिवकुमार डहरिया के द्वारा कुछ कहने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप विपक्ष में होते तो आप जो बोल रहे हैं हम लोग उसी बात को बोलते। इसलिए सदन के प्रति शासन की गंभीरता होनी चाहिए। सदन के प्रति शासन की गंभीरता होनी चाहिए। कानून व्यवस्था के संबंध में अभी चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय :- शासन गंभीर है। चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें बहुत सारे विषयों में की है।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, आप संसदीय सचिव को भूमिका दीजिए, वे बैठे हुए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय सचिव की कोई भूमिका नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- कोई भूमिका क्यों नहीं है?

श्री अजय चंद्राकर :- अब यह व्यवस्था प्रश्न है। क्या भूमिका है, यह पहले आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कि संसदीय सचिव की क्या भूमि है? सदन में कहा है कि संसदीय सचिव की भूमिका है।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, हो गया। शिवरतन जी, शिवरतन जी बैठिये।

श्री नारायण चंदेल :- यह गंभीर विषय है। चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत इज्जत करता हूं। मेरे भाई भी हैं, अग्रज भी हैं, सब हैं। लेकिन मुझे दु:ख है कि वह चला नहीं पा रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- उनकी चल नहीं रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनकी चल नहीं रही है वह जाने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, सम्मान करता हूं बोलकर वह मुझे जबर्दस्ती का बत्ती भी दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी-अभी जो बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं सज्जन, अति सज्जन और एडजेक्टिव लगा देता हूं अति, अति, अति, अति सज्जन। दो बार अपने प्रश्नों में उसकी क्या हालत थी, हमने देखी है। अब दूसरों के लिए खड़े होने में, अब ज्यादा शब्द बोल दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, एक गृहमंत्री का नहीं चलना पुलिस के मुखिया या पुलिस के निजी स्तर के लोगों से हम लोगों का संवाद नहीं होना, जानकारी देने का मंच नहीं होना और पुलिस का काम एक प्रताड़ित करने वाली एजेंसी के तौर पर, खास तौर पर राजनीतिक तौर पर। मैं आज आपके सामने जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं एक बार मुझको धमकी दी जा चुकी है मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई। मैं आज आपको बता देता हूं डेढ़ साल के अंदर मेरे साथ भी कुछ न कुछ घटना घटने वाली है। अभी एडवांस में आपको बता देता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बता देता हूं कि कानून के दुरूपयोग या सदुपयोग का जो मामला उठता है, जिस पत्रकार वार्ता में शिवरतन शर्मा जी के ऊपर...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के साथ हम सब लोगों की चिंता है। आप निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप सबके में डंडा करते हैं आपको कौन डंडा करेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बताते हैं, बताते हैं। आप जहां पर रहते हैं न आपके घर के बाजू में वी.आई.पी. रोड में गोली चली। क्या हुआ आप बता दीजिए, चलिये मैं सुन लेता हूं। खाये-पीये मस्त।

सभापति महोदय :- चलिये-चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास भी पहुंच गये क्या ? आप वैसे नहीं हैं। लेकिन वह खाये-पीये मस्त हैं। कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप नोट कर लो। कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप नोट कर लो। डी.जी.पी. और गृहमंत्री जी सुन रहे हैं। यदि दम है तो एक हफ्ते में कार्रवाई करूंगा, आप बोल देंगे। मैं मान लूंगा। मैं आरोप वापस ले लूंगा। मेरे हिसाब से गृह विभाग ने स्टार्टअप शुरू किया है और वह स्टार्टअप में पहले ठगी आती है। ठगी में दोनों तरह के हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। 5000 प्रकरण से ज्यादा ऑनलाइन ठगी हो चुकी है आज भी पेपर में है। मैं भेजूंगा सोच रहा था। ध्यानाकर्षण में उस दिन बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे थे।

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- मेरे साथ भी हुई है भैय्या।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यह साइबर यह करूंगा, वह करूंगा। यह सेटअप मांगा है, वह सेटअप मांगा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक विधायक जी के साथ यह ठगी हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सेटअप मांगूंगा, यह सब मिलेगा-होगा। आप कृपा करके पुलिस विभाग का बजट पढ़ लीजिए। साइबर ब्रांच के लिए आपको क्या-क्या मिले हैं ? कितने मिले हैं ? कैसे मिले हैं ? उसको पढ़ लीजिए। लंबी-लंबी बात आप कर रहे थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी चली...।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन चन्द्राकर जी, यह कहना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है कुछ काम नहीं हो रहा है। इसी रायपुर शहर में, दुर्ग शहर में जो किडनैपिंग का हुआ और उसको पुलिस पकड़ कर लाई, उसको आप ऐसा डिमोलाइज मत करिये कि कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस अच्छा काम कर रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां के राजनेताओं के संरक्षण में पुलिस ने दूसरा स्टार्टअप चालू किया है वह वह नशे के व्यापार का स्टार्टअप। क्योंकि निवेशक तो आ नहीं रहे हैं। अभी मैं बजट में इस बात को बोलूंगा। उस स्र्टाटअप में भी नौजवान लोग निवेश कर रहे हैं। गांजा की पुड़िया। मैं रविन्द्र चौबे जी को हमेशा बोलता हूं कि मेरे साथ कुरूद चलिये, आप जहां पर चाहेंगे जिस गांव में चाहेंगे मैं आपको दारू पिला दूंगा। पंडित जी यदि आप पीते हैं तो। इस सदन में हमेशा बोलता हूं। आज भी बोल रहा हूं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- चन्द्राकर जी, वह ब्राम्हण आदमी हैं, आप उनको ऐसा क्यों बोलते हैं कि दारू पिला दूंगा ? नहीं, यह गलत बात है। ऐसा मत बोला करिये भाई, वह ब्राम्हण आदमी हैं। यह गलत बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे यार, फोकट छाप ब्रांड वाले आदमी अस। माननीय सभापति महोदय, [XX][5] इसको मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, इस लाइन को विलोपित कीजिए। यह बहुत आपत्तिजनक है। इस प्रकार यह अपनी बात कहेंगे, लेकिन इस प्रकार का कुछ भी कहे, यह गलत है।

सभापति महोदय :- देखये, यह समान व्यवहार मत कीजिए। इसको विलोपित कर दे। देखिये, महिलाओं का सम्मान है। कृपया ऐसी बात न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- महिला का सम्मान शासन करे, उनकी व्यवस्था करे। उसके लिए निर्देश दीजिए। मैं तो आपसे उसी की मांग कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- ऐसी कोई बात मत कहिये, जिससे किसी को आपत्ति हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप उनको निर्देश दीजिए, उनका सम्मान सुरखित रखे। आप मुझे ही निर्देश दे रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं असुरक्षित हैं।

सभापति महोदय :- कोई ऐसी बात न कहे जिससे नारी जिससे नारी का अपमान दिखाई दे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि गृहमंत्री विसिल ब्लोअर की सुरक्षा का आश्वासन देंगे तो...।

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात बोला कि थोड़ा सी पीने के बाद अनाचार की जो भावना है, वह पैशन बन गई है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपत्तिजनक है तो उसको साल्व करो न, फिर बात करबे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, आप बैठिए । चन्द्राकर जी, कोई स्पेशिफिक घटना हो तो बताईए, जनरल बात मत करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं स्पेशिफिक ही बोल रहा हूं, जनरल नहीं बोल रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, विषय तक ही सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- स्थगन प्रस्ताव की विषय-वस्तु तक सीमित रहें ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, जो भी इस तरह का कृत्य करता है वह मानसिक रूप से बीमार होता है और जिस तरह से चन्द्राकर जी ने कहा है कि पैशन बन गया । मैं तो पहली बार यह शब्द सुन रहा हूं कि बलात्कार करना आदमी का पैशन बन गया है ।

(श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर के खड़े होने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है विनोद । विनोद जी, आप नशेड़ी के साथ थे, बिलासपुर कलेक्ट्रेड में ठोके हो और उसके बाद भी आपके ऊपर कुछ कर ले । नशेड़ियों के साथ रहते हो और बात करते हो ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अजय भैया, आप तीन साल से सुरक्षित हैं। आपको बोलना है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर स्टाईल ला रहन दे ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं संरक्षण देता हूं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, गाना गाना पैशन हो सकता है, खेलकूद पैशन हो सकता है, राजनीति करना पैशन हो सकता है । मैं पहली बार सुन रहा हूं कि बलात्कार करना भी आम आदमी का पैशन होता है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए, आप लोग बैठ जाएं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप घोर नशेड़ियों को संरक्षण दे रहे हैं, आबकारी कार्यालय में जाकर मारपीट कर रहे हैं, वे हमको भाषण देंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से यह पूछिए कि पैशन क्या होता है ? पैशन को डिफाईन कर दें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अकबर जी, आप इस स्थगन को ग्राह्य करवा लीजिए, फिर बोल लेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य अपनी बात कहें, वह ठीक है, लेकिन जो विषय है, उसकी सीमा है, उसको मालूम होना चाहिए कि कहां तक बात करना है और कुछ भी इस तरह का ऊल-जलूल बात करना है, यह कदापि उचित नहीं है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है, आप लोग बैठिए । ग्राह्ता पर चर्चा हो रही है, कृपया व्यवधान न करें ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्थगन को ग्राह्य करके आप चर्चा करा लीजिए, दोनों पक्षों के लोग बोल लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मैं कुरूद क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता हूं, जहां आरंग के बाद आपका पुराना निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है । माननीय मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में रेत की बहुत खदानें हैं । व्हिसिल ब्लोअर की सुरक्षा देंगे, मैं कक्ष में आदमी बुलाता हूं, यदि आप गोपनीय रखेंगे तो ट्रांसपोर्टरों से, खदान रेत माफिया से कौन पैसा वसूलता है और किस अधिकारी के पास छोड़ता है, यह मैं प्रमाण दूंगा, व्हिसिल ब्लोअर लाऊंगा, यदि आप उसे सुरक्षा देंगे तो मैं सदन में पेश कर दूंगा । राशि एकत्र करके कहां पहुंचाते हैं, उसकी जगह भी बता दूंगा ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, पहले के समय में तो महिला अधिकारी लोग प्रताड़ित थे ।

सभापति महोदय :- डा. साहब, यह उचित नहीं है, आप बैठिए ।

समय :
1:28 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन-चार बार चर्चा के लिए संकल्प लगाया, अभी भी मेरे संकल्प लगे हुए हैं । सड़क दुर्घटना में यहां पर कितने लोग मरते हैं, सड़क दुर्घटना में 5-6 विभाग हैं, परिवहन विभाग है, स्थानीय शासन है, पुलिस विभाग है, और भी विभाग हैं । इनकी कोई चिन्ता नहीं है, कुचल जाओ, मर जाओ । रोड सेफ्टी में रायपुर में क्रिकेट मैच हुआ, रोड सेफ्टी क्रिकेट के बाद उसी दिन जाकर धंस गए, दूसरे दिन सुबह देवभोग रोड़ में और दूसरे रोड़ में 10 लोग मर गए । छत्तीसगढ़ के लोग आत्महत्या करके क्यों मर रहे हैं और आत्महत्या ही नहीं, सामूहिक आत्महत्या क्यों हो रही है ? इस अवसाद का अध्ययन यदि पुलिस विभाग करवाये तो उस विभाग में एक साईक्रेटिस्ट नहीं है । जवान आपस में एक दूसरे को गोली मारकर मर रहे हैं, अवसादग्रस्त पुलिस है । उनकी एक मांग पूरी नहीं की गई और जितने प्रकार के अपराध हैं, एक्सटार्शन है, अवैध कब्जा है, अवैध कॉलोनी है,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक अवैध कॉलोनी हम लोग देखने गए थे । सबसे एक स्वर से कहा कि मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, उसमें ध्यानाकर्षण-स्थगन दोनों लगे हुए हैं । यदि आप स्वीकृत करा देंगे तो मैं लिखित में मंत्री का नाम देकर आरोप लगा दूंगा । 40 हजार वर्गफीट जमीन भेंट की गई है । कुल मिलाकर आप संवेदनशील हैं, इस बात के कारण की जांच होनी जरूरी है । अच्छी पुलिसिंग क्या है, पुलिस की समस्याएं क्या हैं, पुलिस के राजनीतिक दुरूपयोग कैसे रोके जाएं, पुलिस विधायकों या जनप्रतिनिधियों के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या हो, उनके साथ हमारे संवाद कैसे हों और यह हास्यस्पद बयान है कि उधर से आ रहा है और उधर जा रहा है तो दोनों पुलिस को पकड़ना चाहिए, छत्तीसगढ़ को नहीं करना चाहिए, यह मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे थे ।

डॉ विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाईंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- डाक्टर साहब, आप किस पर बोलना चाहते हैं। ग्राहयता पर ?

डॉ. विनय जायसवाल :- नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- तो काहे को फंस रहे हो। ग्राहयता पर बोलोगे ? कौन सा विषय चल रहा है, उसको तो चलने दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात। यदि आप इसको ग्राहय करेंगे तो मंत्री से लेकर बड़े-बड़े लोगो तक अधिकारी के चपरासी से लेकर बड़े-बड़े लोगों तक कौन-कौन इसमें शामिल है, कौन-कौन इसको सरंक्षण देते हैं, ये प्रमाण सहित बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप इतिहास जानते हैं कि जहां पर अपराध को राज सरंक्षण मिला है, वहां पर अपराधी बढ़े हैं। राजनीतिक सरंक्षण के कारण प्रभावशाली लोगों के खिलाफ यह पुलिस असहाय और बेबस है। निरीह आदमी मारे जा रहे हैं, निरीह आदमी अपराध के शिकार हो रहे हैं। एक आतंक, जो एक अच्छा पुलिसिंग होना चाहिए, वह एक राज सरंक्षण में दुधारू गाय बन गई है। मुझे तो इस बात का दु:ख है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का अभिप्राय, गढ़बो अपराध छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ = अपराधगढ़। सरकार के कृत्यों पर, इनके सरंक्षण पर शर्म आ रही है।

श्री शिवरतन (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन के जवाब में माननीय गृहमंत्री जी का जो वक्तव्य है, मैं उसका पहला पैरा पढ़ देता हूं। छत्तीसगढ़ की पहचान शांति के टापू के रूप में थी और हमेशा रहेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको छोड़िये, उसको तो पढ़ चुके हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं बोल रहा हूं। हमारी सरकार हमारे राज्य में शांति और अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कहना सही नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था अनियंत्रित हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए सिर्फ सवा साल का माननीय गृहमंत्री जी ने इस विधानसभा में जो जवाब दिया है, वह मैं आपके सामने रख देता हूं। सवा साल में छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मे हत्या के प्रयास 898 मामले हुए हैं, 3,408 बलात्कार हुए हैं, 8,632 चोरी की घटनाएं हुई हैं, 96 डकैती हुई हैं, 595 लूटपाट हुई है, 10,275 आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। 404 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 1,157 बलवा की घटनाएं हुई हैं। ये अपराध सवा साल में घटित हुए हैं और हमारे मंत्री जी को लगता है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। अध्यक्ष जी, हम इस स्थगन को ग्राह्य करने का निवेदन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा अपराध नहीं है, जो दुनिया में घटित होता हो और छत्तीसगढ़ में घटित न होता हो। इन सारे अपराधों के घटित होने के पीछे कहीं न कहीं अपराधियों को जो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वह प्रमुख कारण है। मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं कि अपराध कैसे घटित होते हैं। रायपुर के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस एक लड़के की गाड़ी को रोकता है, वह लड़का ट्रैफिक पुलिस के साथ मा-बहन की गाली देता है, सारे अभ्रद व्यवहार करता है, उसकी वीडियो क्लीपिंग पूरे छत्तीसगढ़ में चलती है। चूंकि वह एक राजनेता का भतीजा है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और पुलिस का मनोबल टूटता है। प्रेस कान्फ्रेस होती है, एक मंत्री प्रेस कान्फ्रेस लेने बैठते हैं, जब प्रेस में बलरामपुर और कोण्डगांव में बलात्कार की घटना घटित होती है, उस बलात्कार की घटना को दबाने के बारे में में प्रेस वाले मंत्री से पूछते हैं तो मंत्री जी बोलते हैं कि आप हाथरस की चर्चा करो। हाथरस के बलात्कार की घटना बड़ी है, कोण्डागांव और बलरामपुर में जो बलात्कार की घटना घटित हुई है, वह छोटी घटना है। तो अध्यक्ष जी, अपराधियों का मनोबल ऐसे बढ़ता है।

माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर में धर्मान्तरण की घटना होती है और जब धर्मान्तरण कराने वालों के खिलाफ विरोध करने जाते हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है और व्यक्ति प्रेस के सामने संविधान की प्रतियां जलाने की बात करता है उसके खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है। क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर में एक आफिस व्यवसायिक काम्पलेक्स बनाने के लिए नक्शा पास होता है। कबीरपंथ आश्रम के ऊपर वह अपना स्लेब डाल देते हैं। 10 फीट चौड़ी रोड पर बेजा कब्जा कर लेते हैं और आश्रम के व्यक्ति निर्माणकर्ताओं से शिकायत करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है । जब सारे लोग जाते हैं तो फिर समझौते की बातचीत चलती है । चारों तरफ नक्शें में पांच मीटर सड़क छोड़ना है । एक तरफ की सड़क छोड़कर बाकी को प्रशासन की सहमति से बनने दिया जाता है । पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध का संरक्षण इसी ढंग से चल रहा है । हमारे संसदीय सचिव जी महासमुंद से बैठे हैं । कलेक्ट्रेट के अंदर मारपीट की घटना होती है, सर से खुन बहता है, पूरे प्रदेश के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उस घटना को देखते हैं, कार्यवाही नहीं होती है । माननीय अमरजीत जी बार-बार खड़े होते हैं, पूरे लॉक डाउन के पीरियड में वी.आई.पी. रोड के एक हॉटल में एक बार में क्या हुआ, गोलिया चली, कोई कार्यवाही हुई । बार बंद हुआ । लोग बाहर से, भिलाई से पार्टियां मनाते आते रहे । क्या कार्यवाही हुई, इसका आप

जवाब देंगे । वास्तव में पुलिस अपने मूल काम को छोड़कर राजनेताओं के चाकरी करने में लगी हुई है ।

अध्यक्ष :- चलिये, हो गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस चाकरी के चलते जो पुलिस का अपराधियों पर दबाव होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है । माननीय अध्यक्ष जी, जगदलपुर की एक घटना प्रश्नकाल में आई थी । रिश्वत लेना स्वीकार, एफिडेविट के साथ । थाने में रिपोर्ट की गई । 22 दिन लोग धरने में बैठे रहे । रिपोर्टकर्ता एफिडेविट दे रहा है । पुलिस को एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिये, राजनीतिक दबाव में पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करती । जगदलपुर नगर के बंद का आयोजन होता है । बंद कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है । राज्यपाल के हस्तक्षेप के पश्चात् मामला कायम होता है, गिरफ्तारी होती है, पुलिस इस बात की व्यवस्था करती है कि उस अपराधी पार्षद को जेल न जाना पड़े । पुलिस के संरक्षण में उसको हॉस्पीटलाईज्ड कर दिया जाता है । जिस पुलिस के पास अपराध को रोकने की जवाबदारी है...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धर्मजीत जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोरोना फ्री हो गये । अब दूसरी बीमारी में हॉस्पीटलाईज्ड होंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ना, जिस पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- राजनीतिज्ञों की सुरक्षा का मामला आया । हमारी बहन है इन्दू । आपके जिले से चुनकर आई है । आपके हस्तक्षेप से मामला निपट गया, उसके खिलाफ भी पुलिस ने मामला कायम किया । राशन बांटने का तो मामला था । राजनीति के आधार पर पुलिस कार्यवाही कर रही है, अपराधियों को छोड़ रही है । माननीय अध्यक्ष जी, उसके जड़ के पीछे क्या है, पूरे प्रदेश में चाहे कलेक्टर की नियुक्ति हो, चाहे एस.पी. की नियुक्ति हो, उसके लिए सेवा शुल्क तय है, पेमेन्ट बेस पर नियुक्ति होगी और समय-समय पर उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा । वह कानून का क्या राज स्थापित करेगा । वह तो ठेके में थाना बेचेगा, ठेके में तहसील बेचेगा, वसूली करके ऊपर पहुंचायेगा । पूरे प्रदेश में इसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है । माननीय अध्यक्ष जी, कवर्धा की घटना ...।

अध्यक्ष महोदय :- समय अभी और तो आयेगा ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, कवर्धा की घटना छोटी-मोटी घटना नहीं है । हिन्दू धर्म में भगवा ध्वज का महत्व है । भगवा ध्वज त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक है । वह भगवा ध्वज उतार कर फेंका गया, उसे रौंदा गया, उस पर थूका गया । हम जिसकी पूजा करते हैं उसे अपमानित किया गया । ऐसे अपमानित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । जो लोग विरोध करने गये, उनके खिलाफ गैर-जमानती अपराध लग गया । संतोष पाण्डेय, सांसद है । अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद है । अशोक साहू पूर्व विधायक है । मोतीराम चन्द्रवंशी पूर्व विधायक है, पूर्व संसदीय सचिव है । सब को सुरक्षा मिली हुई है । पुलिस उनको फरार घोषित कर रही है । उनकी संपत्ति की जानकारी मांग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रही है । जिनके सारे कार्यक्रम रोज पुलिस को जाते हैं, पुलिस उनको फरार घोषित करके क्या कहना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, प्लीज ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- इन्हीं के कार्यकाल में प्रेमप्रकाश पाण्डेय स्पीकर जी स्पीकर थे । उनके खिलाफ इन्होंने फरारी में चालान पेश कर दिया था । यहां पर इस तरह की बातें करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस खाली राजनीति करने लगी है । उसके चलते पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है । हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे स्थगन को स्वीकार करें, ताकि हम सारे तथ्य आपके सामने रख सकें ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन को स्वीकार किया जाये, यह आपसे आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं आंकड़े बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, आपके संज्ञान में है । लेकिन ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के समय में जितना ज्यादा शराब की ट्रकें आ करके यहां खुले आम बिकीं, शायद हिन्दुस्तान में किसी प्रदेश में उतनी शराब नहीं आई होगी जितना छत्तीसगढ़ में कोरोना के समय आई। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह शराब आई इसलिए 15 दिन के लॉकडाउन में लोग सुरक्षित रहे। अवैध शराब उपलब्ध करवाकर सरकार ने मदद की, नहीं तो 15 दिन के लॉकडाउन में गड़बड़ हो जाता।

श्री शिवरतन शर्मा :- धर्मजीत भैया, आपके जिले में दो-तीन लोग मर गये थे, उसके चलते शराब की दुकान फिर खुलवा दी गई।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ ठीक है। शराब तो दुधारू गाय है, इनके लिए कामधेनु गाय है। यह तो मैं पहले ही यहां बोल चुका हूं। अभी भी बोल रहा हूं। यह बढ़िया है, मजा करिये, चकाचक दारू का धंधा करिये। दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप तो सब कोई अपना दिमाग उसी तरफ दौड़ाओ। मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा से शराब आ रही है तो यह बोला जाता है कि यहां हम अवैध शराब को पकड़ते हैं। आप यह बताओ कि उड़ीसा 600 किलोमीटर है, वह उड़कर थोड़ी आता है, वह आते तो सड़क मार्ग से होंगे। अगर आप उसको बार्डर में पकड़कर बोलते कि हमने पकड़ा तो हम मानते कि आपकी नीति और नियत साफ है। अब यहां आ गया, एकात कोई अड़धप में फंस गया तो उसको आपने पकड़ना बताया तो यह सब तर्क जनता समझती है। जनता बहुत परेशान है। जहां पर भी, जिस शहर में, जिस ब्लाक में भी, जिस विधानसभा में भी, जहां-जहां अवैध शराब की बिक्री होती है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्मजीत भैया, यह तो रणनीति होती है कि किसको कहां पकड़ना है। वह तो रणनीति का हिस्सा है कि आने दो, इसको सही जगह में पकड़ा जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो रणनीति के विशेषज्ञ हैं। टी.एस. बाबा जी के पक्ष में कोई आदमी बोल रहा था, उसको कितना पिटवाये हो, धक्का मारते हुए उसको नीचे उतरवाये हो तो हम आपकी रणनीति देख लिये थे। टी.एस. बाबा के पक्ष में कुनकुरी में इनकी पार्टी का पूर्व महामंत्री है, उसने उनके पक्ष में कुछ भाषण दिया, उसको अमरजीत भगत जी के लोग इतना पीटे, उसको धक्का मारते हुए उसको नीचे तक लाकर उसकी दुर्दशा करके रख दिये थे। आप रणनीति चलाओ। यही तो हम चाहते हैं कि यह रणनीति होते रहे। रणनीति ठीक से नहीं चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब है कि पुलिस को वहां सख्ती से रोकना चाहिए और यहां पर गांजा, अफीम, चरस और Nitra drug की समस्या है। सब जानते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी जिस दिन आने वाले थे, उसके एक दिन पहले बिलासपुर के तालापारा में दो लड़के आपस में चक्कूबाजी करके दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। अब इसमें मैं कोई पुलिस का दोष नहीं दे रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि आखिर ये Nitra drug कहीं न कहीं से उपलब्ध होता होगा, किसी मेडिकल स्टोर से उपलब्ध होता होगा। कोई drug सप्लायर होगा, कोई पेडलर होगा। जब मैं बोल देता हूं कि नाईजीरियन पेडलर से यहां पर कई लोगों के संपर्क हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो बार-बार बुराई लेना भी ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपने Nitra drug कभी देखा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों को पीते हुए देखा हूं। बिलासपुर में एक बार सत्यम चौक में मेरी गाड़ी थी। बृजमोहन जी जैसा बोले। मै वहां दो-तीन लड़कों को देखा। वह जेब से रूमाल निकाले और उसमें ऐसा कुछ लिक्विड टाईप का डाले और ऐसा-ऐसा करके मुंह से सूंखे और उसके बाद वह ऐसा-ऐसा (हिलते हुए) करते हुए वह वहां पर पड़े थे।

अध्यक्ष महोदय :- Nitra drug है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- वह क्या है, भगवान जाने। पर Nitra drug के बारे में यह बताते हैं कि जो Nitra drug का सेवन कर लेता है उसको यह याद नहीं रहता है कि वह किसको चक्कू मार रहा है, कौन मरेगा, क्या होगा, वह बहुत गंदा नशा है। छत्तीसगढ़ में यह न हो, इसके लिए हम लोग यहां बात कर रहे हैं। यह हमारे को अधिकार नहीं है। पुलिस को या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो drug inspector होते हैं, इन लोगों को देखना चाहिए कि Nitra drug यहां उपलब्ध न हो। बहुत पहले छत्तीसगढ़ में यहां ये सब होता नहीं था। युग बदलने के साथ-साथ ये सारी विकृतियां आ रही हैं। उसको रोकना पड़ेगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप जो बोल रहे हैं, वह whitener है।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ में नीचे तक पैसा जा रहा है, वह छत्तीसगढ़ मॉडल है। इसलिए नशा करने वाले बढ़ रहे हैं, वह पैसा वापिस लौटकर आ रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, थाने के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जाकर पुलिस वालों को गाली देते है या उनके खिलाफ जो नेता है, उसके खिलाफ वह लोग गाली देते हैं। यह

घटना बिलासपुर में और कई शहरों में हमने देखी है। अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं। अधिकारियों का कालर पकड़ते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको ट्रांसफर कराने की धमकी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, रेत माफिया तो इतने हावी हैं कि इनको इस प्रदेश में सरकार कुछ भी नहीं कर पायेगी। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री जी बोले तो थोड़ी सी कार्यवाई हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कार्रवाई हुई है। लेकिन यह सब बंद करना चाहिये, किसी रेत माफिया वगैरह को पनपाने की जरूरत नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- देश में चुनाव बहुत हो रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना पैसा आयेगा, जो रेत से आप कमा लेंगे ? आपके लिये शराब पर्याप्त है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उत्तरप्रदेश में कांग्रेस 03 सीटों पर आई है तो 01 सीट कितने अरब की पड़ी ?

श्री धर्मजीत सिंह :- 300 करोड़ की।

श्री नारायण चंदेल :- अभी सिर्फ एक ही सीट है।

श्री सौरभ सिंह :- अभी वर्तमान में केवल एक ही सीट पर आगे है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक सीट 300 करोड़ रूपये की। 900 करोड़ का मामला है।

एक माननीय सदस्य :- नहीं, वह तो बचा लिये वहां थोड़ी न दिये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, वह जो भी किये हो। शराब पीने में प्रदेश का कीर्तिमान है। मैं पुलिस के बारे में कोई सीधा आरोप नहीं ले रहा हूं, मैं किसी पक्ष को भी नहीं ले रहा हूं। लेकिन पुलिस अगर ....।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिणाम आये हैं, तो बाबा जी मणिपुर से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे और मुख्यमंत्री जी उधर से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसकी पुख्ता जानकारी के हरिद्वार और मणिपुर में डी.जी.पी. को भेजा जाए।

श्री अरूण वोरा (दुग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी आप छत्तीसगढ़ की चिंता कर लीजिये, आप अगली बार 15 सीटों से कितनी सीटों में आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि 02 सीटों से ज्यादा में नहीं आयेंगे, आप इतना ध्यान रखियेगा। आप छत्तीसगढ़ की चिंता करिये, उत्तरप्रदेश को छोड़िये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप खड़े हो गये क्या। कल तो बोल रहे थे कि सरकार बनेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह मैं आखिरी कर रहा हूं। आप भी चन्नी के आदमी है लग रहा है, आप भी पंजाब के चन्नी जैसे बात कर रहे हैं। वह इस्तीफा देने चल दिये, अभी चन्नी गये हैं इस्तीफा दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस को राजनीतिक रूप से डिक्टेट किया जाता है। मेरे पास में 2-3 उदाहरण है, अगर आप कहे तो मैं नाम सहित बता देता हूं लेकिन मैं इशारे में बात कर रहा हूं। जब कोई भी घटना होती है, तो यहां से फोन जाता है, पुलिस को दफा धारा बताया जाता है, कैसे क्या लगाना है बताया जाता है, वह दफा धारा लगता है। ठीक है, आप सत्ता में हैं, तो दफा धारा लगवायेंगे, लोग या तो जेल जायेंगे या जमानत करायेंगे पर हर आदमी कहां तक परेशान होगा। राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप मत करिये, पुलिस को फ्री करिये। अगर अपराधी है तो पुलिस को कार्रवाई करने दीजिये, यदि नहीं है तो हमको अपनी संतुष्टि के लिये किसी को जुर्म में फंसा देना, यह प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। मैं इसके पहले फिर बोला था कि इतिहास इसका साक्षी है कि पुलिस का जिसने भी दुरूपयोग किया, उसका हश्र बाद में उसके लिये बहुत बुरा होता है। इसलिये मैं अपील करता हूं कि पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करिये। पुलिस को अपने हिसाब से काम करने दीजिये। पुलिस गुंडे, मवाली, तस्कर, लोहा तस्कर, सीमेंट तस्कर, रेत तस्कर, चोर-उचक्के, लफंगे-लुच्चे, सबको जानती है । अगर आप उनको एक बार आजादी दोगे तो वह काम करेंगे, यदि आप बार-बार थाने में फोन करते रहेंगे कि इसके ऊपर में यह दफा-धारा लगाओ, इसको बंद करो, इस अधिकारी से बोलोगे कि इसके खिलाफ यह रिपोर्ट लिखाओ, उस अधिकारी को बोलोगे कि उसके ऊपर वह रिपोर्ट लिखाओ। तो आप बहादुर तो बन सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा देर तक आपकी यह बहादुरी नहीं चलेगी क्योंकि आपकी बहादुरी को जनता देख रही है और आपको कहीं भी थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार भी आपको जनता ने नहीं दिया है। तो जनता के काम को, जनता के, पुलिस का मतलब क्या होता है, ? डर का नाम पुलिस है, जो अपराधी हैं वह पुलिस से डरेंगे तो अपराध नहीं होगा। अब आप डर को ही खत्म कर रहे हो, पुलिस का खौफ खत्म कर रहे हो, पुलिस को रोज डिक्टेट कर रहे हो, पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हों कि इस थाने में इसको बंद करो, इसको छोड़ों, यह दफा लगाओ, वह धारा लगाओ, तो पुलिस क्या करेगी। इसलिये पुलिस का भी इसमें दोष नहीं है, आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके अपने चाल-चरित्र और विचार को बदलिये और पुलिस को ज्यादा राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल मत करिये, कानून व्यवस्था तभी ठीक रहेगी, अन्यथा इसी प्रकार से चलता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद, श्री नारायण चंदेल।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहुत ही गंभीर विषय पर स्थगन दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका इसके बाद में ध्यानाकर्षण है, इसलिये थोड़ा कम कर दीजियेगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, है। किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। लेकिन शनैः-शनैः जो छत्तीसगढ़ है, वह बंगाल की तरफ जा रहा है। हमारे ही जिले के, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। आपके ही जिले की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह घटना है, दिनांक 15.10.2021 को जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा थाना के अंतर्गत बंद पड़े सी.सी.आई. माइंस में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर पीड़िता की हत्या तक कर दी गयी, लेकिन वह आज तक पकड़ से बाहर है। यह आपके जिले की घटना है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जिले की घटना है।

अध्यक्ष महोदय :- हम दोनों, आप दोनों, आपने उसकी बात कर दी है। चलिये आगे बढ़िये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजधानी में, रायपुर का पूरा आंकड़ा आया है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको सब लोगों ने पढ़ चुका है।

श्री नारायण चंदेल :-माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे कोई नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह पढ़ा गया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ताजा आंकड़ा है। यह अभी-अभी आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, साल 2022 के शुरूआत के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की क्राईम रिपोर्ट सामने आयी है। पिछले साल की तुलना में लूट, चोरी, जुआं के मामले बढ़े हैं। लूट में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वह शेयर बाजार टाईप का हो जा रहा है। इधर सड़क हादसे पर भी नियंत्रण की जरूरत है। सड़क दुर्घटना में रायपुर जिले में औसतन हर महीने 38 लोगों की मौत हो रही है। दरअसल वर्ष 2021 खत्म होने के साथ ही रायपुर पुलिस ने जिले में हुई दुर्घटनाओं की रिपोर्ट आम कर दी। इसमें खुलासा हुआ कि 25 दिसम्बर 2021 तक 1704 दुर्घटनाओं में 456 लोगों की मृत्यु हुई है और 1238 लोग घायल हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहीं वर्ष 2020 की बात करें तो 1786 दुर्घटनाओं में 482 की मृत्यु हुई है और 1284 लोग घायल हुए हैं। इस लिहाज से पिछले वर्ष की तुलना में 5.39 प्रतिशत की कमी देखी गई है, ऐसा पुलिस बोल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। अब आप समाप्त करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं और रायपुर जिले में हर सप्ताह एक नागरिक की औसत हत्या हो रही है। निश्चित रूप से, अब पुलिस को बुलेटिन जारी करना पड़ रहा है। वास्तव में जो धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि हमारे जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं, अच्छे पुलिस अधिकारी है। वह राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण काम करने से उनका मनोबल गिर रहा है और उनमें निराशा आ रही है और लगातार विवाद हो रहा है। परिक्रमा करने वाले की पदोन्नति हो रही है, उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय गृहमंत्री जी इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। नहीं तो अच्छे पुलिसकर्मी बेचारे समय से पहले अवकाश ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय कौशिक जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति को लगातार सुधारा जाये और इस पर सरकार को शिकंजा कसने की आवश्यकता है, यह हमारा आग्रह है। जो भेंट नहीं चढ़ा पा रहे हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी, अभी ध्यानाकर्षण है। लम्बा हो जाएगा। चलिए हो गया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बेचारे कहीं न कहीं निराश हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप बाकी बातों को माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर बता दीजिएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो खर्रा लिखकर दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह(अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमने स्थगन दिया है और आपसे अनुरोध है कि ग्राह्य कर, इस पर चर्चा करें। सब लोगों ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। आपसे लगा हुआ, मेरे क्षेत्र से लगा हुआ कोरबा का क्षेत्र है। एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर जो धनबाद में जो होता था, उससे बदतर स्थिति कोरबा में है, यह आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- पार्ट 1 या पार्ट 2 ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों को मिला लें पार्ट 1 और पार्ट 2 तो परिस्थिति वहां थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पार्ट 3 है। यह पार्ट 3 कोरबा है। वह आपका संसदीय क्षेत्र है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लेटेस्ट एन.जी.टी. की रिपोर्ट आयी है। अभी नारायण जी बोले कि अभी का है। वहां आपके क्षेत्र में प्रशासनिक प्रदूषण और बढ़ गया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन कोयले की खदानों से कोयले की चोरी हो रही है, प्रतिदिन डीजल की चोरी हो रही है, प्रतिदिन लोहे की चोरी हो रही है। आपने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है और उसके बाद, उसके तहत वहां पर जो गैंगवार हो रहा है, कभी गोली चल रही है, कभी कट्टा चल रहा है। विडियो निकल रहा है, विडियो वॉयरल हो रहा है, जिसमें यह हो रहा है कि उसने मुझे एस.पी. साहब के पास भेजा, मुझे इसने उसके पास भेजा, यह विडियो निकल रहा है, यह क्या प्रशासन की प्रकृति है और जितना लोहा, कोयला, और जितना डीजल और आजकल वह फर्जी बायोडीजल निकला है। हमारे विधान सभा क्षेत्र से जांजगीर चांपा जिले में खपत का अड्डा हो गया है। वहां से निकलता है और वहां खपत होता है। अनेक बार कार्यवाही करने पर, बोलने पर कोयले की खदानों पर प्राईवेट सिक्योरिटी को हटाकर, जब वहां पर सी.आर.पी.एफ. आयी तो सी.आर.पी.एफ. के वहां गोली

चली। त्रिपुरा राईफल्स आई तो उसके साथ गोली चली। यह आज परिस्थिति हो गई है और इस तरह 3, 4 सालों में छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया है, इस पर चिंता की जाए। मैं एक बात और बोलूंगा कि अभी हमारे विधायकों की चर्चा हो रही थी। हम सभी विधायकों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल एक वह आया। मेरे साथी प्रमोद शर्मा जी पीछे बैठते हैं। आप एक एफ.आई.आर. के ऊपर क्यों नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्या प्रमोद शर्मा जी ने कहा था?मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, उनका यह बोलना कि आप एक एफ.आई.आर. के ऊपर नाराज हो रहे हो, एक एफ.आई.आर. हो गया तो ऐसा होगा और दुर्भाग्य की बात बताता हूँ । यहां पर चार विधायकों के खिलाफ जो एफ.आई.आर. हुआ है, उसमें से तीन विप्र जन है, सभी यहां बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी की विप्र जनों के प्रति क्या नाराजगी ? क्यों बार-बार एफ.आई.आर. करवा रहे हैं। यह क्या नाराजगी है। मेरा यह निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ग्राहय करें और इस पर चर्चा कराएं यही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, जल्दी समाप्त करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। खासकरके प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ले करके है। आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गयी है। लोग घरों में सुरक्षित नहीं हैं, घर के बाहर सुरक्षित नहीं हैं। रायपुर के एक आईएएस अधिकारी के घर में चोरी हो गयी। एक एडिशनल एस.पी. के घर में चोरी हो गयी। घर के बाहर लोग शादी में बारात में गये हैं, वापस घर आते तक उनके घर के माल साफ हो जाते हैं। मोटर सायकल लाईन से चोरियां हो रही है। आजकल चोरियों में सबसे बड़ी दिक्कत है, सोलर पंप चोरी हो रही है, किसान उसमें बड़ी मात्रा में परेशान हैं। जब उनको पकड़ करके पुलिस वाले के पास ले जाते हैं तो थाने में यह बताते हैं कि यह क्या सबूत है कि ये चोरी किए हैं। संरक्षण उन्हीं को मिलता है जो चोरी किया हुआ है। एक नई कल्चर डेव्हलप हुई है, टेंट लगाया जाता है, टेंट के अंदर जुआ खिलाया जाता है और जुआ में बाकायदा शराब परोशी जाती है। बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कक्ष में जगह का नाम बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- तो फिर कक्ष में बात कर लेंगे न।

श्री अजय चंद्राकर :- इसी जुआ में सुकमा जिले में एक जगह है जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब जगह के जुआड़ी आते हैं, वहां पर करोड़ों रूपए का जुआ होता है। इंटरनेशनल जुआ सेंटर है। मैं आपको जगह का नाम बता दूंगा और उसको किसका संरक्षण प्राप्त है, यह भी बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है। जुआ खिलाना सरकार के संरक्षण में है। यह पुलिस की जानकारी में है। एक बार बैठक में भी यह घटना आई

है। जब डी.जी.पी. बैठक ले रहे थे, तब यह घटना आई है। पहले जब अधिकारी बैठक लेते थे तो यह कहा जाता था कि क्षेत्र में कोई घटना न घटे, कोई अवैध कारोबार न हो, क्षेत्र शांत रहे। आज कल जब बैठक होती है तो यह कहा जाता है कि पैसा आना चाहिए और उस पैसे के लिए जो भी कार्रवाई करना है चुपचाप कर लीजिए। अवैध कामों को पूरा संरक्षण यदि पुलिस के महकमे करे और किसके बल पर कर रहे हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। एक बात पर सत्यता है, पता नही, आप भी फोन किए कि नहीं किए हैं। मैं जब कभी थाने में फोन करता हूं तो पता लगा कि थाने में कोई साहू पोस्टिंग है। दोबारा फोन किया तो दो तीन महीने नहीं हुए है, पता लगता है कि साहू का ट्रांसफर हो गया है। यह केवल थानेदार तक नहीं है। एस.पी. तीन महीने में बदल जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा है कि 6 महीने में दो एस.पी. आ जाए। यहां इस प्रकार की बातें हो रही है। आपके टी.आई. खाली बैठे हुए हैं लेकिन दो स्टार वाले थाना संभाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वे बेचारा टी.आई. पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो बोले कि जो काबिल अफसर है उसको थाने में बैठाया जाए और काबिल अफसर कौन है, काबिल अफसर कितना मैनेज कर सकता है। मतलब, कुल मिला करके पुलिस का काम होना चाहिए। इस प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। पुलिस का काम चोर, उचक्के, बदमाश ऐसे लोगों का पकड़ना है। आज यह हो गया है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ नारा लगा दिए, कोई वाट्सअप चला दिए, कोई संदेश दे दिए तो सारा पुलिस उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। लेकिन जो अवैध कृत्य में लगे हुए हैं, इनके पीछे पुलिस नहीं जा रही है। उसी का परिणाम है कि आज राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। रेत के मामले में हम लोगों ने कितनी बार शिकायत की और रेत का उत्खनन कितना हुआ। बिलासपुर में एक बिजली का टावर लगा हुआ है। उस बिजली टावर के आस पास में जो खुदाई किए और खुदाई करने के बाद में अभी उसको स्थापित करना है तो उसमें तीन करोड़ रूपए लगेंगे। माईनिंग अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर जा करके कार्रवाई कर सके। आपकी जो पुलिस जा रही है, उनकी हिम्मत नहीं है कि कार्रवाई कर सके। कई जगह तो अभी-अभी की घटनाएं हैं। पुलिस वाले लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर मार रहे हैं और पुलिस वाले भाग रहे हैं और पीछे-पीछे माफिया लोग घूम रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घटनायें इतनी दुर्भाग्यजनक हैं कि सी.एस.ई.बी. के लोग, पी.डब्ल्यू.डी. के लोग, इरीगेशन के लोग यह नहीं कहते हैं कि जिन्होंने हमारे टॉवर को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने हमारे डेम को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने हमारे पुलिये को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ हम आपराधिक कृत्य दर्ज करेंगे उसकी बजाय बोलते हैं कि इसके नवनिर्माण में हम पैसा खर्च करेंगे तो अपराधियों को ऐसा संरक्षण मिल रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के एक बड़े अधिकारी बता रहे थे कि पहले जब पुलिस के बड़े-बड़ी अधिकारी मिलते थे और कलेक्टर वगैरह मिलते थे तो वे बताते थे कि मैंने यहां पर यह करा दिया तो मैंने ददुआ गिरौह को खत्म कर दिया, मैंने इस गुण्डे को खत्म कराया

ऐसा आपस में चर्चा करते थे और अब जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि मैंने इस जिले को इतने लाख का कर दिया, इस जिले को इतने लाख का कर दिया, इस टाईप से होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये यह सब बातें छोड़िए, आप समाप्त कर रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक-दो मिनट में समाप्त करता हूं । केवल इतना ही नहीं बल्कि अवैध कार्य में यह जमीन का भी मामला है । आज उस जमीन में जिसकी जमीन आगे है उसकी जमीन पीछे दर्शायी जाती है और अभी हमारे ही क्षेत्र में एक कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वे जमीन वाले को फोन कर रहे हैं कि यह इसका 14 लाख रूपये लेना है तो ले लो, नहीं तो न तो जमीन मिलेगी और न ही पैसा मिलेगा । तहसीलदार से बात किये और एस.डी.एम. से बात किये तो वे वहां गये लेकिन उस जमीन में नहीं गये और दूर से ही बता दिये कि यह तुम्हारे नाम पर नहीं है । जमीन वाले पूछ रहे हैं कि किसके नाम पर है तो उससे आपको क्या मतलब है, यह जमीन तुम्हारी नहीं है, उसको संरक्षण कौन दे रहा है ? थाने वाले जाकर वहां पर खड़े हो रहे हैं और उसको चमका रहे हैं, यह जमीन बचने वाली नहीं है । जिस प्रकार से पुलिस का उपयोग जमीन के मामले में चूंकि सरकारी जमीन पर तो कब्जा कर ही रहे हैं लेकिन प्राईवेट जमीन के जो मालिक हैं वे भी सुरक्षित नहीं हैं उनको धमका-चमका कर उनकी जमीन को जो छीनने का काम किया जा रहा है पुलिस इसमें सहयोग कर रही है । ऐसे कृत्यों को करेंगे तो पुलिस का जो मूल दायित्व है वह उससे पीछे हट रही है । दूसरी ओर पुलिस का मनोबल भी गिरा हुआ है कि जो अच्छे पुलिस वाले पुलिसिंग का कार्य कर रहे हैं उनकी इस सरकार में कोई कद्र नहीं है । उनको लाईनअटैच कर दिया जाता है, किसी के खिलाफ में कार्यवाही करें, माफिया के खिलाफ में तो एक घंटा नहीं लगता है वह अटैच हो जाता है । यदि ऐसे लोगों का मनोबल गिरेगा तो प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा । आप जब तक पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ायेंगे वे लोगों को संरक्षण नहीं देंगे और जब लोगों का संरक्षण नहीं मिलेगा तो कानून व्यवस्था ध्वस्त रहेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है । उसमें पूरे प्रदेश के बहुत सारे तथ्य हैं । यदि इसको आप ग्राह्य कर लें और चर्चा करायेंगे तो हम सारे तर्क के साथ उसमें चर्चा करेंगे इसलिये इसको स्वीकार किया जाये, ग्राह्य किया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ननकीराम जी कुछ बोलना चाहते हैं । आप कृपया दो मिनट सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय ननकीराम जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें सुन लूंगा । प्लीज, आप सिफारिश मत करिये । मैं उन्हें सीधे सुन लूंगा । ननकीराम जी आप बोलिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप उन्हें बुजुर्ग बोलेंगे तो कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- वे मुझसे बुजुर्ग हैं, आप पूछिए न । वे मुझसे बुजुर्ग हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वे 80 साल के नौजवान हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 80 साल के जवान हैं ।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है, मेरे साथ कोई भी काम कर लीजिये । मैं बोलना चाहता हूं कि राजनीति में भी मेरे जैसा कोई काम करके बता दे ।

अध्यक्ष महोदय :- ननकीराम जी, आपके साथ कौन सा काम करना है ?

श्री ननकीराम कंवर :- मैं कुश्ती भी लड़ सकता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके साथ आप जोताई करवा दीजिये, सबसे ज्यादा जोताई यही करेंगे । (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी इतने बहादुर थे कि पुलिस की वह दारू वाली गाड़ी आती थी उसको भी पकड़ लेते थे ।

श्री ननकीराम कंवर :- सुन लीजिये, काम करके बतलाईये और दिखाईये । मेरा दावा है आपके कांग्रेस के कोई भी मंत्री जो मैंने काम किया है वह करके बतला दें उसमें क्या दिक्कत है ? मैंने मध्यप्रदेश में काम किया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, मोला मालूम हे । तेंहा मध्यप्रदेश में अच्छा काम करेत रहेस लेकिन इंहां अच्छा काम करेत रहेस ता तोरे मुख्यमंत्री हा नइ सुनत रहिस हे भई ।

श्री ननकीराम कंवर :- हर बात में बोलने से थोड़ी होता है आप काम करके बतलाईये । आप अभी पद में हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस विभाग का प्रश्न है । जहां जैसी सरकार होगी वैसा ही विभाग होगा । मुख्यमंत्री जी ने भी मुझको एक बात बोले थे कि भाटो ...।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये न, आप भी गृहमंत्री रह चुके हैं ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं गृहमंत्री था तब का बोल रहा हूं । चूंकि वैसे जिला दुर्ग वाले प्राय:-प्राय: मंत्री, मैं प्राय:-प्राय: बोल रहा हूं, सभी मेरे साले हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- कहां के लोग ?

श्री ननकीराम कंवर :- मैंने दुर्ग जिले का बोला ।

अध्यक्ष महोदय :- दुर्ग के सभी साले हैं ? (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- अब वे भाटो बोलते हैं तो मुझे साला बोलने में क्या दिक्कत है ? (हंसी) और मैं हूं। मैंने दुर्ग जिले में शादी किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं मानथे का भाटो तोला भाटो।

श्री ननकीराम कंवर :- अब नहीं खोलता भाई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोरबा की बात बोलना चाहता हूं। एक कोरबा थाना उर्गा से जीरो में गया है जांजगीर अकलतरा थाना। अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। 2 साल हो गये। 2 साल पहले शासन ने ई.ओ.डब्ल्यू. में भेजा है। आज तक कोई कार्यवाही नहीं

हुई है। अपराधी कैसे नहीं बढ़ेंगे ? तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। उस समय विधायक थे। भाटो अगर तोर लइका गलत काम कर लिस तो का कार्यवाही करबे। मैं कहे हो कि जेल पहले भेजूंगा। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन आज की स्थिति है जो ज्यादा जितना गलत कर सकता है, उसे उतना ही प्रशस्ति मिलता है। अब मैं बता रहा था कि जो ई.ओ.डब्ल्यू. में है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। उसके विरूद्ध हर थाने में 2-4 कोरबा थाने की बात बोल रहा हूं, एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है। यहां तक कि माननीय न्यायालय ने भी भेजा है कि इसके ऊपर सप्लीमेंट्री चालान पेश करो। कम से कम 4 महीना हो गया, नहीं हुआ। इससे लज्जा की बात और क्या हो सकती है? डी.जी.पी. साहब हैं। नहीं होंगे तो यहां से ले जायेंगे और कार्यवाही करेंगे। कम से कम 2-4 मामला लगातार होता है तो 110 की कार्यवाही होती है जिला-बदल। अब उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार मैंने उन्हें फोन किया। पता नहीं कि वे मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कभी भी वे फोन नहीं उठाये। उन्होंने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया। यह तो हाल है। यह स्थिति है और मैं आपको बतला दूं कोरबा के हर थाने में कम से कम एक व्यक्ति के दो-चार रिपोर्ट होंगे। अगर एफ.आई.आर. दर्ज कर दिये हैं तो चालान पेश नहीं होता। एफ.आई.आर. दर्ज क्यों किया? यहां तक कि जमीन खरीदी-बिक्री में एफ.आई.आर. तक नहीं किये हैं। आप यह पता लगा लेंगे कि कौन व्यक्ति है? तकलीफ तो हमको नहीं होती है। तकलीफ तो पब्लिक को होती है और इसीलिए कोई थाने में नहीं जाना चाहता। आप बताइए अपराध कैसे नहीं बढ़ेगा ? तो मेरा निवेदन है कि आप इसे स्वीकृत कर लें और बहुत सारी चीज मैं बतलाउंगा कि कहां-कहां अपराधी के विरूद्ध कार्य नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, एक कागज आया है, उसे दो मिनट में पढ़कर सुना देता हूं। केवल दो लाइन है। अंबिकापुर में 9 तारीख नशेड़ी लोग पुलिस को बेल्ट में पीट दिये हैं।

समय :
2.07 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनांए शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना, सर्वश्री सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- आज देश के 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह जीरो अव्हर थोड़ी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तरप्रदेश गये हुए हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मणिपुर गये हुए हैं। हमें इस बात की चिंता है कि वे सुरक्षित रहें और इसके लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस, यहां के डी.जी.पी., यहां के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर जाकर उन्हें सुरक्षित लेकर आ जाये, क्योंकि छत्तीसगढ़ से मालूम नहीं हजारों करोड़ रूपये..।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- वे लोग आयेंगे या नहीं आयेंगे। चेहरा दिखा पायेंगे या नहीं दिखा पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज, अभी बात मत कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पिछले 3 महीने से हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे प्रवासी मुख्यमंत्री हो गये हैं। वे यू.पी. में ज्यादा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कम रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- अब बुलवा लो ग। संसार में का रहगे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, दोनों गये हैं। छत्तीसगढ़ वापस आयेंगे या नहीं आयेंगे। आप समझ लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अब आने के बाद दे दीजिएगा। कल आयेंगे। अभी बजट चर्चा होगी। बजट के बाद चर्चा जरूर कर लेना। आप बजट पर जब चर्चा होगी, तब बधाई दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, आपके माध्यम से देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्हें छत्तीसगढ़ आना चाहिए। छत्तीसगढ़ आने में संकोच मत करे। हम लोग स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ मॉडल का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उसे बजट भाषण में करिए न। प्लीज बजट भाषण में करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मॉडल, असम में और गुजरात मॉडल फेल हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप बजट भाषण में करिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी आ जाये। हम उनका स्वागत करेंगे। संकोच में मत रहे। आज के नेता है हमारे माननीय अकबर जी। यह आप स्थापित कीजिए कि कोई संकोच में न रहे। हम लोग फूल माला से स्वागत करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ मॉडल का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ, प्लीज-प्लीज।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया। दूसरा मॉडल बना लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी। करने दीजिए। बजट भाषण में बात करिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बुलवा लो भैया, अब संसार में का रहगे हे। हमर दोनों नेता ला बुलवा लो।

<u>(1) कोरबा जिले के सड़क निर्माण में भू-अर्जन से प्रभावित कृषकों पर अपराध पंजीबत्र किया जाना.</u>

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा), श्री नारायण चंदेल, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149(बी) चांपा, कोरबा, छुरी, कटघोरा 4 लेन सड़क निर्माण एवं हरदीबाजार तरदा बायपास सड़क निर्माण में भू-अर्जन । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम 1997 की धारा 3-ए तथा भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व में खरीदी की गई जमीन के भू-स्वामियों पर कार्यवाही के लिए कलेक्टर कोरबा ने पुलिस अधीक्षक कोरबा को पत्र क्रमांक 561, दिनांक 20.01.2022 पत्र लिखा जबकि 3-ए के प्रकाशन के पहले भूमि रजिस्ट्री और नामान्तरण मान्य है और इसी प्रकार पूरे भुगतान की फर्जी शिकायत कृषकों के खिलाफ की गई है, वास्तव में कोई भुगतान नहीं हुआ है । हरदीबाजार-तरदा सड़क में धारा 11 के प्रकाशन प्रक्रिया पूर्ण न होने तक जो पंजीयन एवं नामांतरण हुआ है वह मान्य है । सभी धारा के प्रकाशन भू-अर्जन की उक्त कार्यवाही के लिए वर्षों के विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? इस प्रकार बायपास सड़क पर नियमों के तहत रोक नहीं होने के कारण पंजीयन और नामांतरण हो रहा था । इस पर जमीन बेचने वाले किसानों के ऊपर अपराध पंजीयन करना गैर कानूनी और अनैतिक है । जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने का आवेदन आया है । उसमें अधिकतर विक्रेता और क्रेता अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हैं । कोरबा जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के तथा कोयला उत्पादन ज्यादा होने के कारण लगातार भारी वाहनों से कोयला परिवहन होने के कारण सड़क खराब होती है और ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या बनी रहती है । जिला प्रशासन द्वारा एक तरफ अधिग्रहण में देरी की जा रही है, दूसरा भूमि स्वामी जिनके जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

किया जा रहा है जो कि जनमानस के लिए आवश्यकता है । राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण केन्द्र सरकार के पैसे से हो रहा है और बायपास सड़क निर्माण के लिए एसईसीएल ने पैसा दिया है । केन्द्र सरकार का पैसा सदुपयोग सही समय पर नहीं हो रहा है । उक्त दोनों सड़क निर्माण कार्यों में देरी होने से जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, कोरबा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149 चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा 4 लेन सड़क निर्माण के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । फेस-2 उरगा-कटघोरा मार्ग अंतर्गत ग्रामों के संबंध में एन.एच.ए.आई. से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में उरगा से कटघोरा मार्ग का डी.पी.आर. तैयार नहीं होने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है । अत: चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रकरण में विलम्ब नहीं किया गया है । हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर (लम्बाई 27.19) मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु प्रारूप 1 का प्रकाशन कराया गया है ।

उक्त मार्ग में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 अंतर्गत प्रकाशन नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि कलेक्टर कोरबा द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरबा को धारा 11 के अंतर्गत प्रकाशन के पूर्व भूमि रजिस्ट्री एवं नामान्तरण कराने वाले भू-स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां भू-अर्जन अधिकारी द्वारा की जा रही है । यह कहना सही नहीं है कि किसानों के ऊपर अपराध दर्ज किया जा रहा है, वस्तुस्थिति यह है कि अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है एवं किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है ।

उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । यह कहना सही है कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर बायपास एवं राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जनमानस के लिए आवश्यक है । यह कहना सही नहीं है कि केन्द्र सरकार के पैसे का सदुपयोग सही समय पर नहीं हो रहा है । भू-अर्जन की कार्यवाही में प्रक्रियागत् विलम्ब हुआ है किंतु सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर होने से जनमानस में कोई आक्रोश नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मैंने दो सड़कों का उल्लेख किया एक-राष्ट्रीय राजमार्ग और एक अन्य मार्ग । कोरबा-कटघोरा-चांपा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में 149(बी) में धारा 3(ए) का प्रकाश एवं हरदीबाजार-तरदा मार्ग में धारा 11 का प्रकाशन किया गया है या नहीं किया गया है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149(बी) में धारा 3(ए) का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है और तरदा-हरदीबाजार मार्ग में धारा 11 का प्रकाशन वर्तमान तक नहीं हुआ है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब धारा 11 का प्रकाशन ही नहीं हुआ, 3(ए) का प्रकाशन ही नहीं हुआ तो किस अधिकार से आप ग्रामीणों के खिलाफ किस अधिकार से कलेक्टर कार्यवाही करेंगे? कौन अधिकारी, कलेक्टर लिख करके दे रहे हैं कि यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रेता के ऊपर और क्रेता के ऊपर क्यों कार्रवाई होगी? जब आपका अंतिम प्रकाश नहीं हुआ है और अंतिम प्रकाश कितने दिन में करेंगे, यह भी तय नहीं है तो क्यों कार्रवाई करेंगे? क्यों कार्रवाई किया जा रहा है? कृषकों को एफ.आई.आर. की धमकी दे करके क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, उसमें अपराध कायम हुआ है लेकिन उसमें नामजद नहीं है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम हुआ है और प्रताड़ित करने वाली गलत है। कोई प्रताड़ना नहीं की गई है और न प्रताड़ना की जा रही है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एफ.आई.आर. की कापी है, आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा। एफ.आई.आर. की कापी में नाम का उल्लेख है। बाद में नाम का उल्लेख आने लगता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिर्फ विक्रेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. हो रहा है या क्रेताओं के खिलाफ भी एफ.आई.आर. हो रहा है।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न विक्रेताओं के खिलाफ में एफ.आई.आर. हो रहा है न क्रेताओं के खिलाफ में एफ.आई.आर.हो रहा है। इसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम हुआ है और इसमें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं की गई है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। आपने प्रक्रिया पूरी नहीं की। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि यह जो प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, जिसके कारण सड़क नहीं बन पा रही है, पूरे जिले में समस्या आ रही है, केन्द्र सरकार का पैसा आकर के ए.सी.सी.एल. का पैसा उपलबध है। तो प्रक्रिया जो हो रही है, राजस्व विभाग को प्रक्रिया करनी है। यह अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब के लिए जिम्मेदार कौन है और उन पर क्या कार्रवाई हुई है?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, चांपा, कोरबा, छुरी, कटघोरा जो मार्ग हैं, उसमें आपका सेंकेण्ड पेज 149 (बी), इसमें अभी एन.एच.ए.आई. से पूर्ण रूप से डी.पी.आर. नहीं आया है। पहले उन्होंने जो आवेदन दिया था कि वहां प्रतिबंध लगाया जाय लेकिन उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा था। इसके साथ-साथ उन्होंने डिक्लियर नहीं किया क्योंकि बीच में उसका एलाइनमेंट्स कुछ चेंज हुआ है। और एलाइनमेंट चेंज होने की वजह से पूर्ण रूप से वह डी.पी.आर. जमा नहीं किए हैं। तो डी.पी.आर. जमा नहीं हुआ है तो उसके बगैर अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं सकती।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महादेय, माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट आ रहा है, डी.पी.आर. ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप कितने प्रश्न पूछेंगे इसमें?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक-दो प्रश्न पूछुंगा। डी.पी.आर. नहीं बना है। तो डी.पी.आर. नहीं बना है और आपके सक्षम अधिकारी ने अधिग्रहण की कोई कार्रवाई भी नहीं की है। तो जो कृषि का खरीदी-बिक्री कर रहे हैं, उन पर क्यों एफ.आई.आर. की कार्रवाई कर रही है? आप उसको इस एफ.आई.आर. की कर्रवाई से रोकेंगे क्या?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- मैंने बताया न कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। उसमें किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसमें कुछ जो हैं वे न्यायालय भी गये हैं और न्यायालय भी नो कोरोसिव एक्शन का उसमें आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने यह कहा भी है कि जब तक कि इसका निराकरण नहीं होगा, तक तक उसमें किसी प्रकार का एक्शन न लिया जाए। लेकिन साथ में उसमें यह जरूर है कि जो इसमें 3(ए) का प्रकाशन नहीं हुआ है, तरदा-हरदीबाजार में धारा 11 का प्रकाशन नहीं हुआ है और किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 08.10.2020 को तरदा-हरदीबाजार मार्ग में प्रभावित 13 गांवों के क्रय-विक्रय नामांतरण बंटवारा पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया जाता है। जब आपने प्रक्रिया ही पूरी नहीं की तो यह कौन सक्षम अधिकारी है जो आदेश निकाल रहे हैं? आपने प्रक्रिया पूर्ण नहीं की। प्रक्रिया कितने दिन में पूर्ण होगी, यह आपको पता नहीं है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया कितने दिन में पूर्ण होगी? और आप किसानों को बोलते हो कि वे जमीन न बेचे। वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? अगर वह जमीन नहीं बेचेगा तो अपने बेटे को कैसे पढ़ायेगा? आप उसका जमीन बेचने का अधिकार रोक देते हो कि आप जमीन नहीं बेच सकते। आपको यह नहीं पता, राजस्व अधिकारियों को यह नहीं पता कि अधिग्रहण फाइनल अवार्ड कब पारित होगा? कोई पता नहीं कि फाइनल अवार्ड कब पारित होगा? वे आदेश जारी कर देते हैं दिनांक 08.10.2020 को कि इसमें नामांतरण पर रोक लगाई जाती है। इस पर आपने संबंधित अधिनियम धाराओं के तहत कलेक्टर द्वारा रोक लगा दी जाती है। कौन सा धारा है, जिसमें कलेक्टर रोक लगा देगा कि जब तक प्रकाश नहीं हुआ है? आप खुद कह रहे हैं कि प्रकाश नहीं हुआ है। तो जब प्रकाशन नहीं हुआ है तो कौन से अधिकारी हैं या कलेक्टर को यह पावर है कि नामांतरण पर रोक लगा देगा, पंजीयन पर रोक लगा देगा? पांच साल तक यदि अधिग्रहण की प्रक्रिया चलती रहेगी तो किसान कहां जाएगा? क्या किसान फांसी लगा लेगा?

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी।

श्री नारायण चंदेल :- उत्तर आ जाने दो।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- देखिये, कलेक्टर कोरबा द्वारा एडिशनल कलेक्टर के माध्यम से चिट्ठी लिखी गई। लेकिन उसमें रोक नहीं लगी है और उसके बाद भी पंजीयन हुए हैं क्योंकि पंजीयन को इस प्रकार से रोकने का अधिकार नहीं है। जब तक कोई सक्षम न्यायालय या सेक्रेटरी वगैर: होते हैं जैसे मान लीजिए आपका पंजीयन पर रोक लगाई गई थी, उसमें विधिवत सेक्रेटरी ने, मैं स्वयं मंत्री हूं, मुझसे अनुमोदन लेकर उसमें रोक लगाई थी। बीच में जब वह आपके पंजीयन विभाग की तरफ से, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल में यह स्थिति थी कि पंजीयन करने से कोरोना बढ़ सकता था तो विशेष परिस्थिति में रोका जा सकता है लेकिन उसमें एडिशनल कलेक्टर को जो उसमें रोक की चिट्ठी लिखी, उसमें रोक नहीं लगी है और पंजीयन उसमें किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोरबा, कटघोरा, चांपा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विषय है और किसानों से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। लगातार कोरबा कलेक्टर के द्वारा और कोरबा जिले में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या धारा 1/13 ए. के प्रकाशन किये बिना क्या कोई भी पंजीयक, उप पंजीयक किसी भूमि के क्रय-विक्रय विलेख पंजीयक को निष्पादित होने से अस्वीकार कर सकता है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया न कि मैं...।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो पूछ चुका है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। उसमें तरदा-अर्दी बाजार में कलेक्टर के निर्देश पर एडिशनल सेक्रेटरी ने इस चिट्ठी लिखी। लेकिन उसके बाद भी पंजीयन उसमें हुए हैं और उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि पंजीयन में रोक या तो सक्षम न्यायालय लगा सकता है या मंत्रालय की तरफ से जो सक्षम अधिकारी सेक्रेटरी होते हैं विषम परिस्थितियों में वह लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कृष्णमूर्ति बांधी जी, क्या आप भी पूछेंगे ?

श्री नारायण चंदेल :- नहीं-नहीं, फिर कलेक्टर चिट्ठी क्यों लिखा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, थोड़ा-सा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरली क्या होता है कि जो विभाग जैसे मान लीजिए पी.डब्ल्यू.डी. है पी.डब्ल्यू.डी. रोड का निर्माण करती है या एन.ए.आई. रोड का निर्माण करती है तो वह सामान्य तौर पर चिट्ठियां लिख देते हैं कि यहां-यहां पर हम लोग रोड का निर्माण करने वाले हैं इसलिए यहां रोक लगाई जाए। लेकिन उसमें जब विधिवत यह बात आ चुकी है कि जब धाराओं का प्रकाशन नहीं हुआ है तो उसमें रोक नहीं लगाई जा सकती।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कृष्णमूर्ति बांधी जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक ही प्रश्न है। एक तो यह है कि किसानों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां।

श्री नारायण चंदेल :- पंजीयक के खिलाफ में या कलेक्टर के खिलाफ में क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे, एक ? दूसरा विषय, क्या निर्देशों, पत्रों के समाचार पत्रों में ईश्तिहार के माध्यम से प्रसारित किया गया था ? यदि नहीं तो ग्रामीणों को यह जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि कुछ खसरों के क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारे पर रोक लगी। मेरा आपसे सीधा आशय है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और क्या आप सदन में जांच कराने की घोषणा करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि इसमें सिर्फ एक जगह कलेक्टर ने जो चिट्ठी लिखी। कलेक्टर के निर्देश पर एडिशनल कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी। लेकिन उसमें बाद भी पंजीयन हुए हैं और उसको हमने अवैध नहीं माना है तो उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई करेंगे ? और रही बात आपका जो धारा 3 'ए' का प्रकाशन जो आपका कोरबा, कटघोरा जो मार्ग है कोरबा, चांपा, कटघोरा, छुरी मार्ग, उसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि धारा 3 'ए' का प्रकाशन नहीं हुआ है क्योंकि एन.ए.आई. द्वारा डी.पी.आर. अभी तक पूर्ण से जमा नहीं किया गया है जब डी.पी.आर. जमा होगा, तो उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी।

डॉ. कृषणमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में।
बहुत सारे

अध्यक्ष महोदय :- कोरबा की बात चल रही है भैय्या।

डॉ. कृषणमूर्ति बांधी :- कोरबा को ही है। उसी संबंध में है क्योंकि मंत्री जी भी हैं आम बात है कोरबा, कटघोरा, चांपा, जांजगीर का । लेकिन जो राष्ट्रीय मार्ग वाले हैं यह बहुत सारे किसानों का भू-अधिग्रहण कर रहे हैं और उनको पैसा देने में आना-कानी कर रहे हैं। उसमें बहुत-सारे दलाल लग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लीजिए। लेकिन मेरा इस एक प्रश्न है कि क्या यह जो एक भूखण्ड है जिसको टुकड़े-टुकड़े में करके कालोनाइजर लोग जो कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सड़क की बात हो रही है कालोनाइजर की नहीं।

डॉ. कृषणमूर्ति बांधी :- हां, सड़क का है। क्या उसी को टुकड़े-टुकड़े में उसको लेकर रजिस्ट्री कर रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं, इसमें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृषणमूर्ति बांधी :- अब उसके टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं ले रहे हैं क्या उसके लिए अलग-अलग जिलों में अलग-अलग कानून हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिलावाइस कोई कानून नहीं है और टुकड़े में, जो टुकड़े की बात है, इसमें, कोई कालोनाइजर एक्ट की बात ही नहीं है। इस मामले में।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, अभनपुर में रजिस्ट्री हो रही है, लेकिन कोरबा में रजिस्ट्री पर रोक है ।

श्री सौरभ सिंह :- हम दस्तावेज दिखा देंगे कि कोरबा में रजिस्ट्री पर रोक है और अभनपुर में रजिस्ट्री हो रही है तो यह किस तरह का कानून है । आप कोरबा में रजिस्ट्री के लिए रोक लगा रहे हो, वहां के किसानों के ऊपर टुकड़े-टुकड़े जमीन बेचने पर रोक है और अभनपुर में रजिस्ट्री हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरबा आदिवासी जिला है ।

श्री नारायण चंदेल :- तब तो और जल्दी रजिस्ट्री होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- कोरबा आदिवासी जिला है, अभनपुर नहीं है ।

श्री नारायण चंदेल :- वहां तो और जल्दी रजिस्ट्री होनी चाहिए ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, इसमें तो आदिवासियों की भी जमीन गई है । आदिवासी अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं ।

श्री पुरूषोत्तम कंवर (कटघोरा) :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आपके विधान सभा क्षेत्र का है, आप पूछ सकते हैं।

श्री पुरूषोत्तम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण होने से भू अर्जन से प्रभावित किसानों पर एफ.आई.आर. दर्ज किये जा रहे हैं । क्या जमीन खरीदना अपराध है, क्या किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए जमीन खरीद नहीं सकता, या जमीन बेच नहीं सकता, जबकि अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज किया जा रहा है ? यह बहुत गंभीर मामला है । आप संबंधित विभाग को निर्देशित करें कि जो भोले-भाले आदिवासी किसान हैं, ऊनके ऊपर लगे एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करें । धन्यवाद ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी भी बोल रहे हैं कि उनके क्षेत्र का मामला है । किसानों के ऊपर क्यों एफ.आई.आर. कर रहे हैं? अगर एफ.आई.आर. करना है तो जो उपपंयाजक रजिस्ट्री करवा रहे है, उसके खिलाफ कलेक्टर एफ.आई.आर. क्यों नहीं करते ?

<u>(2) जिला-राजनांदगांव, ग्राम पंचायत केरेगांव, थाना डोंगरगांव निवासी द्वारा आत्महत्या किया जाना.</u>

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-ग्राम पंचायत केरेगांव थाना डोंगरगांव विकासखंड छुरिया जिला राजनांदगांव श्री सुरेश कुमार नेताम पिता श्री रमेशर नेताम एक अनुसूचित जनजाति के लघु कृषक थे, जिन्होंने धान पंजीयन के रकबे में कटौती के कारण मजबूर होकर दिनांक 15.12.2021 को आत्महत्या कर ली । तथ्य यह है कि श्री नेताम के पास कुल 3.82 एकड़ कृषि भूमि है तथा बीते अनेक वर्षों से उनका धान रोपणी रकबा 3.24 एकड़ का पंजीयन किया जाता रहा है तथा 3.24 एकड़ धान के आनुपातिक उत्पादन की बिक्री स्थानीय सेवा सहकारी समिति के माध्यम से करते रहे हैं । वर्ष 21-22 में गिरदावली के समय मृतक कृषक श्री नेताम के नाम पर मात्र 1.50 एकड़ क्षेत्र में धान बोने का पंजीयन किया गया । श्री नेताम के ऊपर सहकारी समिति का 45200 रूपए का कर्ज शेष था । इस प्रकार स्पष्ट है कि मात्र 1.50 एकड़ क्षेत्र की गिरदावली एवं पंजीयन से प्राप्त राशि कर्ज के चुकते के साथ-साथ परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं था, फलस्वरूप गरीब आदिवासी युवा किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा । धान के रकबे में गिरदावली के समय जानबूझकर कांग्रेस सरकार के इशारे पर अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में कटौती की जा रही है । मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों की मृत्यु पर अन्य प्रदेश में 50 लाख रूपए मुआवजे का भुगतान किया गया है, इसी अनुरूप मृतक श्री नेताम के परिवार को भी भरण-पोषण के लिए मुआवजा भुगतान एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की मांग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है, किन्तु इस दिशा में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर क्षेत्रीय जनमानस में आक्रोश व्याप्त है ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि ग्राम पंचायत केरेगांव थाना डोंगरगांव विकासखण्ड छुरिया, जिला राजनांदगांव निवासी श्री सुरेश कुमार नेताम पिता श्री रमेशर नेताम एक अनुसूचित जनजाति के लघु कृषक थे, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने धान पंजीयन में रकबे में कटौती के कारण मजबूर होकर दिनांक 15.12.2021 को आत्महत्या कर लिया । यह तथ्य सही है कि श्री सुरेश कुमार नेताम के शामिल खाते में कुल रकबा 3.80 एकड़ कृषि भूमि है तथा बीते वर्षों में उनका धान रोपणी रकबा 3.24 एकड़ का पंजीयन किया जाता रहा है तथा 3.24 एकड़ रकबे के धान का आनुपातिक उत्पादन की बिक्री सेवा सहकारी समिति बादराटोला में करते रहे हैं । वर्ष 2021-22 में गिरदावरी के समय श्री अरूण कुमार, पिंकी वगैरह के नाम पर गिरदावरी के अनुसार 0.825 हेक्टेयर (2.04 एकड़) धान का रकबा खसरे में प्रविष्ट किया गया । गिरदावरी की प्रविष्टि का दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रकाशन किया गया, लेकिन सुरेश कुमार नेताम अथवा अन्य खातेदारों ने कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया ।

समय :
2.30 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

यह कहना सही है कि सुरेश कुमार नेताम के ऊपर सहकारी समिति बादराटोला का रूपये 45,252.80/- (अक्षरी रूपये पैंतालीस हजार दो सौ बावन रूपये अस्सी पैसे) का कर्ज था। लेकिन यह सही नहीं है कि सुरेश कुमार नेताम के धान विक्रय हेतु पंजीकृत रकबा 0.825 हैक्टेयर विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि से कर्ज चुकाने के साथ-साथ परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं था। यह कहना भी सही नहीं है कि इसके फलस्वरूप गरीब आदिवासी युवा किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कहना भी सही नहीं है कि धान के रकबे में गिरदावरी के समय जानबूझकर सरकार के इशारे पर अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में कटौती की जा रही है।

श्री सुरेश कुमार नेताम के परिवार को मुआवजा देने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की मांग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है, किन्तु उक्त कृषक द्वारा की गई आत्महत्या कर्ज से परेशान होकर करना जांच में सही नहीं पाया गया।

विगत तीन वर्षों में जिला राजनांदगांव में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	कुल पंजीकृत संख्या	धान विक्रय करने वाले कृषक	पंजीकृत रकबा (हेक्टेयरमें)	कुल धान खरीदी (क्विंटल में)
1.	2019-20	1,76,441	1,65,275	2,40165.49	67,54,009.10
2.	2020-21	1,96,088	1,86,475	2,56,820.81	76,05,908.80
3.	2021-22	2,11,940	1,96,035	2,70,230.67	82,51,272.00

जिला राजनांदगांव में विगत 3 वर्षों में प्रतिवर्ष पंजीकृत कृषकों की संख्या, धान विक्रय करने वाले कृषकों की संख्या, पंजीकृत रकबा तथा कुल धान खरीदी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अत: कृषकों में आक्रोश होने का तथ्य निराधार है।

डॉ. रमन सिंह :- सभापति महोदय, यह स्पष्ट है कि पूरे छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में 5 सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों के लगातार आत्महत्या करने के पीछे कारण राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग में आपस में तालमेल नहीं होना है। मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि 3.82 एकड़ जमीन उसके पास है, उसके परिवार वालों के पास सहकारी समितियों के बिल हैं, वह लगातार धान बेचता रहा है, कर्ज पटाता रहा है। कर्ज पटाने की वजह से वह आश्वस्त था कि उसके पास जो रकबा है, वह उस पर धान पैदा करता है और उसकी वजह से उसकी गृहस्थी चलती है। जिसके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, कोई व्यक्ति जानबूझकर आत्महत्या नहीं करता है। वह काफी तनावग्रस्त हो गया, वह छोटा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसान था, वह एक आदिवासी किसान था, उसके पास अपने परिवार के पोषण के लिए सिर्फ 3.82 एकड़ जमीन था। मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि उसके रकबे को अचानक 2.04 एकड़ कर दिया गया और उसे उसकी जानकारी भी नहीं हुई। उसके धान की खरीदी होनी थी, सोसायटी में जो धान बेचा रहा था, उसको इन्कार किया गया और तनाव में आकर एयपे आत्महत्या किया, यह मूल विषय है। वहां के जनप्रतिनिधि पिछले 20 दिनों से धरने में बैठे हैं, अनशन में बैठे हैं, उसके परिवार की उसकी विधवा बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं। सरकार का कोई वरिष्ठ जाकर उस महिला से, उस विधवा से बात करें, बच्चों से बात करें, उनके लिए मुआवजा की बात करें। हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि 50 लाख रूपये का मुआवजा बाकी जगहों के किसानों को देते हैं, वहां भी दें। जब रकबा कम हुआ, स्पष्ट रूप से जवाब में यह आ गया कि यह पूरा का पूरा राजस्व के अधिकारियों ने उसके धनहा खेत को भर्री बताकर पूरी तरीके से उसकी धान खरीदी को कम कर दिया गया। जब इस प्रकार की घटनायें, छोटी घटना जरूर लग रही है, परिवार बिखर गया । एक आदिवासी का परिवार, उनके बच्चे आज कहीं के नहीं रहे, आज तक उन्हें कोई मुआवजा राशि, कोई सहायता राशि नहीं दी गई । मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह सहायता राशि देंगे और जिस प्रकार से राजस्व विभाग ने गफलत किया है, उसकी जांच कराके दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, पूरे क्षेत्र में इसके खिलाफ आक्रोश है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत रकबा है, उसमें 0.825 हेक्टेअर से 22 क्विंटल धान बेचा गया है । 8 क्विंटल का अतिरिक्त धान बेचा जा सकता था । माननीय सभापति जी, मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से मुआवजा की बात है, आत्महत्या में मुआवजा का प्रावधान नहीं है । यह अलग बात है कि जनप्रतिनिधि लोग अपने-अपने क्षेत्र में जो घटनायें घटती है, वहां अपनी तरफ से किसी परिवार को मदद करते हैं, वह अलग बात है । विधायक, सांसद जो भी रहते हैं, वह करते हैं । इसमें मुआवजा का प्रावधान नहीं है । बकायदा इसमें गिरदावरी हुई है, गिरदावरी के मुताबिक सही गिरदावरी हुई है, उसके साथ जांच टीम ने जांच किया, इसमें अपर कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा जांच की गई है । उसमें आत्महत्या बताया गया । रकबा की वजह से आत्महत्या की गयी है, ऐसी जांच रिपोर्ट में नहीं आई है । बल्कि इसके पहले पुलिस की जो जांच है, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा दिनांक 8-3-2022 को विधानसभा सेल को प्रेषित विभागीय टीम ने उल्लेख किया है, सुरेश कुमार नेताम पूर्व में भी आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका था, मृत्यु में शराब का सेवन करना डॉक्टर द्वारा उल्लेख किया गया है ।

डॉ.रमन सिंह :- वह इतना टेंशन में था, इतना परेशानी में था, एक छोटा सा गरीब किसान जिसकी आजीविका का एकमात्र उतना ही साधन है, उसके साथ राजस्व में इस प्रकार से हेराफेरी होती है, गिरदावरी में गड़बड़ किया जाता है । कोई आत्महत्या कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे शौक है कि

आत्महत्या कर रहा है । उसकी आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी थी, सवाल इस बात है कि ऐसे प्रकरण को विशेष प्रकरण मानकर उनको मदद मिलना चाहिये । उनके बच्चे छोटे हैं, दूसरा इसमें मैं फिर से कहूंगा कि एक बार पुन: उन सारे विषय की सक्षम अधिकारी से जांच करा लें, ताकि यथार्थ सारे तथ्य उन्होंने रखे हैं, वह क्लियर हो जाये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पहली बात जांच हो चुकी है, आप चाहते हैं तो सक्षम अधिकारी से इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरप्रदेश जाते हैं और 50 लाख रूपये देकर आते हैं, मेरा निवेदन है कि किसान ने जो आत्महत्या किया है, क्या मंत्री जी 50 लाख रूपये की घोषणा करेंगे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने पहले बताया है कि आत्महत्या में प्रावधान नहीं है । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद महोदय हैं या और कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रभारी मंत्री कोई भी चाहे तो उनकी मदद कर सकता है । उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है ।

श्री पुन्नूलाल मोहिले :- आप मदद करेंगे ना । आप भी बोल सकते हैं ना । घोषणा करने से क्या है, मदद तो आप करेंगे । चाहे तो आप घोषणा कर सकते हैं। आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बता दीजिए ।

सभापति महोदय :- संतराम नेताम जी ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ । मेरे विधान सभा का ही मामला है । आदरणीय डॉ. साहब आत्महत्या के बारे में बोल रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ कि एस.डी.एम. साहब भी मेरे साथ गये थे, मैं भी वहां गई थी । उनका कुल खेत था, 3 एकड़ 80 डिशमिल । इसमें 2 एकड़ 4 डिशमिल का पंजीयन हुआ था, 1.72 डिशमिल बचा था । 1.72 डिशमिल में उन्होंने धान नहीं बोया था, जिसका विडियो है, उन्होंने खुद कहा है कि धान उगाया ही नहीं है । 2 एकड़ 4 डिशमिल का पंजीयन हुआ था, जिसमें महिला ने 22 क्विंटल धान बेचा है । उसमें 8 क्विंटल और धान बेच सकती थी, लेकिन नहीं बेचा गया । किसान कोई पीड़ित था, ऐसी आत्महत्या वाली बात नहीं है । गांव वाले भी बयान दिये हैं कि कर्जा से धान नहीं बेच पा रही थी, इसलिए आत्महत्या किया है, ऐसी कोई बात नहीं थी । मेरा विधान सभा है, मैं खुद वहां एस.डी.एम. साहब के साथ पहुंची थी ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही माननीय डॉक्टर साहब के बोलने पर जांच की घोषणा कर दी है, जो जांच पहले हुई है, पुलिस ने भी जांच की है, एडिश्नल कलेक्टर ने भी जांच की है, उसके भी हम और उसकी फिर से जांच करा देंगे।

ध्यानाकर्षण संख्या : 03 **XX**[6]

(4) बलरामपुर एवं रामानुजगंज के भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा तालाब निर्माण कराकर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का आहरण किया जाना।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- बलरामपुर एवं रामानुजगंज के भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों के द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय राशि का आहरण कर शासन को करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन, प्रशासन को अनेक शिकायतें की गई हैं, फिर भी कार्यवाही न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। विगत तीन वर्षों में कृषि विभाग में पूरे छत्तीसगढ़ के बजट से लगभग 30 प्रतिशत राशि विभाग के अधिकारियों द्वारा बलरामपुर/रामानुजगंज को आबंटित कराकर फर्जी बिल व्हाउचर प्रस्तुत कर करोड़ों रुपये का आहरण किया गया है। रामानुजगंज एवं अंबिकापुर जिले में आबंटित बजट का 90 प्रतिशत कार्य इन्हीं अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। ग्राम लहकुद विकासखंड राजपुर में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लघु सिंचाई तालाब निर्माण हेतु क्रमश: 39.31 लाख एवं 39.74 लाख रुपये स्वीकृत कराकर केवल एक ही तालाब का निर्माण कर दो तालाबों की राशि आहरित कर ली गई है। ग्राम पिपरसोत विकासखंड बलरामपुर, ग्राम नरसिंगपुर विकासखंड राजपुर में लघु सिंचाई तालाब निर्माण हेतु 39.98 लाख एवं 30 लाख रुपये का आहरण किया गया। यहां तालाब का निर्माण न कर पुराने तालाब निर्माण दर्शाकर फर्जी तरीके से बिल व्हाउचर प्रस्तुत कर राशि हजम कर ली गई है। ग्राम देवसराकला विकासखंड शंकरगढ़ में लघु सिंचाई तालाब निर्माण हेतु 39.98 लाख बिना कार्य के फर्जी बिल व्हाउचर प्रस्तुत कर राशि का आहरण किया गया है। ग्राम लवकशपुर विकासखंड कुसमी, ग्राम जोकापाट विकासखंड शंकरगढ़ जिला बलरामपुर में भी इनके द्वारा आधा अधूरा अथवा बिना कार्य किये फर्जी बिल व्हाउचर प्रस्तुत किये गये हैं। इस विभाग के कथित अधिकारी पर लूंड्रा थाने में वर्ष 2009 में अपराध क्रमांक 61/09 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 34 भादवि के अपराध पंजीबद्ध है। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के द्वारा वर्ष 2007-08 में अपराध क्रमांक 22/07 धारा 3 (1) ई-13(2) पीसी एक्ट 1998 के तहत अपराध दर्ज है। इन अधिकारियों ने अनियमितता कर आय से अधिक संपत्ति प्राप्त कर लिया है। इसके बावजूद इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न होने से इनके हौसले बुलंद है। इन पर कार्यवाही न होने से क्षेत्र की जनता उद्देलित है तथा उनमें भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है|

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय,यह सही है कि जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में भूमि संरक्षण कार्यों में फर्जीवाड़े संबंधी शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। इन

[6] [XX] अनुपस्थित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र./अ-7-ब/शिका./23-19/3319 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा संयुक्त संचालक कृषि संभाग सरगुजा को जांच हेतु निर्देशित किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में संयुक्त कृषि, सरगुजा के पत्र क्र./2020-21/436 दिनांक 11.06.2020 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी के पत्र क्रमांक 1/2020-21/219 दिनांक 17.11.2020 द्वारा जांच प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक कृषि को प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन तथा इस पर संभागीय संयुक्त संचालक कृषि का अभिमत पत्र क्र./स्था./अ-1/2020-21/1495 दिनांक 01.12.2020 द्वारा संचालनालय को प्रेषित किया गया। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम लदकुड़ विकासखंड राजपुर में दो लघुत्तक सिंचाई तालाब निर्माण हेतु क्रमश: रू. 39.31 लाख एवं रू. 39.74 लाख स्वीकृत कराकर मात्र 1 तालाब निर्माण कराने संबंधी आरोप सत्य नहीं है। इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 58 दिनांक 13.04.2018 के अंतर्गत ग्राम लदकुड़ में 1 तालाब निर्मित कराया गया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की वजह से संचालनालय के संशोधित आदेश क्र./पी.ए.सेल/2017-18/59 दिनांक 10.07.2017 के अनुक्रम में एक अन्य तालाब का निर्माण ग्राम कवडु में कराया गया है। इस प्रकार पृथक-पृथक ग्रामों में पृथक-पृथक लघुत्तम सिंचाई तालाबों का निर्माण कराया गया है, जिसका लाभ संबंधित ग्रामों के हितग्राही प्राप्त कर रहे हैं।

जहां तक विभाग के अधीन प्रदेश के बजट का लगभग 30 प्रतिशत जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को आबंटित किये जाने की बात है तो यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि लघुत्तक सिंचाई तालाबों के निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं तथापि वर्ष 2017-2018 में लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्मण हेतु प्रदेश के कुल बजट राशि रू. 2000 लाख में से रू. 366.55 लाख (लगभग 18 प्रतिशत), वर्ष 2018-19 में कुल बजट राशि रू. 1784.22 लाख में से रू. 389.89 लाख (लगभग 22 प्रतिशत) तथा वर्ष 2019-20 में कुल बजट रू. 2500 लाख में से रू. 391.07 लाख (लगभग 16 प्रतिशत) ही जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को आबंटित किया गया।

ग्राम पिपरसोत, विकासखंड बलरामपुर एवं ग्राम नरसिंहपुर विकासखंड राजपुर में पुराने तालाब को दर्शाकर पूरी राशि आहरण कर लेने संबंधी आरोप भी स्थल निरीक्षण में सही नहीं पाया गया अपितु नये सिरे से निर्माण कराया जाना पाया गया। ग्राम लवकशपुर विकासखंड कुसमी एवं ग्राम जोकापाट विकासखंड शंकरगढ़ में कार्य पूर्ण होने एवं कृषकों द्वारा संरचना का उपयोग किया जाना पाया गया।

ग्राम देवसराकला विकासखंड शंकरगढ़ में लघु सिंचाई तालाब निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी परंतु कार्य नहीं कराया गया है, न ही किसी प्रकार की राशि आहरण कर व्यय किया गया। इस प्रकार फर्जी तरीके से बिल व्हाउचर प्रस्तुत कर राशि आहरण करने संबंधी शिकायत भी निराधार पायी गयी। समरूप शिकायतों की जांच हेतु कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के स्तर से भी अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई जिसमें कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग

रामानुजगंज, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं सहायक कोषालय अधिकारी सम्मिलित थे। इस समिति द्वारा भी विवेचना, स्थल निरीक्षण एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत निष्कर्ष दिया गया है कि विषयांकित संबंध तमें की गई शिकायत बेबुनियाद एवं पूर्णत: निराधार है। वर्तमान में सभी निर्मित संरचनाओं का उपयोग अवर्षा की स्थिति में सुरक्षात्मक सिंचाई हेतु किया जा रहा है।

लुंड्रा थाना में वर्ष 2009 में दर्ज अपराध क्रमांक 61/09 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. के अपराध पंजीबद्ध है जो माननीय न्यायालय अंबिकापुर में विचाराधीन है।

वर्ष 2017-18 में प्रकरण क्रमांक 22/7 धारा 3(1) ई-13 (2) पीसी एक्ट 1998 के तहत अपराध प्रकरण माननीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय जिला न्यायालय अंबिकापुर में विचाराधीन है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं में अनियमितता बररते हुए आय से अधिक संपत्ति प्राप्त करने संबंधी कथन तथ्यात्मक नहीं है। विभाग द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इनकी नियमानुसार जांच करवायी जाती है अत: यह कहना सही नहीं है कि अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से कृषक संतुष्ट है अत: क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का असंतोष एवं आक्रोष व्याप्त नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया कि शिकायतें प्राप्त हुई थी। माननीय मंत्री जी सरपंचों ने एफीडेविड दिया है और उसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने इतनी शिकायतें की हैं। जो जांच की गयी है वह गलत जांच की गयी है। उसके बाद आप देखेंगे कि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, अभी आपने धारा बताई, वर्ष 2017-18 में, वर्ष 2009 में दर्ज अपराध क्रमांक 61/9, धारा 420 , 409, 467, 468, 471, 34 भादवि के अपराध पंजीबद्ध है, जब आपने उसका चालान पेश किया होगा, उसकी गिरफ्तारी की गई होगी तो क्या गिरफ्तारी के बाद उनको निलंबित किया गया या नहीं ?

श्री उमेश पटेल :-माननीय सभापति महोदय, माननीय न्यायालय में परिवारवाद लगा और उसके कारण से पुलिस ने यह धारा लगायी। लेकिन गिरफ्तारी से पहले विभाग से अभियोजन माना जाता है और चूंकि जो ज्वाईंट डायरेक्टर के लेवल पर जांच करायी गई और उसमें यह सारे तथ्य गलत पाये गये। इसलिये यह अभियोजक उनको दिया ही नहीं गया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप देखें कि कितनी गंभीर धाराएं हैं। धारा 420 कम गंभीर धारा है, उसमें अरेस्टिंग हुई होगी, कितने दिनों तक जेल में बंद रहे, कब जमानत हुई और बाद में आपने उस पर क्या कार्यवाही की ? वह अधिकारी वहीं के वहीं जमे हैं। क्या वजह है ? उनको कौन बचा रहा है, उनको कौन संरक्षण दे रहा है। देखिए, वर्ष 2017-18 में प्रकरण क्रमांक 22/7 में धारा 3(1) ई-13(2) पीसी एक्ट 1998 के तहत अपराध प्रकरण माननीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय जिला न्यायालय अंबिकापुर में विचाराधीन है। इतने गंभीर अपराध हैं तो उस पर कार्यवाही क्यों

नहीं हो रही है? आखिर उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं? उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया है? सरपंचों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत करने के बाद आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो कब कार्यवाही करेंगे? आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। इसमें आपके ध्यानाकर्षण के विषय में ही टोटल 4 शिकायतों का आपने भी उल्लेख किया है और आपने 2 केस के बारे में उल्लेख किया है। इन सब के लिए जांच समिति का गठन किया गया था, जिसका दिनांक 5.06.2021 है, अपर कलेक्टर बलरामपुर, कार्यपालन अभियंता रामानुजगंज, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रामानुजगंज, सहायक कोषालय अधिकारी बलरामपुर, इन सब की टीम ने जाकर वहां जांच की और जांच में भौतिक परीक्षण करने पर यह पाया गया कि सारी जो शिकायतें उनके खिलाफ प्राप्त हुईं हैं, वह तथ्यहीन है इसलिए उसके ऊपर कार्यवाही नहीं बनती।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जब शिकायतें तथ्यहीन हैं तो अपराध किस बात का चल रहा है? यह धारा 420 क्यों लगी है, जब शिकायतें सही नहीं है तो धारा 420 की कैसे लगी? उनके ऊपर 2-2 प्रकरण चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी मैं जानना चाहता हूँ कि उनको संरक्षण कौन दे रहा है? आप यह बतायें कि क्या इनको निलंबित करेंगे, इनको हटायेंगे? एक ही अधिकारी, वही अधिकारी, उसी सीट में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विभाग सो रहा है, विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जांच भी जो की गई है, वह गलत जांच हुई है क्या आप दुबारा जांच करायेंगे? क्या आप अधिकारी को हटाकर जांच करायेंगे? वह सारे साक्ष्यों को प्रभावित कर रहा है, उन पर प्रकरण, मुकद्में चल रहे हैं, विचाराधीन है उसके बाद कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और उनकी चिंता वाजिब है । जब इस तरह के केस सामने आये तो विभाग ने इनको निलंबित किया था। निलंबित करने के बाद, जब इनको जमानत मिली और इनको विभाग ने विभागीय बहाल किया, जब इनको जमानत मिल गई और अभी न्यायालय में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो बेल मिलने में बाद इनको बहाल किया गया और जैसे ही न्यायालय का जो आदेश रहेगा, उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय :- हो गया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जब किसी को निलंबित करते हैं तो उसी जगह पोस्टिंग थोड़ी करते हैं। उनको वहां क्यों रखे हैं, वह साक्ष्य को प्रभावित कर रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप उनको हटायेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप चाहते है कि उनको उस जगह से हटाया जाए?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल, उस जगह से हटाईये। उनको हटाना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि सत्यनारायण शर्मा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और उनका कहना है कि यह जांच को प्रभावित कर सकते हैं तो मैं घोषणा करता हूँ कि उनको तुरंत उस जगह से दूसरी जगह किया जाये।

सभापति महोदय :- ठीक है। हो गया।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्रभावी क्षेत्र जो बजट का 16, 18 प्रतिशत एक ही जिले में हो रहा है जबकि दूसरा क्षेत्र, बस्तर भी पठारी क्षेत्र है तो उसी क्षेत्र में लगातार 3-4 वर्षों राशि खर्च हो रही है, मैं यह जानना चाहता हूँ।

समय :
2:55 बजे

नियम 267 'क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्री नारायण चंदेल
3. श्री शैलेश पाण्डे
4. श्री सौरभ सिंह
5. श्री अरूण वोरा

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, प्रदेश अध्यक्ष जी बोलने के लिए खड़े हुए थे, आपने उनको प्रश्न करने नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष को कम से कम प्रश्न करने के लिए मिलना चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए।

समय :
2:55 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 10, अंबिकापुर के सदस्य श्री टी.एस. सिंहदेव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-10, अंबिकापुर के सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा मार्च-2022 सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2022 से 16 मार्च, 2022 तक अनुपस्थित रहने की सूचना दी गयी है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

अपरिहार्य कारणों से मैं पंचम विधानसभा के तेरहवें सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2022 से 16 मार्च, 2022 तक के कार्यदिवसों में सदन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-10, अंबिकापुर, के सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव को वर्तमान सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2022 से 16 मार्च, 2022 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाए ?

मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(अनुज्ञा प्रदान की गई)

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, सहमति लेने से पहले सुन तो लीजिए। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, इस सदन के वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थिति की सूचना दी है। सदन को पता तो करना चाहिए कि वे किस कारण से अनुपस्थित रहेंगे ? पहले भी एक घटनाएं यहां घटित हो चुकी है। विधानसभा में सारा विषय आ चुका है।

सभापति महोदय :- चलो, दिखवाएंगे।

समय :
2:56 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक- 11 मार्च, 2022 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की :-

अशासकीय विधेयक क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्र.-01, सन् 2021)	**श्री सत्यनारायण शर्मा**	**05 मिनट**

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक - 02)	**श्री धरमलाल कौशिक**	**45 मिनट**
(क्रमांक - 05)	**श्री अजय चंद्राकर**	**45 मिनट**
(क्रमांक - 01)	**श्री शिवरतन शर्मा**	**25 मिनट**
(क्रमांक - 9,10)	**श्री गुलाब कमरो/श्री अजय चंद्राकर**	**30 मिनट**

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
2:58 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्री मोहन मरकाम
3. श्री सौरभ सिंह

समय :
2:58 बजे

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन

सभापति महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होगा।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि :-

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए अपने में से क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है :-

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3) नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीस वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए अपने में से क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 09 माननीय सदस्यों का निर्वाचन</u>

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिये अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।"

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिये अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2022-2023 की अवधि हेतु क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

सभापति महोदय :- गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को लोकलेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई । समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में **सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022** को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा **मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022** को **अपराह्न 1.30** बजे से विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना **बुधवार दिनांक 16 मार्च, 2022** को **अपराह्न 1.30 बजे** तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान **सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022** को **प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक** विधानसभा भवन स्थित **समिति कक्ष क्रमांक-2** में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

सभापति महोदय :- अब वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी । श्री अजय चंद्राकर ।

समय :
3.02 बजे

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज चर्चा स्थगित कर दीजिये । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि एक साल के बजट के लिये आसंदी पर कौन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बैठेगा ? सभापति तालिका के अध्यक्ष जी बैठेंगे या उपाध्यक्ष जी बैठेंगे यह मेरा विषय नहीं है । सत्तारूढ़ दल में कौन लिखेगा यह मैं जानता नहीं हूं ? मंत्री, विधायक, सचेतक कौन है यह मैं जानता नहीं हूं । यानी इतनी अगंभीरता एक साल के बजट के लिये सरकार की ओर से इससे पहले मैंने 20 वर्षों में नहीं देखी । अधिकारियों में यदि वरिष्ठ कहें तो सचिव महोदया हैं, चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं बाकी कोई नहीं है तो आज चर्चा करवाने का कोई मतलब नहीं है।

यदि मुख्यमंत्री जी आ जायें ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- प्रशासन में चीफ सेक्रेटरी के बाद और कौन वरिष्ठ होता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप किसी से भी पूछ लीजिये, कोई नहीं है ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, इनमें हताशा है तो क्या करेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं । माननीय अकबर जी आप वरिष्ठतम मंत्री हैं । आप बता दीजिये कि मैं जो बोल रहा हूं वह सही है कि गलत है ? आप साल का बजट पारित करने जा रहे हैं ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- सब हैं, नोट करेंगे । आप चिंता मत करिये, आप शुरू तो करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- केवल नोट भर करने से गरिमा और परंपरा का पालन हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद अकबर :- जवाब भी देंगे । आप प्रारंभ करिये न ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय टी.एस.सिंहदेव जी को बोलिए, वे आ जायें हम लोग उनका स्वागत करेंगे । शर्माएं मत, चुनाव में जीत-हार तो लगी रहती है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नइ बोलना हे तो बईठ जा, हमर मोहन मरकाम जी तैयार हे ।

श्री अजय चंद्राकर :- देखिये, इस पक्ष के लोग आपकी बात को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं । आप उधर देखकर बोलिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नइ लेवच ता मत ले । नइ बोलना हे तो जबर्दस्ती काबर अइसनहे करत हस । माननीय सभापति जी, ऐ हा समय ला खराब करत हे ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चंद्राकर जी, ऐसा है कि डहरिया जी खैर के खूंटा है ।

सभापति महोदय :- चलिये, शुरू करने दीजिये ।

(श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने चर्चा में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर एहसान किया इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं । आप तो सबसे सीनियर हैं, इसी उपस्थिति, इसी गरिमा में साल भर की बजट चर्चा शुरू हुई है यह आप जानते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, रावण कहा करता था कि मैं सोने में सुगंध ला दूंगा, मैं आग से धुंआं हटा दूंगा । मैं सागर के जल को मीठा कर दूंगा ।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सागर के पूरे जल को पी जाउंगा। (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, विषय के बीच में टोका-टाकी न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या है मेरी टिप्पणियां बहुत तल्ख रहती हैं। ये रोने लग जायेंगे यदि मैं अपनी औकात में आ जाउंगा तो।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, हंसाना है। हंसाना है।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- नहीं-नहीं ऐसा मत करिएगा।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- आप अपने औकात में ही रहिए। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- आपके हालात ठीक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- हम आपकी औकात को जानते हैं। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आप अपनी औकात में रहिए।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- उत्तेजक हो जाते हैं। पता नहीं क्या-क्या खाकर आ जाते हैं।

श्री अरूण वोरा :- आपके हालात ठीक नहीं हैं। उत्तेजक की कोई दवाई है क्या कम करने की।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने रावण की ये उक्तियां आपको इसलिए बतायी। कांग्रेस शासन, कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसा ही कुछ हैं कि हम दिवास्वप्न देख रहे हैं। हम मृग-मरीचिका में इधर-उधर दौड़ रहे हैं कि कहीं पानी मिल जाये। आज चुनाव का रिजल्ट आ गया। कांग्रेस मॉडल, विकास का मॉडल। जिसको कांग्रेस के विकास का मॉडल बोलते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये जानते हैं कि कोई योजना सरकार लांच करती है, केन्द्र सरकार लांच करती है, कोई भी सरकार लांच करती है तो इस तरह से क्रियान्वित होगा, ये उद्देश्य है, ये कार्यक्रम है, ये उपलब्धता है, इसका कार्यकाल इतना है, इसका वित्त पोषण इस तरह से है, ऐसा बताया जाता है। जो मैं अपनी छोटी बुद्धि से समझता हूं। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री देखते हैं या कृषि मंत्री देखते हैं या गृह मंत्री देखते हैं। 13 मंत्री में कौन देखते हैं मुख्यमंत्री समेत, मैं नहीं जानता कि ये सुराजी गांव क्या होता है ? क्योंकि सुराजी गांव की किसी अवधारणा पर आज तक विधान सभा में कोई बहस ही नहीं हुई। सरकार ने कोई प्रतिवेदन की तरह रखा नहीं। कोई बजट में बताया नहीं है कि हम अभिसरण के इतनी चीजों को सुराजी गांव बोलते हैं। ये-ये गांव अब गांजे का गढ़ बन रहा है। गांजा बेचना सुराजी गांव का प्रथम स्टेप है। कुरूद में एक घटना घटी। एक कांग्रेसी के पास गया, उसने 10 हजार रूपया मांगा, फिर वह 5 हजार रूपये में दूसरे के पास सेट हो गया। आखिर में तीसरे ने 2 हजार रूपये में उसका काम किया तो सुराजी गांव में यह है क्या कि आप लोग पैसा देंगे, मोल-भाव करेंगे तो उससे आपका काम होगा। ये सुराजी गांव के दूसरे स्टेप हैं। मैं अभी भी बैठ जाता हूं। मुझे सुराजी गांव के अर्थ समझा दें। दायरा समझा दें। उपलब्धि समझा दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उद्देश्य समझा दें। वर्ष समझा दें। कार्यावधि समझा दें। आप बजट व्यवस्था समझा दें। ये जांच का विषय है। केबिनेट बजट को अनुमोदित करती है। आप कुछ भी नहीं लिख देंगे कि सुराजी गांव योजना ऐसी है करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कही नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दरूवा बाड़ी। दरूवा बाड़ी बोलो न उसे। दरूवा।

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढिया होही ओला ही पूरा मालूम होही अब ते अपन मन से कुछ अउ बोलबे तो नहीं बता सकन हमन।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मैं आपकी तरफ आउंगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं आ रहा हूं। आप मुझे बता सकते हैं। मैं भाषण रोक दूंगा। मैं बोल दूंगा। हम सर्वसम्मति से पारित कर देंगे कि इन चारों घटकों के लिए हमने बजट में इतना पैसा रखा है। यह मुख्यमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और उसके क्रियान्वयन का डिपार्टमेंट कौन है ? मैंने उस दिन भी अभिभाषण में बोला था। एक दिन बोल दिया। ग्रामीण विकास विभाग इसका संचालन करेगा, फिर नहीं मालूम क्या हुआ ? अब कृषि विभाग इसका संचालन करेगा। परसों आ जायेगा रूद्र गुरू जी संचालन करेंगे। आप विधान सभा में क्या बोल रहे हैं ? क्या बोलना चाहिए ? बजट की क्या गंभीरता होती है ? मुख्यमंत्री के पद की क्या विश्वसनीयता होती है ? संसदीय कार्य मंत्री के पद की क्या विश्वसनीयता होती है ? माननीय सभापति महोदय, बहुत आरोप लगते हैं कि केन्द्र सरकार पैसा काट रहा है, ये हो रहा है, वह हो रहा है, निपोरचांदी हो रही है ।

श्री उमेश पटेल :- ये क्या कर रहे हो भाई आप ? (व्यवधान) सभापति जी इसको विलोपित कीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति जी, इनको दंडित करिये । ये नहीं होना चाहिए, ये किसी को भी कुछ भी बोलेंगे, यह गलत बात है । (व्यवधान) एकदम असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग वर्जित है । आप गाली देंगे, आप गाली बकेंगे, आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो क्या कुछ भी कहेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैंने आग्रह किया था कि क्या छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से शब्द असंसदीय हैं इनकी शब्दावली निकालिए ।

श्री अमरजीत भगत :- ये संसदीय कार्यमंत्री रह चुके हैं, इनको [XX][7] आनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, आपने अनुमति नहीं दी है फिर भी ये कैसे खड़े हो गए ?

सभापति महोदय :- बैठिये मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इन्होंने असंसदीय शब्द कहा है, आप बोल क्या रहे हो?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे निपोरचंद, निपोरचांदी ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बोल क्या रहे हो ? आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हो । आप आम लोगों के सामने क्या दिखाना चाहते हो ?

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

---

7 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह छत्तीसगढ़ी में असंसदीय नहीं है ।

श्री नारायण चंदेल :- कौल-शकधर में असंसदीय नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं शब्द वापस लूंगा ही नहीं ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया ? जानबूझकर किया ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, प्लीज ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री लोग इंटरप्ट करेंगे तो कैसे चलेगा ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इस प्रकार स्तरहीन शब्दों का प्रयोग कदापि उचित नहीं है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, दिखवा लूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मान लो निपोर चंदोर इन्होंने बोला है तो ये असंसदीय है तो आप बता दीजिए कि कहां पर असंसदीय है ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग इतनी बातें बोलते हैं, हम लोग कभी आपत्ति करते हैं क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- निपोर चंदोर में क्या आपत्ति है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप छत्तीसगढ़ी में असंसदीय शब्दों की विधान सभा में शब्दावली तैयार कर लो फिर मैं माफी मांग लूंगा, वापस ले लूंगा ।

सभापति महोदय :- चलिए, भविष्य में ऐसे शब्दों का उपयोग न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- निपोरचांदी छत्तीसगढ़ का मुहावरा है ।

सभापति महोदय :- बात संसदीय, असंसदीय की नहीं है लेकिन भविष्य में ऐसे शब्दों का उपयोग न करें ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय बोल रहे हैं कि माफी मांगे या फिर इनको मुर्गा बनाइए (हंसी)।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं । मंत्री जी बैठिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह आम बोलचाल की भाषा है, अब आप इसका बुरा मान रहे हैं । बोलचाल की भाषा है, अगर गलत है तो आप बता दीजिए कहां पर लिखा है ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी शुरू कीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कुल बजट का आयोजन है 1 लाख 4 हजार 0.3 करोड़, फिर मैं बजट पुस्तिका को पढ़ूंगा । अभी यह जो वित्त सचिव के स्मृति पत्र को पढ़ रहा हूं । राजस्व व्यय 88,371.69 करोड़, समझ लीजिए 84.97 प्रतिशत राजस्व व्यय है । पूंजीगत व्यय 15240.69 करोड़, 15 प्रतिशत के आसपास, यदि इस सरकार में नैतिकता है तो 3 साल में पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की प्रशासकीय स्वीकृति दी है, यदि नैतिकता है तो यह सदन को बताना चाहिए । यदि नहीं, तो मैं जब आगे पढ़ूंगा तो बजट के शब्दों में भी जांच की मांग करूंगा । यह जांच के लायक विषय है, कैसे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टाइप हुए और केबिनेट ने कैसे अनुमोदित किया ? माननीय सभापति महोदय, केन्द्र से जो प्राप्ति है वह 44 हजार 573 करोड़ है। 1 लाख 4 हजार करोड़ का केन्द्र सरकार की जो आलोचना होती है उसको आप आगे सुनियेगा। केन्द्र से प्राप्त है 44 हजार 573.25 करोड़ यानि 42 प्रतिशत के आसपास है। राज्य के राजस्व है 44 हजार 500 करोड़ यानि 42 प्रतिशत। तो यह मान ले कि केन्द्र और राजय का आधा-आधा बजट है और बाकी ऋण अन्य स्त्रोतों से जो भी स्त्रोत होंगे। अब यह बतायें कि 15 प्रतिशत पूंजीगत व्यय अर्थात् वह राज्य बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। आपको एक उदाहरण बता देता हूं माननीय एकमात्र विद्वान सदस्य। आज पंजाब का चुनाव परिणाम आया है। कौन सी पार्टी की सरकार आई है, इसको ईमानदारी से मैं नहीं जानता हूं। 1986 तक पंजाब सरप्लस स्टेट था। आज की स्थिति में पंजाब का घाटा लगभग बजट के 45 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। हम लगभग 29-30 प्रतिशत पहुंच रहे हैं। पंजाब के पास सांस लेने तक के लिए पैसे नहीं है, यह स्थिति पंजाब की है। उसका कारण यह है कि जो भी नेतृतव रहा हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। वहां सरकारें बदलती रही, पॉकेट से निकालकर बांटते रहे। जो केजरीवाल की सरकार शायद पंजाब में आ रही है। दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, मेट्रो में महिलाएं फ्री, ये चीजें फ्री, खाना फ्री, दाल फ्री, जितने प्रकार का फ्री होते हैं, आज पंजाब सरकार का कर्जा जो है, वह मैंने बताया न कि यह फ्री के सिस्टम में सब खत्म हो गया है। अब यह सरकार जो बोलती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़। मैं गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ मॉडल का हश्र देखा हूं। मैं और भी जातियों का नाम बता दूंगा, गुजरात को छोड़ दीजिए। पारसी जाति। जो उद्यमशील समाज, जो उद्यमशील देश रहा। हमारे साथ 1947 में जापान बर्बाद हो गया था। जापानी माल को पूरी दुनिया नहीं लेती थी। हम 1947 में स्वतंत्र हुए। वह अब चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कारण एक है उद्यमशीलता। आज लोग इतने वर्कोहॉलिक हो गये हैं कि घर जाने के बजाय कार में बैठ कर काम करते हैं, घर में डिस्टर्ब होता है कह कर। सरकार चिंतित है कि जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, परिवार के घटक कैसे रहेंगे, धर्म कैसे सुरक्षित होगा, ये इतना कमा कर क्या करेंगे? इतना सा देश जिसने रूस पर भी शासन किया, जिसने रूस पर भा शासन किया और वह द्वितीय विश्व युद्ध में एक पक्ष का नेतृत्व कर रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे विद्वान मंत्री निश्चित रूप से मुझे अकबर जी की आलोचना करनी अच्छी नहीं लगती पर आज मुख्यमंत्री जी नहीं है तो मैं उनको यह बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ की बर्बादी का पूरा श्रेय सदन में उपस्थित है, जो बर्बाद करने की ओर ले जा रही है, उसको मैं रविन्द्र चौबे जी के ऊपर डालता हूं। इसलिए डालता हूं कि इस राज्य की उद्यमिता फ्री बांटरकर सब्सिडी की व्यवस्था पूरी दुनिया से खत्म हो रही है। हम सरकार को ज्यादा पैसा देंगे। यूरोप और पिश्चम के देश आगे क्यों बढ़ा है क्योंकि वे कहते हैं कि अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम ज्यादा पैसा देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे, यूक्रेन में आज बाहर से आ करके युद्ध लड़ रहे हैं। 15 हजार यूक्रेनी जो दुनिया में है, वह यूक्रेन में आ गये हैं। यह होता है राष्ट्र प्रेम, देश

प्रेम होता है। मैने आपको रावण की चार उक्तियां बताई न कि छत्तीसगढ़ में उद्‌यमशीलता समाप्त कर दी गई और नशे में डूबों दी गई। आपको इनकम है अच्छी बात है। मैं भाई साहब को हमेशा बोलता हूं मेरे साथ कुरूद चलिये जहां से चाहेंगे मैं वहां आपको दारू पिला दूंगा। मैं कई बार बोलता हूं। चौबे जी ही तो एकमात्र आलोचना के लायक आदमी बचे हैं, जो समझ जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चौबे जी, आप जायेंगे क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, वे दारू की व्यवस्था करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे उनके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब दूसरा खतरा 42 हजार, 44 हजार 500 करोड़ रूपये राज्य का राजस्व है। अब इसमें वेतन भत्ते 1 नंबर में लिखा है। चाहे तो आप पृष्ठ क्रमांक-4 खोल कर दे सकती हैं, आप भी चाहे तो देख सकते हैं। मैं 3 ही चीज का उल्लेख कर देता हूं पेंश और ब्याज अदायगी। इसमें और भी घटक हैं पर यदि तीनों को जोड़ दूं, जो कमिटेड एक्सपेनटीचर है समझ लीजिए, आपके कर्जे के बराबर हो गये। जो आपका राजस्व इंकम है वह कर्जे के, अब माने जो राजस्व प्राप्त होता है उसके बराबर आपके कर्जे हो गये हैं। इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा ? 41 हजार करोड़, इन तीन में । अगर पूरे को गिनूंगा तो हो सकता है 44 हजार से ज्यादा या मुझे पढ़ने का अवसर मिल जाता तो हो सकता है और कुछ निकलता। इस स्टेट का भविष्य क्या होगा ? सिर्फ राजनीति की भावना में बस में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया। इस साल तो पुन्नी नहीं नहाये हैं। वह पुन्नी नहाने से छत्तीसगढ़िया हो जांएगे।

श्री नारायण चंदेल :- ओखर संग नहाये बर कोन जाथे, एला बता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब इस राज्य में कमिटेड एक्सपेनटीचर जो है, चौबे जी सबसे तेजी से बढ़ने वाले एक्सपेनटीचर हैं। सबसे तेजी से। अब आपके ऐसे भाषण को सुनने के लिए आपके इशारेबाज लोग नहीं है। वह समझ में नहीं आएगा।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, सुनिए ना। माननीय, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन्हीं से आपको संबोधित करता हूं आदरणीय जी। आप यहां पर जो 25 परसेंट लगभग कृषि सेक्टर में जो खर्चा कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं ? आप इसको फ्री में बांटने वाला बोलते हैं। किसानों के लिए जो काम हो रहा है आप उसको प्रदेश को बर्बाद करने वाला बोलते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं गलत हूं तो आपके मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है न। आप सुनिये, जो बोल रहे हैं जो बात, तथ्य सामने रख रहे हैं उसको सुनने की भी साहस रखिये। आप जो बोल रहे हैं कि किसानों का उनका धान 25 सौ रूपये खरीद रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाला बोल रहे हैं। दरअसल, आपका नजरिया बदल गया है। आपकी भावना छत्तीसगढ़िया रम गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिये मंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया ?

श्री अमरजीत भगत :- आप और कुछ सुनना चाहते हैं तो सुना देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जब बोल लेंगे, मैं तब बोलूंगा। मैं बजट किताब खोलूंगा तो बताऊंगा कि एक प्रकोष्ठ बनाया है कि राज्य के इंकम कैसे बढ़ाये जाएंगे, उसको अध्ययन किया जाएगा। जब इनके कमिटेड एक्सपेनटीचर बढ़ रहे हैं राज्य के लिए इंकम के लिए यह प्रकोष्ठ बनाये हैं जो जी.एस.टी. लगने के बाद तो यह टैक्स नहीं लगा सकते । अब यह टैक्स किसमें लगा रहे हैं ? जो भी आदमी जिस परपस से सेस लगा है और उसका दुरूपयोग किया है दो साल रूक जाओ, दुरूपयोग करने वाले जेल जांएगे और वसूली होगी। आप कोरोना के लिए जनता से पैसे लेते हैं। आत्मानंद स्कूल को दे दिये। इसको दे दिये, उसको दे दिये और जो अधिकारी, जो मंत्री हैं उनसे वसूली होगी, वह जेल जाएंगे। सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा।

श्री अमरजीत भगत :- क्या आप धमकी दे रहे हैं ? धमकी दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो मैं धमकी देने लायक नहीं हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन यह करूंगा।

श्री उमेश पटेल :- आप इस सदन में खड़े होकर यह कह रहे हैं कि मंत्री के..। आप क्या कहना चाह रहे हैं ? उनको भयाकांत कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप बजट में भाषण दीजिए। आप अपनी बात रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- बजट पर ही बोल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- तो क्या यह धमकी देंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- धमका रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- बजट का जो दुरूपयोग करेंगे, हम बेचने की व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो, यही तो बोल रहे हैं और क्या है ?

डॉ. विनय जायसवाल :- आप विषय से बाहर आकर प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इतना अच्छा, इतना ऐतिहासिक आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसको पैसे का दुरूपयोग बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अभी बात कर रहा हूं। आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, कल ही मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि केंद्र सरकार जरा भी राशि नहीं दे रही है जब हमारी सरकार थी तो दिया करती थी, आप एक पैसा तो दे नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं वैक्सीन के लिए भी तो 2 करोड़ हम लोग दिये हैं। अपनी असफलताओं का तमका हमारे ऊपर न..।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये-बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- कल का छत्तीसगढ़ का बजट देखकर इनका दिमाग घुम गया है। अब दिमाग करना बंद कर दिया है।

डॉ. विनय कुमार जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद पहली बार गरीब के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। पब्लिक के स्कूल..।

श्री अजय चन्द्राकर :- वास्तव में डॉक्टर, आज आपके लिए कुछ बोलना पड़ेगा। आज परफारमेंस देखकर बहुत मजा आ रहा है।

सभापति महोदय :- चलिये-चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज मैंने एक विषय में पेपर पटल में रखे हैं। मैंने कल 280 करोड़ रूपये के घपले का आरोप लगाया था, आज पटल में रखने की अनुमति मिली, माननीय चौबे जी, मैंने रख दी। यह विषय भी यदि मुझे यह पेपर पटल में रखने के लिए बोलेंगे तो मैं रख दूंगा। उसका कारण यह है कि आप बोलते हैं कि केंद्र ने कटौती कर दी, केन्द्र ने 15वें वित्त आयोग में दूसरे राज्यों को जैसे छत्तीसगढ़ को 8 प्रतिशत दिया है, वह चौथे नम्बर पर है । कौन-कौन राज्यों को कितने प्रतिशत दिया है, यह लिखा है और इसी साल कौन-कौन से सन् में कितना पैसा है, यह इसमें लिखा है । आप अपने खर्च को राजस्य आय के बराबर ला रहे हैं और उपहार की संस्कृति पैदा कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ की उद्यमशीलता को बंद कर रहे हैं या खतम कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ को नशेड़ी बना रहे हैं तो जो प्रकोष्ठ बनाया, उससे पहले आपने उपकर भी निकाला । तो किसानों की रजिस्ट्री पर उपकर या जमीन रजिस्ट्री पर उपकर लगाया । जमीन बेचेगा मतलब मैं तो किसान मानूंगा । अब बिल्डर तो शासन चलाते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता तो किसानों का जेब कटेगा । दारू के सेश में तो मैं जेल भेजूंगा ही, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वह दुरूपयोग में जेल जाएगा ही, वह वसूल होगा ही, चौटाला पिता एवं पुत्र टाईप जेल होगी, आप देख लीजिएगा । चाहे 20 साल में सत्ता आये, चाहे कल आये । इसके बाद कोविड काल में सबके अनुदान कम किए गए, लेकिन यह कहा गया कि 50 वर्ष की अवधि तक आप बिना ब्याज के ऋण ले सकते हैं । मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष इस बात को कहा । सब कोई जानते हैं कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट में छूट दी गई । जो 3 प्रतिशत था, 4 या 5 प्रतिशत किया गया, वह देश भर ने झेला। हम आपको हर बार पूछते हैं, इसके प्रश्न के उत्तर में है परम आदरणीय मेरे मित्र, साथी अमरजीत भगत बार-बार खड़े होते हैं । अभी मैं इनकी थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं करता । तो कोरोना के कारण कस्टम मिलिंग नहीं हुई, कोरोना के कारण ऐसा नहीं हुआ, कोरोना के कारण वैसा नहीं हुआ। कोरोना के कारण सबके ऊपर प्रभाव पड़ा । आप थोपने की कोशिश नहीं कर सकते कि एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार ने ऐसा किया, एक सरकार ने ऐसा किया, एक सरकार ने ऐसा किया। वह वैश्विक समस्या थी । पहली बार दुनिया को कोरोना का टीका देकर भारत ने नेतृत्व किया । आपने टीका की मान्यता देने में 4 महीने लगायी, आपने मानवता के साथ अपराध किया । आप मानवता के अपराधी हैं । जो टीका जनवरी में शुरू हो जाना था, वह जून में शुरू हुआ ।

श्री अमरजीत भगत :- आप कोरोना के नाम पर क्या बजवा रहे थे-ताली-थाली। अच्छी बात करते हो, आप कुछ भी बोल रहे हैं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज था, वह किसको-किसको मिला ।

श्री अजय चन्दाकर :- सभापति महोदय, अब बजट पत्रिका में आ जाते हैं।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तभी तो 36 ईनाम मिल रहे हैं । पुरूस्कार तो आपकी केन्द्र सरकार ही दे रही है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर में भी कोई अच्छा काम कर रहा है, मूल्यांकन हो रहा है तभी तो पुरस्कार मिल रहा है और पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में मुख्यमंत्री जी को सराहा जा रहा है । आप कुछ तारीफ भी कर दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है । नार्थ इस्ट में भी चल रहा है, उत्तरप्रदेश में भी चल रहा है। सभापति जी, पहला शुरू हुआ, मेरा सौभाग्य है कि क्या रायपुर में सेवाग्राम बनेगा ? सेवाग्राम का कॉन्सेप्ट मुझे समझा दीजिए । वर्धा में तो महात्मा गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष घटे, उनकी स्मृतियां जुड़ी हैं । यहां के वर्धा ग्राम में सबसे पहले संचालक तो माननीय आबकारी मंत्री हैं, मैं दो-चार नाम और ले लूंगा तो क्षमा मांगनी पड़ जाएगी । पहले शुरूआत खुद से करें । यदि आपने महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी होगी तो वे कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है । सबसे बात यह है कि वे नशे के आजीवन विरोधी रहे । इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आया है और नक्शा आ गया । जैसे आपके जेम्स ज्वेलरी पार्क में बिल्डिंग बन गई, अनुमोदित हो गई और 347 दुकान बिक भी गए। अरे बाप रे । ऐसी प्रगति हुई । टेनिस अकादमी के बजट अभी आ रहे हैं, टेनिस अकादमी के फोटो को तीन साल पहले सरकार बनते ही हम लोग देख चुके हैं । यहां पर टेनिक एकादमी बने, नहीं तो मैं फोटो भेज दूंगा। सेवाग्राम का फोटो आज भी छपा है । ऐसा होता है- सेवाग्राम । प्राकृतिक वातावरण होगा या पुल का नक्शा होगा, लेकिन वहां क्या होगा, क्या उद्देश्य है, क्या शिक्षण पद्धति है ? विश्वविद्यालय बनेगा, चित्रकोट का ग्रामीण संस्थान् बनेगा । आखिर क्या चीज बनेगी ? छत्तीसगढ़ के 100 करोड़ में आप पूरे 100 करोड़ ले लो । कॉन्सेप्ट बताओ तो उसमें हम सर्वसम्मति कर देंगे । अब राजनीतिक तौर पर आपके पास पांच साल में दो यूनिवर्सिटी को छोड़कर कोई बड़ा चीज नहीं आया । उसमें एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको बधाई दे देता हूं, एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको बधाई दे देता हूं । लेकिन मैं आज उसके प्रतिवेदन को पढ़ूंगा । पहला प्रतिवेदन आया है, उसने

क्या प्रगति की है, उसको जरूर पढ़ूंगा। अब राहुल गांधी जी, मैं अब उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, फालतू बात चिल्लाने लगोगे, आप लोगों ने उनसे शहीद स्मारक का, सेवाग्राम का उद्घाटन करवाया, और क्या-क्या करवाया, मुझे मालूम नहीं। अभी सेवाग्राम का कांसेप्ट नहीं आया है। यह ब्यूरोक्रेसी की स्थिति है, मैं ब्यूरोक्रेसी का प्रशंसक आदमी हूं। वह भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन कानून के हिसाब से राज्य चलाना उनका दायित्व है। आप जिस बात के लिए पैसा मांगे, हम उस बात के लिए पैसा दे देंगे। लेकिन कोई विजन नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है और आप लिख देंगे कि 5 करोड़ चाहिए और हम दे देंगे? इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि शासन का कानून नहीं चल रहा है, शासक का कानून चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार सही काम करने में विफल है। मैंने एक काल्पनिक रावण की सोच बताया था, उस काल्पनिक लोक संसार में राहुल गांधी भी डूब गये कि यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो देश भर में आत्मानंद स्कूल खोलूंगा, उसको भी सपना दिखा दिये।

सभापति महोदय :- आधा घंटा हो गया है। आप मूल विषय पर आईयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, इसमें सेवाग्राम लिखा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, दो दिन का समय है। हमारे पहले वक्ता हैं। उनको तो पूरा समय मिलना चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं।

सभापति महोदय :- पूरा समय मिलेगा, लेकिन मूल विषय पर आयें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह दूसरी बार है, आप पंचायत में रहे हैं। ग्रास रूट से ऊपर आकर आप यहां पर विराजमान हैं। मैं आपके जज्बे की प्रशंसा करता हूं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। इनके एक वरिष्ठ मंत्री राजेश मूणत ने बयान दिया था, जो यहां के सदस्य थे कि हमने छत्तीसगढ़ में 15 साल राज किया है। जो आदमी छत्तीसगढ़ में राज करने की बात करें उनको आत्मानंद स्कूल कहां से समझ में आयेगा ?

सभापति महोदय :- प्लीज, आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, बजट कंडिका-3, किसानों की धान खरीदी। साहब, किसानों की धान खरीदी कांग्रेस ने ही शुरू की, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने उसको सोसायटी लेवल पर लाया, पहले भी एफ.सी.आई., एम.एस.पी. पर खरीदती थी, हम लोग किसी समय देखते थे। ठीक है, व्यवस्थित हुआ। धान खरीदते हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, वह अपनी जगह है। लेकिन इस साल धान खरीदी की क्या स्थिति है ? 24 लाख किसान धान बेचने हेतु पंजीकृत हुए, उसमें 2 लाख 19 किसान पंजीकृत होने के बाद भी धान नहीं बेच पाये और 75 हजार किसान टोकन रहने के बावजूद धान नहीं बेच पाये। माननीय, मैं आलोचना भी आप ही की करूंगा और प्रशंसा भी आ ही की करूंगा। यदि आप किसानों के तथाकथित मसीहा हैं, जिसको राजनीति की ओर से छत्तीसगढ़िया कहकर धक्का देने की

कोशिश कर रहे हैं, तो हृदय खोलिये। आप पंजीकृत किसानों का धान लीजिये, आप टोकन प्राप्त किसानों का धान लीजिये, हम बजट को सर्वसम्मत से पारित करते हैं, आप घोषणा करिये।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, आप जो एक-डेढ़ लाख किसान धान नहीं बेच पाये, बोल रहे हैं। हम 31 जनवरी के बाद केवल 7 दिन किसानों का धान खरीदने के लिए तिथि बढ़ाये थे, उसमें हमको भारत सरकार से अनुमति मांगा था कि 7 दिन के लिए अनुमति दे दीजिये। सुन लो, आपकी भारत सरकार ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया। आप बड़-बड़ी बात करते हैं। पीछे ऊंगली डालकर बोलने से होता है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया ?

श्री अमरजीत भगत :- ऐसे करने से होता है क्या ? आप देखिये भारत सरकार ने क्या लिखा है। अमान्य कर दिया। ये आप लोगों का किसानों के प्रति प्रेम है ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया है तो बैठिये न।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की बात करने की जरूरत नहीं है। वह इतिहास बन गया है और ऐसा इतिहास कभी नहीं दोहरायेगा।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुद्दे पर बात करो।

श्री अरूण वोरा :- मुद्दे पर ही तो बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अभी धान खरीदी पर आ रहा हूं। वर्ष 2019-20 की धान खरीदी के प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 71 हजार टन धान का निष्पादन करना है। एक ही कारण बताते हैं कि कोरोना के कारण निष्पादन नहीं हुआ है। 71 हजार टन के निष्पादन के लिए कलेक्टर को लिखे हैं, इसका निष्पादन किया जाये। कौन कलेक्टर उसका निष्पादन करता है, देखते हैं। वह कौन से विशेषज्ञ हैं ? वह धान सड़ा है, गला है या क्या है ? वह मौके पर मौजूद है या नहीं है या उस 71 हजार टन धान को बेच खाया गया और उसको सड़ा गला कह दिया गया हो, यह जांच का विषय है । माननीय रविन्द्र चौबे जी, अरे बाप रे, इतनी फुर्ती से राहुल गांधी जी या किसी को भी खुश करने के लिए मण्डी विधेयक लाये, यह मण्डी क्षेत्र माना जायेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा । मोदी जी ने कानून को वापस ठीक है, लोकतंत्र में वापस ले लिया, चलता है । जिस कानून का विरोध कर रहे थे, 11 लाख क्विंटल धान या कम हो सकता है, 9 लाख क्विंटल धान । उसी पद्धति से बेची, मण्डी में ले जाकर क्यों नहीं बेचा गया । देश भर के लिए टेण्डर क्यों निकाले जब उस कानून का विरोध कर रहे थे । जब उस कानून का विरोध कर रहे थे तो देश भर में टेण्डर नहीं निकालना था । उसमें आपका अनुमानित घाटा कितना है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धान खरीदी की बात जो हम कर रहे हैं, मेरे लक्ष्य में आप ज्यादा से ज्यादा वो होंगे । बाकी उनको समझ में ही नहीं आयेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- समझ में कैसे आयेगा, तीन कृषि कानून के लिए पूरे देश की जनता लड़ते हुये मर गये । आप मानने को तैयार नहीं हुये । जब यू.पी.चुनाव आया तो बैक फुट में गये । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यू.पी.चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए । एक-एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है । निषाद समाज पाटी...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इतने किसान मरने से बच जाते । आपकी इतनी अच्छी योजना थी तो फिर क्यों पीछे हटे ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अजय भईया, तुंहर 15 साल में ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस बार केन्द्र में जो कोटा घोषित किया, जमा बार-बार करने के बाद नहीं कर पाये । दूसरे साल भी हम कोटा नहीं कर पाये । तीसरे साल अभी तक मिलिंग चालू । दूसरे साल का धान अभी शेष है । उसका अभी निष्पादन नहीं हुआ है । उसका भी आप निष्पादन कैसे करवाओगे । दूसरी बात में आता हूँ, इधर समर्पित कर देता हूँ जो सुन रहे हैं, आपको समर्पित कर देता हूँ । पैसा कमाने के लिए ऐसा लूटना जरूरी नहीं है । भ्रष्टाचार नहीं बोलता, लूटना जरूरी नही है । आपने नॉन का कोटा बढ़ाया । मानलो आपको 20 हजार टन की जरूरत है । आपने उसको 26 लाख टन कर दिया, क्योंकि आपको धान को कूट कर बेचना था । जब आपको बेचना था, कितने लाख टन आप चावल बेचे । क्या जरूरत थी आपको कोटा बढ़ाने की, क्यों चावल बेचे, आपको अध्ययन करना चाहिये कि चावल का धंधा करना, धान का धंधा करना, नॉन और मार्कफेड का काम है क्या ? मुझे बताईये ।
उसका मैनीफेस्टो दिखाईये । जो कंपनी या सोसायटी में रजिस्टर्ड हुई है, आपने अपनी जरूरत से ज्यादा कोटा नॉन को बढ़ाया क्यो, अपने चहेते लोगों को सस्ते में धान देने के लिए ? धान के निष्पादन में रिसायकल कराने के लिए ? सिर्फ दो खास लोगों को ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रति क्विंटल धान के ऊपर में सरकार का अलग से जो टैक्स लगता है ना अवैध टैक्स, उसको वसूलने के लिए नॉन का कोटा बढ़ाया ।

श्री नारायण चंदेल :- बृजमोहन जी, नॉन का मतलब लाल है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा मत करिये, नहीं तो आप ही को सुनना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- आसंदी के तरफ देखकर बोलियेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उनकी तरफ देख कर बोल लूंगा, अनुमति है ना भईया । आप यह जान लीजिए कि करप्शन करने के लिए ही उसका कोटा बढ़ाया गया । उसमें कितना घाटा अनुमानित है, आपके घर की चीज है, जिसको आप मत निष्पादित करो, जनता के पैसे की ऐसी लूट मैंने नहीं देखी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । जीवन में उसको लूट बोलेंगे । दिख्ता है सड़क से, जांजगीर चलिये, बिलासपुर चलिये, कहीं चलिये । मगर यह जनता के पैसे की लूट है ।

श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपके राज में 14-15 हजार किसान आदमी मन हा आत्महत्या करे हे । हमर सरकार हा किसान हित में काम करथे । आज धान के खरीदी अतक ज्यादा बढ़े हावय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुराजी गांव में मैंने बोल दिया, अब औद्योगिक पार्क में बोलूंगा, पहले घोषणा पत्र में कहा, फिर राहुल गांधी जी के भाषण में चर्चा हो गयी, मुख्यमंत्री जी ने इनोसेंटली कुछ स्टाईल में व्यक्त कर दिया कि पेड़ से आप लोग ईंधन जलाते हैं । इंदौर के एक प्लाण्ट को देखने के लिए भेजिये । गैस कैसे निकलता है, कचरे का निष्पादन कैसे होता है, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है । पाईप से ही घर में गैस चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है । इंदौर के उस मॉडल को अपना लें । रायपुर नगर निगम अपना ले, कोई भी अपना ले । मजाक की तरह लेना है, ऐसा नहीं है । मैं इसलिए उसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वह तो बने नहीं है । मक्का प्रोसेसिंग प्लाण्ट के नाम से आपने सोसायटी बनाई, करदाता का पैसा लिया, शेयर होल्डर्स के पैसे लिये, सब चीज किया, अंशदान दिया, गवर्नमेंट ने उसमें पैसा दे दिया, उसमें खर्च हो गया, मोहन मरकाम खसक दिये और उसके बाद वह मक्का processing plant बन गया, अब उसको ethanol processing plant बनायेंगे। इतना सरेआम तो मत करो। उतने शेयर होल्डर्स को बुला लो, निर्णय करवा लो कि भई हम इसको एथेनाल में मक्का से ले जाना चाहते है, यह प्रस्ताव पारित करवा लो।

श्री दलेश्वर साहू :- चन्द्राकर जी] आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए। आप सबकी बात सुनते हैं, मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने मेरे इलाके में डॉ. श्यामा मुकर्जी रूरबन योजना को 12-15 गावों में स्थापित किये। हम शहर की स्टाईल में गांव को बसायेंगे, वहां नाली होगी, लाईट होगी और आपने मेरे इलाके में मोदी जी को उसका मुख्य अतिथि बनाया था। उस योजना का क्या हुआ, आप जाकर देखिये।

सभापति महोदय :- कृपया, आप बैठ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- वैसे माननीय अकबर जी, मैंने भाषण को आपको समर्पित किया है, आप दिनभर तकलीफ में बैठे थे। आप जो अब औद्योगिक पार्क तैयार कर रहे हैं, processing plant के लिए साढ़े तीन साल में 251 में 110 जगह की जमीन आरक्षित हुई। वाह रे, इतनी तेजी से चलने वाली सरकार और आपने processing का एम.ओ.यू. किया है। माननीय अकबर जी, Value Addition करेंगे, अभी वह आगे आयेगा। Value Addition बस्तर के और सरगुजा के उत्पाद का पाटन में होगा। उतनी दूरी को विभाग वहन करेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं वहां 51 करोड़ का processing plant लगा रहे हैं।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- वह केन्द्रीय प्रसंस्करण यूनिट है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हॉ मालूम है, वह दूसरी जगह लग रहा है, उसको आपने पाटन ले आये।

श्री मोहम्मद अकबर :- बाकी स्थानीय स्तर की जितनी भी processing है, वह सब रहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बस्तर की, सरगुजा के आदिवासी अंचल की विकास की बात करते हैं और पाटन में processing plant लगाते हैं।

श्री संतराम नेताम :- आप लोगों को 15 साल मौका मिला था, आपने क्यों नहीं किया?

डॉ. विनय जायसवाल :- अजय भैया, processing का क्या मतलब होता है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संतराम जी और मोहन मरकाम जी, कोंडागांव के मक्का के प्लांट को बदल रहे हैं। संतराम जो बस्तर की जो forest produce है, उसका प्लांट वहां पर लगना था। केन्द्र सरकार ने 71 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। उस 71 करोड़ रुपये के प्लांट को शिफ्ट करके पाटन ले गये। कम से कम बस्तर के लोगों को इस बात को बोलना चाहिए कि बस्तर के विकास को क्यों रोक रहे हैं? बस्तर का प्लांट पाटन में जा रहा है, वहां एक भी forest produce नहीं होता है। पाटन में एक किलो forest produce नहीं होता है। एक किलो महुआ नहीं होता है और वह प्लांट पाटन में शिफ्ट हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोल रहा हूं, बीच में इंटरप्शन करते हैं तो मैं चुप हो जाता हूं। माननीय चौबे जी, अब आप फूड पार्क, processing unit को भूल गये। अब यह रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहां से लाये हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी दोबारा बजट में आया है। बजट भाषण के लिए भी आपके पास विषय नहीं है। धान खरीदी दोबारा बजट में आया है, आपके पास विषय नहीं है। सेवाग्राम के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसका कोई कांसेप्ट नहीं है। सुराजी ग्राम बजट में और राज्यपाल के भाषण में कई बार छप चुका है। यदि आपके पास विषय नहीं है तो हमको किराये में ले लो, हम लोग आपको विषय बता देंगे। लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रान्ड के नाम से बेचा जा रहा है। वह शुरू से चल रहा है। फारेस्ट विभाग संजीवनी कर रहा है, हो सकता है आप दो ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। यह भी ब्रान्डिंग बार-बार आता है। क्यों आप इतने विचारशून्य हो गये। अभी आपका एक ही विधेयक 13 दिन के लिए आया है, एक ही विधेयक आना मतलब यही है कि आपके पास विचार नहीं है, शासकीय कार्य नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू किया है। वाह-वाह। अभी तो प्रमुख सचिव की बैठक, लेखाधिकार का महाधिवक्ता की चिट्ठी 03 साल में नहीं आई है। अब छत्तीसगढ़ी में बोलहूं, तब ये मिशन का उखाड़ लेही। जो ओरीजनल शासकीय समिति बनी है, वह 03 साल में रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई तो अब यह मिशन एक साल में क्या करेगा ? 6 महीने कुछ नहीं होना है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको समझ रही है। आप seasoned आदमी हैं, वह seasoned आदमी हैं। यह बोलना चाहिए जो सच है। छत्तीसगढ़ के लोगों को वह मत दिखाओं, जो मैंने शुरूआत में रावण की घोषणाएं बताई थी, आप थोड़ा लेट आये थे। छत्तीसगढ़ में परीक्षा शुल्क, समाप्त की घोषणा। चलिये, मैं इसको अच्छा बोल देता हूं, डॉ. रमन सिंह जी को भी धन्यवाद दे देता हूं, उन्होंने कॉलेज तक की महिलाओं की पूरी फीस को माफ की थी, तो ऐसा बड़ा काम

कीजिये, जो लाखों की संख्या में होता है। परीक्षा में 10 हजार, 15 हजार लोग बैठते हैं, हमने लाखों में किया है, आप समझ रहे हैं, इसलिये थोड़ा बड़ा काम कीजिये। शासकीय महत्वपूर्ण एन.पी.एस. योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जायेगी। यह नया नहीं है, इसलिये क्योंकि आप शेयर मार्केट में, मैंने निकाला था उस संस्था का क्या नाम है?

श्री उमेश पटेल :- क्या आप विरोध कर रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मुझे वह संस्था का नाम मिल जाये, मैंने वह लिख के रखा था।

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- चंद्राकर जी, क्या आप ओ.पी.एस. सिस्टम का विरोध कर रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिअ लिमिटेड, राष्ट्रीय प्रतिभूतियां। वह उसमें जमा होती है, अर्थात् शेयर मार्केट में लगती है, वह और कई जगह लगती रही। आज कल तो नियम है कि कर्मचारी खुद भी ऐसा कर सकता है, तो यह प्रचलित चीजें हैं, कोई नई चीजें नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी इसको पसंद कर रहे हैं वह अच्छी बात है। आपको लगता है कि यह अच्छी बात है, तो अच्छी बात है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- एक सेकण्ड, आप यह एन.पी.एस. और ओ.पी.एस. सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं ? आप उसी के बारे में बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि एन.पी.एस. पेंशन सिस्टम में क्या हो रहा था, कर्मचारियों को कितनी तकलीफ हो रही थी, क्या उस पैसे को शेयर मार्केट में एन.पी.एस. के द्वारा नहीं लगाया जा रहा था और शेयर मार्केट के ऊपर-नीचे से कर्मचारियों के भविष्य को ...।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने क्या बोला, मैंने उसकी आलोचना नहीं की।

श्री उमेश पटेल :- तो फिर ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, चलिये बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने यह कहा कि आपको अच्छा लगा, कर्मचारियों को अच्छा लगा, आपने कोई नई चीज नहीं लाये है, वह कहा।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- चंद्राकर जी, आप लोगों ने उसको बंद कर दिया था, आपको पता है कि नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- रूको यार, बहुत प्यास लगथे।

श्री उमेश पटेल :- छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अगर ओ.पी.एस. में जाते है..। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- तो जल्दी-जल्दी प्रशंसा जाहिर कर दो कि यह बहुत अच्छा काम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण):- अब 14 प्रतिशत डी.ए. दे दो कर्मचारियों को। कर्मचारी मांग रहे हैं, उनको 14 प्रतिशत डी.ए. दे दो। केंद्र सरकार ने 31 प्रतिशत डी.ए. दे दिया परंतु छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही है, 14 प्रतिशत दे दो। तो यह पेंशन योजना का लाभ, जब यह 2004 से बंद हुई है, 40 साल उसकी सर्विस होती है, उसको इसका फायदा 2040 में मिलेगा, अभी कोई फायदा नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिलने वाला है। अभी फायदा मिलेगा तो 14 प्रतिशत डी.ए. का फायदा मिलेगा। वह कर्मचारियों को देना चाहिये। इस पेंशन का फायदा 25 साल बाद मिलेगा।

श्री उमेश पटेल:- अग्रवाल जी, तो आपने ओ.पी.एस. सिस्टम क्यों नहीं किया, आपने क्यों लागू नहीं किया ?

सभापति महोदय :- बैठिये, डॉ. साहब बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, बृजमोहन भैया, 2040 में कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो क्या वह फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिये ? तो आपने 15 सालों में क्यों नहीं दिया ? जो 2040 में कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो क्या वह नही मिलना चाहिये, जवाब दीजिये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कर्जा लेकर...।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- .. आप क्या कर रहे हो ? आप नियंत्रण में हैं ? आप सुबह से 100-150 बार खड़े हो चुके हो।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब बैठिये, बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- कर्मचारियों को फायदा होना चाहिये कि नहीं होना चाहिये ?

श्री अजय चंद्राकर :- ओती पूछ मोर बाप, मैं नहीं जानव।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब बैठिये, चलिये बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- ते समझे नहीं तो विधायक दल में पूछ लेबे, मे नहीं जान सकव। (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय चलिये हो गया, 50 मिनट हो गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, अभी तो शुरू हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय, मिश्री भैया, क्या आजकल नंबर 1 हो गये हैं ?(माननीय सदस्य रविन्द्र चौबे की ओर इशारा करते हुये)

श्री अजय चंद्राकर :- भाई साहब, मैं सारे विषय छोड़ देता हूं। आपने बजट के पार्ट में आर्थिक स्थिति में..।

डॉ. विनय जायसवाल :- बृजमोहन भैया ने जो बोला है, मैं उसके ऊपर दो लाईन बता रहा हूं। "किसी को चांद चमकता नजर आता है, और किसी को उसमें दाग नजर आता है"।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, प्लीज बैठिये। आप बोलना, आपको अभी मौका मिलेगा, आपका नाम है।

श्री अजय चंद्राकर :- अब मैं आर्थिक स्थिति में, मुख्यमंत्री जी अजान बाहु है। अजान बाहु का मतलब जिसके हाथ घुटने तक आते हैं, वह अपनी पीठ ऐसे खुद थपथपा ले, ऐसा (पीठ थपथपा कर दिखाया)। यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि खुद की पीठ थपथपा सके। मैंने यह मान लिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी अजान बाहु है। अब कैसे ? क्योंकि हमारा माइनस का रहेगा मतलब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आधिक्य का बजट है। आप बड़ा खुश हो रहे थे तो त्वरित अनुमान पर आधिक्य का बजट है। आज लिख के ले लीजिये, मैं माननीय रविन्द्र चौबे जी के सामने बोल रहा हूं कि यह पूरी विधान सभा सुन रही हैकि जब अंतिम परिणाम आयेंगे, छत्तीसगढ़ घाटे का बजट होगा। आपने जो 3 साल में अनुमान लगाया है, वह हर बार गलत साबित हुआ है। अब आप जो 11 प्रतिशत प्लस की बात कर रहे हैं, मैं उसमें बोलता हूँ। मैं 3 साल, 3 साल की तुलना कर देता हूँ। आपने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। वर्ष 2016-17 में 12.13 प्रतिशत माननीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वर्ष 2017-18 में 3.1 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में आधा-आधा थे, तीन महीने आपकी सरकार थी और 9 महीने हम लोगों की सरकार थी तो वर्ष 11.28 प्रतिशत, इसका एवरेज निकाले तो 8.81 प्रतिशत जाता है। आपकी सरकार तीन सालों से है पहला साल वर्ष 2019-20 3.34 प्रतिशत, दूसरे साल वर्ष 2020-21 में -1.37, तीसरे साल 11.54 का अनुमान है यदि तीनों को जोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी का तीन साल 8.81 प्रतिशत और आपका तीन एवरेज यदि मैं 11 प्रतिशत को भी मान लूं तो 4.50 प्रतिशत जाता है, यह आपका मैनेजमेंट है।

सभापति महोदय :- आप जल्दी खत्म करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अजय भईया, अगर आपको तुलना करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर तुलना कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण से बोल रहा हूँ। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ।

श्री उमेश पटेल :- आप तुलना कीजिए। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर जी.डी.पी. ग्रोथ रेट क्या था ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जब आपका अवसर आएगा, आप उस समय बोल लीजिएगा। आजकल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मोहन जी लिखित को अच्छा बोलते हैं।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू हुआ है। अब मैं ये आर्थिक स्थिति को छोड़ दिया, चलिये मैं जल्दी बढ़ता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, कृषि पंजीयन, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित। आप कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने फसल बीमा प्रधानमंत्री योजना 20 प्रतिशत किसान, 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 40 प्रतिशत राज्य सरकार, 40 प्रतिशत आपने पूरा पटा दिया क्या ? राज्य सरकार अपने को किसानों की सरकार बोलती है। राज्यांश पटा नहीं और यदि राज्यांश पटा हो तो मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा। मेरी ज्ञान वृद्धि होगी, आलोचना का विषय नहीं है। सभी विषयों को एक साथ ले लेता हूँ। स्प्रिंकलर, अभी क्या-क्या करेंगे ? केन्द्रांश 37 प्रतिशत, राज्यांश 37 प्रतिशत, किसान 30 प्रतिशत, मैं ठीक बोल रहा हूँ न। आपने इसमें भी पूरा राज्यांश नहीं दिया, किसान ट्रेक्टर की

सब्सीडी के लिए घूम रहा है, पिछले साल बजट में 74 लघुत्तम सिंचाई योजना आयी, ऐसे ही बजट भाषण में घोषणा हुई। हम ऐसा-ऐसा लघुतम में करेंगे । वह 74 लघुत्तम सिंचाई योजना ज्यों की ज्यों, जैसी की तैसी रखी है। मैं कांग्रेस के विधायक को दुलना एनीकट में लघुत्तम सिंचाई योजना दिखाने के लिए ले जाता। नहीं तो साहब, मेरे यहां चल दीजिए, मेरे यहां वह तो पूरा नहीं होगा, मैं यह जानता हूँ। मैं ऐसी बात में आपको मिश्री भईया बोल देता हूँ। मेरा कहां पूरा होगा, हम वैसे भी विपक्ष के हैं। अब विविध फसलों को बढ़ावा देने में गन्ना, छत्तीसगढ़ में नगद फसल बढ़े, विविध चीजें आयें, जो विविध तरह की यूनिवर्सिटी बनायी गई, चाहे वह बृजमोहन जी ने बनायी हों, चाहे चम्पू जी ने बनायी हों, आपने भी यूनिवर्सिटी बनायी, मैं हमेशा आपकी उस बात को कहता हूँ, कामधेनु यूनिवर्सिटी अलग बनायी गई, कृषि विश्वविद्यालय में पैकेजिंग का खोला गया, जब तक आप इस तरह की नई चीजें नहीं लायेंगे, नगद फसल के लिए आपके पास मनरेगा एकमात्र है, आप गौठान गलत तरीके से बना रहे हैं। यदि नगद फसल लाना है तो आप किसान हैं जब हम सिमगा से निकलते हैं और आखिरी कवर्धा तक जाते हैं बीच में आपका भर्री ओलहा देखते हैं उधरी देखते हैं हम दूसरी तरफ नहीं देखते हैं तो जमीन को उनके अनुकूल बनाने के लिए नगद फसल को प्रोत्साहित करना चाहिए,एलाईट सेक्टर को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप जैसे आदमी के रहते हुए, इन साढ़े तीन सालों में कुछ नहीं हो पाया। आप उसके लिए बीच-बीच में खड़े होते रहे। आप स्वयं एक व्यक्ति हैं, आप संस्था हैं।

समय :
3.54 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, आप बीरबल की भूमिका से हटिये। तुलसीदास जी ने एक बार बीरबल के लिए कहा था। सब समकालीन थे, यह आदमी अकबर के मनोरंजन में नहीं लगा होता, उसकी चमचागिरी में नहीं लगा होता, उसकी बात को वह हां में हां नहीं मिलाता। तो शायद इसकी बुद्धि देश के काम आ सकती थी। आपकी बुद्धि प्रदेश के काम में आए, नेता के मनोरंजन में मत आए।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अकबर जी, आपकी बुद्धि नेता के मनोरंजन के लिए काम मत आये, वह प्रदेश के लिए काम आये। आप प्रदेश के मंत्री हैं।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, अभी तो आधा नहीं हुआ है। यह बजट वार्षिक बजट है।

सभापति महोदय :- एक घंटे हो गए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, चलिए ठीक है। इन्टीग्रेटेड पैक हाउस, अब मैं आपके विषय को लंबा बोलना चाहता था, पर नहीं बोलता। इन्टीग्रेटेड पैक हाउस, दुर्ग जिले में लगाएंगे।

प्रोसेसिंग यूनिट भी वहीं लगेगी। यह भी वहीं लगेगा। आपकी यूनिवर्सिटी भी वहीं खुलेगी, मैं बोर्ड देखता हूं तो पाटन एरिया पहुंच जाता हूं। वे जानते हैं, मैं उनके घर भी जाता हूं, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। उनके चाचा डॉ. साहब, मेरे गुरू हैं, मैं आपको यह भी बता देता हूं। सारा चीज वहां का है। अभी पी.डब्ल्यू. डी. खुलेगा। प्रदेश की स्तर की जो मानसिकता बनाना है, उसके लिए टाईम लगता है। आप लोग दोनों ही प्रदेश स्तर के हो। यह पी.डब्ल्यू.डी मंत्री फोरलेन सड़क दुर्ग से अंडा तक बनवा रहे हैं, उसको गुण्डरदेही तक बढ़ा देते। उसमें कितना ट्रैफिक चलता है, पूछिएगा। क्या बाकी लोग उस बात को नहीं समझते ? उतई से पाटन फोरलेन बन रहा है। फोरलेन के लायक कितनी ट्रैफिक है। कोई सड़क नीति है। इसीलिए बोलता हूं कि शासक का कानून चल रहा है, यहां पर कानून का शासन नहीं चल रहा है। इसी को अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। अभी जो पुतिन निर्वाचित हैं तो वही कानून बनवा लो। 2026 तक वे राष्ट्रपति रहेंगे उसके खिलाफ उसके परिवार के खिलाफ जांच नहीं हो सकती। आप कांग्रेस में वैसी कानून बना लो कि ऐसा करेंगे। फाइटो सेनेटरी प्रयोगशाला- जय हो, आपने ही इन महा मना लोगों को स्वीकार किया था। अभी भी आपको बता देता हूं, भगवान की दया से छत्तीसगढ़ को बचा लीजिए। गरीब लोगों को काम दीजिए। रायगढ़ की फैक्टरी में हरियाणा के ठेकेदार की भागीदारी है, रेडी टू ईट वाला है। रायगढ़ वाला प्लांट में 74 प्रतिशत हरियाणा के सेठ की भागीदारी है। अभी मैं कोरबा ईस्ट के बारे में दूसरे विषय में बोलूंगा। अभी तो यह ऐसा ही है। उसमें भी जोरदार है। अब इसमें किसी के साथ इस 74 प्रतिशत में 37-37 हो गया होगा तो मैं नहीं जानता। क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार मान्यता प्राप्त है। मैं कोई भी शिकायत करूं, जांच नहीं होगी। 71 हजार धान की जांच होगा ही नहीं। मैं जानता हूं, होगा ही नहीं। मेरा कंठ सूख जाएगा, समझ रहे है न। धान बेचोगे, चावल बेचोगे, नियम के बाहर जाकर करोगे, प्रमाणित रहेगी तो भी कार्रवाई होगी ही नहीं। 280 करोड़ में आप कार्रवाई करोगे ही नहीं। नस्ल सुधार, नस्ल सुधार यह बजट के विषय हैं। पहले नस्ल सुधार नहीं चलते थे कि अभी अचानक चले कि इतना बछड़ा पैदा करने में मंत्री या विधायक लोगों का योगदान है। नया नस्ल पैदा करने में आप लोगों को तो योगदान नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नस्ल सुधार में डहरिया जी का योगदान है।

श्री अजय चंद्राकर :- कइसे, अकबर भैया, किसका योगदान है जिसके कारण इतना बछड़ा जन्म लिया। यह तो वर्षों से चलने वाली योजना है, बताते हैं, यह नया है कि मुख्यमंत्री का खुद का योगदान है। सरदार जी, बछड़ा पैदा करने में आपका योगदान है क्या ?

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, यह तो डॉ. साहब ही बताएंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- चंद्राकर जी, आप लगातार किस तरह की बातें कर रहे हो?

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, यह तो डॉ. साहब ही बताएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको तो विशेष अनुमति है।

श्री अरूण वोरा :- सुनिए तो, डॉ. रमन सिंह जी से पूछो न। 15 साल तक वे कितनी नस्ल बढ़ाएं हैं। किसकी-किसकी और कैसे बढ़ाएं हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- ददा, मैं तोला कहीं नई बोल सकव। मे आज बोलहूं ता ऐ दोनों कोई ला। तीसरा ला नई बोलवं।

श्री अरूण वोरा :- आप असली काम की बात को सुनते नहीं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आपसे एक स्पेसीफिक प्रश्न है, आप गौठान देखते हैं। गौठान में पैरा तौलने की क्या व्यवस्था है ?

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, कृपया बैठिए।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, एक मिनट। आप यदि कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। साहब, यह मूल बजट है। एक लाख 4 हजार करोड़ रूपए ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। मुझको 5 करोड़ रूपए सेवाग्राम बनाने के लिए चाहिए करके। एक-एक बिंदु में बात होगी। आप समय देने का कष्ट करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारा पहला वक्ता हैं और बजट के ऊपर में पहली चर्चा है। इसलिए पहले वक्ता को तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए। क्योंकि वे बजट के प्रत्येक बिन्दुओं पर बोलेंगे और हम विपक्ष में हैं। इसलिए उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उनको आप मत टोकिए, बाद में आप समय-सीमा में बांध दीजियेगा ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- लेकिन उनको एक बात तो समझा दो भई कि गौठान से बाहर तो निकलें । एक घंटा हो गया, अभी तक गौठान के अंदर ही फंसे हुए हैं । श्री बृजमोहन भैया, हमारे आदरणीय अजय भाई को आप यह तो बता दो कि अब गौठान से बाहर तो निकलें । एक घंटे से गौठान के अंदर ही हैं । (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- नस्ल सुधार तो गौठान से ही शुरू होगा न । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- गौठान में 15 लाख क्विंटल पैरा ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, जल्दी करें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप नस्ल सुधार से अब पैरा में पहुंचे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बताईयेगा कि कौन से गौठान में पैरा तोलने की मशीन है और पैरा तोलने में कितना खर्चा आया ? आप मुझे यह बताईये, आप उत्तर में बता देना कि कौन सी मशीन लगी है और मैंने इसीलिये कहा कि मैं ऐसे विषय की जांच की मांग करूंगा । इसे कैबिनेट ने अनुमोदित किया है जो कि गलत बात है । आप दिखा दें कि कैसे 15 लाख क्विंटल पैरा हुआ ? अब मैं आपके विषय छोड देता हूं । अब आप एक मिशन शुरू कर रहे हैं, चिराग मिशन । आपको वंदे मातरम्, आपने इतनी सारी महिलाओं को नौकरी दी, आपने जोरदार शुरूआत की । अब उधर के घर के लोग हैं इसलिये मैं ज्यादा नहीं बोलता । मैं तो ब्यूरोक्रेसी का प्रशंसक आदमी हूं । चिराग में आपने स्टार्ट सही लिया है ।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री संतराम नेताम :- हमारी सरकार की हर योजना बहुत सुंदर है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक राज्य जो अभी आयेगा न उसमें आप चुनाव लड़वा सकते हैं और तो आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी । इस चिराग का स्टार्ट अच्छा हुआ है । विश्व बैंक का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा, आपका भी उसमें 450 करोड़ है, अभी अच्छा है लेकिन केवल आप भर से गलत चीज की अपेक्षा नहीं होती । अब आपसे भी अपेक्षा नहीं है । आप लेंटाना में बोल रहे थे कि यह बहुत जरूरी है करके तो लेंटाना कैम्पा के आने के बाद जरूरी हुआ । कैम्पा के पहले कोई लेंटाना नहीं होता था । कैम्पा आने के बाद जंगल में लेंटाना जरूरी हुआ और ऐसी-ऐसी जगह में नाले बन रहे हैं जहां आदमी पहुंच ही नहीं सकता । बस्तर में तो फटाका फोड़ देते हैं कि उधर नक्सली है उधर मत जाईये करके । यदि बस्तर में आप उनका नाला देखने जायेंगे तो सिंचाई वाले जाकर अंदर में फटाका फोड़ देंगे कि उधर नक्सली हैं, आप उधर मत जाईये करके । आपने लेंटाना के लिये कहां की बुद्धि पायी ?

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, समाप्त करें । एक घंटे हो गये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी-जल्दी कर देता हूं । मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरूआत वाह-वाह । मैंने जांजगीर में टसर टेक्नालॉजी का कोर्स खोला था, ऐसा कुछ ठोस नहीं बनाया था कि यहां के बुनकर लोगों को विधिवत् प्रशिक्षण मिले । जांजगीर में टशर टेक्नालॉजी का कोर्स शुरू किया था । यह उद्योग वगैरह जो आपके पुराने सचेतक थे, विधायक थे । एक्सपोर्ट भी करते हैं, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं । स्वसहायता समूह की जो भी गतिविधियां हैं, मैं जल्दी-जल्दी बढ़ रहा हूं । मैं इस बार सभी महिलाओं को वहीं जाकर दल्ली राजहरा, सहसपुर लोहारा में बताउंगा कि उस दिन भी मैंने बोला था कि 1270 करोड़ रूपया कालातित है । यदि उनमें हिम्मत है तो बतायें कि महिला स्वसहायता समूह में कुल कितना कर्जा है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- बिल्कुल हिम्मत है तभी तो इस कार्यवाही को किये हैं, आपमें हिम्मत नहीं थी इसीलिये आप कार्यवाही नहीं कर पाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक हजार करोड़ से ऊपर निकलेगा । हिम्मत है तो उसको करवाओ । 1270 करोड़ को कोई मानने वाला नहीं है । आत्मानंद स्कूल में एक लाख 17 हजार 500 लोग प्रभावित होंगे और जितनी दर्ज संख्या है 34 लाख बच्चे हड़ताल पर हैं कहां जायेंगे ? यह सर्वेक्षण बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं तो 17 हजार 500 लोगों के लिये आप योजना बना रहे हैं और इतने लोगों को बोल रहे हैं कि आपको भारत के विपरीत चलना है, चरवाहा बनना है क्योंकि आपने कहा कि चरवाहा 35 हजार तक कमाता है, यह आप लोगों का वक्तव्य है । एक भारत सत्यम अडेला देता है, एक भारत सुंदर पिचई देता है । एक भारत इंदिरा नूई देता है । मैं और भी ऐसे बता दूंगा । एक भारत

पूरा नर्स देता है यानी केरल, दुनिया का कोई देश नहीं होगा जहां गुजराती नहीं मिलेंगे । हम लोग भी गर्व से बोलेंगे कि हम आपको चराने के लिये चरवाहा देंगे । छत्तीसगढ़ का जो गौरव है वह पूरे विश्व तक पहुंचे, चरवाहा पूरे विश्व तक पहुंचे । छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान पूरे विश्व तक पहुंचे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- अजय भैया, पकौड़ा बेचने वाला कौन देगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कितने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल 2 की संख्या में। आप 5 साल पहले का बजट निकाल लीजिए कितने की संख्या में बिल्डिंग, स्टॉफ और सारी चीजें एक साथ स्वीकृत होती थी ताकि गांव वालों को दोबारा न लिखना पड़े। आर्ट्स, साइंस, कामर्स के साथ एक साथ खोले जायेंगे। रामकृष्ण मिशन पर मैं कुछ नहीं बोलता। मैं बोल देता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बस्तर, बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान है। बढ़िया है। अच्छा है। शासकीय भवन बनाइए। 16 भवनों में। भवन विहीन शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण एवं ऑडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा। ये बजट भाषण के लायक विषय नहीं हैं। सब इतने छोटे-छोटे विषय हैं कि इसे बजट भाषण में नहीं ला सकते।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब उसके बाद 28 औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थाओं में आपको जिससे संबद्ध करना है आप करते रहिए, क्योंकि जब विभाग की मांग में बोलूंगा, आपके प्लेसमेंट वह जो शिक्षा देते हैं न मैं भूल रहा हूं। रोजगार अधिकार बनाये थे तो ट्रेनिंग देने का जो कोट है स्किल डेव्हलपमेंट। स्किल डेव्हलपमेंट के प्लेसमेंट को जोड़ लीजिए और शिवरतन के प्रश्न में प्लेसमेंट को जोड़ लीजिए तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा और कागज में प्लेसमेंट ट्रेनिंग स्किल सेंटर में और पैसा एडवांस सुन लो। माने स्किल भ्रष्टाचारी। यदि प्लेसमेंट देखोगे तो आधा छत्तीसगढ़ को प्लेसमेंट मिल गया होगा तो कृपया जांच करोगे कि कितने को आपने एजेंसी बनाया है स्किल डेव्हलपमेंट के लिए।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- कैम्पा मद। भैया, इसमें बोल चुका हूं, लेकिन अब मैं पलटकर नारंगी वन में आ जाता हूं। नारंगी वन राजस्व और वन दोनों के रिपोर्ट कितने हेक्टेयर या एकड़ के जमा अब तक हुए हैं। यह वर्ष 1996 से चल रहा विषय है और आपके कितने पूरे जमीन की रिपोर्ट आ गयी है, जिसके कारण आपने कहा, यदि आप 36000 हेक्टेयर को करते हैं तो यह शब्दों का खेल है। छत्तीसगढ़ में रकबा घट रहा है और यह घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए। नारंगी वन में पूरी कलेक्टर या पी.एम.ओ. की रिपोर्ट आयी है या नहीं है । यह छत्तीसगढ़ की जलवायु परिवर्तन के लिए, छत्तीसगढ़ के रोजगार के लिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए सबके लिए जरूरी चीज है।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, कृपया समाप्त करें। मोहन मरकाम जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- ये दो मिनट में मैं खत्म कर देथौ। जब प्रधानमंत्री सुकमा आये थे तब यहीं श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल शुरू किये थे। "मोर मकान मोर चिन्हारी" प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास के जतका काम, अभी ग्रामीण विकास के एक ही काम होथे। बिजली काटो। नगरीय निकाय के बिजली काटो, ग्राम पंचायत के बिजली काटो, स्कूल के बिजली काटो और मनरेगा के पैसे का थोड़ा बहुत काम दे दो। एक भी मंत्री लोगों का जो अवमूल्यन किया गया कि चीफ सेक्रेटरी की समिति समग्र विकास की स्वीकृति करेगी। प्राधिकरण की स्वीकृति करेगी। आप भेजेंगे क्या मुझे यह बता दीजिए। यदि आप टी.एस. बाबा की स्थिति में हंसते हैं। आपके ऊपर वह स्थिति आती तो क्या था वो। इसलिए ऐसी बातों का विरोध हमेशा होना चाहिए जो हमारे किसी विधायिका के अधिकारों को कम करे। खेल एवं युवा कल्याण पर तो आज प्रश्न में बहुत चर्चा हो गया, मैं नहीं करता। अब राजस्व पुलिस प्रशासन में दो लाइन बोल देता हूं। दो विषय में, फिर खत्म कर रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, माननीय सभापति महोदय, अभी महिला विधायक लोग बोल रही थीं कि ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोग सुन नहीं सकते। इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मत सुने। कुछ नहीं होता।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, विधायक निधि 4 करोड़ हो गया वह।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बैठिए-बैठिए।

श्री गुलाब कमरो :- भैया, आप पंचायत मंत्री थे तो आपने कुछ किया नहीं। पंचायत के बारे में कुछ बोल दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इन नवीन अनुविभाग कार्यालयों के बारे में नहीं बोलता। चिटफंड कंपनी। आपके जनघोषणापत्र में उसकी राशि बेचकर लगायेंगे, ऐसा नहीं है। आपने अभी तक 11 करोड़ रूपये एकत्र किये हैं, उसे कैसे बांटेंगे, उस पैसे का उपयोग करने का अधिकारी आप कैसे हो गये? वह कहां जमा है? किस तरह जमा है और बांटने की उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अब छत्तीसगढ़ के शहीदों के सम्मान हेतु रायपुर में अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना, पुलिस मेमोरियल टॉवर बाबा रे। पुलिस मेमोरियल टॉवर से एक बार मैं सहमत हूं, क्योंकि नक्सलवाद होने के कारण यहां मेमोरियल वार उनके नाम शहादत की हो। वह एक शहीद स्मारक यहां मौजूद है। आप जिसे शहीद मानते हैं। मैंने आपको कहा था कि शहीद को परिभाषित तो कर लीजिए कि इसे-इसे शहीद माना जायेगा। जब शहीद महेन्द्र कर्मा बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा। आप परिभाषित तो कीजिए कि किन-किन घटनाओं में लोग शामिल हैं, उन्हें शहीद कहा जायेगा। आप राहुल गांधी से पुलिस स्मारक का उद्घाटन नहीं करवाये हो तो इसके लिए कैसे बनेगा, कहां बनेगा, किस तरह आएगा, कौन से सन् में शुरू होगा, कितनी लागत आएगी, कौन आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहा है, बिल्कुल राम वन गमन पथ की तरह हो गया है । घाघर ले ज्यादा

फुदकौनी कहिथे ना । मंदिर जतका के नइ बनिस, आखर ले ज्यादा उद्घाटन के खर्चा । कौशल्या माता के मंदिर बने हे कहिके, मंदिर ले ज्यादा विज्ञापन अउ उद्घाटन मा खर्चा हो गे, इही ला कहिथे चार आना के घाघर अउ बारह आना के फुदकौनी । ये शासन चलत हे, चार आना के घाघर, बारह आना के फुदकौनी में । सड़क निर्माण में राज्य का यदि पैसा है तो वह पाटन और दुर्ग ग्रामीण के लिए है बाकी किसी का नहीं है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- अजय भइया, शहीद किसको मानते हैं ? नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी, दोनों से किसको शहीद मानते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप इनका मतलब जानते हैं, अरूण वोरा नहीं समझ पा रहे हैं । चार आने का घाघर और बारह आने का फुदकौनी, मतलब उसका पंख निकालने का खर्चा 12 आना ।

डॉ. विनय जायसवाल :- आपने शहीद की परिभाषा की बात की है, तो बताइए कि आप गोडसे को शहीद मानते हैं या महात्मा गांधी को ? जवाब दे दीजिए ना ।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप देखिए, सामाजिक क्षेत्र को इतना, इसको इतना, उसको उतना । आपने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट कम किया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का बजट कम किया, कृषि का बजट कम हुआ, महिला बाल विकास का बजट कम हुआ, चिकित्सा शिक्षा का बजट कम हुआ ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक पर समान्य चर्चा ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- एनीमिया और कुपोषण की बात की तो एनीमिया में हम भारत में टॉप हैं और कुपोषण के बारे में पेपर लगातार लिख रहे हैं, वह पैसा आपने जितना एम्पा, कैम्पा कहां-कहां से लिया था ना, जैसे कि मिलेट मिशन के लिए डी.एम.एफ. से पैसा लेंगे, इससे पैसा लेंगे, 130 करोड़ होगा, 20 जिलों में लागू होगा । हवा हवाई जो बात हुई, ये बिल्कुल हवा हवाई बात है । समझ रहे हैं ना । कैम्पा की राशि, मेरे दिमाग में बार-बार आता है कि अब अकबर भइया जाने । 5 प्रतिशत है शुल्क, जो आपने कर प्रकोष्ठ बनाया है, आप जिसे बजट का आकर्षण बता रहे हो वह किसान की जेब से 5 प्रतिशत जाएगा । आपने जो बढ़ाया है यह देश में लगने वाला सबसे ज्यादा शुल्क है । कई राज्यों में बढ़ा है लेकिन इतना नहीं बढ़ा है । सबसे ज्यादा आप लगाते हैं । माननीय सभापति जी, मैंने आपके निर्देशों का उल्लंघन किया, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था ।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- आप पंचायत मंत्री थे, आपने पंचायतों के लिए कुछ किया नहीं, उसके बारे में भी तो बोलिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सागर के जल को मीठा कर दूंगा, आग को धुंआ रहित कर दूंगा, सोने में सुगंध ला दूंगा । ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और पिटारा से निकला कि इसको एक रूपया दूंगा, उसको दो रूपया दूंगा, ये मेरे घर का खजाना है मैं इसको लुटाउंगा । कुछ नहीं बनाउंगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को चरवाहा बनाउंगा, पुन्नी नहवाउंगा, सांकड़ लूंगा । संस्कृति विभाग में मेरा ध्यानाकर्षण लगा है, मुख्यमंत्री बना दो सांकड़ लेते हुए, लोग आएंगे तो देखेंगे । एक हैदराबाद एयरपोर्ट को मैंने देखा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, उसका पैसा दिया होगा पर्यटन विभाग, यहां पर्यटन देखने आएंगे या धान खरीदी देखने आएंगे ?

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी स्थान ग्रहण करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहा धान खरीदी का विज्ञापन हो रहा है । अकबर भइया एक बार जो फ्लैक्स उपयोग हो जाता है, उसको दुबारा उपयोग न करें उसके लिए कानून बनाओ, क्योंकि कहीं पर भी रख देते हैं, पलटकर छापते हैं, मुख्यमंत्री और एक मंत्री का उल्टा फोटो था, उसमें कुकुर को मूतते देखा हूं । इसके लिए भी आप कानून बनाओ, इस बजट का घोर विरोध करते हुए, यह छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिगामी है । प्रतिगामी विकास की ओर, मध्य युग की ओर छत्तीसगढ़ को ले जाने वाला बजट है, इसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जय हिंद।

रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, अजय चन्द्राकर जी ने कुछ अच्छी विषय वस्तु उठाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के प्रथम वक्ता के भाषण का अंत इतना स्तरहीन शब्दों से करेंगे, ये हमें अपेक्षा नहीं थी ।

श्री मोहन मरकाम (कोन्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के सामान्य चर्चा पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।"

सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दु:ख का भागी न बने। हे भगवान, हमें ऐसी वरदान दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी श्लोक के माध्यम से बजट भाषण की शुरूआत की थी। माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदों, अपेक्षाओं एवं विश्वास पर यह बजट खरा उतरने वाली बजट है। इस बजट से सरकार का विजन, सरकार का रोडमैप दिखता है। इस बजट से चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, व्यापारी हो और चाहे अधिकारी/कर्मचारी हो, उन सभी वर्गों के हितों का इस बजट में ख्याल रखा गया है। इस बजट से उद्योग जगत की स्थापना में गति मिलेगी और रोजगार सृजन होंगे। जो इस बजट का आकार है 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ रूपया, आर्थिक क्षेत्र में 40 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र में 37 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 23 प्रतिशत है। कुल आय 1 लाख 4 हजार करोड़ और कुल व्यय 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपए है। जो

बजट में राजस्व व्यय 88 हजार 372 करोड़ जिसमें 85 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय 15 हजार 241 करोड़ जिसमें 15 प्रतिशत है। आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च 40 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र में 33 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत है। सामाजिक क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा में 15.9 प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्र में 6.21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में 2.2 प्रतिशत इस बजट में खर्च किया गया है। आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत दर से ज्यादा है। आर्थिक स्थिति वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ का 11.54 प्रतिशत है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 9.2 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में कृषि विकास दर जहां 3.88 प्रतिशत है, वहीं राष्ट्रीय स्तर में 3.9 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास दर 15.44 है, वहीं राष्ट्रीय स्तर में 11.8 है। छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र में विकास दर 8.54 प्रतिशत है वहीं राष्ट्रीय स्तर में 2 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 18 हजार 401 है वहीं राष्ट्रीय स्तर में 1 लाख 50 हजार 326 है। छत्तीसगढ़ में वृद्धि दर 11.9 की है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 16.7 प्रतिशत है।

माननीय सभापति महोदय, चंद्राकर जी ने जिस ढंग से हृदय से बात कह रहे थे । आज छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं, किसानों के हितों की लगातार रक्षा कर ही है और इन तीन वर्षों में हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने लगभग 92 हजार सीधा-सीधा किसानों, अन्नदाताओं के जेब में डाला है। हमारे देश के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इस बजट 2022-23 में 20 हजार 400 करोड़ रूपये कृषि बजट शामिल है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा 1 हजार 424 करोड़ रूपया अधिक है। पिछले बजट में 18 हजार 98 करोड़ का प्रावधान था जबकि इस बजट में 20 हजार 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। खरीफ वर्ष 2021 में 21 लाख 77 हजार किसानों का 98 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर हमारी सरकार ने खरीदी की है जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वह Average 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाये। वे आज किसानों की घिड़याली आंसू बहा रहे हैं। आज हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के हितों की रक्षा किये हैं उसी का परिणाम है कि यहां का अन्नदाता, यहां का किसान खुशहाल है और अगर यहां छत्तीसगढ़ में जी.डी.पी. का ग्रोथ बढ़ा है, जी.डी.पी. बढ़ी है तो कहीं न कहीं यहां व्यापार, व्यवसाय बढ़े हैं। यहां जो व्यापारियों में खुशहाली की स्थिति आई है तो हमने लोग किसानों के जेब में पैसा डाला है। उसी के कारण हैं...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मरकाम जी, आपके यहां का किसान खुशहाल है तो कोण्डागांव में आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान आत्महत्या क्यों करते हैं ?

सभापति महोदय :- कृपया व्यवधान न करें। शर्मा जी कृपया व्यवधान न करें।

श्री मोहन मरकाम :- उसी के कारण हैं। आज कहीं न कहीं अन्य जगह की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ की योजनाओं की...। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी, क्या आपको समझ में आ रहा है कि यह क्या बोल रहे हैं ? समझ में आ रहा है ?

सभापति महोदय :- कृपया व्यवधान न करें। शर्मा जी कृपया व्यवधान न करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- इनके निर्वाचन क्षेत्र में किसान ने आत्महत्या की है। अगर किसान खुश है तो आत्महत्या...।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, कृपया बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, 2022-23 के बजट में कृषि के क्षेत्र में 9 हजार 271 करोड़, पशुपालन में 581 करोड़, मछली पालन में 181 करोड़, सहकारित में 457 करोड़, जल संसाधन में 3 हजार 295 करोड़, राजस्व में 976 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 1 हजार 53 करोड़ और वन एवं जलवायु परिवर्तन में 238 करोड़, ऊर्जा में 3 हजार 166 करोड़, वित्त में 16 करोड़, खाद्य विभाग में, 1 हजार 67 करोड़ और ग्रामोद्यग में 99 करोड़, जैविक खेती के लिए 18 करोड़ और उन्नत बीज के लिए 94 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आज हम जो देखते हैं केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने जो बड़े-बड़े वायदे किये थे, केंद्र ने किसानों की आय वर्ष 2022 तक डबल करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, मगर जिस ढंग से 3 कृषि कानून लाये, आज उन कृषि के कानूनों को वापस लेना पड़ा।

श्री सौरभ सिंह :- कृषि कानून, आज चुनाव के रिजर्ट में पता चल गया कि कृषि कानून का क्या हुआ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज भारत देश में किसानों की जो हालत है उसे दो लाइनों में कहना चाहूंगा। कहां छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की सराफत, जिधर भी देखता हूं, उधर बेईमान खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। (वाह-वाह की आवाज) (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहन मरकाम :- चीर के जमीन को मैं यह उम्मीद बता दूं मैं किसान हूं, मैं चैन से कहां सोता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- समाज पार्टी को ज्यादा सीट मिल रहा है 4 से, आप दो सीट में, वह 1 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 2 सीट का है।

श्री मोहन मरकाम :- देशभर की मायूंसी के इस दौर में हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और उसकी किसानों में चलाई जा रही योजनाएं अंधेरे में उजाले के किरण के समान हैं। जब किसान खुशहाल है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मतलब देश खुशहाल है। किसान समृद्ध होगा तो राज्य समृद्ध होगा। छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य है जहां राज्य के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादन वृद्धि से...।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मरकाम जी इसी किसान की बात कर करके यू.पी. में स्वाहा करवा दिये।

श्री नारायण चंदेल :- हाव, इसने बैंड बजवा दिया।

श्री मोहन मरकाम :- उद्योग से 21 लाख किसानों की हितों की रखवाली लगातार कर रही है। आज जब देश भर के किसान अपना भविष्य और अपनी उपज कीमत के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए परेशान है, महीनों से सड़कों पर 7,7-8,8 महीने से धरना-प्रदर्शन किये। 400 से अधिक किसान शहीद हुये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मरकाम जी, ग्लूकोज मंगवाये क्या, आप थक जाओगे ?

श्री मोहन मरकाम :- मगर छत्तीसगढ़ की, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है।

श्री सौरभ सिंह :- सब स्टेशन के लिए आपको याचिका लगाना पड़ रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, कृषि विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, राजीव गांधी की शहादत पूण्यतिथि 21 मई, 2022 से हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करके लगातार 5 हजार 700 करोड़ रूपया किसानों के खाते में डालने का ऐतिहासिक काम किया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन भैय्या, वह तो सब ठीक है आप बताइये कि बजट में कितना मिला ? बत वतके ला बता। बजट में तोला जतका...।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, कृपया व्यवधान न डाले।

श्री मोहन मरकाम :- आज कहीं न कहीं हमारी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय भूपेश बघेल और हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया, राज्य की सरकार बनने के बाद खेती-किसानी प्रोत्साहन देने का परिणाम है। कोरोना काल में भी वैश्विक महामारी में भी जब देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी तो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया और देश के लिए रोल मॉडल बन गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति जी, मरकाम जी, इतनी पूजा भगवान की करते तो वे प्रकट हो जाते ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, जहां जी.डी.पी. 24 प्रतिशत चली गई, वहीं छत्तीसगढ़ का जी.डी.पी. 8 प्रतिशत से ऊपर चला गया । यह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है । उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उसी

प्रतिबद्धता का परिणाम है कि हमारी सरकार ने किसानों कर्ज मुक्त किया और किसानों के उत्पादों का ज्यादा मूल्य दिलाने का काम किया है । मुख्यमंत्री जी ने 17 दिसम्बर को शपथ ग्रहण किया और हमारी सरकार बनते ही दो घंटे के अंदर ही पहला दस्तखत छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में किया । लगभग 19 लाख किसानों का लगभग 11 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ करने वाली कोई सरकार है तो वह कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है । मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं । उनका 2003 का घोषणा-पत्र, उनका संकल्प-पत्र देख देख लीजिए । उसमें उन्होंने लिखा था कि लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ, हर जरूरतमंद बेरोजगारों को, 12वीं पास युवाओं को नौकरी, नौकरी नहीं देने से बेरोजगारी भत्ता, प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी, छत्तीसगढ़ के 146 विकासखण्डों में दाल-भात केन्द्र, प्रदेश के आदिवासी परिवारों को एक गाय, प्रोफेशनल टैक्स माफ करेंगे, 1990 से वन भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा देंगे । यह आप लोगों को 2003 का घोषणा-पत्र था । यह झूठा घोषणा-पत्र था । सौरभ सिंह जी, इसीलिए आज जो आप लोग 14 सीटों में सिमट गए हैं, इसी का कारण है । इसीलिए कहते हैं कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओ समय सौरभ ह हाथी में सवार रिहीसे ।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए आप लोग 14 सीटों में सिमट गए हैं । आप लोग कहते हैं कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता है । आज सभी 14 नगर निगम कांग्रेस पार्टी ने जीता है (मेजों की थपथपाहट) यह हमारी सरकार की नीतियां हैं, हमारी सरकार की योजना है, हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं । शहर की जनता और गांव की जनता भी हमारे सरकार की उपलब्धियों की तारीफ कर रही हैं । अजय चन्द्राकर जी चले गए, जो किसानों की बात कहते थे, सुराजी गांव की बात करते थे । वह सुराजी गांव की बात क्या जाने ? महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा । आज गांव के विकास के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, सुराजी गांव की, नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी की योजना हमारी सरकार ने बनायी है । नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी के बारे में यह क्या जानें ? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी इंदौर में गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन करते हैं, उत्तरप्रदेश के चुनावी भाषणों में बात करते हैं । जो गायें वहां घूम रहीं हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ की तरह गौठान बननी चाहिए । देश के प्रधानमंत्री हमारी योजनाओं की तारीफ करते हैं। हमारे सरकार की योजनाओं की तारीफ करते 36 पुरस्कार देते हैं । यह हमारे सरकार की तीन साल की उपलब्धियां हैं, जिसके कारण हमारी सरकार को लगातार पुरस्कार मिला है ।

माननीय सभापति जी, आज केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ लगातार असहयोग कर रही है । केन्द्र सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ के पुल से 60 लाख मेट्रिक टन चांवल खरीदेंगे, मगर जब चांवल खरीदने की बात आती है तो केवल 24 लाख मेट्रिक टन चांवल ही खरीदा जाता है । केन्द्र सरकार द्वारा हमारे साथ लगातार भेदभाव किया जाता है । वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 से हमारी

सरकार ने क्रमश: 82 लाख मेट्रिक टन, 92 लाख मेट्रिक टन और 98 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का काम किया और छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को सम्मान देने का काम किया है । अगर यह किसी में हिम्मत है तो हमारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार में है । मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इनमें हिम्मत नहीं थी, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया। हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। मगर हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, षड़यंत्रकारी केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर साल लगातार धान खरीदने के समय बारदाने का कृत्रिम संकट पैदा करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मांग के अनुसार बारदाना, रासायनिक उर्वरक ना देना, धान खरीदी में बाधा उत्पन्न करना तथा सेन्ट्रल पुल में उसना चावल लेने पर भी मनाही कर रही है। मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ के विकास में रोड़े अटकाना चाहती है। केन्द्र सरकार, सेन्ट्रल पुल में राज्य के किसानों के धान से बने उसना चावल लेने से मना कर दिया। किसानों के लिए खाद, बारदाना नहीं दिया, केन्द्रीय योजनाओं का फंड रोका गया। तब क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कलम में स्याही सूख गई थी ? छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के हित में भारतीय जनता पार्टी के ये 14 विधायक और जो 9 सांसद हैं, क्या उनके मुंह से छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के हित में एक शब्द नहीं निकलता ? अगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के हित में कुछ काम कर रही है तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है ?

माननीय सभापति जी, रासायनिक खाद की बात हुई। खरीफ फसलों के 11.75 लाख मीट्रिक टन खाद मांगा गया, मगर हम लोगों को मात्र 7 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद दिया गया। वहीं रबी फसल में भी 45 प्रतिशत रासायनिक खाद की कमी की गई। जहां 7.5 लाख टन रासायनिक खाद की मांग की गई थी तो छत्तीसगढ़ को अभी मात्र 4.11लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद उपलब्ध कराया गया है। मतलब बारदाना देने में कंजूसी, रासायनिक खाद देने में कंजूसी,।मगर सौरभ सिंह जी, छत्तीसगढ़ का अन्नदाता समझ गया है। अभी आप लोगो को और 15-20 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आप लोग उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाईये। हमारी सरकार आम जनता के साथ-साथ सभी के हितों की रक्षा कर रही है। आज मोदी सरकार,हम लोगों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। इसका क्या मतलब है या तो धान का समर्थन मूल्य में खरीदी बंद हो या धान की खेती बंद हो। लेकिप धान हमारी पहचान है, इस पहचान को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लगी है।

कहां ले जाओगे किसान के हक का दाना,
दुनिया में तुमको भी एक दिन छोड़ जाना है,
भगवान का सौदा करता है, इंसान की क्या कीमत जाने,
जो धान की कीमत दे ना सके, वह जान की कीमत क्या जाने। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल-चरित्र है, जो हमारी सरकार को लगातार, भारतीय भूपेश बघेल की सरकार को अस्थिर और कमजोर करने का प्रयास कर रही है। फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे में, केन्द्र और राज्य की जो-जो भी हिस्सेदारी है, वह स्पष्ट है। जो-जो भी राज्य का हक है, उस हक को देना चाहिए। मगर केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार हमारे साथ लगातार अन्याय करना चाहती है।

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही है। उन्होंने बड़े-बड़े वादे किये थे, धान का 2100 रूपया समर्थन मूल्य, 300 रूपया बोनस देंगे, मगर नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ का अन्नदाता फिर से जाग गया है। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ को 15 साल ठगने का काम किया है। अजय चन्द्राकर जी अपने मुंह से कह रहे थे, जो लूटने का काम किया है, जो नॉन की बात कर रहे थे, लगभग 36 हजार करोड़ रूपये का घोटाला करने का काम किया है, सौरभ जी, अजय चन्द्राकर जी इसी कारण है कि आप लोग 14 सीटों पर सिमट गये। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे आरोप प्रूफ भी हो गये हैं और उस प्रूफ के कारण, नान घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से लेकर, आप जितने भी घोटाले हैं, आप उनको देख लीजिये। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब जी ने आकाशवाणी के प्रसारित कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि उनकी सरकार आजादी के बाद 75 वीं वर्षगांठ में 2022 तक देश में यूरिया की कमी आधा करने की दिशा में काम करेगी । आकाशवाणी के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री कहते हैं, मगर यूरिया की किल्लत देखिये, हम मांगते कुछ हैं, देते कुछ हैं । आज छत्तीसगढ़ का किसान रासायनिक खाद के मामले में परेशान है । मगर हमारी सरकारों ने गोठानों से निकले हुये वर्मी कम्पोस्ड के माध्यम से उसका विकल्प खोज लिया है । उसमें हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । आज गोबर से वर्मी कम्पोस्ड बनाने की प्रक्रिया के उपरान्त खेतों तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार गोठानों के माध्यम से कर रही है, जो 15 साल तक डॉ.रमन सिंह की सरकार नहीं कर पाई है । माननीय सभापति जी, उन्होंने बड़े-बड़े वादे किये थे, लन्दन से ना खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से । मैं पूछना चाहता हूँ कि अजय चन्द्राकर जी की गाड़ी, डॉ.रमन सिंह जी की गाड़ी या सौरभ सिंह के गाड़ी कौन से डीजल से चलती है । 400 करोड़ से अधिक राशि इन्होंने रतनजोत में खर्च किया है, उसके एक पैसे का उपयोग नहीं हुआ है । आज हमारी सरकार गोठानों के माध्यम से गोबर खरीदी दो रूपये में कर रही है, 10 रूपये में वही गोबर से वर्मी कम्पोस्ड बनाकर बेच रही है । आज उसका लाभ लाखों हमारी बहनों और माताओं को जो गोठानों में काम करती है, स्व-सहायता समूहों की बहनें काम करती है, उसमें आगे बढ़ रही है । माननीय सभापति जी, रमन सिंह के राज में दलालों और बिचौलियों के माध्यम से बाहर की कंपनी से खरीदी होती थी । भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्थानीय मजदूरों और किसानों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कोई लाभ नहीं मिलता था, छत्तीसगढ़ के किसानों को बाध्य करने का काम 15 साल से डॉ.रमन सिंह की सरकार ने कमीशनखोरी के चलते नीम रत्न जैसे उत्पादों को यूरिया और डी.ए.पी....।

श्री सौरभ सिंह :- थोड़ा यूरिया, फर्टिलाइजर से आगे आईये ना । थोड़ा आगे खिसकिये । 15-20 मिनट से यूरिया, यूरिया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- वही कमी है । वहां क्या नहीं रहा है । व्यवधान जो भारत सरकार भेज रही थी ।

श्री सौरभ सिंह :- उसी-उसी में मत घुमाईये, आगे बोलिये । कितना समय दे दिये...।

सभापति महोदय :- सौरभ सिंह जी, कृपया बैठ जायें । व्यवधान न डालें ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बोल रहे हैं कि यूरिया की कटौती जो होती है, उसके बारे में आप बताईये ।

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में घटिया वर्मी कम्पोस्ड देने की शिकायतें भी सच पाई गई थी । रमन सिंह के राज में कई सप्लायर के यहां बैन भी लगा था । किसान विरोधी सरकार जिसने बोनस 5 साल लगातार देने की बात कही थी, उसके साथ-साथ किसानों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देने की बात की थी, 5 साल बोनस देने की बात की थी, वर्ष 2013 में 2100 रूपये समर्थन मूल्य बोनस देने की बात की थी, आपने केवल 1470 रूपया दिया था, इस दिशा में हमारी सरकार कहीं न कहीं लगातार काम कर रही है । माननीय सभापति महोदय, जब नरवा, गरूवा, घुरवा की बात होती है, कौन से विभाग संचालित करता है, वरिष्ठतम विधायक और ज्ञानी विधायक जी कह रहे थे, आज नरवा, गरूवा, घुरवा की बात होती है, आज नीति आयोग इस योजना की तारीफ कर रही है । अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा । हम सतही जल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम वाटर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, हम सतही जल को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है । उसी का परिणाम है कि कई जिलों में सतही जल ऊपर आया है, वाटर लेवल ऊपर आया है। रायपुर जैसी जगह में 700 फिट में भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया रायपुर और रायपुर के लिए गंगरेल बांध से पानी लाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। इसका मतलब साफ है कि यहां पानी की कमी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने 15 सालों में कार्ययोजना बनाई होती तो यह नौबत नहीं आती। आज हमारी सरकार की नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी बृहद योजना है, इस नरवा से हमारे नदी, नालों को रिचार्ज करके वॉटर लेवल बढ़ेगा। गरवा योजना से गाय हमारी माता है, वेदों, पुराणों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। यह तो गाय के नाम से सिर्फ और सिर्फ कमीशन खाते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 500 से अधिक गायों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गौठानों में मौत हो गई थी। मगर हमारी सरकार ने गाय को माता का दर्जा देकर सम्मान देने का काम किया है। गाय के गोबर की खरीदी भी हो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रही है और गाय के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट भी बन रहा है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने " जय जवान-जय किसान" का नारा दिया था। जवान देश की रक्षा करेंगे और किसान अन्नदाता देश के नागरिकों के लिए अन्न उपजायेंगे। देश में हरित क्रांति आई, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, शान पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी की हम देन कहें, चाहे गंगरेल बांध से लेकर कई बाधों का निर्माण किया उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में अगर सिंचाई का रकबा इतना है तो कहीं न कहीं इसका श्रेय उनको जाता है। आज गंगरेल बांध से भिलाई स्टील प्लांट से लेकर, राजधानी रायपुर को भी पीने का पानी आता है। अगर यहां सिंचाई का रकबा बढ़ा है तो यह उनकी दूरदृष्टि सोच के कारण है। 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए कोई काम नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार देश में समावेशी विकास के मामले में नंबर एक है। महात्मा गांधी जी ने अपने आदर्शों, मूल्यों और अहिंसा के दम पर देश को आजाद कराया। आज नया रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, बापू जी की स्मृतियों को चिर-स्मरण करने के लिए "सेवा ग्राम" की स्थापना की जायेगी जिसके लिए 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसके लिए हमारी सरकार ने 2022-23 के बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय सभापति जी, आज चडडी, बनियान गैंग के लोग यह क्या जानेंगें कि देश की आजादी में, देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में इन लोगों ने एक नाखून, एक उंगली न कटाये होंगे।

श्री सौरभ सिंह :- जितने लोग छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सबको कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह क्या जानेंगे कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करने के बाद आजादी की लड़ाई में हमारे नेताओ ने कुर्बानियां दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं। यह वीर सावरकर जी को बोलते हैं, वीर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं। यह क्या जानेंगे? अजय चन्द्राकर जी जैसे लोग देश की आजादी के बारे में क्या जानेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं का सिर्फ और सिर्फ राम नाम जपना, पराया माल अपना, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल और चरित्र रहा है। माननीय सभापति महोदय, अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इन लोगों ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ का खरीदा। यह तो कहीं भी नही छोड़ते, भगवान राम की जो जन्म स्थली है, इन्होंने उस जगह को भी नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने, जो चंदखुरी में भगवान राम का ननिहाल है, वहां भव्य मंदिर बना रही है, इन्होंने 15 साल में नहीं किया। भगवान राम जी ने लगभग जिस 14 वर्ष के वनवास में, 12 वर्ष छत्तीसगढ़ के जिस दण्डक स्थान पर गुजारे हैं, आज छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ के विकास के लिये लगातार काम कर रही है तो आज इनको तकलीफ हो रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- आप शिवरीनारायण में चलिये, वहां देखिये कि राम वन गमन पथ में कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना", कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको भी हमारी सरकार ने 7 हजार रूपये सालाना देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज हमारी सरकार ने 3 लाख 54 हजार 513 भूमिहीन मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख रूपये देने का काम किया है। आज हमारी सरकार को उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। आज जो ग्राम सुराज का सपना है, जो गांधी जी का सपना था कि गांव के विकास हो, उसके लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है। आज आपने गुजरात में देखा होगा कि जितनी भी सहकारी समितियों के माध्यम से काम हो रहे हैं, चाहे अमूल दूध हो, आज अगर अमूल दूध पूरे देश में ब्रांड बना है, सहकारी समितियों के माध्यम से बना है। आज गांव-गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, हमारी सरकार भी यहां के लोगों को, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसमें किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरें, हमारी सरकार उसके लिये लगातार काम कर रही है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी देवस्थलों..।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, मैं प्रथम वक्ता हूं और मुझे कम से कम 02 घण्टे से ज्यादा ही बोलना है। इसलिये मुझे आपका संरक्षण चाहिये और मैंने तो इसीलिये कृषि के क्षेत्र में लम्बी बात कही है। अभी तो मैंने शुरूआत की है, मुझे 02 घण्टे अपनी बात रखनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में 60 प्रतिशत भू-भाग, अधिसूचित क्षेत्र है। हमारे देव गुनिया, वहां की आस्था है। वहां पर हमारे देव गुनियों में जितने भी पुजारी है, गायता है, हाटपारिया है, उनके लिये, लिये गये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में कहा था, इसमें लिखा है कि सिरहा, गुनिया, गायता, माटी-पुजारी को 500 रूपया मानदेय देंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो 60 प्रतिशत भू-भाग में जो देवस्थल है, वहां के पुजारी है, वहां के गायता है, वहां के हाटपारिया है, उनको "राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूरों की तरह ही सालाना 7 हजार रूपये देने का निर्णय लिया है, यह ऐतिहासिक निर्णय है। जिस ढंग से चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, श्री सौरभ सिंह जी, वहां की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था, आपको पता है न, बस्तर में पूरे 12 के 12 का सुपड़ा साफ हो गया था, सरगुजा में 14 में से 14 सीटों को हमने जीता था। आज आप वहीं देखिये कि हमारी सरकार ने जो वहां के लोगों को सम्मान देने का काम किया है, हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

"सुराजी गांव योजना", माननीय अजय चंद्राकर जी क्या जाने, सुराजी गांव के बारे में। आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, अगर लोगों की जेब में आमदनी आ रही है। यहां छत्तीसगढ़ के व्यापारी इस कोरोना काल में भी खुश है। ट्रेक्टरों की खरीदी हो रही है, सोना-चांदी की खरीदी हो रही है, मोबाईल खरीदी हो रही है, मोटरसाईकिल खरीदी हो रही है। अगर यहां व्यवसाय भी फलीभूत हो रहा है मतलब यहां के ग्रामीणजनों की जेब में पैसा आ रहा है, आज यह उसी का परिणाम है। सुराजी गांव के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश में स्थापित गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा। गौठानों में कई प्रोजेक्ट किये जाएंगे, हमारे जितने भी वन उत्पाद हो रहे हैं जो पूरे देश में कोरोना काल में भी 74 प्रतिशत वनोपज की खरीदी की गई। पूरे देश में ...।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज जो लघु एवं कुटीर उद्योग की बात हो रही है, हमारी सरकार कर रही है। आज कहीं न कहीं उससे लोगों को आमदनी मिलेगी। आपने सपने में भी नहीं सोचा था, हमारे जिले में लगभग हजार महिलाओं को रोजगार मिला है। दंतेवाड़ा से बनने वाले कपड़े हैं वह बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली, मुम्बई के बड़े-बड़े शहरों में जाता है। कोण्डागांव का तिखुर, कोण्डागांव में बनने वाले जितने भी ईमली, महुंआ का लड्डू, एयरपोर्ट में मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कोण्डागांव में 136 करोड़ रूपये से जो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है, यह ऐतिहासिक निर्णय था, जो हमारे जिले ही नहीं, बस्तर संभाग से लेकर उड़ीसा के किसानों और हमारे जिले के 65 हजार किसानों को उसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, इन औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना तथा बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे आधे घण्टे का समय दीजिए, मैं अपनी बात जल्दी-जल्दी रख देता हूँ। गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा दिया जायेगा, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय कार्य किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है। वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

रेखा से ऊपर पहुंचाया था। वहीं जी.एस.टी. और नोट बंदी और मोदी जी की गलत नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गये हैं। आज हमारी सरकार की नीतियां ऐसी हैं जहां पूरे देश में बेरोजगारी दर 7 प्रतिशत है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र दो प्रतिशत है। यह हमारी सरकार की नीतियां हैं। लगातार हमें एक बड़ी सौगत मिली है, यह हमारी सरकार ने दी है। छत्तीसगढ़ के लगभग 3 लाख अधिकारी-कर्मचारी जो लगातार आन्दोलन कर रहे थे, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वर्ष 2004 से पेंशन योजना बंद कर दी थी, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 लाख अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमारे अधिकारी-कर्मचारी शासन के दो पहिए हैं, एक तरफ हमारे अधिकारी कर्मचारी और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि हैं। यह सरकार के दो पहिए हैं। अगर सरकार के यह दो पहिए अच्छे से चलेंगे तो हमारा शासन अच्छे से चलेगा। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़, 80 लाख जनता की भलाई होगी।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूँ। मुझे आधे घण्टे का समय दे दीजिए।

सभापति महोदय :- आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी आगामी वर्ष से वृद्धि की है, उसके साथ-साथ हमारी सरकार का जो निर्णय है कहीं न कहीं हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहे हमारे पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हों, जनपद जिला सदस्य हों, हमारे जनपद उपाध्यक्ष हों, चाहे जनपद अध्यक्ष हों, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, उनके लिए भी निधि में प्रावधान किया गया है। कहीं न कहीं जो बातें हैं वह लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अजय चन्द्राकर जी जो बातें कह रहे थे कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं । हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज उद्यमी की बातें हो। आज छत्तीसगढ़ राज्य की बात है, लगातार काम कर रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात है, एक होनहार बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए है। छत्तीसगढ़ के सभी ब्लाकों में 146 ब्लाकों के साथ-साथ शहरों में भी आत्मानंद स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार की सोच थी, राजीव गांधी जी की सोच थी कि नवोदय विद्यालय खोलकर, मॉडल विद्यालय खोलकर, अंधरूनी क्षेत्रों में उस क्षेत्र के होनहार बच्चों को काबिल बनाने का काम किया था। माननीय सभापति जी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमारा जो मॉडल स्कूल का स्ट्रक्चर था, पूरा केन्द्र सरकार देती थी और डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल को प्राईवेट हाथों में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। हमारी सरकार ने फिर से उस क्षेत्र के होनहार बच्चों को अवसर देने का प्रयास किया है। आज कहीं न कहीं फूडपार्क की बात हो रही है, आज चिराग परियोजना की बात हो रही है। हमारी सरकार लगातार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम कर रही है। आज हमें लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सभापति जी, यह देश का पहला उदाहरण है, महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी तारीफ की। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आज किसी भी क्षेत्र में जाईये, बड़े-बडे गड्ढे बने थे। आज हमारी सरकार ने 24 हजार करोड़ रूपये की लागत से सड़क, पुल, पुलिया से लेकर, लगातार निर्माण कर रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की तीन सालों की सरकार को देख लीजिए, हर विधानसभा में सड़कों को देख लीजिए, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में मंजरा टोला में भी हमारी सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय :- माननीय मरकाम जी, समय का ध्यान रखिए।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, 10 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बिजली बिल हाफ योजना के तहत 40 लाख 56 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 2100 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें 5 लाख 81 हजार किसानों के सिंचाई पंप भी शामिल है। वर्ष 2020-21 में भी हमने मनरेगा के माध्यम से 18 करोड़ 81 लाख मानव दिवस सृजित किया जिसमें बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ-साथ 7 हजार 835 गौठानों में 5 हजार 484 चारागाह, 740 नवीन ग्राम पंचायत भवन तथा 6 हजार आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

माननीय सभापति जी, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में जनता के धन की सुरक्षा और सुरक्षित लेन-देन की व्यवस्था की गई है जिसमें 21 हजार से अधिक बैंक मित्र, 26 हजार से अधिक बीसी सखियां, 551 नई बैंक शाखाएं तथा 600 एटीएम का सहयोग मिलने लगा है। ताकि पेंशन हो या अन्य घर पहुंच सेवा हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उन तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार ने 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 48 लाख 59 हजार 443 परिवारों को घर-घर नल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 16 जिलों में 150 आदर्श छात्रावासों तथा आश्रम शालाओं का विकास किया जा रहा है जिसमें हमारे दुर्ग जिले में 200 सीटर आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज हेतु मेडिकल कॉलेज जिसमें 3 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एक मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण किया गया है और 2 मेडिकल कॉलेज, महासमुंद और कांकेर में दिया गया है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के दो करोड़ 80 लाख जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। आज कहीं न कहीं हमें लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2022-23 का बजट छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमें लगता है कि इस बजट से आम जनता को लेकर सबको लाभ मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही । आऊटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के लोगों को रोजगार मिलता था । हमारी सरकार ने 14500 शिक्षकों की भर्ती, 1345 प्रोफेसरों की भर्ती, 3000 पुलिसकर्मियों की भर्ती और लगातार हम लोग प्राईवेट सेक्टरों में भी

रोजगार देने का काम कर रहे हैं । यह हमारी सरकार की नीति और नीयत है । चाहे उद्योगों में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो । हम लोग लगातार पी.एस.सी. के माध्यम से एवं अन्य साधनों के माध्यम से यहां के लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं अगर इसे कोई कर सकता है तो कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ही कर सकती है ।

सभापति महोदय :- कृपया बैठें ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मुझे तो ढ़ाई घंटे बोलना था लेकिन आपने मुझे एक घंटे भी बोलने का अवसर नहीं दिया । आपने विपक्ष के साथी को एक घंटे 30 मिनट का समय दिया । मैं चाहता हूं कि मुझे 10 मिनट और बोलने का अवसर दिया जाये ।

सभापति महोदय :- आपकी पूरी बातें आ गयीं । कृपया बैठिए ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मेरी बहुत सी बातें बची हैं । मुझे एक घंटे भी बोलने का मौका नहीं मिला । मैं घड़ी देख रहा था । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाट बाजारों में पहली बार ऐसा हुआ है ।

सभापति महोदय :- माननीय मरकाम जी, कृपया सहयोग करिये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के जो साथी हैं उनको आपने एक घंटा 30 मिनट-35 मिनट बोलने का मौका दिया ।

सभापति महोदय :- नहीं, एक घंटा 35 मिनट नहीं । लगभग समान है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस 2-3 बातें ही कहूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बोलूं कि नहीं, आप मुझे बता दीजिये ताकि मैं बैठ जाउं ।

सभापति महोदय :- चलिये, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये शहरी तथा बस्तियों में पहुंचने के लिये, जनता को राहत दिलाने के लिये मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना, दाई-दीदी क्लिनिक योजना ये ऐतिहासियक योजनाएं हैं । आज हाट बाजारों में हमारी सरकार कार्य कर रही है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मरकाम जी, आपकी सभी बातें आ गयी हैं । कृपया सहयोग करें । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- इही छत्तीसगढ़ मॉडल हे । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- सुने के भी क्षमता रखओ, सुनओ । योजना ला सुनओ। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, वहां बकायदा ईलाज होता है। ऐतिहासिक निर्णय है । इसके सकारात्मक परिणाम आये हैं । (व्यवधान) कहीं न कहीं इन योजनाओं से यहां की जनता को लाभ मिला है ।

सभापति महोदय :- कृपया सहयोग करें । मरकाम जी, कृपया बैठिए । आप सीनियर सदस्य हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, क्या मैं बोलूं ?

सभापति महोदय :- मरकाम जी, कृपया बैठिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप इधर ब्रेक लगायेंगे तो मैं बोलूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री नौनी सतत् योजना जहां 15 हजार से 25 हजार रूपये देने का काम किया है । आज हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ 78 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था । सरकार ने 2 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदों और विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कहीं से भी यह मुख्य बजट की चर्चा की उपस्थिति नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पूरा सूना-सूना है । उजड़ा-उजड़ा है । दर्शक दीर्घा खाली है, अधिकारी दीर्घा खाली है, ट्रेजरी बेंच खाली है । हम लोग तो थोड़ा अच्छी पोजिशन में हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहन मरकाम जी, पूरी सरकार ने आपका बहिष्कार कर दिया है ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- सब बैठे हैं । सब अधिकारी बैठे हैं । हम सब लोग सुन रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मोहन मरकाम जी को तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बोलने को नहीं मिलता है केवल यहीं बोलने को मिलता है । आपके 8-10 बार टोकने के बाद भी वे लगातार बोलते रहे । क्यों मोहन जी ?

श्री अजय चंद्राकर :- यहां भी उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है ।

श्री मोहन मरकाम :- आपको भी पता है न कि मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं हारने का रिकॉर्ड है, वह रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी कृपया अपनी बात रखें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आपको सबस्टेशन के लिये याचिका लगाना पड़ रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- सबस्टेशन के लिये आप गिड़गिड़ा रहे थे ।

श्री सौरभ सिंह :- आप गिड़गिड़ा रहे थे, याचिका लगा रहे थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका नेतृत्व ऐसे ही बना रहे, यहां भी उत्तरप्रदेश टाईप का रिजल्ट आने वाला है । माननीय सभापति महोदय, कोई भी बजट मुख्य बजट किसी भी प्रदेश के दिशा और दशा को दर्शाता है और बहुत बड़ा बजट पेश हुआ है। लगभग 1 लाख 04 हजार करोड़ रूपये का, परंतु सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक साल पहले वर्ष 2021-22 के बजट में एक कारीडोंगरी दरवाजा के बीच में एक पुल बनना था। बजट में प्रावधान किया गया और 12 महीने में उस पुल की अभी तक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। (शेम-शेम की आवाज) ये कागज मेरे पास है। मैं यह कागज रखकर बात कर रहा हूं। अगर इस प्रकार से बजट रखकर, दिखाकर बात करके बड़ी-बड़ी बातें आप करेंगे और एक साल में एक छोटा से डिपार्टमेंट से 4 करोड़, 5 करोड़ पुल का administrative approval अगर नहीं मिला है तो यह बहुत अफसोस होता है कि आखिर ऐसे बजट को हम देखकर और खुश होकर करेंगे क्या? एक तो हम लोगों को काम बहुत कम मिलता है। एकाध कोई आया भी है तो उसे कोई देखने वाला भी नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- साहब, 4 करोड़ मिल गये। आपको भी 4 करोड़ मिल गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- 4 करोड़ का धन्धा जो लोग करते हैं, वे खुश हो, नाराज हो, उन्हें 1 करोड़ भी नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन ये पुल छत्तीसगढ़ के 2 गांवों के बीच बनना। यह कोई यूक्रेन में नहीं बनना है, जिसका administrative approval अभी तक नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि इस बजट के माध्यम से बोल रहा हूं। यह पेपर है। मैं आपको दे दूंगा। आपको जिस अधिकारी को देना है। इसमें जरा administrative approval कराइए। माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा उदाहरण मैं किसे बताउं? यहां तो कोई मंत्री है नहीं। दूसरा उदाहरण, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर की बात करना चाहता था, वह भी नहीं हैं। अब पी.एच.ई. मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर और नगर पंचायत के मंत्री, लोरमी में 11 करोड़ रूपये की पेयजल योजना की मंजूरी हुई। सालभर से वहां पर टेंडर-टेंडर, रेट, टेंडर, रेट, टेंडर होते रहा। अब आखिर में वह स्थगित हो गया, क्योंकि उसमें पानी लाने की अनुमति इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। वह पूरा टेंडर जो आपके डेढ़ साल, दो साल, तीन साल के कार्यकाल में हुआ, वह फिर चौपट हो गया। अभी फिर एक नई स्कीम शुरू हुई है कि तखतपुर, मुंगेली और लोरमी को मिलाकर एक 76 करोड़ की योजना हम लायेंगे और वह प्रोजेक्ट बनेगा। सभापति महोदय, ऐसा क्यों? पीने का पानी, दिल्ली का पैसा है, उसे आप पीने के पानी के लिए तो कम से कम दे दीजिए। हमने तो ठेका नहीं लिया है। न हमारे परिवार में कोई ठेकेदार है। अगर जो भी है, सरकार को देखना चाहिए और काम को त्वरित गति से करके लोगों को सुविधा दो। आप 3 साल में अगर टेंडर नहीं कर सके, वह टेंडर मैच्योर नहीं हुआ, उस टेंडर में वर्क ऑर्डर

नहीं हुआ तो आखिर आप कब करेंगे? ये आखिरी बजट है। इसके बाद न बजट का महत्व है और न आखिरी साल में आपकी बात का कोई महत्व रहेगा। सभापति महोदय, यह दूसरा उदाहरण है। ऐसे मैं पचासों उदाहरण बता सकता हूं जो यहां के 3 साल के बजट में काम शामिल किये गये और उन कामों को अगले साल के बजट में गायब कर दिया गया और जो काम शामिल था, वह काम भी न हुआ, न उसका टेंडर हुआ और न कुछ हुआ। मैं उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता। खेलकूद के बारे में इस बजट में बहुत प्रावधान है। डॉ. रमन सिंह की सरकार में बी.आर. यादव स्टेडियम, बहतराई का निर्माण हुआ। इतना सुंदर स्टेडियम बना है कि उसमें एथलेटिक्स का है, अभी हॉकी मैच में बृजमोहन जी भी गये थे। बच्चियों का हॉकी मैच हो रहा था ऑल इंडिया टूर्नामेंट नवभारत ने कराया। हम भी गये थे। उस हॉकी के टूर्नामेंट के कारण उस मैदान में खेल हो रहा है। बाकी एथलेटिक्स का उस स्टेडियम का उद्घाटन भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, लेकिन सभापति महोदय, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप यहां से आदमी भेज दीजिए। अगर वहां पर सिर्फ सांप, बिच्छू का डेरा न हो तो आप मुझे कहेंगे तो मैं सबेरे यहां विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। झाड़, झंखाट पूरा जंगल लगा हुआ है। न सफाई हो रही है। न पोताई हो रही है। न वहां खेल हो रहा है। न वहां इंडोर स्टेडियम में कोई खेल होता। न एथलेटिक्स का कोई खेल होता। न वॉलीवाल होता, क्योंकि वह जंगल में बना दिये हैं, न वहां तक आने के लिए कोई व्यवस्था है, न वहां पर कोई स्टाफ रहता, न कहीं कोई सुविधा है और न ही कहीं कोई व्यवस्था है। करोड़ों रूपये की चीज का अगर अपव्यय हो और अगर खेलकूद के नाम से हम बड़ी-बड़ी बात करें तो यह बहुत अफसोस होगा। बिलासपुर का बी.आर. यादव स्टेडियम बहतराई, पाण्डे जी आपके शहर में है। आप वहां के एम.एल.ए. हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खड़े होकर मेरी बात का विरोध करके बोल दीजिए। वहां पर इन सब छोटी-छोटी चीजों को देखना चाहिए। चाहे वह कोई भी सरकार हो, उसने कोई चीज बनाई है, हम वहां बैठते हैं तो यह हमारा धर्म है कि हम उसकी हिफ़ाज़त करें, उसकी सुरक्षा करें और बच्चों को, खिलाड़ियों को खेलने के लिए उपलब्ध कराएं । बजट, बजट, बजट बहुत बात होती है । एक मंत्री ने एक कलेक्टर के खिलाफ बयान दिया था, आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा । आपने पढ़ा है या नहीं, यह नहीं मालूम । अमितेश जी आपने पढ़ा है या नहीं ।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन धर्मजीत भइया, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि चंद्राकर जी के साथ रहकर आप भी बिगड़ गए हैं । नहीं तो आपकी स्पीच और कुछ रहती थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बिगड़ गया तो बिगड़ गया, मुझे तो बिगड़ना ही है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- अभी वे धीरे-धीरे आएंगे, अभी स्पीड पकड़ रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कलेक्टर के बारे में मंत्री बोल रहा है । एक बड़े नेता ने तो यहां तक कहा कि राजनीतिक प्रदूषण फैल चुका है । ऐसा क्यों, यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि बजट का सदुपयोग

नहीं हो रहा है, बजट का दुरूपयोग हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, फूड पार्क, फूड पार्क, राहुल गांधी जी के बारे में किसी ने बोल दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा । राहुल गांधी जी ने अमेठी में बोला छत्तीसगढ़ के हर जिले में वहां का किसान जाता है, फसल लेकर जाता है, फसल बेचता है और पैसा लेकर आता है, कहानी खत्म । कहां है, एक भी कहीं टोमेटो कैचप की फैक्ट्री हो तो बताओ । जहां लुढ़ेंग में टमाटर होता है, वहां फैक्ट्री नहीं है । बिलासपुर में नहीं है, रायगढ़ में नहीं है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उत्तर प्रदेश वालों को वास्तविकता पता चल गई ना।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन यह फूड पार्क है कहां ? हमारे क्षेत्र में है क्या बता दीजिए ?

श्री अमरजीत भगत :- इतना अच्छा विधायक निधि बढ़ा दी, पंचायत प्रतिनिधियों की निधि बढ़ा दी, पुरानी पेंशन लागू कर दी, कुछ तो तारीफ कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कर रहा हूं ना । आप यह मत समझना कि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं । मैंने इसमें पहले से लिखकर रखा है कि आपने कर्मचारियों को ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये सब आउटडेटेड हो गए, अब अमितेश शुक्ल जी मंत्री बनेंगे ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने पुरानी पेंशन देने की जो घोषणा की है, हम उसका स्वागत् करते हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- शुभकामनाओं के लिए शर्मा जी को धन्यवाद् ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन इस प्रदेश के हजारों, लाखों आंदोलनरत् कर्मचारी जो यहां पर पुलिस के साये में बैठे हैं, चाहे वे दिवंगत शिक्षकों के परिजन जिनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है, वे लोग बैठे हैं । पंचायत के सचिव नियमितीकरण की मांग को लेकर बैठे हैं । शिक्षकों की मांग है, और भी कई कर्मचारी हैं । एक ज्ञापन मिला है, दिव्यांग मितान के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय एवं यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए । ये सब आंदोलनरत् हैं, इनके लिए भी आप करिये । ये हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं, नौकरी करते हैं, वर्षों से मांग कर रहे हैं । आपके घोषणा पत्र में है, सरकार बने हुए 3 साल हो गए हैं । यदि इनकी मांग पूरी नहीं करेंगे ये बूढ़ा तालाब में बैठे हैं, आखिर आप इतने अहंकार में क्यों जी रहे हैं ? वही लोग अगर फ़र्श से उठाकर अर्श में बैठाए हैं, तो याद रखिएगा अर्श से उठाकर फ़र्श में भी पटक देंगे । इसी विधान सभा में मैंने कुंडा को तहसील बनाने की मांग की थी । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम जब भी बनाएंगे तो जरूर आपका ख्याल रखेंगे । कुंडा, मेरे विधान सभा क्षेत्र का नहीं है । कुंडा, मेरे गृह ग्राम का एक बहुत प्रमुख गांव है और मैं वहां से कोई चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूं । लेकिन कई लोगों को यही चिंता है कि अगर मैंने मांग कर दी है तो मैंने मांग क्यों की, इसलिए उसको रोकने की कोशिश होने लगी और आपने कुंडा को तहसील नहीं बनाया । जबकि कुंडा को पात्रता है, एक चीज और बता देता हूं, नहीं बनाया तो इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा, मैं आपको सचेत कर

रहा हूं । इसलिए आपसे निवेदन है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जवाब देने के समय आग्रह करूंगा कि आप कुंडा को तहसील बनाने की घोषणा कीजिए ।

फूड पार्क हमारे लोरमी में कहां पर है ज़रा मुझे भी बताइए । एक कृषि सहकारी साख समिति मध्यप्रदेश के समय से बनी हुई है । आप पट्टा देने की बात कर रहे हैं, नारंगी क्षेत्र की बात कर रहे थे । मेरे पास पूरी कृषि सहकारी साख समिति जो 50 साल पहले की बनी हुई है, जिसमें किसान काबिज हैं, उसकी परिसीमन खत्म करके, वहां के उन किसानों को जो उसमें काबिज हैं उनको पट्टा देनी चाहिए। यह पूरी फाईल रखा हुआ घुम रहा हूं। पूरी फाईल में मध्यप्रदेश के दस्तावेज है। इसी विधानसभा के दूसरे गांवों के लोगों को पट्टा मिला है। आखिर में मैं इसको लेकर जाऊं कहां? इसमें पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है? मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप संसदीय समिति बनाकर के पट्टा दिलवाईये और गांव के लोगों को पट्टा मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हाई स्कूल, मिडिल स्कूल बहुत खोल दिये। पूरे प्रदेश में 12 हाई स्कूल, मीडिल स्कूल खोलें। वह भी आप ऐसे लोगों के कहने से खोले होंगे जो आप लोगों के बहुत पसंदीदा होंगे। 12 हाई स्कूल और मीडिल स्कूल खोल रहे हैं तो हम लोग एम.एल.ए. बनकर क्या यूक्रेन से, नाइजीरिया से कहां से आए हैं? हम लोग भी तो इसी प्रदेश के हैं। हम लोगों के कहने से स्कूल क्यों नहीं खोलते ? हम क्योंश्चन लगा रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन दे रहे हैं, कटौती प्रस्ताव दे रहे हैं लिख-लिखकर। हम लोगों के यहां भी तो मीडिल स्कूल, हाई स्कूल खोल दो। और कुछ खोल नहीं सकते तो इतना तो खोल सकते हो शिक्षा मंत्री जी या वह भी नहीं करेंगे। वह तो करिए। यह क्या बेकार का तीन-चार खोल करके, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि ...।

श्री अरूण वोरा :- धर्मजीत भाई, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम की 172 खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी की शासन में तो तीन हजार स्कूलें बंद हो गईं थी। हमारी सरकार तो स्कूलें खोल रही है, उसकी तो आप प्रशंसा कर दीजिए। आप अंतर्मन से हमारे साथ हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कहां पैरवी कर रहा हूं। नहीं-नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के 20 हजार गांवों में सिर्फ 4 स्कूल, चार-आठ गांवों में स्कूल खोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- धर्मजीत भैया, एक मिनट। माननीय अरूण वोरा जी, आप डिप्रेशन में तो नहीं हैं। हम आपको पूरे घर छोड़ने चले क्या दुर्ग? आपको बड़ी चिंता है।

श्री अरूण वोरा :- मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोग आपको दुर्ग छोड़ने चल देंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 3500 स्कूल इन्होंने बंद किया तो आपकी सरकार ने कितने स्कूल खोला? 3500 स्कूल में 5 स्कूल खोला क्या आपने? पूरे 3500 स्कूल खोल दीजिए न।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक नहीं खोले, एक नहीं खोले। पहली बार खोला है। वह भी गिनती के पांच।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं माननीय धर्मजीत जी, वह जो स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं वह कोई नया स्कूल नहीं खोले हैं। जो हिंदी स्कूल है, उस हिंदी स्कूल को इंग्लिश स्कूल में परिवर्तित कर दिये हैं। कोई नया स्कूल नहीं खोले हैं और वहां के हिंदी स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको वहां से निकाला जा रहा है। वह लोग भटक रहे हैं। कोई नया स्कूल नहीं खोला गया है। आप बड़ी-बड़ी बात मत करो। आपने एक भी कोई नया स्कूल खोला है तो बताओ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, यह जो बजट है उसको मैं रात भर पढ़ रहा था। हालांकि मैं बहुत ज्यादा अंक गणित में कमजोर हूँ। मैं बहुत जयादा समझता नहीं हूं। जो जी.डी.पी. होता है न वह मेरे को समझ में नहीं आता। मैं इन सब बातों पर भरोसा करता नहीं कि इतना परसेंट है, उतना परसेंट है।

डॉ. विनय जायसवाल :- बृजमोहन भैया, जो आप हिंदी मीडियम की स्कूल को बंद करने की बात आप कर रहे हो। आपके पूरे 15 साल के शासनकाल में हिंदी मीडियम स्कूल में क्या व्यवस्था किये थे? क्या हालत हुए थे आपको पता है? कितने स्कूल बंद हुए थे यह आपको पता है? आज उसी के आईडी से जो आत्मानंद स्कूल खुला है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- हम लोग सिर्फ मानलो और जबकि में पढ़े हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग मानलो और जबकि में पढ़े हैं टाट-पट्टी में बैठकर।

श्री अरूण वोरा :- हम लोग स्कूल में मानलो और जबकि में पढ़े हैं, इसीलिए आज कांग्रेस की सरकार है।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, कृपया बैठे। बृजमोहन जी, वोरा जी, कृपया बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह सब मुगालता आप लोग पालकर मत रखिए। आज आप चार-चार प्रदेश का चुनाव रिजल्ट देख लिये हो ना? आप लोग ज्यादा मुंगेरीलाल के हसीन सपने मत देखिए। चार्ट का रिजल्ट देख लिये ना? हम सोच रहे थे हमने रात भर नहीं देखा प्रत्येक दो घंटे में कि यह बजट में शराब बंदी का कोई प्रावधान होगा, जो नहीं है। तीन साल से आपकी कमेटी बनी है, कोई फैसला हो नहीं रहा है। आप बोल दीजिए न कि हम शराब बेचेंगे। आपको क्या तकलीफ है? आप बोल दीजिए कि हम शराब बेचेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि आप सिक्किम, गंगटोक टाईप का हर ठेले में शराब बेचवाईये। बेचवाईये आप।

श्री अमितेश शुक्ल :- धर्मजीत भाई, हमने इसमें एक अच्छा किया है कि त्रिवेणी संगम में जो प्रयागराज है, वहां पुन्नी मेला में पूरे 15 दिनों तक शराब बंद हुई थी। उसमें लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ है। वह हमने अच्छी भावना से बंद किया था। वह अच्छी भावना है, आप उसके लिए बधाई दे दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पं. श्यामाचरण शुक्ल जी के बेटे हैं और पं. रविशंकर शुक्ल जी के पोते हैं। आपके परिवार में शराब का काम पसंद करते नहीं हैं इसलिए उसको कराया है और राजिम के मेले में

बंद कराया है तो बहुत अच्छा काम किये। करोड़ों का नुकसान हो गया है तो होने दीजिए। आपको शराब बेचना है तो बेचवा लीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? सिक्किम-गंगटोक के पान ठेले में दारू बिकती है। वहां पर कोई रोक-टोक नहीं है, न कोई लाईसेंस है। जो भी लेना है, दारू बिकता है। बेच लो शराब, कौन मना कर रहा है। बेरोजगारी भत्ता आप देंगे आप ही ने बोला था। कहां गये मरकाम जी? मरकाम जी तो भाषण देते हैं और उसके बाद उनका प्लेन सीधा टेकऑफ हो जाता है। बोलने के लिए एक बार लैण्ड करते हैं उसके बाद फौरन उड़ जाते हैं। उनको थोड़ा रूकना चाहिए। हम लोग दिन भर से बैठकर सबको सुन रहे हैं कि नहीं? तो उनको भी सुनना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छी बात की तारीफ नहीं करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तारीफ कर रहा हूं भाई कर रहा हूं। अभी आपके पास भी आऊंगा। फिर मुख्यमंत्री को धन्यवाद और उनकी तारीफ भी करूंगा। ऐसा थोड़ी न है। मैं तो कल उनको हाथ जोड़ा। जब वह 4 करोड़ रूपये दिये तो मैं ऐसे हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। अब मेरी आदत बीच में खड़े होकर टोकने की नहीं है। मैं उनको ईशारे से नमस्कार किया, वह देख रहे थे। यहां पर भी कर देता हूं उनकी गैर हाजिरी में आपको नमस्कार कर देता हूं कि आप मेरा नमस्कार पहुंचा दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ रूपये दिये, उसके लिए हम हद्य से आभार करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला उसके लिए मैं उन्हें हद्य से आभार करता हूं। पर मुख्यमंत्री जी ने एक हाई स्कूल भी नहीं दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूं। शिक्षा मंत्री जी के लिए कोई आभार व्यक्त नहीं करूंगा क्योंकि वह उन्होंने हाई स्कूल भी नहीं दिया, मीडिल स्कूल भी नहीं दिया, प्राइमरी स्कूल के लिए भी कुछ नहीं दिया तो फिर क्यों करना। स्पोस्टर्स मिनिस्टर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो उनको कांगेस के क्षेत्र में खोलना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, उसमें भी कौन कांग्रेसी हैं 4...।

श्री अजय चन्द्राकर :- फोरलेन बन रहा है न। उतई से पाटन तक फोरलेन बन रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, बस-बस, ठीक है। आपने नौकरी का कोई प्रावधान नहीं किया, तो यह सब है तो माननीय, मैं अपनी कुछ मांग कर लेता हूं। मंत्री जी लोग तो हैं नहीं, लेकिन मेरे मित्र, आप पहुंचा देना।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको मालूम भी नहीं होगा कि कौन नोट कर रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत, धरमजीत का भाई अमरजीत, नोट कर लेना भाई पहुंचा देना। लोरमी में जन आवर्धन का टेंडर जो निरस्त हुआ है उसे तत्काल फिर से किया जाना चाहिए। अचानकमार टाइगर रिजर्व के वन ग्रामों में सड़कों का अभाव है। सड़क नहीं होने के कारण अवैध शिकार बहुत हो रहे हैं। जानवर मर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हाथी-घोड़ा सब मर रहे हैं तो यह जब तक कि आप गांव का नेटवर्क नहीं बनाएंगे, गांव की सड़कों को, वन मार्गों को नहीं बनाएंगे, तब तक आपका एप्रोच नहीं हो

सकेगा। इसलिए आप वहां पर कैम्पा के मद से यह बनवा दीजिएगा। खुड़िया इतना सुंदर जगह है आप तो वहां गये हैं। आपने धान खरीदी केंद्र खोला, उसके लिए आपको धन्यवाद । तो वहां पर आप गये हैं, वह बहुत सुंदर जगह है तो उसको थोड़ा टूरिज्म के लिए आप करिये। मैं तो अपनी तरफ से जितना हो रहा है पैसा दे रहा हूं। अचानकमार टाइगर रिजर्व का खुड़िया में और कंचनपुर में प्रवेश द्वार बनवा दीजिए, ताकि वहां पर किसानों को, टूरिस्ट लोगों को वहां पर जाने के लिए मिले।

सभापति महोदय :- समाप्त कीजिए, धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। ज्यादा देरी नहीं होगी।

श्री नारायण चंदेल :- सभी सचिवों का फोटो हैं। व्यवस्था का प्रश्न...।

श्री धर्मजीत सिंह :- खुड़िया के पास जंगल सफारी की मांग मैं शायद पहले भी किया हूं। आप करवा दीजिएगा।

सभापति महोदय :- एक मिनट, धर्मजीत सिंह जी। सभा के समय में 07 बजे तक वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 07 बजे तक नहीं। कल भी हमारे पास चर्चा का समय है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, ये लोग फटाका फोड़ना चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज जो है आप 6 बजे तक चलाइये। कल आप 6 बजे तक चलाइये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं, थोड़ किन जल्दी बंद कर दो, कहाथे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज 6 बजे तक चला लीजिए। कल हम हैं न, हम तो बैठे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- नहीं, ठीक है 4 करोड़ रूपये मिलता है उसके लिए फटाका फोड़ रहे हैं। यह अच्छी बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि मेन बजट पर चर्चा हो रही है और मेन बजट पर चर्चा होते समय सरकार के 90 प्रतिशत मंत्री गायब हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- 98 प्रतिशत।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और जब हम सब लोग यहां पर बोल रहे हैं सामान्य बजट में सभी विभागों पर चर्चा होती है यह सामान्य परंपरा है कि सभी विभागों के सचिव और अधिकारी उपस्थित होते हैं। सदस्य जिन मुद्दों को उठाते हैं उनके ऊपर में जवाब आता है और हमारा तो कहना यह है कि अगर लोग उपस्थित नहीं हैं तो सदन को स्थागित कर देना चाहिए। विभागीय बजट पर समझ में आता है कि विभाग के मंत्री न हों, पर सामान्य बजट पर चर्चा...।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या है सभापति जी, अच्छा नहीं लगता है विभाग के बारे में बोलना है और उसका मंत्री नहीं है। तो मैं क्या बोलूं ? मतलब, ऐसा लगता है जैसे मजबूरी में वैसा बोलना है उनको सुनना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- औपचारिकता निभा रहे हैं, ऐसा लगता है।

श्री गुरूरूद्र कुमार :- यहां 4-4 मंत्री यहां पर उपस्थित हैं मेरे ख्याल से यह काफी है। बृजमोहन जी, आपके समय में मात्र एक मंत्री बैठते थे। यहां पर तो हम लोग 4-4 हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- गुरू जी, आपके प्रति पूरा सम्मान है। हम आपके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका समान है लेकिन अगर सब मंत्री रहते तो अच्छा लगता। एक-दो घण्टे से नहीं है भैय्या। हम तो बैठे देख रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, जरा मुझे बता दीजिए कि धर्मजीत जी ने चर्चा किया है। सामान्य बजट की चर्चा में मुख्यमंत्री उपस्थित रहते हैं, वित्तमंत्री रहते हैं। सभी मंत्री रहते हैं। यह सामान्य बजट की चर्चा है। और सामान्य बजट की चर्चा में उपस्थिति नहीं होना, अधिकारी दीर्घा खाली होना, मंत्री दीर्घा का खाली होना, यह सद का अपमान है।

सभापति महोदय :- नहीं, मंत्री जी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, वह तो है सर। हम जान रहे हैं मैं भी एक मंत्री अगर अनिला भेंडिया मैडम भी रहती तो चल जाएगा। वह औपचारिकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, आप भी एक विधायक हैं अगर आपका भाषण सामान्य बजट में हो और उस समय कोई मंत्री न हों, विभागों के अधिकारी हीं हों तो क्या आप भाषण दे पाएंगे ? अगर हमारा द्वारा जिन बातों को बोला जा रहा है, उन्होंने कहा कि पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क नहीं बन रही है। अगर पी.डब्ल्यू.डी. का सचिव नोट नहीं करेगा तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे ? सिंचाई विभाग के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है वह नोट क्या करेगा ? क्योंकि सामान्य बजट में सभी विभागों में प्रमुख योजनाओं, कौन नोट कर रहा है ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी नोट कर रहे हैं । जो मंत्री जी हैं, वे नोट कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कौन नोट कर रहा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई नोट नहीं कर रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एकाध बता दीजिए न ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- वित्त सचिव नोट कर रही हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कौन नोट कर रहा है ?

सभापति महोदय :- अधिकारी भी बैठे हुए हैं ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- बृजमोहन जी, नोट हो रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोई नोट नहीं कर रहा है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- नोट हो रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप आसंदी से भले ही यह बोल दीजिए कि कोई नोट करें या नहीं करें, हम आपके आदेश को बोल देंगे, लेकिन यह मत बोलिए कि नोट हो रहा है । कोई नोट नहीं कर रहा है । मैं किसको देखकर बोलूं और क्यों बोलूं, ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन मुझे बोलना तो है । आप कल तो बोलने का मौका नहीं देंगे, इसलिए मैं बोल देता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी बात नोट नहीं हो रही है ? आपकी बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया जा रहा है, हम लोग बैठकर सुन रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है, आप गंभीरता से लीजिए ।

श्री श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है । कम से कम ब्यूरोक्रेसी पर हमारा इतना नियंत्रण होना चाहिए कि सभी विभागों के सचिव उपस्थित रहें, वे नोट करें । यह सदन का अपमान है, यह सबसे बड़ी पंचायत है ।

श्री अमरजीत भगत :- अधिकारी दीर्घा में वित्त सचिव बैठी हुई हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सामान्य बजट है । सामान्य बजट की चर्चा में सभी विभागों की चर्चा संयुक्त रूप से होती है और जब संयुक्त चर्चा हो रही है तो सभी विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए । यह परम्परा रही है । हम कटौती प्रस्ताव देते हैं तो कटौती प्रस्ताव के ऊपर में प्रमुख मंत्रियों का जवाब आता है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है । सामान्य बजट की चर्चा में हमने कटौती प्रस्ताव दिया है । अभी तक एक भी मंत्री का जवाब नहीं आया है, एक भी विभाग का जवाब नहीं आया है । मुझे तो यह जानकारी है कि सचिवों की यह जानकारी ही नहीं है कि कटौती प्रस्ताव का जवाब देना है । जिस विधायक ने जितने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उसका जवाब विधायकों को आना चाहिए, पर यह जवाब नहीं आ रहा है तो यह सदन की अवमानना है । आज सुबह हमने विधायकों की अवमानना कैसे हो रही है, छन्नी साहू जी के बयान से समझा है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- बृजमोहन जी, कटौती प्रस्ताव का जबाव तब आता है, जब विभागीय चर्चा होती है, उस समय देते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, इसमें आएगा । यह सामान्य बजट की चर्चा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जब विभागवार चर्चा होती है, तब कटौती प्रस्ताव आता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सामान्य बजट की चर्चा में सभी विभागों की संयुक्त चर्चा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जब विभागवार चर्चा होती है, तब मंत्री उसमें कटौती प्रस्ताव जवाब देते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमने पूरे बजट में कटौती प्रस्ताव दिया है, जो भी संबंधित विभाग है, उसका जवाब आना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जरा इस पर व्यवस्था दें कि कम से कम सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें और जो मंत्री आपसे छुट्टी लेकर गए हैं, उनके अलावा बाकी मंत्री उपस्थित रहें तो कम से कम चर्चा में जीवंतता आएगी और उसका उपयोग हो पाएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, लालपुर हमारे सतनामी समाज का पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी का बहुत ही पवित्र स्थल है और वहां पर सन् 1960 से मेला भरता है । वहां के लिए हम लोगों ने मांग की है कि वहां पर मिनी माता जी के नाम से एक महाविद्यालय खोली जाये, बाकी जगह खुल गया है, पर हमारे यहां नहीं खुला है तो तकलीफ होती है ।

माननीय सभापति महोदय, लोरमी नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना के तहत आबादी भूमि में एक हजार लोगों को पट्टा देना है । कोई कहता है कि उसमें चुनाव के पहले पट्टा बना था, उसमें मोदी जी की फोटो थी इसलिए नहीं देंगे । कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें चुनाव के पहले डहरिया की फोटो थी, इसलिए नहीं बंटेगा । आप कलेक्टर से पूछवा लीजिए और कलेक्टर से पूछकर वहां के गरीबों को, 1 हजार लोगों को पट्टा दो, आपकी सरकार में आप पट्टा दोगे तो आपका नाम होगा और अगर नहीं दोगे तो सिवाय नुकसान के इससे आपको कुछ फायदा नहीं होना है । इसलिए मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत में करीब 1 हजार लोगों को पट्टा देना है । कोई कहता है कि मोदी जी की फोटो के कारण पट्टा नहीं मिला, कोई कहता है कि डहरिया की फोटो के कारण पट्टा नहीं मिला, उसके कारण लोगों को फालतू परेशानी हो रही है तो आप इसमें मदद कर दीजिए ।

माननीय सभापति महोदय, वन्य प्राणी सुरक्षित नहीं है, यह मैं बोल चुका हूं। लोरमी में विचारपुर नामक गांव है, उसके दूसरे छोर में राजपुर गांव है । दोनों के बीच में मोहपाड़ नाला है । वहां 12 साल से पुल बन रहा है, वहां एक छोटा सा पुल है। मुश्किल से इतना की चौड़ा होगा (हाथ का इशारा करते हुए) लेकिन वह पुल नहीं बना है । मेरे पास उसकी फोटो है, उसमें आज भी बिजली के खम्बे में गांव के बच्चे और लोग जाते हैं । दोनों गांव सतनामी बाहुल्य गांव है, हमारे अनुसूचित जाति का बाहुल्य गांव है । आखिर वह पुल कौन बना रहा है, उस पुल का ठेकेदार कौन है, उस पुल में पैसा कहां से आया था, उसका मालिक कौन है, वह पुल क्यों नहीं बना, काहे नहीं बना ? जनता मुझसे पूछती है तो मैं 12 साल पहले की बात क्या बताऊंगा कि उसकी मंजूरी कौन दिया था, कौन से विभाग का है ? मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के विचारपुर गांव और राजपुर गांव के बीच में मोहपाड़ नाले पर एक पुल का निर्माण 12-15 साल से हो रहा है, वह अभी तक नहीं हुआ है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बोलना चाहता हूं जिसके लिए आया हूं, मैं आलोचना करने नहीं आया हूं, माननीय मंत्री जी, आप जरा ध्यान दीजिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मंत्री जी, खुड़िया, जहां आप गये थे, वह सिंचाई ग्राम है। अंग्रेजों ने सन् 1930 में बनवाया था और वह डेम राहत काम में बना था। वह सिंचाई ग्राम है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत कम होगा, उसमें सन् 2001 में अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वहां जाकर 1 हजार जमीन का पट्टा गरीबों को बांटा था। जब पट्टा बांटा था, प्रेसासाय सिंह जी, मेरे पास उसका फोटो है।

श्री अजय चन्द्राकर :- धर्मजीत सिंह जी, आप ऐसी भाषा में बोलिये जो अमितेश जी को भी समझ में आये।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, अमितेश जी समझ रहे हैं। वह हमारे खास आदमी हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं पंचायत मंत्री था और आप आखिरी की सीट में बैठते थे, उसको याद रखा करो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अपना भी हाल तेरे जैसा है।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप आखिरी की बेंच में बैठते थे, मुझे इतना अनुभव है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब दादा जी मुख्यमंत्री थे, तब आप पैदा नहीं हुए थे।

श्री अमितेश शुक्ल :- भैय्या, पैदा होने की बात नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादा जी के समय का उल्लेख हो रहा है तो दादा जी का उल्लेख किए या नहीं ?

श्री अमितेश शुक्ल :- 20 साल पहले का अनुभव याद रखो कि आप कहां थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यह जो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है न ?

श्री अमितेश शुक्ल :- हां, पूरा समझ में आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाई, आप सरल भाषा में बोलो, उनको समझ में आये।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको 13 तारीख के बाद फोटो लाकर दूंगा।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं पंचायत मंत्री के रूप में आपके लिए क्या-क्या करता था, बताऊं ? 1-1 करोड़ रूपये दिया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- थैंक यू।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसमें अजीत जोगी जी के साथ खड़े हैं, मोहम्म्द अकबर भी हैं, आप लोग मंत्री थे। हम मंत्री नहीं थे। परन्तु हमने 1 हजार एकड़ जमीन का पट्टा बंटवाया था। आपकी और मोहम्मद अकबर साहब की फोटो है। उस गांव में उस दिन से लेकर 20 साल हो गया, मांग करते-करते थक गये, इनसे भी मांग करके थक गये, आपसे भी मांग करके थक गये, आप उसको राजस्व ग्राम बना दो। आपकी अभी नीति है, नीति है, नियम है, कायदा है, उस सिंचाई ग्राम को राजस्व ग्राम में बदल दो ताकि उनको पट्टा मिले। राजस्व ग्राम के कारण उनको लोन मिलेगा, खाद उठाने का रास्ता मिलेगा,

गांव की तरक्की होगी। आप तो बता रहे हैं कि कई गांवों में नारंगी वाले में यही सब सुविधा होगी तो इसको भी कर दो। उन लोग अंग्रेज जमाने से पड़े हुए हैं। आप उनकी व्यवस्था कर दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलेगी तब तो करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैं बोल रहा हूं, उनकी चले या ना चले, ये जाने, फिर बाद में देखेंगे। लोरमी में उप कोषालय की भी मांग कर रहा हूं। लोरमी में ए.डी.जे. कोर्ट की भी मांग करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- धर्मजीत जी, पहले साल डिमाण्ड में चर्चा हुई थी। एक की औकात नहीं है हां बोलकर घोषणा कर दे।

श्री अमरजीत भगत :- आपकी पीछे से ऊंगली करने वाली आदत नहीं जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो अभी इधर हूं, भैय्या।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप लोग सिर्फ घोषणा करने वाले थे, हम कराने वाले हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो आप कर्मवीर बन जाओ, घोषणावीर मत बनो। कर्मवीर तो बनो।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपनी डिमाण्ड में घोषणा करके बताना, मैं मान जाऊंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- केवल घोषणा।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप घोषणा कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, कृपया सहयोग करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- ना हिम्मत है, ना ताकत है ना पैसा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बजट में प्रावधान है कि नदी किनारे विद्युतीकरण किया जायेगा। हमारे यहां तो आगर नदी है, हमारे यहां मनिहारी नदी है, बारह महीने बहने वाली नदी है। कृपा करके बनवा दीजिये।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं प्रभारी मंत्री भी हूं, बड़े ध्यान से सुना रहा हूं। निश्चित रूप से कुछ मेरे अधिकार में है।

श्री धर्मजीत सिंह :- गुरू जी, हमको आपसे पूरी आशा है। देखिये, आपके प्रति बहुत आदर है, आप सुन रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, जो गुरू लोग रहते हैं, इधर गुरू थे, आप गुरू हैं, तो वह लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। वे लोग सिर्फ अच्छा काम करने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। आप किसी के खिलाफ मत बोला करो।

सभापति महोदय :- चलिये चन्द्राकर जी, बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- लोरमी में व्यवहार न्यायालय के भवन निर्माण की मांग किया हूं, वह भी दिलवा दीजिये। कोरबा में किसी सड़क की जांच-पड़ताल हो रही है। वहां पर कुछ घपले हुए हैं। तो ठीक है, उसकी जांच करिये। लेकिन जो दूसरी सड़क है, वहां के किसानों की जमीन को बिक्री बंद करा दिए हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उन लोगों के मुआवजे का प्रकरण के लिए, दूसरी रोड के एन.ओ.सी. वगैरह का प्रकरण है। जहां पर गड़बड़ है, उसकी जांच करिये, कार्रवाई करिये, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां पर कोई विवाद नहीं है, आप वहां के बारे में परीक्षण करके उन्हें मदद कर दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में आंकड़ों का प्रावधान कर देना ही सारी समस्या का हल नहीं होता है। आपकी इच्छाशक्ति होनी चाहिए, आपका प्रशासन के ऊपर पकड़ होना चाहिए, आपका विभागों का सामंजस्य होना चाहिए। विभाग एक दूसरे के सामंजस्य से काम करे तो बजट कम पैसे में भी अच्छा परफामेंस दे सकता है। अगर आपके पास इच्छाशक्ति नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे जितनी भी बजट ले आईये, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा।

श्री अमरजीत भगत :- समापन शायरी के साथ होना चाहिए।

श्री अमरजीत सिंह :- समापन शायरी के साथ हो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, नहीं, शायरी नहीं । अगर नहीं कर सकते हैं तो चाहे कितनी भी बजट आप ले आईये, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा । लालफीताशाही में वह दबा रहेगा । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आपका परफार्मेंस अच्छा नहीं होगा । आपका यह आखिरी बजट है । इसके बाद के बजट का कोई मायने नहीं है । आप जिन हसीन सपनों में तीन साल जी लिये हैं, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका परफार्मेन्स आपका ठीक रहे तो इस साल के बजट का क्रियान्वयन ठीक से कराईयेगा । अन्यथा परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा । आपने वख्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को जरूर पहुंचायेंगे । मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा ।

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पाण्डेय ।

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट का समर्थन...।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायक जी, बात सुन लीजिए ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सुबह से आप ही की बात सुन रहा हूँ । सुबह से मैं केवल आपकी बात सुन रहा हूँ । सुबह से कोई काम नहीं किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजनीति में विश्वसनीयता रहती है, आप जो बाहर बोलते हैं, यहां भी सत्य को उद्धाटित करें, यहां अलग बोलेंगे और वहां रोयेंगे, इसमें विश्वसनीयता नहीं रहती । आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, थाने में कौन-कौन से रेट आपने पूछे थे, आप उसके बिल्कुल उचित जगह पूछ सकते हैं । यह बहुत अच्छा हुआ, यह बहुत अच्छा हुआ, यह बहुत अच्छा हुआ । डबल भाषण नहीं होना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज राजा साहब क्या करने वाले हैं, सदन को बता दो । किससे मिलने वाले हैं, कल क्या होने वाला है, कम से कम यह बता दो ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट का समर्थन करने के लिए अपनी बत रखूंगा । आज सबेरे से हमारे विपक्ष के सम्मानीय सभी साथी कई विषयों पर अपनी बातें की है । हम लोग सब बातें सुन रहे थे । बहुत सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, विपक्ष भी सरकार चलाने का एक सहयोगी होता है । प्रदेश चलाने का, जनता की आवाज उठाने का, आज सबेरे से हमारे सभी विपक्ष के साथी, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे । माननीय सभापति महोदय, इस वक्त देश में दो प्रकार की विचारधारायें चल रही है । एक विचारधारा जो गांधी जी को आत्मसात करती है, उनका अनुशरण करती है और उनका सम्मान करती है । दूसरी विचारधारा जो गांधी जी को केवल नोटों के बंडलों से सम्मान करती है, उनका सम्मान नहीं करती । उनके विचारधारा से सहमत नहीं है । बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसी विचारधारा के लोग आज हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि भगवान राम को वोटों पर और महात्मा गांधी जी को नोटों पर पसंद करते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको और इस सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो सरकार है, जिसकी बड़ी-बड़ी बातें हमारे विपक्ष के साथी करते हैं, जिस मोदी सरकार की बाते पूरे देश में होती है, राज्यों में होती है, उस सरकार की असलियत कितनी है, आज बजट की बात हम लोग कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं बजट से ही जुड़ी हुई बातें यहां पर रखना चाहता हूँ । पिछले तीन-चार दिनों से हमारा प्रदेश कितना कर्ज से लदा हुआ है, उसकी बातें विपक्ष के साथी कर रहे थे । अच्छी बात है । कर्ज की चिन्ता करनी चाहिये । यह स्वाभाविक बात है। लेकिन जो कर्ज की बातें करने वाले हमारे विपक्ष के साथी हैं उन्होंने कभी यह देखा कि भारत सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, मोदी जी की सरकार ने कितना कर्ज लिया है? उस कर्ज का क्या हुआ है, उस कर्ज का क्या उपयोग किया जा रहा है? प्रदेश और देश की जनता के ऊपर कितना भार है? हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं। यह छत्तीसगढ़ की विधानसभा है। यह छत्तीसगढ़ हमारे देश में ही आता है और यहां से भी केन्द्र सरकार को टैक्स मिलता है, यहां की जनता से टैक्स मिलता है। आज हमारे देश के ऊपर 107 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। पिछले दो सालों से हमारे देश की मोदी सरकार 12 लाख करोड़ रुपये हर साल कर्ज उठा रही है। पिछले साल भी 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिया और इस साल के बजट में भी 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे। यह घोषणा की गई है। यह 12 लाख करोड़ रुपये कहां से आयेंगे, मैं आपको बताता हूं। यह विदेशों से आयेंगे, विदेशों से कर्ज लिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देश की सरकार के ऊपर, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, वह सभी सार्वजनिक उपक्रम चाहे एल.आई.सी. हो, बॉण्ड हो, बैंक हो, सरकारी कर्मचारियों का जितना भी फंड है, उसका जो लोन है, आज हमारे देश की सरकार के ऊपर आंतरिक लोन भी बहुत ज्यादा है, बाहरी लोन भी बहुत ज्यादा है। आज आपको एक

बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश के ऊपर मोदी सरकार के कारण जो कर्ज है, उसके कारण हमारे देश में अगर 130 करोड़ आबादी का देश कहते हैं तो चाहे छोटा बच्चा हो, 100 साल का बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति के ऊपर 32 हजार रुपये का कर्ज है। यह 32 हजार रुपये कर्ज अगर किसी ने हर व्यक्ति के ऊपर लादा है तो वह मोदी जी की सरकार ने लादा है।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, एक ही दिन में कर्ज नहीं हुआ है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, यह जो मोदी की सरकार का गुणगान करते हैं, इसकी सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। आज छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर कितना कर्ज है, आज कितना टैक्स लिया जा रहा है और हमको बदले में क्या मिला? कोरोना का कार्यकाल आया, बुराई नहीं कर रहा हूं, दोस्त बुरा मत मानिये। आप बड़े भाई हैं, आप हमारी बात को सुनिये। हम बिल्कुल आपका भी पक्ष लेते हैं, आपकी भी बात का समर्थन करते हैं। आपने कहा न कि सत्य बोलते हैं, हम भी सत्य बोलते हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- आप देश की बात क्यों बोल रहे हैं, आप बजट के संबंध में बोलिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अग्रज हैं, आप बैठिये। माननीय सभापति महोदय, जो मोदी सरकार का गुणगान करते हैं, छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता बिल्कुल नहीं जानती है कि मोदी सरकार पूरे देश के साथ, इस देश की जनता के साथ क्या खेल रही है। आज हर आदमी के ऊपर 32 हजार रुपये का कर्ज है। इसको कैसे चुकायेंगे? इस कर्ज को कौन चुकायेगा? आज कर्ज की बात आई तो आपने कहा कि सब होगा और अगर हमारी सरकार कर्ज लेती है तो आप उसकी निंदा करते हैं। आप उसके लिए सरकार को बदनाम करते हैं। यह गलत है। अगर दो साल की बात करते हैं, सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- पाण्डे जी, जरा उधर देख लीजिए, आपके भाषण का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। आप दिल खोलकर बोलो।

श्री रामकुमार यादव :- ओती सुनईया नहीं हे, देखत हस। तोहर एती पूरा भग गये हे। तुमन सच्चाई ला सुन नई सकय।

श्री शैलेश पाण्डे :- सब लोग चाय पीने गये होंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बहिष्कार कर दिये हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय आप तो मेरा भाषण सुन रहे हैं न। मेरे लिए इतना पर्याप्त है।

सभापति महोदय :- कृपया व्यवधान उपस्थित न करें। पाण्डे जी, अपना भाषण जारी रखें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति जी, आज देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की क्या कीमत है, आप बताईये ? अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में घूमे और हमने हर आदमी से बात करी। सब्जीवाला, मजदूर, नाई, मोची, रिक्शावाला, ऑटोवाला,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कुली, सभी प्रकार के लोगों से हमने मिला। हम लोग अच्छे लोगों से, बड़े धनाड्य लोगों से, मध्यम वर्गीय परिवार से, हर परिवार से मिलने गये, मैं खुद भी गया। हम लोग 16 दिनों तक सड़क पर घूमते रहे और हर व्यक्ति से पूछते रहे कि महंगाई का क्या हाल है, आप घर कैसे चलाते है ? वह सब्जीवाला 80 रूपये किलो टमाटर बेच रहा था, वह सब्जी वाला 100 रूपये का गोभी बेच रहा था, वह बोलता था कि क्या करे डीजल पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है कि सब्जी, टमाटर, गेहूं यह सब महंगा हो गया है। आज गरीब आदमी कैसे खायेगा, आज सब्जी वाला अपना घर कैसे चलायेगा, ऑटो वाला अपना घर कैसे चलायेगा, कुली अपना घर कैसे चलायेगा, नाई अपना घर कैसे चलायेगा, मोची अपना घर कैसे चलायेगा, इसके बारे में कौन सोच रहा है ? कोई नहीं सोच रहा है। सरकारें बनाना अलग बात है, सरकारें जोड़-घटाने से बढ़ाने के लिये आप लोग माहिर है। हम उस पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई यही है कि देश में इस वक्त गरीब आदमी भी खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने उसे कुछ नहीं दिया और हम अगर दे रहे हैं तो आप हमको देने से बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे बारे में सदन में गलत-गलत बातें बोलते हैं। आप छत्तीसगढ़ की जनता से जाकर पूछिये कि हमने 3 साल में क्या दिया है, आप दूसरी बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी का जिस प्रकार से आर्थिक प्रबंधन है वह फेल हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि हम बजट की बात करें तो हम बजट में इस बात को समझे कि अगर मोदी जी की सरकार ने आते ही नोटबंदी किया। क्यों नोटबंदी किया, क्या इस देश के लोग चोर हैं ? आपको देश के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था कि इस देश के लोगों के पास सही का धन है कि गलत का धन है। लेकिन आपने आते ही नोटबंदी कर दिया, मित्रों 12 बजे से नोट बंद। नोट कहां गया ? काला धन लायेंगे, विदेशों में छिपा हुआ काला धन लायेंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख रूपये डालेंगे, कहा था न, कहां गया, इस बात का क्या हुआ ? देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं और इस बात का क्या हुआ, यह किसी ने सोचा ? नहीं। आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा जी.एस.टी. लायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, पाण्डे जी, हम भाजपा विधायक दल की ओर से आपको दिल्ली जाने का खर्चा देंगे।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, कृपया व्यवधान न करें।

श्री अजय चंद्राकर :- संसद के जो मुद्दे हैं, वहां जा कर श्री के.टी.एस. तुलसी को एक बार बोलवा दो (व्यवधान)।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- मेरा निवेदन है कि श्री के.टी.एस. तुलसी एक बार छत्तीसगढ़ के बारे में बोल दे। वह छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ तो बोल दे।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, कृपया व्यवधान न डाले।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री के.टी.एस. तुलसी छत्तीसगढ़ के बारे में एक बार संसद में बोल दे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे जी, अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री अजय चंद्राकर :- हमारे (व्यवधान) के लिये आने जाने की टिकट कटवा देते हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार का आर्थिक प्रबंधन समाप्त हो चुका है। मोदी सरकार आर्थिक प्रबंधन में फेल हो चुकी है, अगर मोदी सरकार आर्थिक प्रबंधन में फेल नहीं होती तो आज देश की जनता की गाढ़ी कमाई से बनाई हुई संपत्तियां बेची नहीं जाती। (मेजो की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं तो अभी ट्रैक पर आया ही नहीं हूं।

श्री रामकुमार यादव :- बनाय कोई और हे, अउ तुमन बेचत हव।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, क्या है कि इसको तो संसद में भेजना पड़ेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से देश की संपत्तियां बेची जा रही है, यह आर्थिक कुप्रबंधन नहीं तो और क्या है। आप हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन आप देश की सरकार को भी देखिये कि उनकी आर्थिक कुप्रबंधन का असर हमारी छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के ऊपर पड़ता है। मैं मोदी सरकार के बारे में, यहां की पौने तीन करोड़ जनता की ओर से यह सब बातें कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के लिये कह रहा हूं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता भोली-भाली है, आप भी जानते हैं, आपने 15 साल तक शासन किया है, आपने नेतृत्व किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी जनसंख्या का सेंसस जारी नहीं हुआ है, आपने कहां से पौने तीन लाख बोल दिया।

श्री शैलेश पाण्डे :- 2 लाख 55 लाख, 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। बात वही है।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, कृपया बोलने दे।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या डॉक्टर चल दिये ?

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता है। यह लोग सुनना नहीं चाहते, क्यों नहीं सुनना चाहते ? यह सच्चाई क्यों बताने नहीं दे रहे हैं? यह मोदी जी के बारे में इसलिये नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इनके पास मोदी जी के अलावा और दूसरा कोई नेता ही नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी के ऊपर नहीं बोलता।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं वापस छत्तीसगढ़ के बजट के ऊपर आता हूँ। मैं अपनी बात जल्दी-जल्दी समाप्त करूंगा। छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार आयी तब प्रदेश की जनता ने 68 सीटों से जीताया और आज की डेट में हमारे पास 70 सीटें हैं। हमें 70 सीटों मिली है अगर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया है तो हमारे ऊपर यह जवाबदारी थी, हमारी सरकार के ऊपर जवाबदारी थी। जब यह सरकार आयी तब हमने...।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं। मेन-मेन प्वाईंट बचा हुआ है।

सभापति महोदय :- कृपया दो मिनट में जल्दी अपनी बात रखें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले साल जब हमने काम किया, हमने किसानों का ऋण माफ किया, हमने किसानों का 2500 रूपये में धान खरीदा, तब उसके एक साल बाद हमारा जो जी.एस.डी.पी. था, वह जी.एस.डी.पी. 3 लाख, 52 हजार, 161 करोड़ रूपये हुआ और आज की डेट में जब हम अनुमानित प्रस्तावित कर रहे हैं तो ये 4 लाख 61 करोड़ अनुमानित कर रहे हैं। यह हमारा जी.एस.डी.पी. है यानि की हमारे हर घर की ताकत है, यह हमारे व्यक्ति की ताकत है, यह हमारी आर्थिक स्थिति है। यह स्थिति 13.60 प्रतिशत आज हम वृद्धि के ऊपर बात कर रहे हैं। यह हमारा जी.एस.डी.पी. है। हम कृषि के क्षेत्र में अनुमानित 3.88 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में 15 प्रतिशत, सेवा के क्षेत्र में 8.44 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे केन्द्रीय कर हैं। आपने केन्द्रीय कर और केन्द्रीय अनुदान की बात की थी। वर्ष 2020-21 में 44 हजार, 325 करोड़ रूपये था और 2021-22 में अनुमानित 44 हजार 573 करोड़ रूपये है। राज्य के राजस्व की बात करते हैं। तो वर्ष 2020-21 करोड़ में 35 हजार करोड़ रूपये हुआ था। सभापति महोदय, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- आप एक मिनट में जल्दी से अपनी बात रखें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय,एक मिनट में नहीं हो पाएगा। मेरा निवेदन है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वैसी बोला जाता है। आप बोलिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में 44.5 हजार करोड़ रूपये यानि की 27 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि किस चीज की हो रही है। आज राज्य का राजस्व बढ़ता हुआ, हमारा अनुमानित है। यह राज्य की कुशलता, राज्य के अच्छे वित्तीय प्रबंधन की सफलता, अधिकारियों, मंत्रीगणों की मेहनत और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। इसी का नतीजा है। आज हमारे प्रदेश में जो हमारी सरकार है। आज हमने अगर 88 हजार करोड़ के ऊपर राजस्व व्यय बताया है तो हम लगभग 15-16 हजार करोड़ रूपये पूंजीगत व्यय भी कर रहे हैं। यानि की जो डॉ. रमन सिंह जी की जो बात हमेशा रहती थी कि हमारी सरकार पूंजीगत व्यय नहीं करती है, हमेशा वह इसी बात को

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

बोलते थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, वे आज यहां पर नहीं हैं। हमारी सरकार ने 15 हजार करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय रखा है। आपको पता है कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर ही तब जाकर प्रबंधन हो पाता है। इसमें केन्द्र का हिस्सा भी होता है, राज्य का भी हिस्सा होता है। अभी परसों के दिन की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। जो हमारा केन्द्रांश अनुदान है, वह अनुदान लगभग हमको 25 प्रतिशत कम दिया जाता है। वह हमें कम दिया गया है जो हमारे केन्द्रीय कर हैं। वह लगभग हमको 30 प्रतिशत कम मिले हैं। अब आप बताईये कि अगर 44 हजार करोड़ रूपये केन्द्रांश होता है और लगभग राज्य का राजस्व भी इसी के आसपास होता है और आप हमको 25, 30 प्रतिशत के आसपास राशि नहीं देंगे तो तो राज्य को चलाने में कितने संकट का सामना करना पड़ता है। मैं सूक्ष्म बातों को नहीं कहता हूँ। यह हमारे मोहन मरकाम जी ने पूरे सदन को बहुत विस्तार से बता दिया है, लेकिन यह बात सोचने की है कि अगर इसी प्रकार से दलगत राजनीति, केन्द्र और राज्य की लड़ाई चलती रहेगी तो जनता को इसका नुकसान होगा। आज धर्मजीत भईया ने यह बातें बोली हैं अगर उन्होंने कहा है कि स्कूल नहीं मिला है, अगर आपने कहा है कि हमें यह नहीं मिला है तो इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि राज्य की वित्तीय स्थिति में जो केन्द्र का केन्द्रांश है, वह भी कहां मिलता है। इसा बात को कौन बोलेगा? इसका बात को कौन समझेगा? इस बात को तो समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अपना आर्थिक प्रबंधन और यहां पर सचिव बैठी हुई है, वह कैसे चलायेंगी? इसके लिए कहां से पैसा आएगा? हम कहां से करेंगे? हमने दो साल कोरोनाकाल में काम किया, हमारी राज्य सरकार ने कौन सा काम नहीं किया? हमने क्या काम नहीं किया। हमने वेंटीलेटर खरीदे, हमने ऑक्सीजन के बैड बनायें, हमने लोगों की सेवा की, यहां तक कि अपनी विधायक निधि भी दान दे दी कि टीका लगेगा। हमारी सरकार ने क्या काम नहीं किया। लोगों को राशन देने से लेकर, टीका, मनरेगा से रोजगार देने का काम किया। हमने गंगा में लाशें नहीं बहाई। उत्तरप्रदेश में गंगा में लाशें बह रही थी। मध्यप्रदेश की हालत इतनी खराब थी। यह कौन देखेगा। सभापति महोदय, स्थिति बहुत खराब है। छोटी-छोटी सी बातें हैं, मैं उसको जल्दी-जल्दी खत्म कर देता हूं। हमारे प्रदेश में 68 लाख परिवार हैं और जिनको हम खाद्यान्न की उपलब्धता कराते हैं।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, समाप्त कीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, मेरे को 1 घंटा बोलने का निर्देश दिया गया था। (हंसी) मेरी तैयारी तो 1 घंटे की ही थी। कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना ही समय दिया यही बहुत है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी।

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब, निवेदन हे, सही सही ला कइहव, सब देखथे तो बाहर के मन ला लबारी मारथे कथे। ओही ला छत्तीसगढ़ी मा कथैय, जियत लबारी झन मारए करके। चला शुरू करा।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- हव ठीक हे। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2022-23 की अनुदान मांगों के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, वह छत्तीसगढ़ मॉडल का काम हो गया। उत्तरप्रदेश में जो छत्तीसगढ़ मॉडल को दिखाया जा रहा था कि इस छत्तीसगढ़ मॉडल से वोट मिलेगा। मैं मोहन मरकाम जी को बताना चाहता हूं, वे यहां पर नहीं हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वहां पर 7 सीटें मिली थी और 7 प्रतिशत वोट मिला था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और 2.4 प्रतिशत वोट मिला है। यही छत्तीसगढ़ मॉडल है। आप यही छत्तीसगढ़ मॉडल को दिखा रहे थे। यही विश्वसनीयता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 42 जगह गये थे और 42 जगह में 1 जगह कांग्रेस जीती है और बाकी जगह हार गयी है। यही छत्तीसगढ़ मॉडल है। मैं राहुल गांधी जी का कोई तरह का कुछ नहीं बोलता। राहुल गांधी जी को यह जाकर बता देते हैं, इनके बड़े-बड़े सलाहकार हैं, अंग्रेजी में बता देते हैं। साहब ऐसा हो रहा है, साहब ऐसा हो रहा है, राहुल गांधी जी, भला को भला मानते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा पढ़ जाते हैं। आज उनको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और उनका क्या मॉडल है और उस मॉडल का क्या डेवलपमेंट है।

श्री संतराम नेताम :- सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी तारीफ किए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मोहन मरकाम जी बहुत अहंकार में बातें बोल रहे थे। प्रजातंत्र में किसी का अहंकार नहीं चला है, रावण का अहंकार नहीं चला है। कोई अहंकार नहीं चलता है। आज प्रजातंत्र में पूरे भारत की जनता ने बता दिया कि यहां किसी का अहंकार नहीं चलता, राजनीति में विश्वसनीयता चलती है और राजनीति में विश्वसनीयता के आगे आपकी जनता का काम करेंगे। वह चलता है।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, बंगाल में दीदी ओ दीदी चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा वालों का वहां क्या हाल हुआ था। आज जो हाल उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की दो सीटें हैं, आपका पंजाब में क्या हालत है, वहां पर भी आप दो हैं। वहां पर भी तो प्रधानमंत्री जी गए थे।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, व्यवधान न करें। बैठिए।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, आज जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं वह छत्तीसगढ़ मॉडल 4 चीज पर निर्भर है। मनरेगा, डी.एम.एफ., कैम्पा और 15 वें वित्त। ये चारों योजनाएं केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं। यह छत्तीसगढ़ मॉडल उसी की बदौलत यह चल रही है। जब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां जो मॉडल दिखाया जा रहा है वह मॉडल

अलग है और जो पीछे कुछ हो रहा है, वह बहुत अलग है। मनरेगा में 9 प्रतिशत कमीशन मांगी जा रही है तो कभी कमीशन नहीं ली जाती थी और सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। कलेक्टर डी.एम.एफ की व्यवस्था को 23 प्रतिशत में बेच रहे हैं और यह कहा जाता है कि ऊपर से फोन आ रहा है। कौन सा हाऊस, कैसा हाऊस, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो तय करता कि सच में बात तो सामने आएगी, हाऊस से फोन जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि कलेक्टर जबर्दस्ती हाऊस का नाम बदनाम कर रहे हैं। हाऊस से टेलीफोन जा रहा है। उन्होंने अपने सारे काम को पाकेट मनी समझ लिया। डी.एम.एफ के पैसे का 23 प्रतिशत मिनिमम रेट है। मॉडल दिखाने का है, करने का कुछ और है।

सभापति महोदय, कैम्पा मद, माननीय अकबर भाई बैठे हैं। कितनी गाईडलाईनों का उल्लंघन हो रहा है, कितना कैम्पा मद का पैसा खर्च हो रहा है, क्या वह गाईडलाईन की आवश्यकता है या गाईडलाईन की आवश्यकता नहीं है ? 15 वें वित्त का पैसा, सरपंच का स्वयं का पैसा, यहां की सप्लाई करके लोग यहां से चले जाते हैं और सरपंच को बोलते हैं कि चेक काट दो। आपको चेक काटना पड़ेगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, सौरभ भैया, डी.एम.एफ की जो बात कर रहे हैं, आप यह बताईए कि हमारी सरकार ने प्रभारी मंत्री को पूरा अधिकार दिया था। केन्द्र की सरकार ने परिवर्तन करके कलेक्टर को पूरा अधिकार दिया। आप केन्द्र की सरकार की बारे में कुछ बोलेंगे ?

श्री सौरभ सिंह :- चेक काटना पड़ेगा यह बोला जाता है । माननीय सभापति महोदय, बजट में बहुत सारी बातें आयीं । आदरणीय पाण्डे जी बजट की बात कर रहे थे कि कितना लोन है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारा एक साल का बजट है उसका 80 परसेंट का कर्जा है और हमारे जीडीपी का 20 परसेंट कर्जा है । हम आने वाले भविष्य को क्या देंगे ? आने वाले भविष्य को क्या देकर जायेंगे इसकी चिंता की बात है ।

माननीय सभापति महोदय, बजट में जितनी बड़ी-बड़ी घोषणायें हुईं वह सारी घोषणायें केंद्र सरकार की घोषणायें थीं । खेलो इण्डिया का पैसा आया । ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करता । फूड प्रोसेसिंग यूनिट का पैसा आया, एयर सर्विसेस की जो बात थी, जो मुख्यमंत्री जी के भाषण में है वह एयर सर्विसेस वहीं से आयी तो ये दिखा कुछ और रहे हैं और होता कुछ और है । मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि हमने जमीन की गाईडलाईन का रेट 40 परसेंट नीचे कर दिया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो गाईडलाईन रेट को नीचे गिराकर अपनी जमीन, अपनी संपत्ति का मूल्य कम करेगा और गाईडलाईन रेट अगर आपने 40 परसेंट नीचे गिरा दिया है तो जिनका लेण्ड एक्वीजिशन होता है आप उन किसानों का दर्द जाकर पूछिए जिनकी नेशनल हाईवे में सड़क जा रही है । उनको 40 परसेंट नुकसान हो रहा है । वर्ष 2018-19 का जो रेट था वह रेट बढ़ते-बढ़ते आज के समय में उस रेट को 25 परसेंट ऊपर होना था तो 25 परसेंट का रेट 40 परसेंट नीचे हो गया । छत्तीसगढ़ की जनता को 65 परसेंट का नुकसान हो रहा है चाहे वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लेण्ड एक्वीजिशन हो । अगर आप बैंक का कर्जा लेने के लिये जायेंगे तो बैंक में हमारा रेट नीचे है, कर्जा कम मिलता है और आज इसको क्यों किया गया है, इसको इसलिए किया गया है कि ब्लेक मनी भी यहां पार्किंग हो, ब्लेक मनी का पैसा यहां पर आये और ब्लेक मनी में एक नंबर में पैसा कम देना पड़े इसलिए ऐसा हो रहा है । छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग आकर यहां पर जमीन खरीद रहे हैं यह छत्तीसगढ़ मॉडल है । मैं एकाध ही उदाहरण दे रहा हूं कि केवल 40 परसेंट रेट नीचे करने पर उसकी क्या परिसंपत्ति हो रही है ।

माननीय सभापति महोदय, हमको बजट का साईज बढ़ाना है तो हमको रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा और रेवेन्यू कलेक्शन कहां से बढ़ेगा ? जब रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, चूंकि रेवेन्यू कलेक्शन को माफिया राज खा रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- ओ छत्तीसगढ़ के जीएसटी हावय दिल्ली सरकार तेहू ला बढ़ा देथा । महोदय, उहू ला बढ़ा देथा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं सब बता देथओं । रेवेन्यू कलेक्शन कहां से बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा जब हम माफिया राज को कंट्रोल करेंगे और रेवेन्यू कलेक्शन के मेन सेंटर से हमारा जो छत्तीसगढ़ है, मैं अभी अपनी बात पर आउंगा । हमारा मूल रेवेन्यू कलेक्शन यदि हमारे पास कहीं से आता है तो वह माईनिंग से आता है और माईनिंग की यह परिस्थिति है । हम लोग जो माफिया राज की बार-बार हम लोग बात कर रहे हैं, कोयले का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और कोयले का प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जो जिला प्रशासन है वह एसीसीएल के साथ समायोजन नहीं बैठा पा रहा है इसीलिये कोयले का प्रोडक्शन नहीं बैठ रहा है । अगर कोयले का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैं एसइसीएल के कोयले की बात कर रहा हूं । अगर कोयले का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें टैक्स मिलेगा, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा । हमको रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा । डायमण्ड की खदानों का क्या हुआ, गोल्ड की खदानों का क्या हुआ ? हम क्यों अपने रेवेन्यू कलेक्शन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और जब हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि रेल कॉरिडोर के लिये पैसा आया है । भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे के लिये पैसा आया है, हम लेण्ड एक्वीजिशन नहीं कर पा रहे हैं, उस पैसे को बैंक में नहीं रखना है, उस पैसे को बाजार के सर्कुलेशन में लाना है । वह पैसा बाजार के सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है । वह पैसा बैंक में फंस गया है और क्यों नहीं आ पा रहा है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ मॉडल में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है । किसी के पास टाईम नहीं है कि लेण्ड एक्वीजिशन सही समय पर हो, सड़क बने, सड़कों की व्यवस्था हो और सड़क की व्यवस्था करके उस बैंक का पैसा बाजार के सर्कुलेशन में आना चाहिए और जब बैंक का पैसा बाजार के सर्कुलेशन में आयेगा तब उसकी व्यवस्था होगी । हमारे वेट का कलेक्शन है, वेट के ऊपर बहुत राजनीति होती है कि वेट हो गया । मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम तो नहीं लेकिन प्रथम पांच में छत्तीसगढ़ है जो वेट टैक्स पेट्रोल-डीजल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के ऊपर कलेक्ट होता है । प्रथम पांच राज्यों में है, प्रथम नहीं है और अभी जो बात हो रही है कि पेट्रोल-डीजल का रेट बढ़ेगा । इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा ही, यूक्रेन के बाद सबको पता है कि बढ़ेगा लेकिन जब रेट बढ़ेगा तो उससे सरकार को भी फायदा होगा । सरकार का भी वेट कलेक्शन बढ़ेगा और क्यों नहीं बढ़ेगा अगर सरकार का कलेक्शन बढ़ेगा तो छत्तीसढ़ की जनता के लिये खर्चा होगा ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर जमाना में गैस ला कइसे मूड़ मा बोह के किंदरत रहे हावा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जीएसटी की बात रामकुमार यादव जी बोल रहे थे । माननीय वित्त सचिव जी के स्मरण पत्र में लिखा है कि वर्ष 2020-21 में 3100 करोड़ रूपये जीएसटी कम्पनसेशन का आया है और वर्ष 2021-22 में 4965 करोड़ रूपये जीएसटी कम्पनसेशन का मिला है तो फिर क्यों राजनीति? आ रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- अऊ बचे कतका हे ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं । माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं । उद्योगों से रेवेन्यू का राजस्व 1100 करोड़ रूपये आता है । रोज प्रश्न लग रहे हैं कि किस-किस उद्योग से कितना पैसा आता है? उद्योगों से दोस्ती क्यों? उनका पानी क्यों बंद नहीं करा देते? क्यों वह पैसा नहीं ले लेते? वे एक मिनट में पैसा दे देंगे। उनकी कमाई है। तो पानी का पैसा क्यों नहीं लेते? मैं उन्हें कई उदाहरण बता दूंगा। 5500 करोड़ रूपये हमारा एक्साइज का कलेक्शन वहीं पर रूका हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि माफिया राज चल रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दो नंबर की दारू बिक रही है। बिना होलोग्राम के दारू आ रहा है। अगर दारू एक नंबर में आयेगा तो 5500 करोड़ का 6500 करोड़ और 7000 करोड़ जायेगा। तो माफिया राज में सरकार के जेब में जो पैसा आना चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ मॉडल है। वह पैसा कहीं और जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम कृषि आधारित बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान है। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं। वर्ष 2021-22 में 18 प्रतिशत हजारा जी.डी.पी. एग्रीकल्चर था। आज हमारा जी.डी.पी. 16.7 प्रतिशत है। माने हम नीचे आ रहे हैं। कहां एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है, वह एवरेज ग्रोथ 3 साल का 4.19 प्रतिशत है। कहां पर ग्रोथ हो रहा है? कहां से एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है? यही एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिससे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यही एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिससे एम्प्लायमेंट की प्रोब्लॉम को सॉल्व किया जा सकता है। इसी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आपका सारा फोकस है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, मनमोहन जी की सरकार में जी.डी.पी. हा साढ़े सात प्रतिशत रहिसे। अभी कतका होगे तेन ला बताओ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- ग्रोथ कहां पर आ रहा है? आंकड़े नहीं बोल रहे हैं। आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं दिखाने के लिए। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाने का कुछ और है और समझने का कुछ है और अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो अभी भी राहुल गांधी समझ लें कि जो दिखाया जा रहा है, वह यहां पर कुछ है नहीं। ये आंकड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा 50 प्रतिशत जी.डी.पी. इंडस्ट्री से आता है और उसी में ग्रोथ हो रहा है। उसमें हमने 3 प्रतिशत ग्रोथ किया। अभी भी आप जो जी.डी.पी. ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वह जी.डी.पी. ग्रोथ 3.8 प्रतिशत एग्रीकल्चर से है और आपका 11.83 प्रतिशत इंडस्ट्री से ही ग्रोथ है। तो इंडस्ट्री से इतना परहेज क्यों? आप इंडस्ट्री से इतना परहेज क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इंडस्ट्री की अलग-अलग बातें करते हैं? और अगर एम.ओ.यू. हो रहे हैं तो एम.ओ.यू. सिर्फ रायपुर के ही आसपास आयरन ओर का क्यों कर रहे हैं? एथेनॉल प्लांट्स का क्या हुआ? एथेनॉल प्लांट्स आने थे। एथेनॉल प्लांट्स का क्या हुआ? एथेनॉल प्लांट आना चाहिए। आज कोयला उत्पादन, चूना पत्थर का उत्पादन, बाक्साइट का उत्पादन, ये हमारे राजस्व संपदा हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इससे आच्छादित है। यह छत्तीसगढ़ की जनता, भविष्य की पीढ़ी के लिए यह चीज है। इसका रेवेन्यू कलेक्शन होकर यहां पर विश्वास होना चाहिए। उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारा वर्ष 2011-12 में 34 प्रतिशत सर्विसेस सेक्टर था और वह वर्ष 2021-22 में घटकर 32 प्रतिशत हो गया। किसी भी विश्व की इकॉनामी में अगर हम बात करें तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर और फिर सर्विसेस सेक्टर। इकॉनामी की मैच्यूरिटी को देखा जाता है कि सर्विसेस सेक्टर कितना मजबूत हो रहा है? कितना आगे बढ़ रहा है? हम कहां जा रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं। हम आज भी मीडिल एज में बैठे हुए हैं। हम मीडिल सिस्टम में बैठे हुए हैं कि हम इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। हम सर्विसेस सेक्टर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। सर्विसेस सेक्टर वह सेक्टर है जहां से एम्प्लाईमेंट opportunities बनती है। क्या हुआ टूरिज्म का? यहां के हॉस्पीटल का क्या हुआ? साफ्टवेयर पार्क का क्या हुआ? यह कोई छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं है। एक एयर सर्विसेस की बात करूं तो बिलासपुर के लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं। 30 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है। अगर 30 एकड़ अतिरिक्त जमीन मिल जाये तो यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स रायपुर से चालू हो जायेंगी। कार्बो हब बन जायेगा। बिलासपुर के एयरपोर्ट के लिए केन्द्रीय मंत्री बोलकर गये हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, आप जमीन तो दो। आप जमीन की व्यवस्था कर दें। किस ढंग से छत्तीसगढ़ का विकास होगा?

सर्विसेस सेक्टर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। हम उतने ही कैपिटल एक्सपेंडिचर 14 हजार पर बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नुकसान है। आदरणीय धर्मजीत सिंह जी की और सारे विधायकों का जो दुख है और जो पीड़ा है, वह यह है कि बजट में तो छप जाता है, ए.एस. नहीं मिलता। अब ए.एस. कहां से मिले? विभाग के पास पैसा रहे भी तो विभाग के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो ए.एस. मिले। आपने अपना कमिटेड एक्सपेंडिचर बढ़ा

लिया है। आपने अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया है। अगर पैसा नहीं आयेगा तो कटौती कहां होगी? तो सिंचाई और सड़क पर कटौती होगी और कहां पर कटौती होगी? आज तक पिछले वित्तीय वर्ष का कई सिंचाई विभाग के और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के ए.एस. लंबित हैं। जितने सदस्य यहां पर बैठे हैं, सारों का लंबित है। कटौती वहां पर होगी। तो आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए। इस बजट में 35 प्रतिशत केन्द्र सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है और शीट में छप जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति होती नहीं । सभापति महोदय, हमारे बजट के बाद तीन चीजें ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के एक्स्ट्रा डेव्हलपमेंट के लिए उससे व्यवस्था की जा सकती है । लगभग 1500 करोड़ का डी.एम.एफ. का मद, सी.एस.आर. की राशि और अब एन्वायरमेंट के सी.एस.आर. की भी राशि आने लगी है। अगर आपको इसका सबसे अच्छा सदुपयोग देखना है तो आप ओडिशा जाकर देखिए, वे कितनी ख़ूबसूरती से उसका उपयोग कर रहे हैं । हम इसका उपयोग एडीशनल बजट ग्रांट के रूप में कर सकते हैं । सारे लोग कहते हैं कि उन्हें स्कूल नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहा है, अगर स्कूल नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहा है तो कोरोनाकाल में पैसे का क्या खर्च हुआ, मैं अपने जिले की बात करता हूं, साढ़े तीन करोड़ रूपए की एक सी.टी.स्केन मशीन खरीदी जा रही है जो आज तक इंस्टॉल नहीं हुई । इंदू बंजारे जी का सवाल था, जांजगीर चांपा जिले में 56 ऐसे उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें भवन नहीं है । अगर हम एक सी.टी.स्केन मशीन नहीं खरीदते तो 56 भवन डी.एम.एफ. मद से बना सकते थे । बेसिक जरूरत को पूरा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कमीशन नहीं है । कोरोनाकाल में वेंटीलेटर्स खरीदे गए, कोरोनाकाल में सी.टी.स्केन मशीनें खरीदी गईं, कोरोनाकाल में जो सामान खरीदे गए, आज डी.एम.एफ. के पैसे का दुरूपयोग करके जगह-जगह सामान बांटा जा रहा है तो हम उसका उपयोग बजट सपोर्ट के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं ? जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल भवन नहीं है, तो डी.एम.एफ. फंड से बना दीजिए । यही काम डॉक्टर रमन सिंह करते थे तो आप उल्टा-सीधा बोलते थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2018 में 2 हायर सेकेडरी स्कूल भवन की घोषणा की थी ।

श्री संतराम नेताम :- सुकमा में स्वीमिंग पुल आपके अधिकारी ने बनाया था। आज तो हमारी सरकार उस राशि का उपयोग सुपोषण के लिए कर रही है ।

श्री सौरभ सिंह :- पैसे का सदुपयोग कैसे नहीं कर सकते ? सभापति महोदय, डी.एम.एफ. के संबंध में एक बात बोलता हूं । 2019 के बाद किसी भी जिले में डी.एम.एफ. का ऑडिट नहीं हुआ है । जबकि डी.एम.एफ. का कानून बोलता है कि ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट की रिपोर्ट वेबसाइट में चढ़ना चाहिए । अगर सरकार की विश्वसनीयता है तो पारदर्शिता होनी चाहिए । अगर आप किसी से मिले हुए नहीं है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए । ब्याज के पैसे का क्या हो रहा है ? आप जिलों के डी.एम.एफ. की वेबसाइट खोलकर देख लीजिए, कोई अपलोडेड नहीं है, किसी काम का अपलोडेशन नहीं है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

। यह कानून है तो क्यों नहीं हो रहा है ? 6 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग क्यों नहीं हो रही है ? अपनी मर्जी के हिसाब से पुराने वर्क को कैन्सिल कर देते हैं और समिति से अनुमोदन नहीं लेते । ये क्यों नहीं हो रहा है, समिति का एप्रूवल होना चाहिए, उसमें सिर्फ 10 प्रतिशत अलाउड है । ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि उस पैसे का सही उपयोग नहीं करना है। सी.एस.आर. की राशि कलेक्टर अपने पास लेकर बैठ गए हैं । मेरे जिले में के.एस.के. महानदी का 2 करोड़ का सी.एस.आर. माननीय कलेक्टर साहब लेकर बैठे हुए हैं और खोज रहे हैं कि कौन आदमी कमीशन देगा । मैं बोल रहा हूं कि के.एस.के. ने 2 करोड़ रूपए आर.टी.जी.एस. करके कलेक्टर के यहां ट्रान्सफर किया है, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं । आज तक वह पैसा खर्चा नहीं हुआ है ।

एक माननीय सदस्य :- और वो इंतजार करते रहते हैं कि कब बंगले से फोन आएगा तब बटेगा ।

श्री सौरभ सिंह :- ग्राम पंचायत के सरपंच जा जाकर बोल रहे हैं कि इस पैसे को हमारे लिए दे दो, तो नहीं, मेरी मर्जी के हिसाब से मैं पैसा खर्चा करूंगा । सभापति महोदय, बजट आया और बजट में कोई ऐसे इनिशिएटिव आने चाहिए, जो इनिशिएटिव भविष्य की पीढ़ी के लिए हों, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल । किसी ने इलेक्ट्रिल व्हीकल की बात की, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ जा रहा है, सोलर पैनल की तरफ जा रहा है, रूफटॉप सोलर हार्वेस्टिंग की तरफ जा रहा है, इसकी कहीं बात नहीं हो रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने की बात हो रही है, वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है और बायोफ्यूल लगाने की बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है । हम छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं । सॉफ्टवेयर पार्क की बात हो रही है और वित्तीय प्रबंधन की बात हो रही है । 14वें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा 42 प्रतिशत मिलता था । 15वें वित्त आयोग में 1 प्रतिशत बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया है । आप क्या बोल रहे हो कि केन्द्र सरकार आपकी मदद नहीं करती । आज जब हम छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं तो पहले कहा गया कि हम सबको वैक्सीन लगाएंगे इसलिए हम ये-ये-ये पैसा खर्चा नहीं करेंगे । वैक्सीन केन्द्र सरकार ने दे दिया ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- हमरो मन के विधायक निधि से ओमा 50 लाख कटे हावय।

श्री अरूण वोरा :- भैया, सब ल वैक्सीन लगे भी तो हे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पैसा पूरा केन्द्र सरकार के लगे हे। प्रदेश सरकार के कौन से पैसा लगे हे।

श्री सौरभ सिंह :- पैसा पूरा केन्द्र सरकार से अया, यह मैं ईमानदारी के साथ बोल सकता हूं। वैक्सीन, वैक्सीन का लगाने का पैसा, बाकी सारा केन्द्र सरकार के माध्यम से आया। केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- तोला पोलियों के सुई लगे रहीसे?

श्री सौरभ सिंह :- अब वही कहानी आ गई कि यूक्रेन से जितने बच्चे आयेंगे, उन बच्चों की हम व्यवस्था करेंगे। पेपर में छपवाने के लिए थोड़ी राजनीति होनी चाहिए। यूक्रेन से जो आदमी आया, उसको केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से लेकर आया। छत्तीसगढ़ से जितने भी 217 बच्चे थे, उनको केन्द्र सरकार ने लेकर आया। परंतु उसके पीछे जो कहानी है कि तीन साल से छत्तीसगढ़ में जो तीन मेडिकल कॉलेज चालू होने थे, वह मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुए हैं। अंबिकापुर का जीरो ईयर है और एक मेडिकल मेडिकल कॉलेज जो आपने अधिग्रहित किया है, वह भी चालू नहीं हुआ है। यदि आपने यह व्यवस्था कर दिये होते तो हमारे बच्चे यूक्रेन पढ़ने ही नहीं जाते। यह छत्तीसगढ़ मॉडल होना चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए, संक्षिप्त करिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आज दो चीजें हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ की भविष्य की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। न प्लानिंग कमीशन ने व्यवस्था की है औन न कभी सोच हुई है कि कौन से प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। न प्लानिंग कमीशन ने व्यवस्था की है न औन न ही सोच हुई कि कौन सी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट बना सकते हैं। छोटा-मोटा बात कर लेते हैं कि कभी वह चाला गया, वह चला गया। छत्तीसगढ़ की Export oriented unit की जो growth होनी चाहिए, वह Export oriented की कहीं पर कोई बात नहीं हो रही है। मैं आपको जिम्मेदारी से जो जिम्मेदार लोग होंगे उनको बता दूंगा। हम चुनाव प्रचार में पंजाब गए थे। हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे। वहां पर आपकी ही सरकार आज नहीं है। आज नहीं है आपके मुख्यमंत्री जी 111 दिन का इस्तीफा दे दिये। पर एक डाक्यूमंट था कि पंजाब में किस तरह से Export growth हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का विजन था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विजन की कोई बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एम.एस.एम.ई. सेक्टर जिससे सबसे ज्यादा रोजगार व उद्‌योग की बात होती है। कितने एम.एस.एम.ई. सेक्टर तीन साल में लगे हैं। कितने साल में काम हुआ? कितने कोसा के सेक्टर में काम हुआ? यदि सबसे बड़ा कोई एम.एस.एम.ई. सेक्टर में काम हो सकता है तो वह कोसा है। सबसे बड़ा Export का सेक्टर हो सकता है तो वह कोसा है। हमारे जिला जांजगीर-चांपा और जगदलपुर जिला का प्रोडक्ट है। क्या काम हुआ? कितनी नई राईस मील खुली? कितनी पोहा मील खुली? फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुला और छोटे उद्‌योगों के लिए अनुपूरक बजट में 50 करोड़ रूपये राज्यांश की एक व्यवस्था की गई है । कितना खर्च होगा और कितना नहीं होगा? मैं यह बोलना नहीं चाहता। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं दो बातें और रखूंगा। आप मुझे समय दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। आर्थिक सर्वेक्षण में कहीं पर एक बात आई है, बैकिंग सेक्टर की। आज जो Banking density है और जो credit offtake है, यह भी किसी Economy की growth का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि लोग कितना

कर्जा ले करके व्यापार कर रहे हैं, किसान कितना कर्जा ले करके खेत बना रहा है, कितना कर्जा ले करके ट्रैक्टर ले रहा है, कितना कर्जा ले करके किसान आगे बढ़ रहा है। हमारा credit offtake 06.44 है जो अन्य स्थानों के आधार पर बहुत नीचे है। इस पर सेाच करने की आवश्यकता है कि हमारा credit offtake तीन साल में क्यों नहीं बढ़ रहा है। यह छत्तीसगढ़ मॉडल होना चाहिए। बैंकों के Branches क्यों नहीं खुल रहे हैं? आप बोल देंगे कि दिल्ली नहीं खोल रहा है, आर.बी.आई. नहीं खोल रहा है लेकिन उसके लिए एक co-ordination कमेटी होती है। उस कमेटी के साथ व्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए कि ए.टी.एम. कहां खुलना चाहिए, कहां बैंक खुलना चाहिए, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में कैसे हम ए.टी.एम. खोल सकते हैं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अंत में बहुत सारी बातें हुईं। पाण्डेय जी बोल रहे थे कि हमने यह बेच दिया। आर्थिक सर्वेक्षण के पेज नं. 106, अमरजीत भगत जी ने ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, उसमें लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, प्रदेश में कुल 16 मंडी/उपमंडी को मोनेटाईज करने के लिए चिन्हांकित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ द्वारा की गई घोषणाओं में पुरानी मंडी प्रांगण धमतरी में एग्रो मारकेट/सी मारकेट का कार्य सम्मिलित है। धमतरी की रिक्त भूमि को मोनेटाईज हेतु फर्म रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेट गुड़गांव, हरियाणा से अनुबंध किया गया है। यह क्या है, यह मेरे को बताईये? या कौन क्या बेच रहा है? और क्या मोनेटाइजेशन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाने के लिए कोई और तथा करने का कोई और। इसीलिए वह छत्तीसगढ़ मॉडल उत्तर प्रदेश में फेल हुआ है, इसीलिए छत्तीसगढ़ मॉडल आज पूरा भारत में फेल हुआ है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के सामान्य चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सौरभ सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही। आप जो बात बता रहे थे, वह आंकड़े तक ठीक लगते हैं लेकिन धरातल में हमारी सरकार उसको पूरा करने जा रही है, इस बात को भी आप ध्यान में रखियेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात रामायण काल के सुंदरकांड के चौपाई से करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सुंदरकांड, क्योंकि यह पूरा सुंदरकांड ही है।

"हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम।
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम॥"

इसका अर्थ यह है कि श्रीराम भक्त हनुमान जी को जिस तरह से अपने आराध्यय श्रीराम जी का काज किये बिना विश्राम स्वीकार नहीं था, ठीक उसी तरीके से हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को सर्वहारा वर्ग के लिए जब तक अंतिम व्यरक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ न पहंचा दे, तब तक वे विश्राम नहीं करने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान में रखियेगा। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को

परिभाषित करने वाला यह बजट है। आज इस बजट की पूरे देश में मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है। ऐसे बजट आज तक देश में किसी भी सरकार ने प्रस्तुत नहीं की है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तो आप ही की पार्टी का सरकार थी। मध्यप्रदेश था तब भी आप ही की पार्टी का सरकार था।

श्री रामकुमार यादव :- रामायण में एक और चौपाई है। " रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई'

हमर मुखिया के वचन हे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा:- यादव जी, वचन ल पालन करना चाहिए न। तुंहर मुखिया हर वचन ल तो पालन करय।

श्री केशव प्रसाद चंद्र :- मैं बोलिहूं तो रघु के रीति के बात जरूर कहिहूं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं-नहीं, यादव जी, ओ वचन कहां पालन होवत हे।

सभापति महोदय :- शर्मा जी बैठिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं-नहीं, मैं पुराने वचन की बात करत हो।

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, चुनाव वर्ष 2018 में घोषणा-पत्र में 38 वायदे किये गये थे उसमें लगभग 28 वायदों को पूरा कर दिया गा है। यह बजट इस बात को बतलाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल बात नहीं कह रहा हूं कि 28 वायदों को पूरा किया गया लेकिन बजट केा देखनं से यह परिलक्षित होता है कि यह वायदे सरकार पूरा करते जा रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज निश्चित रूप से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी है। यह बात अलग है कि उत्तरप्रदेश के या अन्य राज्यों के चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी आये हो लेकिन छत्तीमसगढ़ की जनता इस बात को जानती है कि आज भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में एक नया मॉडल हमारी प्रदेश में बना है जो 15 साल तक कहीं दिखलाई नहीं दिया। क्यों धर्मजीत भाई, 15 साल तक कहीं दिखलाई नहीं दिया। छत्तीसगढ़ विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, किसानों की बात कर रहे थे। हम बहुत देर से बैठे हैं। हम लोग सुबह से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों तक किसानों के साथ केवल और केवल छल ही किया है। उसके साथ न्याय नहीं किया है। राज्य की सरकार देख लीजिए और केन्द्र की सरकार देख लीजिए। जैसे ही हमारी सरकार आई और पहले वर्ष में 17 लाख 96 हजार किसानों का 8 हजार 744 करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया है। आपने किया है कभी ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हें तो क्यों कर रहे हैं? हम तो पिछली विधानसभा में बैठे तो इस बात को लगातार उठाते थे। रमन सिंह जी कह रहे थे कि 500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, वहां तो हर महीने में 200 किसान आत्महत्या कर रहे थे। उनके खुद के जिले के किसान आत्महत्या कर रहे थे। इस बात की जानकारी उनको स्वयं को है। वह खुद मुख्यमंत्री थे, उस बात

को सुना करते थे। 25 सौ रूपये क्विंटल की सर्वाधिक दर से धान खरीदी की गई। खरीफ वर्ष 2021 में 21 लाख, 77 हजार किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। कृषि के प्रति लोगों का रूझान वापस आ रहा है। इस प्रदेश में दिखलाई दे रहा है। 3 वर्षों में 9 लाख, 77 हजार नये किसान पंजीकृत किये गये हैं। पहले इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। गोधन न्याय योजना में अब तक 127 करोड़, 79 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। राहुल गांधी जी आये थे, उन्होंने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष की सहायता से गरीबों का हाथ मजबूत किया। सुराजी गांव का सपना महात्मा गांधी ने संजोया था। महात्मा गांधी के आदर्शों पर, उनके सत्सत चरित्र पर चलने वाली हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है। सुराजी गांव के सपनों को साकार करते हुए गोठानों का महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने की संकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है जो काफी अतुलनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल राम की बात करती है और काम कुछ नहीं करती है जबकि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चंद्रखुरी में माता कौशल्या का भव्य मंदिर एवं राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण कर यह बतला दिया है कि आप केवल बात करते हैं हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। जो कहा, सो हमने किया। बिजली बिल हाफ योजना से सर्वहारा वर्ग लाभान्वित हो रहा है। कई गौठानों में गोबर से बिजली का उत्पादन हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- गोबर से बिजली का उत्पादन कहां हो रहा है, एकाध जगह बताएंगे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- कागज में है न ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कागज में त एमन गोबर ले मिसाईल तक बना दिहीं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति जी, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है । युवाओं, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, त्रि-स्तरीय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है ।

श्री रामकुमार यादव :- कर्मचारी मन पूरा प्रदेश मा बैंड पार्टी बजात घूमथे ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति जी, व्यापम एवं राज्य लोक सेवा आयोग में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की फीस भी हमारी सरकार ने माफ किया है। इनकी सरकार में हमने कभी सोचा नहीं था कि कुछ इस तरीके से होगा । वहां तो घोटाले होते थे । लगातार भ्रष्टाचार, लगातार घोटाले की बात आये दिन समाचार-पत्रों में छपती थी और आये दिन यही बात हम लोग विधान सभा में विपक्ष के विधायक के रूप में किया करते थे । शर्मा जी, आप उस कार्यकाल में विधायक नहीं थे, मैं उस विधान सभा के कार्यकाल में विधायक था । मैं इस बात को देखा करता था और मैंने इस बात को भी सुना है कि रायगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता । कमीशन लेने वाली सरकार का क्या हश्र हुआ है ? शर्मा जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, लेकिन आप इस बात को समझ

सकते हैं । आप विधायक हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, आप इस बात को जान सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा, उसका हश्र क्या होगा ? तो यह हश्र आपको दिखलाई दे दिया है ।

सभापति जी, हम लोग डॉ. रमन सिंह जी से विधायक निधि के बारे में लगातार मांग करते रहे कि हमारी विधायक निधि बढ़ा दी जाये, विधायकों को बुनियादी समस्याएं सुलझाने की आवश्यकता होती है । हम लोग 1 करोड़ रूपए की विधायक निधि में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 15 साल तक हमारी बात नहीं सुनी । जैसे ही हमारी सरकार आई, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने विधायक निधि 1 करोड़ से 2 करोड़ और अब इस साल 2 करोड़ से सीधे 4 करोड़ रूपए कर दी । चंद्रा जी, इसके लिए तो आपको बहुत खुशी व्यक्त करनी चाहिए । इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा ।

सभापति महोदय, बजट में मोर जमीन, मोर मकान, मोर मकान, मोर चिन्हारी योजना के लिए 450 करोड़ रूपए का प्रावधान करने से आवासहीन लोगों को लाभ मिलेगा । अमृत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों में नल कनेक्शन देने के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । जहां तक नगर निगम की बात है, नगरीय निकायों की सम्पत्ति में आफसेट मूल्य को कलेक्टर गाईड लाईन में निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करने की घोषणा से निकायों की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हुई है । कल ही पूरे प्रदेश के महापौरों ने यहां आकर माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद दिया है और इससे हमारे शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत मदद मिलेगी। कोरोना काल में भी आम जनता को जो प्राथमिकता दी गई, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । सारी मदद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की । मैं तो कहना चाहता हूं कि:-

हाथ कंगन को आरसी क्या,

पढ़े-लिखे को फारसी क्या ?

आप पढ़िए, समझिए । यह बजट सबके लिए है, सर्वहारा वर्ग के लिए है और जो कहा, सो हमने पूरा किया । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत मुख्य बजट के चर्चा करेबर मैं खड़े हवं अउ हर बजट में मैं एके चीज कहिथव कि ये बजट कागज के पुलिंदा ए । ए बजट ह भी कागज में पुलिंदा ए । अब पुलिंदा एकर बर ए कि विगत जो भी बजट में ये सरकार जो भी चीज ला बजट मा सम्मिलित करिस, अभी हमर बहुत ही सम्माननीय सीनियर विधायक जी कहात रिहीन हे कि ओकर प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलय । हमर तो ये कहना हे कि बजट में आप वही ला शामिल करौ, जेकर प्रशासकीय स्वीकृति आप दे सकव । हमर क्षेत्र के 8-10 ठन सड़क पास होईस, 8-10 ठन पुल-पुलिया बजट मा अईस, बजट मा एनीकट अईस । बढ़िया क्षेत्र मा गेन, माला पहीनेन, ढोल-नगाड़ा बाजिस, स्वागत करिन, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले के कारण नहीं बनिस । त अईसे बजट के भी का औचित्य हे, जेला खाली बजट के

पुस्तक मा केवल ओकर सुन्दरता बढ़ाए बर डालहीं अउ धरातल में ओकर प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलही, धरातल में ओकर निर्माण नहीं होही त ए बजट के का आवश्यकता हे । तेकर बर यह बजट केवल कागज के पुलिंदा हे । रामकुमार जी कहात रिहीन हे कि रघुकुल रिति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए ।

श्री रामकुमार यादव :- केशव जी, 10 साल ले तुहर जैजैपुर से मालखरौंदा रोड़ नहीं बने रिहीसे अउ बनिस त भूपेश बघेल जी के सरकार मा बनिस । तेन ला बतावव।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बढ़िया बात हे कि आप पुराना पेंशन बहाल करे हा, सही बात हे, कर्मचारी मन तासा बजात हे, नाचत हे, कूदत हे, तुंहला धन्यवाद देवत हावय। लेकिन आप मन अनियमित कर्मचारी मन बर भी घोषणा करे रहेव, ओ मन का बिगाड़े हे, ओ मन भी पंडाल के नीचे बैठे हे। अगर कर्मचारी मन आप ला एक तरफ दुआ देवत हे तो दूसर तरफ ये अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जे मन ला राजा साहब लिख-लिख के दे रहिस हे कि - रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाइ पर वचन न जाई। लिख-लिख के दे रहिस हे हमर सरकार बनते ही 10 दिन मा नियमित करबो, ये मन तुंहर का बिगाड़े हे, ये मन ला काबर नियमित नइ करत हावा, ये मन ला नियमित करा, उहूं मन बैंड ताशा के साथ सम्मान करही।

माननीय सभापति महोदय, येइ कांग्रेस के सरकार मा जनभागीदारी के माध्यम से स्कूल खुले रहिस हे, प्रायमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी खुले रहिस हे। ओमा शिक्षक रहिन हे, 8 साल, 10 साल ले काम करिन, ओला भी लिख के दे रहेय कि हमर सरकार आही तो जतक जनभागीदारी में शिक्षक रहिन हे, ओला हम कहीं न कहीं गुरूजी बनाबो, नौकरी के अवसर देबो। आज ओ जनभागीदारी शिक्षक मन भटकत हावय। माननीय सभापति महोदय, गांव-गांव मा प्रेरक रहिस हे। आप मन प्रेरक मन ला लिखके दे हावा कि हमर सरकार बनन देवा, जब सरकार बन जाही तो आप मन भी कहीं न कहीं रोजगार के अवसर देबो तो प्रेरक मन आपके का बिगाड़े हे। पिछले सरकार मा गौ रक्षक बने रहिस हे, ओला भी आप मन लिख के दे रहेव कि हमर सरकार बनही तो तुमन ला मानदेय देबो या कहीं न कहीं व्यवस्था बनाबो। माननीय सभापति महोदय, ये मन बर बजट में काबर प्रावधान नहीं हे। 36 में 24 का-का के गनथा, कै ठन गने हावा, मैं कै ठप गने हव, देख लेवा। युवा मन के लिए का मितान गठन करत हावय, केवल युवा मन ला गुमराह करे बर, युवा मन के भविष्य ला बर्बाद करे बर, दू-चार पैसा कमा लेवा, युवा मितान के गठन कर लेवा। आप बेरोजगारी भत्ता के बार करे रेहा, काबर ये बजट मा बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान नइ करे हावा, काबर युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता नइ देवत हावा ? नौकरी नइ दे सका, मालूम हे। तो ओ मन ला कम से कम युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता दे देवा। ओ मन ला गुमराह करे बर आप केवल अपन राजनैतिक रोटी सेके, अपन राजनीतिक फायदा लेहे बरर गांव में मितान के गठन करत हावा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय जी, उहू मान युवा मितान क्लब मा यूथ कांग्रेस के सदस्य मन रही।

श्री संतराम नेताम :- चन्द्रा जी, 15 साल बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, अभी बम्फर भर्ती चल रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अभी तो शासन से डायरेक्ट पैसा ले रहे हो।

श्री संतराम नेताम :- स्वास्थय, शिक्षा, पुलिस विभाग में भर्ती हो रही है, उसको बताओ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- संतराम जी, मालूम हे बेरोजगार मन ला कतका नौकरी देवत हावा।

श्री रामकुमार यादव :- ये हमर गौटिया हावय, ये हा 120 एकड़ के गौटिया हे। जतका बैंक में पैसा हे, ऐखरेच हे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- रामकुमार यादव जी, मेहनत करथव। धान पैदा करथव, खेत जाथव, खेती करथव अउ ओला बेचथव तो पैसा पाथव।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत के अधिकार के बात करीन। ये सरकार हा ग्राम पंचायत के कोन सा अधिकार ला बढ़ाय हावय। सरपंच के मानदेय बढ़ा देहा, सरपंच सदस्य के मानदेय बढ़ा देइस, जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय बढ़ा देइस, लेकिन पंचायत के का हश्र होवत हावय ? माननीय मुख्यमंत्री पूरा पंचायत के जेतक पदाधिकारी हे, इही रायपुर मा जोड़के घोषणा करिन कि आपके 20 लाख के अधिकार हे, ओला 50 लाख के करत हावव, 50 लाख के काम ग्राम पंचायत हा करही। लेकिन कौन सा 50 लाख के काम ला ग्राम पंचायत हा करत हे डी.एम.एफ. मा ? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाइ पर वचन न जाइ। जांजगीर-चांपा जिले में डी.एम.एफ. मा साढ़े छः लाख के यात्री प्रतीक्षालय बनत हावय, ओमा ठेकेदार काम करत हावय, कोई ग्राम पंचायत ला काम नइ मिलत हावय। साढ़े चार लाख के जिम के निर्माण होवत हावय, रायपुर ले ठेकेदार गय हे, कोन हाऊस ले गय हे कहथे, कलेक्टर साहब कहथे कि हाऊस से आय हे, मैं तो मजबूर हव। कोई ग्राम पंचायत ला काम नइ मिलत हावय, ठेकेदार करत हावय। डी.एम.एफ; मे बिजली के काम कमीशन मा होवत हे, कोई ग्राम पंचायत ला काम नइ मिलत हावय तो आप ग्राम पंचायत के कोन से अधिकार के काम के बात करथव। अगर आप ग्राम पंचायत के बात किरहव तो 50 लाख से नीचे के जेतका काम हावय, आप ग्राम पंचायत ला देवव। मंडी बोर्ड के काम जावत हे, इहां ले टेण्डर होवत हावय, 4 लाख 10 हजार के शेड ला ठेकेदार करत हावय, कोई ग्राम पंचायत ला एखर अधिकार नइ मिले हावय। माननीय सभापति महोदय, पहली ग्राम पंचायत ला अधिकार रहिस हे। अविवादित नामान्तरण के फौती काटे के, बंटवारा के, आनलाईन व्यवस्था कर देहा, आप ग्राम पंचायत के अधिकार ला लिखित मा नइ हटाय हव, लेकिन वो अधिकार से वंचित कर दे हव । वो आदमी हा दुखी हवय, पीड़ित हवय । ग्राम पंचायत म काम नई होय के कारण वो आदमी मन भटकथ हवय, साल भर कखरो फौती नई कटथ हवय । माननीय सभापति महोदय, अधिकार के बात

करथें । माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहिसे विरोध मा बात करथे तेखर भी हमन सम्मान करथन । यही सरकार ये ? कतका कन प्राधिकरण के गठन होय हवे ? समग्र म काम होत हावय, लेकिन ये तमाम काम सत्ता पक्ष के विधायक के क्षेत्र म होही । विपक्ष के विधायक के क्षेत्र म नई जाय, विपक्ष के विधायक हे, वो क्षेत्र म मूलभूत के जरूरी चीज के कोई आवश्यकता नई हे । विपक्ष के विधायक मन के गांव मन मा सी.सी.रोड नई बनना चाही, निर्मला घाट नई बनना चाही, सामुदायिक भवन नई बनना चाही, केवल सत्ता पक्ष के विधायक मन के क्षेत्र म बनना चाही ।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, ऐसना झन कहाव विधायक जी । सुनव विधायक जी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बिल्कुल सही बात ए रामकुमार जी । बिल्कुल सही बात ए एहा ।

श्री रामकुमार यादव :- सुनव महाराज जी । हमर सरकार कैसे बने हे, रघुकुल रीति कहाथे ना, बिप्र, धेनु सुर संत हित...(व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- एको झन सरपंच के बता दे, अतका क्षेत्र मा अतका पैसा गे हे कइके ? चन्द्रा जी जो कहाथे, सही कहाथे ।

श्री रामकुमार यादव :- गे हे ना । (व्यवधान)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- बात मान ले नई गे हे । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- समग्र म हमन ला राशि नई दे ।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पिछले समय प्राधिकरण मा बाटिन एक रूपया नइ दिन । मोर खुद के क्षेत्र मा, अभी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के सूची जारी होइस, अध्यक्ष महोदय करा ले हमु निवेदन करेन । 28 प्रतिशत अनुसूचित जाति मन मोरो क्षेत्र मा निवास करथे, हमन क्षेत्र बर अनुसूचित जाति के विकास बर ए सरकार मेर पैसा नइ हे । कैसे कबो के समान नजर से देखत हवै ? माननीय सभापति महोदय, आज गांव के सरपंच मन विकास बर तरसथे, पन्द्रह बीत के राशि थोर बहुत चल देथे, वोमा भी एमन काम करही त भुगतान करे बर लागही, ग्राम पंचायत के सरपंच ला, कहीं कलेक्टर, कहीं जिला के सी.ई.ओ. अऊ जनपद के सी.ई.ओ. दबाव डालही, आज लाचारी, बेबसी अऊ मजबूरी में वोमन भुगतान करे बर लाचार होवथे । ए सरकार के व्यवस्था हे । माननीय सभापति महोदय, जहां तक मोर समझ हे, अगर प्रदेश म कहीं रोजगार के अवसर उपलबध हो सकथे, केवल एक ठन सेक्टर हावय, कृषि के क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर । जेखर माध्यम से केवल रोजगार के अवसर मिल सकथे । नहीं तो आज उद्योग बंद, आधुनिकीकरण होगे । उद्योग आज मेनपॉवर बंद करथे । कई क्षेत्र मा मेनपॉवर कम होवथे । स्वाभाविक बात हे, रोजगार के अवसर हा कम होत जाही, एकमात्र एग्रीकल्चर के क्षेत्र हे, जहां से हमन फसल पैदा करथन, वो फसल से हमन का-का चीज बना सकथन, का-का चीज बनाके हमन बाहर भेज सकथन, वोखर लिये हमन कैसे उद्योग लगा सकथन, अगर ये दिशा मा सरकार हा काम

करय, तभे प्रदेश के बेरोजगार मन ला रोजगार के अवसर मिल सकथे । लेकिन सरकार वोखर बर नई आय । सरकार वोखर बर अन्य प्रदेश जाही कि उद्योगपति इहां आके निवेश करै कइके । लेकिन सरकार कभी ये नइ सोचय, युवा मितान के गठन ग्राम पंचायत म युवा मन ला बरबाद करे बर करहि । कतका इंजिनियरिंग करे हावय, कतका पढ़े लिखे हावय, कतका एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़े हावय, ऐसन युवा मन के ग्रुप बनाके बैंक से फायनेंस उपलब्ध कराके कृषि से जुड़े हुये उद्योग स्थापित करके केवल बेरोजगार मन ला रोजगार नहीं, बल्कि उद्योग से जुड़े हुये अऊ अन्य काम करने वाला बेरोजगार मन ला, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराही...।

श्री रामकुमार यादव :- पहली बार ए सरकार हा जेहा बेरोजगार मन ला, बारहवी पास, बी.ए. पास मन ला ठेका देके रोजगार दे हे । पहली सरकार ए । वोला बोलव न ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वोमा भी आवथंव । चिन्ता मत करव । वोमा भी बात करथंव । वो विषय भी मोर करा हावय ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- छांट-छांट के देवथे, कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ला ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत बढ़िया बात कहिन हे । बेरोजगार मन के बारे म बहुत चिंतनशील हे । काबर कि वोमन लड़ाई लड़िन बेरोजगार मन ला रोजगार दिलाहंव कइके विधायक बनिन । सुगम सड़क म बेरोजगार इंजिनियर मन ला काम के अवसर मिलथे । बारहवी पढ़े लिखे मन ला बेरोजगार इंजिनियर के संज्ञा दिये गे हे । काम मिलथे, वोमन टेंडर डालथे, आपके जल जीवन मिशन में वोमन ला काम मिलथे, भुगतान के काय स्थिति हे, एकेक साल तक वोमन काम कर डारे हें, अपन घर के सीमेंट लगाय हें, अपन घर के पैसा, अपन घर के गिट्टी लगाय हें, रेता लगाय हें, मजदूर लगाय हें, एकेक साल तक वोमन ला पैसा नइ मिले हे, सुगम सड़क मा आज एक भी पइसा नइ हे । प्रदेश म कब बजट पारित होही त वोखर मन करा जाही तो बेरोजगार लइका मन ओ पैसा ला पाही। ओ बेरोजगार के गला मा तो ये मन फांसी डाल दे हवैं। बेरोजगार रहिन हे तो कम से कम रात के बढ़िया नींद सुतत रहिन हे। लेकिन आज काम पाये के बाद भी ओमन के नींद हा हराम हो गये हे। माननीय यादव जी, आज मोर ओहर प्रश्न रहिस। आप जे चीज के चिंता करत हव, मैं पहली ला चिंता करे हवं, आप प्रश्न करे हवं। भुगतान-शेष, भुगतान-शेष, कब काम पूरा होये हे, 9-10 महिना पहली काम काम पूरा होये हे, लेकिन भुगतान शेष हे।

सभापति महोदय :- चन्द्रा जी संक्षिप्त कीजिये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल बहुत संक्षिपत में बोलिहौं। आपके संरक्षण चाही। मैं कोई आंकड़ा में नई बोलना चाहौं, बहुत संक्षिप्त मा केवल व्यवहारिक चीज हा मैं बोलहूं। अभी पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी मन दो बार हमर घर गये रहिन। एक बार प्रायरटी में आप तीन ठन सड़क बता दो, ओला सम्मिलित करिहीं। हमन बड़ा खुश होएन। ये सरकार का रे हउं मन ला, विपक्ष

के मन ला चिन्हत हे, तीन ठे सड़क के नाम दे दे हन, फिर गईन, कहीं नई ये प्रारूप में देवै, प्रारूप में दिहा तो आही। अब प्रारूप में दे दे हन, कस ला गांव के दे हन, जे गांव पहुंचविहीन हे, जेहां बिल्कुल सड़क नई हे, कच्चा सड़क भी नई हे, ऐसे गांव ला कम से कम ये माध्यम से जुड़ जाए, करके दे दे हन, आज बजट के कागज ला खंगालत हन।

श्री रामकुमार यादव :- कोई विकास नई करे हन, 15 साल ले पूरा रोड नई बने हे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बजट के कागज ला खंगालत हन, वो तीन ठे सड़क हा कौन दिशा मा हे, सड़क के पता नई हे। कोई जगह बजट में सम्मिलित नई हे। ऐसे ओ गांव के आदमी मन का बिगाड़े हे। आज भी आजादी के अतके दिन बाद पकडंडी मा चले बर ओ मन लाचार, बेबश हे। अगर ऐसे गांव मा सड़क बन जाही तो ये सरकार के का बिगड़ जाही। अरे आपै के तो नाम लिही। आपके सरकार के नाम लिही। ओमन खुश होईही। लेकिन एकर सोच नई हे। अउ का-का घोषणा करे रहव। पेंशन ला बढ़ाबो। निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, सुखद सहारा, 7-8 प्रकार के पेंशन होत हे, तेमा बढ़ोत्तरी करबो। पेंशन कौन ला मिलथे, लाचार, गरीब, बेबश ला सरकार के पेंशन मिलथे। लेकिन कै रुपया आप बढ़ाये ? ओ गरीब, लाचार और बेबश के सोच सरकार करा नई हय। एक बजट अउ बचे हे। आखिरी बजट में का कर लिहा।

श्री रामकुमार यादव :- भूमिहीन व्यक्ति ला 6 हजार रुपये मिलत हे। अब वोहा 7 हजार हो गईस। वोला बढ़ते जाही, हमन घटते वाला न होन, घटते वाला तो ओमन के है रे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- तो ओमन बर आपके सोच नई हे। गरीब, लाचार, बेबश मन बर आपके सोच नई हे। आपके सोच तो उद्योगपति मन बर हे। अभी कहत रहिन ना कि रेडी टू फूड बांटत रहिन तेला, महिला मन के सब काम ला छींन ले हवैं।

श्री संतराम नेताम :- भारतीय जनता की ही सोच उद्योगपतियों के लिए है, अडानी, अंबानी के लिए है। हमारी सरकार गरीब, भूमिहीन के लिए सोचती है। सिरहा, बैगा, गुनिया के लिए सोचती है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अब अडानी के बारे में जो हल्ला रहिस, तेला तो आप सुने हव ना कि चुनाव में पैसा कौन लगाये हवै। चुनाव मा छत्तीसगढ़ के पैसा कौन लगाये हे, आप भी जानत हौ।

सभापति महोदय :- बार-बार टोकाटाकी न करें। चन्द्रा जी, अपनी बात रखें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- गरीब के सोच आपकी सरकार मा नई हे। माननीय सभापति महोदय, डी.एम.एफ. के एतका कन दुरूपयोग होय हे तेकर कोई सीमा नई हे। माननीय रामकुमार जी भी बांटिन हे, महु बांटे हवौं और ग्रास कटर हमन बांटे हंव। कै रुपया के हे, कलेक्टर ला लिखत हन, नई बतात हे। आप भी बाटे हौ। आपके भी फोटो पेपर में आये रहिस, मोरो फोटो पेपर में आये रहिस, बांटेन, लेकिन कै रुपया के हे, तेन ला नई जानत हन और ग्रास कटर मा कै झन घास काटिही और धान काटिही तेहर अभी धान कटाई आ जाही, तेकर बाद पता चलिही। आप देव, कमीशन खा लो, कोई दिक्कत नई हे।

लेकिन जे चीज ओ किसान ला देत हे, तेकर सदुपयोगिता भी तो हो जाये, उपयोग भी तो हो जाये। केवल घर मा एक कचड़ा खाना मा, घर के गोदाम मा, घर के कबाड़ खाना में ओला रखै के काम मत आये बल्कि ओकर काम हो जाये, लेकिन सोच नई है, केवल एमा कतका मिलत हवै, तेकर सोच हवै।

श्री रामकुमार यादव :- तैं सच्चाई ला गोठियात हस, ओमन नोन ला देवै ना, वो बासी मा नई घुरै, वो झिरहा माडें रहै। ओ जे बगल में बैठे हे, तेमन। अब का दुख ला रोइहा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अब मोर बर तो तू डाल-डाल, तू पात-पात। ये मन रहिन तबो ओतके अकन, ओमन रहिन, तबो ओतके अकन। माननीय सभापति महोदय, अधिकारी कहि तीला सुनिहा, आम आदमी के ला सुना नहीं, शिकायत करत-करत मर जाहा। अऊ जनप्रतिनिधि के साथ ये सदन में का होथे, आप सुने हव। एक विधायक जी के, महिला विधायक के पीड़ा ला, एक पुरूष विधायक के पीड़ा ला, आप भी सुने हन, हम सब भी सुने हन। लेकिन आज ऐ प्रदेश के अधिकारी राज में जो प्रोटोकॉल के उल्लंघन होत हवै, ओकर कोई सीमा नहीं है। प्रोटोकॉल के कहीं पालन नहीं हे, जनप्रतिनिधि के कहीं सम्मान नहीं है। जबकि गांव के एक सरपंच भी कलेक्टर से ऊपर हे, लेकिन ईंहा एक पटवारी भी विधायक से ऊपर हवै। यह व्यवस्था ये प्रदेश के सरकार में लागू हवै। आप ला बताहा तो आश्चर्यचकित होही, एक 10 डिसमिल के ऑनलाईन के लिये मोला राजस्व के सचिव करा मंत्रालय आना पड़िस। 10 डिसमिल जमीन के ऑनलाईन के कारण रजिस्ट्री पेपर, ऑनलाईन नी होये रहिस, तेकर कारण मोला राजस्व के सेकेट्री करे आना पड़िस। ऐकर बर आना पड़िस कि यह आपके विभाग की व्यवस्था हे। यह 10 डिसमिल भी 10 हजार के बिना ऑनलाईन नहीं होगा। तो यह पीड़ा आज आम आदमी के हे, आम किसान के हे। अऊ बाकी जो प्रदेश के कानून व्यवस्था के बात हवै, दू ठन विभाग तो हे, एक ठन आबकारी विभाग, जे मन दारू बेचथे, दारू पकड़थे और दूसरा पुलिस विभाग, आज पुलिस विभाग के काम अपराध ला रोकना नहीं रह गय हे, बल्कि दारू पकड़ना और दारू बनाथे ते ला कैसे छोड़ना, कैसे सेटिंग करना हे, तकी मा पुलिस विभाग जो हे, मगन हो गे हवै।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी महोदय, दूए मिनट मा। पुलिस के बात आईसे ता आपहो के इशारा आ गिस, लेकिन सही बात हे, साहब न्याय नाम के चीज नहीं हे। आज आदमी पुलिस ला देखथे ता न्याय मांगे ला जाथे। लेकिन आज खाखी वर्दी ला देखथे चौक मा तो आदमी रास्ता बदल के चलत हवै। डहर बदल के चलत हवत हवै कहीं ये जहां ता मोला रोक लिही अऊ सब कुछ होये के बाद पैसा मांगही, तेकर कारण डरा करके भागत हवै, जबकि पीड़ित आदमी ला थाना जाये में कोई डर और भय नहीं होना चाहिये, रिपोर्ट लिखाये में कोई पैसा नहीं लगना चाहिये। लेकिन आज मार खा कर जात हे, 5 टांका लगत हे, तेला भी ऊ मुंसी कहत हे, पहली हिसाब किताब कर लेबे। न्यायालय मा चालान पेश करे बर लागथे, जाये मा पेट्रोल खर्चा करे बर लागथे, दे लेबे ता बनही अऊ जब तक कानून व्यवस्था मजबूत नहीं

होही। आये दिन हम पढ़त हन कि आई.जी. निर्देश देथे कि जुआ ला बंद करौ, आई.जी. निर्देश देथे कि अवैध शराब नहीं बिकना चाहिये, मतलब अवैध शराब बिकथे, जुआ होथे, सट्टा हाथे अऊ अगर सट्टा हाथे, जुआ हाथे तो आपके अतका बड़ प्रशासन तंत्री हे, आखिर ओ काबर चलत हे ? मतलब आपके संरक्षण मा वो चलत हवै। मैं निवेदन करिहा, मंत्री जी तो दूए झन हे, मैं रामकुमार यादव जी ला ही निवेदन कर लौ। काबर ते मोर सबसे नजदीक, बगल इंहा के विधायक हा। यादव जी, जब तक पुलिस प्रशासन के डर अपराधी मन मा नई रहै, जब तक ये भय नही रही, कार्रवाई होही, जब तक ये भय समाप्त नहीं होही के हम पैसा मा छूट जाबो, हम कोई भी ताकत लगाबो तो नहीं छूटबो, तब तक आप कानून व्यवस्था ला बेहतर नहीं बना सका, तब तक आपके प्रशासन जो हे, सुचारू रूप से नहीं चल सकै। जब तक ये प्रदेश मा पेमेंट सीट के व्यवस्था रही, जब तक लेन देन के व्यवस्था रही, आप तब तक कतको बढ़िया बजट बनावा, कतबो बढ़िया योजना बनावा, कतको अकन पैसा आप लगावा, आम जनता ला ओकर नइ मिलै, आम नागरक ला ओकर फायदा नइ मिलै। स्वच्छ प्रशासन रही, बजट तो सब बढ़िया बनाथे। कौन बनाथे?

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, वही ब्यूरोकैसी मन बजट बनाथे, वही अधिकारी मन बजट बनाथे, चाहे सरकार एकर रहे चाहे सरकार ओर रहे। जे भी योजना बनाथे, बहुत सोच समझकर योजना बनाथे, ये चीज महत्वपूर्ण चीज हरहे कि योजना लागू कतका पारदर्शिता के साथ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- कतका ईमानदारी के साथ किये जात हवै और अगर वो पारदर्शिता अउ वो ईमानदारी कोई भी प्रशासन के अधिकारी मा अऊ सरकार मा हे तो बजट के सार्थकता सिद्ध होही। अंत मा मैं।

सभापति महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- साहब, अंत में एक चीज कह के, काबर के हम बहुत पीड़ित हन, आपके संरक्षण चाहिये। सरकार करा निवेदन करबो, दुर्भावना के राजनीति मत करै, चुने हुये जनप्रतिनिधि हमो मन हे, समग्र मा हमन ला पैसा नइ मिलिस। हमन ला काबर पैसा नइ मिलिस? ऐ मन ला भी समग्र मा जो स्वीकृत मिले हे, तेकर राशि अभी तक नइ मिले हे, पिछले समय भी मैं बोले रहव। माननीय निषाद जी, आपके हित में बोलत हों। आपला भी समग्र में पइसा मिले हे, ओकर केवल स्वीकृति गे हे, राशि नइ गे हे।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्रा जी, कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री से बड़े सी.एस., मंत्री हा सी.एस. करा ले अनुमोदन लिही, ये कोन प्रकार के व्यवस्था ये प्रदेश में लागू होईस हे। मंत्री अपन विभाग के पईसा,

छोटे मोटे आवश्यकता के पईसा बर खुद निर्णय नइ ले सकय। चीफ सेक्रेटरी जैसे व्यक्ति हा अनुमोदन देथे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ये भाषण नहीं हे, ए अंदर के दरद हावए जो बाहर निकलत हे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, ये व्यवस्था जब तक रिही तब तक हम प्रदेश के विकास के बात करबो, बजट के सदुउपोगिता के बात करबो, योजना ला सही ढंग से लागू करे के बात करबो, तब तक ए संभव नइ हे, आप मोला बोले के समय देव, तेखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- माननीय सभापति महोदय, आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सपना देखा था। अब वह स्वतंत्र भारत के विकास में अपना कुछ योगदान देते या उसको देखते। लेकिन उसके पहले ही हमारे विपक्ष के लोग जिसकी तारीफ करते हैं और राष्ट्रपिता का नाम लेने में हिचकते हैं। लेकिन वह देश का विकास देख नहीं पाये। हमारे मुखिया जो गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़ में उनके सपनों को साकार करने के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ मॉडल की नीति को अपनाते हुए, उन्होंने नवा रायपुर अटल नगर में सबसे पहले सेवाग्राम की स्थापना का संकल्प लिया है। ये क्यों, यह इसलिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वह आधुनिकता की चकाचौंध और भौतिकवादी सुख में लिप्त हैं। हम उनको उच्च मूल्यों से कैसे संस्कारित करेंगे। उनका जो बल, साहस हैं हम उसको राष्ट्र निर्माण में कैसे लगायेंगे। उन्होंने यह सोचकर सेवाग्राम की स्थापना की, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाये। छत्तीसगढ़ के युवाओं को जमीनी लेवल या हकीकत से कैसे समझाया जाये, जिस पर विकास के द्वार छिपे हुए हैं और वह कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने नीतियों का निर्माण किया और महात्मा गांधी जी के सपनों को यथार्थ धरातल में उतारने का प्रयास किया है और युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य हुआ है, सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है, पेयजल की सुविधा दी जा रही है, यहां शैक्षणिक स्थिति में सुधार कैसे होगा, महिलाओं का विकास कैसे होगा? स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे सुधार होगा? हम वानिकी के क्षेत्र में कैसे विकास लायेंगे? नगरीय सुविधाएं, नगर के लोगों को सुविधाएं कैसे प्रदान करेंगे? खेल और युवा कल्याण को कैसे प्रोत्साहन देंगे? जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नगरीय निकाय का विकास कैसे होगा? इस पूरे बजट में राजस्व, पुलिस प्रशासन, सड़कों, भवनों, राजकोषीय स्थिति और कर के बारे में शामिल किया है। इससे यह बजट एक समावेशी बजट है और हमारा प्रदेश समग्र विकास की ओर विकसित होगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का सम्पूर्ण विकास होगा । ऐसा यह बजट है। छत्तीसगढ़ मॉडल के माध्यम से आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए जितनी भी योजनाएं

बनी हैं, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, चाहे 2500 रूपये धान की कीमत हो, चाहे, बस्तर की विकास का सपना हो। माननीय सभापति महोदय, बस्तर पिछले कई दशकों से नक्सली समस्याओं से ग्रस्त है, वहां के लोगों की विकास की दिशा ही नहीं थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर के विकास का सपना देखा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, उसकी शिक्षा, वेशभूषा और उनके खान-पान की एक विशेष महत्ता होती है जो छत्तीसगढ़ पर दर्शायी जाती है। लेकिन आज का दौर बिल्कुल इसके विपरीत हो गया है। जिस तरह से घड़ी की सुई की रफ्तार होती है, उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लूटपाट और अवैध शराब बिक्री, हमारी बहन बेटियों के साथ अनैतिक घटना, यह सुई की घड़ी की भांति उसी रफ्तार से हर दिन प्रत्येक सेकंड चलता जा रहा है और हमारे प्रदेश में अशांति का प्रतीक बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत से संत गुरू, महापुरूषों ने जन्म लिया और उन्होंने कहा था कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई और गति के बिना धन नष्ट हुआ। केवल हमारे समाज के या हमारे प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो संस्कार हैं, हमारी जो वेशभूषा हैं, वह सब खत्म हो चुकी है, जो हमारे प्रदेश की संस्कार हैं, वह सब खत्म हो चुकी है। हमारे प्रदेश की संस्कार से मेरा यथार्थ यह है कि आज हमारे प्रदेश में जुआ जोरो-शोरों से चलती है, लूटपाट जोरो-शोरों से चलती है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ हर दिन अन्याय, अत्याचार हो रहा है और हमारे मीडिल क्लास तो छोड़िए, हमारे छोटे-छोटे बच्चे और हमारी युवाएं पूरी नशें में लिप्त हो चुकी हैं। गली-गली मोहल्ले में शराब की बिक्री हो रही है और हर जगह शराब के नशे में धुत और जो बहुत सारी बड़ी घटनाएं हैं, उनको अंजाम दिया जा रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में शराबबंदी के बारे में लिखा था लेकिन लगभग तीन साल पूर्ण हो चुके हैं लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शराब को बंद करने की किसी भी तरह की कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे हमारे प्रदेश की महिलाएं सरकार के लिए काफी नाराज हैं और सरकार की कदम को देख रही है कि कब यह अपना कदम उठाएं और छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। माननीय सभापति महोदय, पहले छत्तीसगढ़ में दूध की नदियां बहती थी, हमारी पूर्खे 100,102,103 साल जीते थे लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हमारे प्रदेश में नशा भारी हो गयी है, बीमारी ने जकड़ लिया है और हम लोग केवल 70 से 80 साल ही जीवित रह पा रहे हैं। यह सब नशे के कारण हो रहा है जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है, हमारा समाज नष्ट हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, सरकार की जो मुख्य योजना नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी है जिसमें सरकार ने करोड़ों रूपए खर्च करके गौठान का निर्माण कराया है। प्रत्येक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गांव में गौठान का निर्माण हुआ है लेकिन गौठान में एक भी मवेशी निवासरत नहीं रहते हैं और केवल सड़कों पर रहते हैं जिससे एक्सीडेंट जैसे बहुत सारी घटनाएं होती है। यह सब हमारी सरकारी की जो योजनाएं हैं, वह विफल हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, आत्मानंद इंग्लिश मिडियम का स्कूल हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने खोला है निश्चित रूप से मैं इसके लिये उन्हें बधाई भी देना चाहूंगी लेकिन जिन स्कूलों में जहां आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खोला है उसमें पहले जो हिंदी मीडियम थे उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे शिक्षाग्रस्त थे तो वे बच्चे अभी शिक्षा के लिये दर-दर भटक रहे हैं तो उन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा है जिससे वे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं । हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बोला कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं लेकिन मैं आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी कि एक तरफ वे बोल रहे हैं कि हमारे समूह की महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं लेकिन एक तरफ कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पुरस्कृत हुई है, हमारे समूह की महिलाओं ने रेडी टू ईट तैयार करके हमारे जो कुपोषित बच्चे थे उनको पोषित भोजन आहार कराकर उनको पोषित करने का जो श्रेय आज हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है उसका असली श्रेय हमारी स्वसहायता की सभी बहनों को जाता है लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनसे यह अधिकार भी छीन लिया गया है और उन्हें बेघर कर दिया गया है ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय सभापति महोदय, जल-जीवन मिशन के तहत् पानी टंकी का निर्माण हुआ है । मैं आपका ध्यानाकर्षित कराउंगी क्योंकि सिवाय अनिला भेड़िया जी के बाकी हमारे मंत्रीगण यहां उपस्थित नहीं हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्या का भाषण पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाती है । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि हमारे पामगढ़ क्षेत्र में 3-4 गांव जैसे पनगांव, लोहरसी, धनगांव और मुड़पार में केवल पानी टंकी का निर्माण हुआ है और वह केवल खंभे के समान रखा हुआ है । न तो उसका कोई उपयोग हो रहा है और न ही उससे गांव वालों को किसी तरह का फायदा हो रहा है । पनगांव में ट्रांसफार्मर नहीं है, लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है । लोहरसी में पानी टंकी निर्माण है और जो पाईपलाईन बिछा है वह टूटकर गिर गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मानननीय सभापति महोदय, हमारे सत्तापक्ष के भाई हमारे विपक्ष को हमेशा कोसते रहते हैं कि 15 सालों में आपने क्या किया ? यह चिंता का विषय नहीं है बल्कि चिंता का विषय यह है कि जो सत्ता में बैठे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, यदि आप लोग ऐसे ही दोषारोपण करते जायेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप भी हमारे साथ विपक्ष में बैठें । हमारे बहुत सारे जो अनियमित कर्मचारी भाई-बहन हैं उन्होंने हमें ज्ञापन सौंपा है । साक्षर मिशन के तहत् जो शिक्षक होते हैं उन्होंने भी हमें ज्ञापन सौंपा है । अतिथि शिक्षक जो महाविद्यालय में अध्ययन कराते हैं उन्होंने भी हमें ज्ञापन सौंपा है जिसे हमने पत्र के माध्यम से माननीय सी.एम. साहब को भेजा है तो जिस तरह से उन्होंने जो पुरानी पेंशन को बहाल किया है उसी तरह से हमारे इन शिक्षकों की समस्या को भी दूर करें, मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसी मांग करती हूं ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, हमारे विधानसभा की जो एक सदस्या हैं उनके पति के साथ जो घटना घटी और हमारे अन्य विधायकों के साथ जो घटना घटी है । इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सदन के पवित्र सदन में जो सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं वे भी सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा ? हमारे प्रदेश को सुरक्षित करने के लिये सम्माननीय गृहमंत्री जी को और सत्तापक्ष के सभी हमारे जो मंत्री हैं उन सबको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि हमारा प्रदेश जो कि शांति का टापू है उसका फिर से निर्माण हो सके । इसमें किसी तरह की अनैतिक घटना न हो और सभी को समान अधिकार मिल सके । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(सायं 7 बजकर 04 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 10 मार्च, 2022 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं